राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 11] विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का छठा दिवस [संख्या 5

सोमवार,
दिनांक 15 नवम्बर, 1971

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारंभ हुई ।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, स्वायत्त शासन, वित्त, गृह, यातायात, चिकित्सा, पंचायत एवं विकास, आयुर्वेद, सहकारी, नियुक्ति, उपनिवेशन, स्वास्थ्य, नगर विकास न्यास विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री हरजी राम बुरड़क ।

ग्राम बल्दू में अलाट की गई भूमि

85. **श्री हरजी राम बुरडक** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम बल्दू तहसील लाडनूं, जिला नागौर के खसरा नम्बर 370, 284, 756, 141, 145, 440 को कृषि कार्य हेतु अलाट किया था ? यदि हां, तो कब, किस किस व्यक्ति को कितना कितना बीघा ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त भूमि की किस्म राजस्व रेकार्ड में क्या थी और अब तक किस कार्य में आ रही थी ?

(3) इस भूमि की किस्म कब बदली गई और किस्म बदलने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई तथा क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये थी ?

(4) अलाटमेंट कमेटी ने इस भूमि को मौके पर जाकर देखा हो, तो कब और मौके की क्या रिपोर्ट थी ?

(5) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को क्या क्या शिकायतें कब कब प्राप्त हुईं, और उन पर क्या क्या कार्यवाही हुई ?

(6) जिन व्यक्तियों को यह भूमि अलाट की गई है क्या वे भूमिहीन हैं और अनुसूचित जाति के भी हैं ? यदि हां, तो इसका प्रमाण-पत्र किस अधिकारी द्वारा दिया गया ?

(7) क्या यह भी सत्य है कि यह भूमि अब तक तालाब के पायतन के काम में आ रही है ? यदि हां, तो इसको अलाट क्यों नहीं किया गया ?

(8) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने कलेक्टर नागौर को यह आदेश भी दिया था कि इस भूमि का कब्जा एलोटीज को नहीं दिया जावे ? यदि हां, तो कब और उसकी तामील कलेक्टर ने कब की, और नहीं, तो क्यों ?

(9) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्य-वाही करने का विचार है ?

(10) मौके पर यह भूमि काश्त करने योग्य है या नहीं, इस सम्बन्ध में सरकार ने

Page No 2

(श्री हरजीराम बुरडक)
किस को मोके पर भेजकर जानकारी करवाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां, आवंटन विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

(2) उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन आगोर जो कि मौके पर नाडी की भूमि थी परन्तु उस नाडी में पानी अधिक नहीं आता था और ग्राम की जनता व पशुधन ग्राम की दूसरी नाडी में पानी पीते हैं इसलिये इस आगोर के सदुपयोग के लिये सलाहकार समिति की सिफारिश के अनुसार किस्म तबदील बारानी अव्वल की जाकर भूमिहीन व्यक्तियों को नियमानुसार आवंटित किया गया ।

(3) इस भूमि की किस्म वक्त आवंटन बदली गई, नियमानुसार किस्म परिवर्तन के लिये प्रक्रिया है कि जो भूमि आवंटन की जानी हो व सार्वजनिक हित में हो एवं जनता को कोई दुविधा न हो । इस हेतु आवंटन के लिये इश्तिहार जारी करवाये गये एवं जनता अथवा पंचायत द्वारा आपत्ति न आने पर सलाहकार समिति की सिफारिश आवंटन के लिए की गई। किस्म परिवर्तन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर तहसीलदार लाडनूं द्वारा सिफारिश करने पर किस्म जमीन का परिवर्तन किया गया ।

(4) आवंटन कमेटी ग्राम बल्दू नहीं पहुंच सकी, क्योंकि उस दिन ग्राम बल्दू के अलावा ग्राम पंचायत रताऊ, खामियाद, निम्बी जोधा, ढींगसरी, सीलनवाद, मरनावा व माल गांव में भी आवंटन किया गया था किन्तु सलाहकार समिति के सदस्यों ने यह तथ्य प्रकट किया था कि उक्त खसरान आगोर के काम नहीं आते इसलिये उन्हें किस्म दुरुस्ती की जाकर भूमिहीनों को आवंटित किया जाय ।

(5) राज्य सरकार को जो शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था उस पर जिलाधीश को जांच करने हेतु लिखा था ।

(6) जिन व्यक्तियों को यह भूमि आवंटन की गई है वह भूमिहीन हैं एवं अनुसूचित जाति के भी हैं। इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भूमिहीन होने की जानकारी राजस्व रेकार्ड से करली जाती है एवं अनुसूचित जाति की जानकारी गांव के मौजीबान एवं मोतबिरान से करली जाती है ।

(7) यह सत्य है कि आवंटित की गई भूमि के कुछ भाग में नाडी है किन्तु इस नाडी में पानी कम आने से एवं ग्राम में दूसरी नाडी में पर्याप्त पानी आने से जनता व पशुधन वहां से पानी पीते हैं । अतः सदुपयोग के लिये कृषि हेतु आवंटित किया गया ।

(8) राजस्व सचिव ने जांच करने तक भूमि का कब्जा न देने का आदेश दिनांक 18-6-71 को विधायक श्री हरजीराम बुरड़क की दरख्वास्त पर दिये थे जिसकी प्रतिलिपि उपखंड अधिकारी, डीडवाना को क्रमांक 2442 दिनांक 26-6-71 बारां (जिलाधीश द्वारा) भेजी गई । जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने जिलाधीश नागौर को अवगत कराया कि कब्जा दिया जा चुका है ।

(9) कलेक्टर, जो स्वयं अनियमित आवंटन को निरस्त करने के लिये सक्षम है, को जांच कर उचित कार्यवाही करने हेतु पुनः कहा जा रहा है ।

Page No 3

(श्री परसराम मदेरणा)

(10) मौके पर भूमि काश्त योग्य है इसकी जांच हेतु मौके पर किसी अधिकारी को नहीं भेजा गया क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री हरजीराम बुरडक : क्या यह सही है कि अलाटमेंट के लिये जो रूल्स निकाले गये हैं जिससे पहले अलाटमेंट नियमों के अनुसार सार्वजनिक भूमि को काश्त करने के लिये तब्दील करने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं मांगी गई ?

श्री परसराम मदेरणा : आपत्ति तो शायद मांगी गई या नहीं मांगी गई किसी किसी भूमि को कनवर्ट करना है और जो उस तहसील की अलाटमेंट सलाहकार समिति है उसको कोई एतराज नहीं हो तो एस. डी. ओ. कर देता है।

श्री हरजीराम बुरडक : अलाटमेंट कमेटी के सामने पहले यह प्रस्ताव आता है भूमि काश्त में कनवर्ट करनी है तो उसके लिये सार्वजनिक रूप से नोटिस जारी किये जाते हैं। उसके बाद अलाटमेंट कमेटी निर्णय देती है कि किस्म परिवर्तन कर दी जाय। लेकिन इसमें सीधा अलाटमेंट कमेटी के सामने यह आया है कि अलाटमेंट कर दिया जाय किस्म परिवर्तन के लिये नहीं आया और आप कह रहे है परिवर्तन कर दिया गया। दूसरा यह है कि राजस्व सचिव ने यह आदेश दिये थे कि भूमि का कब्जा न दिया जावे। उसके बाद कलेक्टर ने जबरन कब्जा दिलाया और आपने यह कहा कब्जा पहले दे दिया गया। इस पीरियड में वे छुट्टी पर थे इसलिये सारा उत्तर गलत है। नाडी में पानी आता है और गांव वालों को एतराज है इसके बाद में भी यह कहा गया कि पानी नहीं आता है यह गलत है। जो भूमि अलाट करनी है और नाडी के काम नहीं आने वाली है उसको अलाटमेंट करवा सकते हैं और मेरा निवेदन है यह खारे पानी का क्षेत्र है इस पर पुनः विचार करें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक रेवेन्यू सेकेटरी ने जो आदेश दिये थे वे आदेश एस. डी. ओ. के पास पहुंच गये। लेकिन वह कलेक्टर के पास गये उन्होंने यह दरख्वास्त दी कि जमीन अलाट हो गई है। कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है। एस. डी. ओ. मौजूद नहीं है इसलिये ये तहसील में चले गये और कब्जा दिला दिया। मेरे पास किस एप्लीकेशन पर क्या आदेश थे इमीजियेटली मेमोरी से कहना तो मुश्किल पड जाता है लेकिन कलक्टर ने यह लिख दिया कि कब्जा दिला दिया जाय। दूसरी बात जैसे प्रश्न के उत्तर भाग (9) में बता चुका हू पुनः जांच करने के लिये वास्तव में आबादी की भूमि के लिये आवश्यकता है और लोगों को ऐतरांज है—आदेश दे दिये गये। जहां तक सवाल रहा, डिक्लेरेशन नहीं किया गया आवंटन के लिये जो रूल्स निर्धारित किये गये हैं—किस्म परिवर्तन के जहां तक मैं समझता हूं कानून में कोई इश्तिहार करने की आवश्यकता नहीं थी। लोगों को कोई ऐतराज नहीं था। सर्व सम्मति की राय थी। जमीन काबिल काश्त है। इसलिये पीने के पानी के काम में आने वाली है। वह दूसरी नाडी है और वह कुछ जमीन छोडकर बाकी लोगों को अलाट कर दी जाय।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : जो पेटे काश्त के लिये आवंटन होता है वह किया

Page No 4

(श्री दिग्विजयसिंह)
गया है या 10 साल का होता है वह किया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : वह मारवाड़ में नहीं होता है। पेटे काश्त का प्रश्न ही नहीं है। काश्त हो ही नहीं रही है इसलिये जो उचित समझा गया कि भूमि हीनों को आवंटन कर दिया जाय, वह कर दिया गया।

श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) : क्या यह सही है कि भूमि कनवर्ट करने से पहले ग्राम पंचायत ने जमीन के कनवर्शन के लिये जो नोटिस जारी किया जाता है, वह नहीं किया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार क आदेश ऐसे हैं कि जहां चरागाह जमीन को परिवर्तन करने का सवाल हो वहां ग्राम पंचायत को पूछा जाये। इस केस में ग्राम पंचायत को पूछा गया या नहीं और पूरे गांव की क्या राय थी यह नहीं मालूम लेकिन राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि जहां चरागाह या सार्वजनिक काम की जमीन आती हो उसको कन्वर्ट करने के पहले पूरे गांव की ग्राम सभा की राय लेनी चाहिये क्योंकि ऐसे मामले राज्य सरकार के पास आये हैं जहां सरपंच तो कहता है कि कनवर्शन किया जाये और गांव की राय में नहीं होना चाहिये और फिर कम्प्लेन्टस होती रहती हैं। तो अभी यह आदेश दिया गया है कि गांव की युनेनिमिटी हो तो चरागाह का परिवर्तन किया जाये, वरना नहीं।

श्री हरजी राम बुरडक : एक सवाल और है।

श्री अध्यक्ष यह आखरी प्रश्न होगा।

श्री हरजी राम बुरडक : जब तक गांव के सारे आदमियों से नहीं पूछा जाये तब तक परिवर्तन नहीं किया जाये क्या आप ऐसे आदेश दे देंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : इस प्रकार के आदेश दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

टोंक नगरपालिका से रकम लेकर फरार व्यक्ति

86. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या टोंक नगरपालिका से कई हजार रुपये लेकर कोई व्यक्ति फरार हो गया था ? उसके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) इस केस को अब तक पुलिस को नहीं देने का क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री राम किशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ सका है इसलिये स्थगित किया जाये।

श्री **अध्यक्ष** : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 87

श्री रावत राम।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये।)

प्रश्न संख्या 88

श्री राम किशन।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)।

Page No 5

(श्री अध्यक्ष)

श्री केसरी सिंह हाड़ा ।

टिकिट चैकरों की नियुक्ति

89. **श्री केसरी सिंह हाड़ा** (हिन्डोली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अध्यक्ष, राजस्थान राज्य परिवहन निगम ने जनता में से कोई टिकिट चैकर नियुक्त किये हैं ? यदि हां, तो कितने, कहां कहां पर और कौन कौन ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) यह नियुक्ति श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ने अपने ही विवेक से की है या राज्य सरकार की सलाह पर की है ?

(3) चैकरों को क्या अधिकार दिये गये हैं और क्या उनको किसी प्रकार के प्रमाण-पत्र भी दिये गये हैं ? अलग अलग चैकरों का किस किस रूट पर क्या कार्य होगा क्या यह तय किया गया है ?

(4) चैकरों को क्या वेतन या किसी प्रकार की सुख-सुविधा दी गई है ?

(5) इस योजना से निगम को कितना लाभ होगा ? क्या चैकर जो वेतन से थे उनको बन्द कर दिया गया है ?

(6) क्या बूंदी में श्री रामदयाल को चैकर नियुक्त किया गया है ?

(7) क्या यह पी. डब्लू. डी. और सिंचाई विभाग के ठेकेदार हैं ?

(8) क्या इनको निजी कार्य से अमूमन कोटा आना जाना पड़ता है ?

(9) क्या ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ?

यातायात मंत्री (श्री ओंकार लाल) :

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(6) जी नहीं ।

(7) इसकी जानकारी नहीं है ।

(8) जानकारी नहीं है ।

(9) हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष : हो सकता है ।

श्री केसरी सिंह हाड़ा : क्या राज्य सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इसके मुताबिक चैकर की कोई नियुक्ति सरकार ने बूंदी में नहीं की ?

श्री ओंकार लाल : इस प्रकार की कोई चैकर की नियुक्ति नहीं की गई ।

श्री केसरी सिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, ज्वाला प्रसाद जी ने बूंदी में अपने दस्तखतों से राम दयाल, जो कांग्रेस नेता हैं और ठेकेदारी करते हैं नियुक्ति की ।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया है 'जी नहीं' ।

श्री केसरी सिंह हाड़ा : झूठ बोलते हैं, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : अब जैसा है उत्तर मिल गया । आप दूसरा प्रश्न पूछ लीजिये ।

श्री केसरी सिंह हाड़ा : हर बात को इन्कार करते हैं, क्या पूछें ?

श्री अध्यक्ष : अब जो है सो है।

प्रश्न संख्या 90

नेक्स्ट।

श्री कल्याणमल मीणा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हूरलाल मीणा।

जनाना अस्पताल, प्रतापगढ़ के बैड्स

91. **श्री हूरलाल मीणा** (प्रतापगढ़ सु.) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ जनाना अस्पताल से 15 (पंद्रह) बैड्स मिडवाइफ ट्रेनिंग सेन्टर, चित्तौड़गढ़ को दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब, क्यों और किस कन्डीशन पर दिये गये थे ?

(2) क्या यह सत्य है कि जनाना अस्पताल में शुरू से 30 (तीस) बैड्स की संख्या चली आ रही थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि अभी उक्त अस्पताल में केवल 15 (पन्द्रह) बैड्स हैं जो शहर और पूरे सब-डिवीजन की संख्या को देखते हुए काफी कम पड़ते हैं ? यदि हां, तो क्या 15 बैड्स वापस प्रतापगढ़ को दिये जायेंगे ?

चिकित्सा मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (1) जी हां, सन् 1966 से। ए. एन. एम. के प्रशिक्षण वास्ते साधारणत: 40 रोगी शैयाएं व 15 महिलाओं की शैयाएं होना अनिवार्य है।

(2) जी हां।

(3) यह सही है कि जनाना अस्पताल में इस समय केवल 15 बैड्स हैं पर पिछले दो साल के रोगियों की औसत को देखते हुए पर्याप्त हैं।

श्री हूरलाल मीणा : क्या यह सही है कि पहले 30 बैड्स थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री हूरलाल मीणा : तो फिर क्या कारण था कि प्रतापगढ़ से चित्तौड़गढ़ को दे दिये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज किया न कि ए. एन. एम. के शिक्षण के लिये वहां 40 बैड्स आवश्यक थे इसलिये वहां खोले गये।

श्री हूरलाल मीणा : प्रतापगढ़ की आबादी को देखते हुए 15 बैड्स बहुत कम हैं और मरीज नीचे पड़े रहते हैं और आप कहते हैं कि आबादी को देखते हुए काफी हैं। यह गलत है। मैं रोज देखता हूं कि मरीज नीचे पड़े रहते हैं। 15 बैड्स उधर दे दिये, वे वापिस नहीं देंगे तो यह ठीक नहीं है।

श्री राम किशोर व्यास : इसकी संख्या बढ़ा देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री राम प्रसाद बोहरा।

कोटा व झालावाड जिलों में बिक्री कर की बकाया

92. **श्री राम प्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला झालावाड़ व कोटा जिले में सेल्स टैक्स की रकमें 31 मार्च सन् 1971

Page No 7

(श्री राम प्रसाद बोहरा)
तक कितनी और किन किन व्यक्तियों में बाकी हैं ? और अब तक वसूली न होने का क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सी. टी. ओ. आफिस झालावाड़ में न रहने से टैक्स की चोरी ज्यादा होती है और टैक्स वसूली भी नहीं हो पा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि गत सत्र में यह आश्वासन दिया गया था कि झालावाड़ में सी. टी. ओ. आफिस फिर खोल दिया जायेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि दूसरे जिलों के मुकाबिले जिला झालावाड़ की आय ज्यादा है ?

वित्त मंत्री (श्री शोभाराम) : (1) सूची संलग्न है । वसूली न होने के कारण सूची में अंकित हैं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

(4) जिन जिलों में सी. टी. ओ. आफिस हैं उनके मुकाबले में झालावाड़ जिले की आय अधिक नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री **राम प्रसाद बोहरा** : क्या यह सही है कि गत सत्र में वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि झालावाड़ में सी. टी. ओ. आफिस खोला जायेगा, और दूसरे जिलों के मुकाबले झालावाड़ जिले की आमदनी ज्यादा है ?

श्री शोभाराम : मैंने कह दिया है कि जिन जिलों में सी. टी. ओ. आफिस हैं उनके मुकाबले में झालावाड़ जिले की आमदनी ज्यादा नहीं है । क्योंकि इसमें कोटा जिला भी शामिल किया गया है इसलिये दोनों को मिलाकर आमदनी ज्यादा हो जाती है, लेकिन अकेले झालावाड़ जिले की आमदनी ज्यादा नहीं है कि वहां पर सी. टी. ओ. आफिस रखा जाये ।

श्री **राम प्रसाद बोहरा** : गत सत्र में यह डिस्कस हुआ था कि झालावाड़ में सी. टी. ओ. आफिस खोला जाये और मंत्री महोदय, आज कहते हैं कि 'जी नहीं, झालावाड़ बोर्डर जिला है और वहां की आमदनी कम हो रही है । सी. टी. ओ. आफिस न होने से चोरी होती है, और यहां डिसीजन लिया गया था कि सी. टी. ओ. आफिस खोलना अनिवार्य है और जल्दी खोला जायेगा, और आज मंत्री महोदय फर्माते हैं कि आमदनी कम है ।

श्री **शोभाराम** : मैं निवेदन करता हूं कि जिस आश्वासन के बारे में आप इशारा करते हैं वह मुझे बतादें तो जो कुछ भी हमने आश्वासन दिया है उसको पूरा करेंगे ।

श्री **दौलत राम सारण** (डूंगरगढ़) : यह बड़ी विचित्र बात है, अध्यक्ष महोदय कि राज्य सरकार आश्वासन देती है उसके बारे में भी माननीय सदस्य बतायें और आप कहें कि जानकारी नहीं है ।

श्री **शोभाराम** : इस सदन के सामने वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था, यह हमें भी याद है, और उन्होंने कहा था कि झालावाड़ की आमदनी को देखते हुए सी. टी. ओ. का आफिस होना चाहिये ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : जो सूची आपने पिछले सत्र में दी थी, उसमें आमदनी के लिहाज से झालावाड़ सातवें नम्बर पर था और आमदनी के लिहाज से माननीय वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सी. टी. ओ. के आफिस के लिये सरकार विचार करेगी और वापिस कर देगी आपकी, मंत्रीजी, सूचना गलत है।

श्री शोभाराम : मैं इसको देख लूंगा और अगर मालूम पड़ा कि ऐसा आश्वासन दिया गया है तो उसके मुताबिक दफ्तर खोल दिया जायेगा।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : पिछले सत्र में आप ने.........

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि यदि ऐसा आश्वासन दिया है तो खोल दिया जायेगा। उसके बाद प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम प्रसाद बोहरा : लाखों रुपयों की सेल्स टैक्स की बकाया है। छोटे आदमी की अगर बकाया रहती है तो उस पर कुर्की कर दी जाती है और बड़े आदमी को नोटिस भी जारी नहीं होता।

श्री शोभाराम : बड़ों के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे।

श्री हरजी राम बुरडक (लाडनूं) : वसूली की प्रक्रिया में डिफेक्ट होने के कारण बड़े बड़े आदमियों से वसूली नहीं होती, तो क्या राज्य सरकार ऐसे डिफेक्ट्स को रिमूव करेगी ?

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न।

श्री हरजी राम बुरडक : यह इसी प्रश्न का भाग है। प्रश्न संख्या 1 में यह है।

श्री अध्यक्ष : अलग। श्री जगन्नाथ।

श्री हरजी राम बुरडक : प्रश्न के भाग 1 में पूछा गया है।

श्री अध्यक्ष: मैंने कह दिया है, अलग है।

टोंक जिले के कच्चे रूटों पर चलने वाली बसें

93. श्री **जगन्नाथ पटेल** (टोडारायसिंह) की अनुपस्थिति में श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) द्वारा पूछा गया : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक जिले के कच्चे रूटों पर कितनी और किन किन की बसें चलती हैं ?

(2) क्या इन सभी रूटों पर इन्सपेक्टरों द्वारा जांच भी की जाती है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि कई रूटों पर बगैर परमिट के ही गाड़ियां चलती हैं और थर्ड क्लास गाड़ियां चलती हैं जिससे कि आये दिन एक्सीडेन्ट आदि होते रहते हैं ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि कच्चे रूटों पर सवारियां अनाप-शनाप भर कर ले जाते हैं ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि सवारी से मन चाहता दाम वसूल कर लेते हैं ?

(6) सरकार ने फी कच्चे माइलेज का क्या रेट तय कर रखा है ?

यातायात मंत्री (श्री ओंकारलाल) : (1) टोंक जिले के कच्चे रूटों पर जो बसें

(श्री ओंकार लाल)

चलती हैं उनकी संख्या एवं मालिकों की सूची (ग्र) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) बगैर परमिट के गाड़ियां नहीं चलती हैं। जो कभी चलती हैं तो उसका चालान किया जाता है। गाड़ियां फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर अच्छी हालत में चलती हैं। खराब गाड़ियां चलने एवं उनसे एक्सीडेन्ट होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(4) अनाप शनाप सवारियों की रोक-थाम के लिये चालान किये जाते हैं एवं आर. टी. ए. द्वारा दोषी चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(5) जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(6) कच्चे मार्ग अर्थात् सी श्रेणी का किराया 5 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति सवारी है। तीस प्रतिशत यात्री कर अतिरिक्त है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री अध्यक्ष : यह प्राक्सी थी या अथारिटी लैटर था ?

श्री दिग्विजयसिंह : अथारिटी लैटर मुझे दिया गया था।

श्री अध्यक्ष : मुझे मिला नहीं। प्राक्सी से ही आरम्भ हुआ।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी चाहूंगा कि इन रूटस पर जो बसें चल रही हैं उनके माडल कौन से साल के हैं ?

श्री ओंकारलाल : उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी है कृपया उसे देखें।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, इन रूटस पर जो गाड़ियां चल रही हैं उनका अधिकतर माडल 48 का है क्या यह सही है ?

श्री ओंकारलाल : जी हां। 59 के भी माडल हैं 58 के भी माडल है।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है कि इन रूटस की हालत देखते हुए यहां पर नयी बसें लगाना आवश्यक है और यहां अभी तक पुराने टंडीरे चल रहे हैं तो उनका कभी ब्रेक डाउन हो जाता है या कभी खराब हो जाती हैं ?

श्री ओंकारलाल : ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो उसका फिटनेस हो जाता है और जब वे ठीक समझी जाती हैं तब ही उनका रिन्यूअल किया जाता है वरना नहीं।

श्री दिग्विजयसिंह : आपने सूची में गाड़ियों का नम्बर दिया है और माडल नहीं दिया है।

श्री ओंकारलाल : माडल है कृपया देखें।

श्री दिग्विजयसिंह : आप ये देखें मेरे पास जो सूची है उसमें माडल नहीं है। आपके पास सूची है उसमें माडल हो सकती है लेकिन जो सूची मेरे पास है उसमें माडल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह सूची जनता के लिये है।

(कई माननीय सदस्यों के खडे होने पर) माननीय प्राक्सी प्रश्नकर्ता :

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय देखें तो सही माडल है ही नहीं।

Page No 10

श्री गिरधारीलाल व्यास (पासीन्द) : मूल प्रश्न में माडल पूछा ही नहीं गया है ।

श्री दुर्गालाल बादशाह (हवा महल, जयपुर) : मंत्री महोदय ने कहा है कि सूची में माडल दिया हुआ है ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : मंत्री महोदय की सूची में माडल है क्या ?

श्री ओंकार लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो मूल प्रश्न है उसमें माडल के लिये जानकारी ही नहीं मांगी गयी है।

श्री अध्यक्ष : (मंत्री महोदय से) गलती यह होगयी कि माडल नहीं लिखा होने पर भी चूंकि आपकी जानकारी थी इसलिये दे दिया और उनके पास जो कागज है उसमें माडल नहीं है । तो न इधर माडल है न उधर माडल है ।

श्री दिग्विजयसिंह : उधर तो नया माडल है ।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : तो वहां पर फर्स्ट क्लास चलती है या सेकिण्ड क्लास चलती है या कौनसी क्लास चलती है ? माडल नहीं है तो यही बता दें ।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ) : क्या यह सही है कि मेकेनिकल इन्सपेक्टर को उनकी फीस दे दें तो कोई सा भी माडल पास हो जाता है ?

श्री ओंकार लाल : जी नहीं ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबडा) : क्या यह सही है कि जो आपकी फिटनेस की प्रक्रिया है वह सिर्फ 100 रुपये के नोट की है ?

श्री ओंकार लाल : यह आपका आरोप गलत है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह सोलह आना ही नहीं बल्कि सवा सोलह आना सही है ।

श्री अध्यक्ष : इस तरह नहीं कोई उदाहरण तो दें ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : आप मेरे साथ चलिये मैं आपको हर इन्सपेक्टर के बंगले पर ले चलूंगा · · · ·

श्री अध्यक्ष : इस तरह माननीय सदस्य आरोप न लगायें।

नेक्स्ट, श्री गंगासहाय ।

पंचायत समितियों द्वारा चलाये जाने वाले कृषि फार्म

94. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितनी पंचायत समितियों द्वारा कृषि फार्म चलाये जा रहे हैं और कब से चलाये जा रहे हैं ?

(2) क्या पंचायत समितियों द्वारा चलाये जा रहे कृषि फार्म लाभ में चल रहे हैं ? यदि हां तो किस किस पंचायत समिति को किस किस वर्ष में कितना लाभ हुआ ?

(3) क्या फार्म चलाने वाली पंचायत समिति खाद बीज आदि के खर्च का हिसाब रखती है ? यदि हां तो क्या उसकी कभी विभाग द्वारा जांच की गई है ? यदि की गई तो उसके क्या परिणाम सामने आये हैं ?

— पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : माननीय अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न के संबंध में वांछित सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिये मैं इसको स्थगित किये जाने के लिये निवेदन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

तहसील दांतारामगढ के ग्रामों में आयुर्वेदिक औषधालय

95. श्री मदनसिंह (दांता रामगढ) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मंढा, सुरेरा, असोदा, सामी ग्रामों में औषधालय खुलवाने हेतु भूतपूर्व मंत्री जी व वर्तमान मंत्री महोदय को पत्रों द्वारा व मौखिक रूप से निवेदन किया था ? अगर हां, तो पत्रों की प्रतिलिपि मय आदेशों सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम सामी, मेई, दांतारामगढ में ही अस्थाई औषधालय खोले गये हैं ? उनको स्थाई करवाने हेतु जनता सामी का प्रार्थना-पत्र मय मेरी सिफारिश सहित मंत्री महोदय को भेजा गया था ? उक्त औषधालय को कब तक स्थायी कर दिया जावेगा ? नहीं तो क्यों ?

क्या यह भी सही है कि ग्राम बाय तहसील दांतारामगढ के औषधालय के वैद्य श्री मालीराम शर्मा के खिलाफ कई दफा शिकायतें की गई हैं ? अगर हां, तो उन पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (1) जी नहीं, प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(2) जी नहीं सामी में इस वर्ष औषधालय खुल गया है ।

(3) जी नहीं, प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री मदनसिंह : खोल दिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां ।

श्री मदनसिंह : तो धन्यवाद.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य की गैर मौजूदगी में खोला गया है क्या ?

श्री मदनसिंह : सामी के अन्दर तो आलरेडी खुला हुआ था जिसको स्थायी करना था । कल आपने कहा था कि सुरेरा असोदा में खोल दिया है . . .

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि सामी में खोला है वहां स्थाई नहीं था । वहां के सरपंच ने कहा था इसलिये कम्पाउन्डर को लगाया था ।

श्री मदनसिंह : उसका क्या हुआ ?

श्री राम किशोर व्यास : उस पर विचार करेंगे ।

श्री मदनसिंह : कब तक ?

श्री राम किशोर व्यास : जल्दी ही ।

श्री मदनसिंह : आपको धन्यवाद दे दिया है इसलिये विचार कल ही कर लेना ।

श्री अध्यक्ष : आप उसे वापिस ले लो न ।

श्री मदनसिंह : मैं आज तक देकर वापिस लेना नहीं सीखा हूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री भगवानदास शास्त्री !

ओवर ड्राफ्ट की राशि

96. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पर कुल मिलाकर 1970-71 तक केन्द्र का कितना ऋण शेष है ? मय आंकड़ों के सूची सदन में रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य ने ओवर ड्राफ्ट धनराशि प्राप्त की है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि केन्द्र अथवा रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि ओवर ड्राफ्ट की धनराशि शीघ्र लौटाई जावे ?

वित्त मंत्री (श्री शोभाराम) : (1) राज्य सरकार पर 1970-71 के अंत तक महालेखाकार से प्राप्त प्रारम्भिक लेखों के आधार पर केन्द्र सरकार का कुल मिलाकर 532.48 करोड़ रुपये का ऋण शेष है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, रिजर्व बैंक के साथ राज्य सरकार के खाते में ओवर ड्राफ्ट की स्थिति प्रतिदिन लेन देन के आधार पर बदलती रहती है। प्रश्न प्राप्त होने की तारीख यानी 27-10-71 को राज्य सरकार के खाते में 0.90 करोड़ के मार्गोपाय अग्रिम को सम्मिलित करते हुए 43.64 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट था।

(3) 30-6-1971 को रिजर्व बैंक के साथ राज्य सरकार के चल रहे ओवर ड्राफ्ट की राशि केन्द्र सरकार से ऋण प्राप्त करके चुका दी गई है। तत्पश्चात् चालू ओवर ड्राफ्ट की धनराशि को शीघ्र लौटाये जाने के बाबत केन्द्र सरकार अथवा रिजर्व बैंक से और कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सही है कि जब ओवर ड्राफ्ट की स्थिति राज्य में थी तो रिजर्व बैंक ने समय समय पर वित्त मंत्री जी को सूचित किया था कि ओवर ड्राफ्ट की स्थिति को ज्यादा नहीं बढ़ायें और जल्दी वापिस करें ?

श्री शोभाराम : ओवर ड्राफ्ट की जो स्थिति पैदा हुई वह दो कारणों से हुई। वह मैं आपको बता दूं। एक तो यह थी कि शुरू में पार्लियामेन्ट में यह एलान किया था कि प्रत्येक स्टेट गवर्नमेन्ट के डेफिसिट बजट को पूरा करने के लिये वित्तीय सहायता गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया देगी और उसी पालिसी के तहत हमारा 1969 के अन्दर 135 करोड़ 32 लाख रुपये का असेसमेन्ट किया था और हमने उनसे कहा कि हमारा री-असेसमेन्ट कर दिया जाये तो 203 करोड़ 63 लाख रुपया होता है। अगर वह चीज हमको मिलती है फर्थ प्लान में तो हमारा ओवर ड्राफ्ट नहीं रहता है। दूसरे, साढ़े तेतीस करोड़ रुपये के कुछ आइटम्स हैं फैमिन के जिनको अप्रूव नहीं करा पाए हैं। इन दोनों बातों के बारे में

(श्री शोभाराम)

पत्र व्यवहार चल रहा है और उम्मीद करके चलते हैं कि यह दोनों चीजों की धनराशि जब हमें मिल जायेगी तो ओवर ड्राफ्ट नहीं रहेगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : फेमिन के लोन के लिये आपकी धनराशि केन्द्र सरकार के पास है, जिसकी पत्रावली रात दिन आपके और उनके बीच चल रही है। वह तय हो जाता है तो ओवर ड्राफ्ट राइट आफ किया जा सकेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र से जो फेमिन के समय में धनराशि घोषित की गई थी और जो धनराशि अपने को मिली है और जो धनराशि बाकी शेष रहेगी उसमें वह ओवर ड्राफ्ट में शामिल हो जाएगी या अपने को वापिस मिलेगी ?

श्री शोभाराम : मैंने आपसे निवेदन किया कि फेमिन का साढ़े तेंतीस करोड़ रुपया केन्द्र से लेना है और वह रुपया मिल जाता है तो जो ओवर ड्राफ्ट की पोजीशन है वह नहीं रहेगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि भारत सरकार ने इस फेमिन के खर्चे को स्वीकार नहीं किया है ?

श्री शोभाराम : मैंने आपसे निवेदन किया कि साढ़े तेंतीस करोड़ के कुछ आइटम्स हैं जो डिस्प्यूटेड है, जो अभी तक स्वीकार नहीं हुए हैं। इस संबंध में हम उनसे बात कर रहे हैं। अभी पिछले महीने ही हमारे वित्त मंत्री जी, श्री चव्हाण साहब उनसे इस बारे में बात हुई थी और अब जल्दी ही नेक्स्ट मीटिंग कर रहे हैं और उनको प्रेस कर रहे हैं कि जो कुछ भी खर्चा हुआ है वह खर्चा कबूल किया जाय क्योंकि फेमिन की कण्डीशन्स इस प्रकार की हो गई थी जिसकी वजह से यह खर्चा करना पड़ा था।

श्री भैरोंसिंह : ओवर ड्राफ्ट की लेटेस्ट पोजीशन क्या है ?

श्री शोभाराम : मैंने आपको बताया कि 27 अक्टबर तक ओवर ड्राफ्ट करीब 45-46 करोड़ है।

श्री भैरोंसिंह : पचास करोड़ तो नहीं है ?

श्री शोभाराम : मेरे पास जो परसों तक सूचना आई है उसके अनुसार पचास करोड़ तो नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : क्या ये साढ़े तेंतीस करोड़ इसमें शामिल हैं ?

श्री शोभाराम : यह ओवर ड्राफ्ट में शामिल हैं।

श्री भैरोंसिंह : जब तक यह मामला फाइनल न हो तब तक क्या ओवर ड्राफ्ट ही माना जाता रहेगा ?

श्री शोभाराम : 30 जून को केन्द्र सरकार से ऋण लेकर रिजर्व बैंक को ओवर ड्राफ्ट का चुकारा कर दिया है।

श्री शिवचरण सिंह (महुआ) : क्या यह सही है कि फेमिन के लिये जो रुपया मिला है उसमें से कुछ री-पेयेबल है ? क्या कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो फेमिन में कवर नहीं होते और इसलिये उनका रुपया वापिस देना होगा ?

Page No 14

श्री अध्यक्ष: यह पूछ लिया है।

श्री शोभाराम : कुछ आइटम्स हैं जिनके लिये वापिस देना हो सकता है।

श्री शिवचरणसिंह : क्या उनके बारे में फाइनल हो गया है कि किन किन आइटम्स पर रुपया वापिस देना है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री गाड़िया।

सहकारी फार्मिंग सोसायटी ग्राम चूरेलिया

97. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां तहसील की रटावद ग्राम पंचायत के ग्राम चुरेलिया में सहकारी फार्मिंग सोसायटी बनी है ? यदि हां, तो उसमें कौन कौन सदस्य हैं—मय पते के और उनको किस किस खसरा नम्बर की कितनी कितनी बीघा भूमि आवंटित हुई—सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या उक्त सोसायटी की शिकायत होने पर कोई जांच हुई है ? यदि हां, तो किस अधिकारी ने जांच की ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

सहकारी मंत्री (श्री ओंकारलाल) : (1) जी हां, समिति के सदस्यों की सूची मय पते के सदन की मेज पर रख दी गई है। समिति के सदस्यों को व्यक्तिगत नाम से भूमि अलाट नहीं हुई है बल्कि भूमि समिति को 413 बीघा 4 विस्वा अलाट हुई थी, जिसका विवरण सूची (ख) में दे दिया गया है और सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां, जांच श्री योगेन्द्रसिंह तोमर, निरीक्षक (कार्यकारी) ने की थी। जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है, जो परिशिष्ट "ग" पर है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है कि निरीक्षक, सहकारी विभाग श्री योगेन्द्र सिंह द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर आज से दो तीन माह पूर्व तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार बारां ने इस सोसायटी को अवसायन में ले लिया है ?

श्री ओंकार लाल : जी हां, अवसायन में लेने के आदेश दिये थे और अवसायन में लिया गया था यह बात सही है।

श्री देवीदत्त गाडिया : फिर उसके आधार पर यह मानकर चला जाय कि अब यह सोसायटी फंक्शन नहीं कर सकती है ?

श्री ओंकारलाल : उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी और अभी तक वह विचाराधीन चल रही है।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है कि उक्त निरीक्षक महोदय ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि सोसायटी का रजिस्ट्रेशन सही नहीं हुआ है ? क्या उक्त रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दो सदस्य बनाए नए थे और जो सदस्य रजिस्ट्रेशन के टाइम पर इसके मेम्बर थे वे अब इस सोसायटी के अन्दर नहीं हैं और उनको नियमों के विपरीत निकाला गया है ? क्या यह भी सही है कि निरीक्षक ने यह भी आरोप लगाया है कि इस सोसायटी के जो सदस्य हैं वे सहकारी फार्मिंग सोसायटी के

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उनको नियमों के विरुद्ध लिया गया है और इसका रजिस्ट्रेशन भी नियमों के विरुद्ध हुआ है ?

श्री ओंकारलाल : यह सही नहीं है। सहकारी फार्मिंग सोसायटी के किन्हीं नियमों का पालन नहीं किया गया है इसके विरुद्ध उनकी रिपोर्ट है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि निरीक्षक की रिपोर्ट के आइटम नं. 15 पर लिखा है कि जहां तक समिति के रजिस्ट्रेशन का सवाल है, रजिस्ट्रेशन के फर्जी होने का प्रश्न गलत है लेकिन समिति का रजिस्ट्रेशन स्पष्ट रूप से रूल्स के अन्तर्गत नहीं हुआ है। रूल्स के अनुसार 17 सदस्य विभिन्न परिवारों के होने चाहियें परन्तु इसमें एक ही परिवार के कई सदस्य हैं और इस तरह से रजिस्ट्रेशन नियमों के विरुद्ध हुआ है।

श्री ओंकारलाल : मैंने आपसे कहा है कि कुछ आक्षेप हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : नहीं, अध्यक्ष महोदय, निरीक्षक ने स्वयं ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सदस्यों की सदस्यता सहकारी फार्मिंग सोसायटी के उप नियमों के विरुद्ध है। यह स्पष्ट रूप से लिखा है

श्री ओंकारलाल : जी हां, इस प्रकार के आक्षेप हैं और इसीलिए कार्यवाही शुरू की गई है। अभी मामला लिटिगेशन में चल रहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि जिस समय सोसायटी का रजिस्ट्रेशन किया गया उस समय तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार श्री मांगीलाल ने अपने लड़के श्री सादिक को भी इसका सदस्य बनाया था ?

श्री ओंकारलाल : सदस्यों के नामों की सूची मैंने आपको दे दी है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि श्री सादिक श्री मांगीलाल सहायक रजिस्ट्रार के लड़के हैं और नाबालिग हैं। सहायक रजिस्ट्रार अपने लड़के को, जो कि नाबालिग हैं, किस तरह से सोसायटी में शामिल कर सकते हैं। आप रिपोर्ट को पढ़ियें इसमें साफ लिखा है श्री सादिक, पुत्र श्री मांगीलाल, सहायक रजिस्ट्रार।

क्या यह सही है कि कोपरेटिव फार्मिंग सोसायटी के जो सदस्य नियमों के अन्तर्गत राज्य कर्मचारी और अकृषक नहीं बन सकते ?

श्री ओंकारलाल : जो व्यक्ति कृषि का कार्य करना चाहता है वह कोपरेटिव फार्मिंग सोसायटी का सदस्य बन सकता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या कोई भी राज्य कर्मचारी कोपरेटिव फार्मिंग सोसायटी का सदस्य बन सकता है ?

श्री ओंकारलाल : इसमें कोई भी राज्य कर्मचारी नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में सदस्यों के नामों के बारे में उल्लेख किया है। श्री बालकिशन पुत्र श्री रामचरण, समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी हैं। श्री मोहनलाल इस सहकारी समिति के व्यवस्थापक हैं। इसी प्रकार से श्री सादिक पुत्र श्री मांगीलाल, जो कि

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

नाबालिग है, सहायक रजिस्ट्रार के लड़के हैं, वह इसमें शामिल हैं। इसी प्रकार श्री प्रभूलाल गुप्ता के परिवार के कई सदस्य हैं। उसका भाई है, उसके स्वयं के लड़के बाबूलाल हैं, भाई का लड़का कैलाश है, विधवा बहन का लड़का है, ये सब काश्तकार नहीं हैं और ये सब गांव में नहीं रहते हैं।

श्री ओंकारलाल : इसीलिये कार्यवाही चलाई गई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कार्यवाही चल रही है तो फिर यह स्टे किस बात का है ? क्या यह मानकर चलें कि यह सोसायटी लिटिगेशन का फैसला होने तक फंक्शन नहीं कर सकेगी ?

श्री ओंकारलाल : यह स्टे जो दिया गया है वह रजिस्ट्रार के यहां से दिया गया है और नियमों के अन्तर्गत दिया गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि तहसीलदार ने सर्टीफिकेट दिया है कि जितने भी सोसायटी के सदस्य हैं वे भूमिहीन हैं और इसके विपरीत निरीक्षक महोदय ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा है कि तहसीलदार ने जो भूमिहीन होने का प्रमाण-पत्र दिया है वह गलत है, सदस्यों के पास जमीन है ? यदि हां, तो उस पर आपने क्या कार्यवाही की ? तहसीलदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गई ?

श्री ओंकारलाल : विभाग इस पर कार्यवाही करेगा जो कुछ भी करना सम्भव हो सकता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : तहसीलदार ने गलत सर्टिफिकेट दिया, जो गरीब किसान भूमिहीन थे और जो जमीन चाहते थे उनको जमीन नहीं दी गई और राजनैतिक आधार पर श्री प्रभूलाल गुप्ता, जो कि मार्केटिंग सोसायटी के अध्यक्ष हैं, जिनके ऊपर लाखों रुपयों के घोटाले के आरोप हैं........

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गाड़िया, भाषण आरम्भ न करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जिस तहसीलदार और पटवारी ने झूंठे सर्टिफिकेट दिये हैं कि ये भूमिहीन हैं और उसके विपरीत सहायक निरीक्षक महोदय ने प्रमाणित किया है कि इनके पास जमीन है और प्रभूलाल गुप्ता ने भी बाद में लिखा है कि उसके पास जमीन है, तो इस प्रकार झूंठा प्रमाण-पत्र देने के संबंध में तहसीलदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यह बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्नों के बचे हुए बीस मिनिट आप ही ले लें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सहकारी फार्मिंग सोसायटी........

श्री अध्यक्ष : अभी तो आपने प्रश्न किया था, अभी तो वही पूरा नहीं हुआ है। उसका उत्तर आने दीजिये।

श्री ओंकारलाल : जहां तक विभाग द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न है वह मुझे जानकारी नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या आपका विभाग कार्यवाही करेगा ?

श्री ओंकारलाल : इसका कोआपरेटिव डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या आप कानूनी कार्यवाही करने के लिये लिखेंगे ?

श्री ओंकारलाल : आप लिख कर भेजेंगे तो अवश्य ही कार्यवाही करेंगे ।

श्री देवीदत्त गाडिया : आपके पास में रिपोर्ट मौजूद है ।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस पर कार्यवाही की जायगी और जो प्रश्न पर मुद्दे यहां पर उठाये गये हैं उस पर रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से बात करके कार्यवाही की जायेगी ।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय' एक प्रश्न और करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अब शेष एक एक मिनिट के प्रश्न रहते हैं। आप कहदें कि सारा समय आपको दे दें।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ) : अध्यक्ष महोदय, इतने प्रश्न बाकी रह जायेंगे ।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, इस सोसाइटी का गठन किया गया था, इसमें जिन सदस्यों को शामिल किया गया था उन सदस्यों को निकाला गया है और दूसरे सदस्यों को शामिल किया गया है । इसकी रिपोर्ट मौजूद है तो क्या उसके ऊपर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री ओंकारलाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने यहां पर आश्वासन दे दिया है कि जो कुछ भी अनियमितता हुई है उसकी जांच कर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं कुछ ।

नेक्स्ट ।

जिला जालोर में कृषकों को पास-बुकों का वितरण

98. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में सरकार की घोषणा के अनुसार अब तक किसी काश्तकार को कोई पास-बुक नहीं दी गई है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो कितनों को कब कब दी गई है ?

(2) क्या सरकार जिला जालोर मे तमाम काश्तकारों को सरकार की घोषणा के अनुसार शीघ्र पास-बुक वितरण करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

(3) जिला जालोर में कुल कितने काश्तकार हैं जिनको पास-बुक वितरण की जावेगी ? पास-बुक आज तक नहीं वितरण करने का क्या कारण है ? अब सब काश्तकारों को पास-बुकें कब तक वितरण करवा दी जावेंगी ?

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) जी नहीं । जालोर जिले में अब तक 7709 पास-बुकें वितरित की जा चुकी हैं ।

(2) जी हां, वितरण की कार्यवाही जारी है ।

(3) जालोर जिल म कुल 1,22,149 काश्तकार हैं । पास-बुक वितरण नहीं करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि 7709 पास-बुकें

(श्री परसराम मदेरणा)

वितरित की जा चुकी हैं और आगे वितरण की कार्यवाही जारी है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय पास-बुक वितरण करने की जो पद्धति है उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उसकी प्रोग्रेस बहुत धीमी है और कृषि मंत्री ने पहले भी यह आश्वासन दिया था कि 6 महीने के अन्दर पास-बुकों का वितरण कर दिया जायेगा अब कवल 7 हजार ही बता रहे हैं । मेरा निवेदन है कि इस काम के लिये सरकार को स्पेशल पखवाड़ा मनाकर करना चाहिये । क्या ऐसी कोई योजना बनावेंगे ? इसके लिये सरकार डाइरेक्शन देगी ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, पास-बुकें जल्दी से जल्दी वितरित करने के लिये कार्यक्रम बना दिया जायेगा । 28 हजार पास-बुकें वहां पर पहुंच चुकी हैं परन्तु वहां पर अभी एग्रीकल्चर सेन्सस हो रही है इसलिये कलेक्टर ने कहा है कि इसको ट्रायल के रूप में वे नहीं ले सकते हैं । सेन्सस कम्प्लीट होने के बाद ही वे इस कार्य को लेंगे और मार्च 72 तक जो पास-बुकें उपलब्ध होंगी उनका वहां पर वितरण करा दिया जायेगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा निवेदन है कि इस तरह से दूसरे काश्तकार महरूम रह जाते हैं लोन देने से । मेरा निवेदन है कि एक प्रकार का पखवाड़ा मनाकर इसका वितरण कराया जाये । मार्च तक करेंगे तो बहुत टाइम लग जायेगा ।

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या पास बुकें तैयार नहीं हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : सब ही पास-बुकों का एक साथ वितरण करना राज्य सरकार का लक्ष्य नहीं था । दस लाख पास-बुकें मार्च 72 तक वितरित कर देंगे इस प्रकार का आश्वासन दिया था और करीब करीब इतनी ही छपवा ली गई हैं । वितरण में जो देरी होती है इसको माननीय सदस्य जानते हैं । लैंड रिकार्ड तैयार नहीं है, जमाबन्दी तैयार नहीं है । खतोनी और जमाबन्दी का रिफ्लेक्शन्स पास-बुक में होना चाहिये । इसके अलावा बहुत सी लैंड ट्रांसफर हो जाती है । जब तक खाते की आखरी स्थिति पास-बुक में पूरी नहीं होगी उस पास-बुक का कोई महत्व नहीं होगा । रिकार्ड के तैयार होने के बाद पास-बुकों का वितरण कर दिया जावेगा । वैसे ही पास-बुकों का वितरण कर दिया जायेगा तो उसके आधार पर काश्तकार लोन नहीं ले सकेगा । वैसे अब रिकार्ड आफ राइट मान लिया गया है । परन्तु पास-बुक के अन्दर स्थिति लेटेस्ट रहनी चाहिये । कहीं कहीं तो अब भी सेटलमेंट हो रहा है . . .

श्री रघुनाथ विश्नोई: सैटलमेन्ट हो चुका है और ऐसी कोई समस्या वहां पर नहीं है। आप इस आधार पर वितरण कार्य कर सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जहां पर सैटलमेन्ट हो चुका है वहां पर कुछ केसेज में ऐतराज चल रहे हैं। ऐतराज के डिस्पोज आफ होने के बाद ही पास बुकें दी जा सकेंगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जहां का सैटलमेन्ट हो चुका है, ऐतराज नहीं है वहां पर तो आप पास-बुक वितरित कर सकते हैं ।

श्री गोरधन सोनी : जिस गति से पास-

Page No 19

(श्री गोरधन सोनी)
बुक वितरित कर रहे हैं उस गति से तो दस वर्षों में भी पास-बुकों का वितरण नहीं हो सकेगा।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : कितने तहसीलों में पास बुकें बन चुकी हैं?

श्री परसराम मदेरणा: भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह अलग से प्रश्न है। वैसे सारे राजस्थान के 26 जिलों में 2 लाख से ऊपर पास बुकें वितरित की जा चुकी हैं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या सरकार ने ऐसे आदेश दिये हैं कि जिन जिन जगहों का सैटलमेन्ट सही हो चुका है वहां पर पास-बुकों का वितरण कर दिया जाये ?

श्री परसराम मदेरणा : कई जगह पर सैटलमेन्ट पूरा हो चुका है, रिवीजन भी हुआ है। मगर सैटलमेन्ट को करेक्ट करने के लिये जहां पर ऐतराज ज्यादा हैं वहां पर स्पेशल पार्टियां लगा रखी हैं और कार्यवाही बराबर चल रही है।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : रि-सैटलमेन्ट कब तक पूरा कर देंगे ? जहां पर सैटलमेन्ट में कमियां आ गई हैं, जमीन ट्रान्सफर हो गई है उसका पास-बुक से मिलान सही हो तो रि-सैटलमेन्ट कब तक पूरा कर देने सरकार विचार रखती है?

श्री खेतसिंह (शेरगढ): मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पास-बुकें वितरित की जा रही हैं उसका काश्तकारों से कितना रुपया ले सकते हैं?

श्री परसराम मदेरणा : नियमानुसार दो रुपये।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट: श्री विट्ठल भाई।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं। क्या मन्त्री महोदय को ऐसी जानकारी है कि राजस्थान भर में एक भी जिला ऐसा है जिसका कि लैन्ड रिकार्ड पूरी तरह से मुकम्मिल है?

श्री परसराम मदेरणा : लैन्ड रिकार्ड कई जगहों पर मुकम्मिल हैं परन्तु यहां पर मतलब खाते से है। माननीय नेता महोदय स्वयं जानते हैं कि पास-बुक तब तक काश्तकार के लिये अहमियत नहीं रखती है जब तक कि उसके खातों की पोजीशन अप टू डेट न हो। अगर इमीजियटली इन्सर्ट नहीं करायेंगे तो जो पास-बुक पहले बन गई है वह अब्सलूट हो जायेगी, किसी अहमियत की न होगी। जहां तक लोन का प्रश्न है कुछ काश्तकार लोन लेना चाहते हैं और कुछ नहीं लेना चाहते हैं। एक एक खाते की पोजीशन को ठीक करना है। और कुछ खाते तो ऐसे हैं जैसे कि पिता की मृत्यु होने के बाद वह जमीन लड़कों के अलग अलग खातों में हो गई है तो वह बदल सकता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, काश्तकार बहुत उत्सुक हैं कि उनको पास-बुक मिले। वे इसको प्राप्त करना चाहते हैं। परन्तु सरकार ने जो व्यवस्था कर रखी है उसमें समय लग रहा है। मेरा निवेदन है कि पास-बुकें मुकम्मिल कर के काश्तकारों को दी जायें। इन पास-बुकों को मुकम्मिल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और कितने जिलों में इसकी सम्भावना है कि

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
कार्यवाही मुकम्मिल होकर पास बुकें वितरित हो जायेंगी आखिरकार वितरण की व्यवस्था कहीं न कहीं तो हो। कोई योजना तो सरकार की वितरण के सम्बन्ध में होनी चाहिये। क्या मन्त्री महोदय इस पर प्रकाश डालने की स्थिति में हैं या नहीं हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : रिश्वत की सीमा भी बांध दें।

श्री परसराम मदेरणा: आपको हर चीज में रिश्वत दिखती है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि राज्य सरकार का लक्ष्य मार्च 72 तक दस लाख पास-बुकों के वितरण करने का है। सभी जिलों के अन्दर थोड़ा और ज्यादा करके करीब दो लाख से ऊपर पास-बुकों का वितरण किया जा चुका है। कई जिलाधीशों के पास पास-बुकें खाली भेजी जा चुकी हैं जैसा कि मैंने निवेदन किया है और माननीय सदस्य भी जानते हैं, कई जिलो में म्यूटेशन केसेज पेन्डिंग हैं और पिछले तीन महीनों के अन्दर कई म्यूटेशन के केसेज मिटाये हैं। इस वक्त खातों की स्थिति दूसरी बन गई है कई जगह सेटलमेन्ट चल रहा है। सभी खातेदार जो राज्य में हैं, की संख्या 40 लाख के आसपास होगी। सभी को पास–बुक एक साथ वितरित कर देना यह सम्भव नहीं है। इसलिए मैंने निवेदन किया है कि 10 लाख का लक्ष्य रखा है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर): मार्च, 1972 में इमर्जेन्सी में इलेक्शन पोस्टपोन होंगे तो पास–बुक का डिस्ट्रीब्यूशन भी पोस्टपोन होगा क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : मार्च में क्या स्थिति होगी आप भी अन्दाजा लगा रहे हैं और हम भी अन्दाजा लगा रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इलेक्शन तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। मेरा तो मतलब यह है कि प्रशासनिक रूप से क्या खास तौर से एक्स्ट्रा अमला हरेक जिले के अन्दर रखकर पासबुक आप मुकम्मिल करने की चेष्टा करने की व्यवस्था के ऊपर विचार कर रहे हैं या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : पास-बुक का वितरण करने के बारे में डिटेल्ड आदेश दिये गये हैं 10 लाख वितरण करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ माननीय सदस्य को मालूम है कि सीलिंग एक्ट की भी कार्यवाही चल रही है, और दूसरी ओर गिरदावरी में पटवारी लगा हुआ है। पिछले दो महीनों से वह गिरदावरी के काम में लगा हुआ था। उसके साथ साथ आपको मालूम है कि भारत भर में एग्रीकल्चर सेन्सस हो रही है। वह भी काम पटवारी के द्वारा हो रहा है। इसलिए पास–बुक इतनी जल्दी वितरित नहीं की जा सकी, लेकिन 10 लाख पास–बुक वितरित करने का लक्ष्य है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इतनी उलझनों के बीच में तो मैं समझता हूं कि 5 वर्ष में भी पास–बुक का वितरण नहीं हो सकेगा। यह घोषणा कागजी घोषणा है इसमें कोई तथ्य मालूम नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट चिकित्सा मंत्री।

जनरल अस्पताल बांसवाड़ा

99. श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

Page No 21

(श्री विट्ठल भाई)

(1) बांसवाड़ा जनरल हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर सेवारत हैं?

(2) बांसवाड़ा जनरल हॉस्पिटल में सन् 1960 से आज तक कितने डी.एम. एण्ड एच.ओ. और कितने मेडिकल आफिसरों के स्थानान्तर हुए हैं? डाक्टर प्राणशंकर त्रिवेदी कितने वर्षों से बांसवाड़ा में ही सेवारत हैं?

(3) क्या डाक्टर प्राण शंकर के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है और कब से? अभी तक उस जांच ने कितनी प्रगति की है?

(4) बांसवाड़ा जिले में कितनी एक्स-रे मशीनें हैं और किन किन स्थानों पर? क्या डा. प्राणशंकर त्रिवेदी के निवास स्थान पर भी एक्सरे मशीन है? यदि हां, तो वह किसके नाम पर है?

(5) बांसवाड़ा जनरल हास्पिटल का वार्षिक बजट कितना है? इसमें दवाइयों पर कितना खर्च होता है? क्या साल भर के बजट की दवाइयां पांच महीने में समाप्त हो जाती हैं?

चिकित्सा मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (1) उक्त अस्पताल में 9 डाक्टर सेवारत हैं इसके अतिरिक्त 4 डाक्टरों की और नियुक्ति की गई है।

(2) 9 डी.एम. एण्ड एच. ओ. व 9 मेडिकल आफिसरों के स्थानान्तरण हुए हैं। डॉ. प्राणशंकर त्रिवेदी उक्त अस्पताल में दिनांक 6-5-68 से कार्यरत हैं।

(3) जी हां। माह नवम्बर 1967 से जांच अभी जारी है।

(4) केवल तीन एक्सरे मशीनें क्रमशः जनरल अस्पताल बांसवाड़ा, टी.बी. क्लिनिक बांसवाड़ा व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुशलगढ़ में है। डा. प्राणशंकर त्रिवेदी के निवास स्थान पर उनकी स्वयं की एक्सरे मशीन है।

(5) सन् 1970-71 का वार्षिक बजट 2,60,000) रु. व दवाइयों का 40,800 रु. का स्वीकृत किया गया है और 40,000) रु. का प्रावधान दिनांक 1-9-71 को अतिरिक्त स्वीकार किया गया है।

श्री विट्ठल भाई: इन डा. प्राणशंकरजी का क्या पहले कोई ट्रान्सफर हुआ था?

श्री रामकिशोर व्यास: पहले वहां थे फिर चले गये और फिर दुबारा आ गये।

श्री विट्ठल भाई: फिलहाल कितने वर्षों से हैं जब वह गये और दुबारा आये तब से।

श्री रामकिशोर व्यास: वह मैंने बताया कि 6-5-68 से हैं।

श्री विट्ठल भाई: क्या राज्य सरकार का ऐसा नियम है कि एक जिले में डाक्टर 5-6 वर्षों तक रह सकता है?

श्री रामकिशोर व्यास: ऐसा नहीं है कि इतने समय तक वहां रहे।

श्री विट्ठल भाई: वहां पर इतने अर्से से क्यों हैं?

श्री अध्यक्ष: कहा ना कि ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्री विट्ठल भाई: क्या इनके खिलाफ चार्जेज विभाग में चल रहे हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : जवाब मैंने दे दिया नम्बर 2 पर।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री बाढ़दार।

अवकाश प्राप्त अधिकारियों की पुन: नियुक्ति

100. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): क्या मुख्य मंत्री (नियुक्ति) यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने (रिटायर्ड) अवकाश प्राप्त आई.ए.एस. आर. ए. एस. तथा आई. पी. एस. आफिसर पुन: काम पर लगाए हुए हैं?

(2) उनको पुन: काम पर लेने के स्थान पर अन्य व्यक्तियों की पदोन्नति करके अथवा नये लोगों की भर्ती करके स्थान की पूर्ति करने में राज्य सरकार को क्या कठिनाई थी?

(3) अधीनस्थ राज्य कर्मचारी जो 10 वर्ष से भी अधिक समय से मोअत्तिल चले आ रहे हैं किस विभाग में कितने हैं तथा उनके मामले निपटाने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया है?

मुख्य मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : (1) रिटायर्ड आई. ए. एस., आई. पी. एस. तथा आर. ए. एस अधिकारियों में से कोई को भी उक्त केडर पदों पर पुन: नियुक्ति नहीं की गई है। परन्तु कुछ अधिकारियों की उनके केडर के बाहर पदों पर उनके अनुभव, उपयोगिता तथा पद के कर्त्तव्यों को दृष्टिगत रखते हुए पुन: नियुक्ति की गई है जिसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जिन पदों पर ऐसे व्यक्तियों को लिया गया है, वह उनके कडर के पद नहीं थे एवं उन पदों पर नये लोगों की भर्ती करके सुचारु रूप से कार्य चलाना कठिन होता।

(3) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे 4 कर्मचारी हैं, इनमें से दो के मामले विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं एवं दो कर्मचारियों के मामले राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बताया कि नियुक्ति का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता तो जिन 11 आदमियों की सूची दी है इनको काम पर किस आधार पर लिया गया है?

श्री बरकतुल्ला खां : इनको एक्सपीरियन्स

श्री अध्यक्ष : और उपयोगिता बतलाया।

श्री बरकतुल्ला खां : श्री भगवतसिंह मेहता हैं जो कि चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी के काम का उनका एक्सपीरियेंस था इसलिए उनको चेयरमैन राजस्थान मिनरल एण्ड इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन रखा है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यही तो मैं पूछना चाहता था और मेरे पूछने का आशय भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने समझ लिया है। इन अनुभवी व्यक्तियों के अनुभव का मैं सम्मान करता हूं लेकिन राज्य सरकार इनके अनुभव की दृष्टि से पुन: नियुक्ति करती है तो राजस्थान की गाड़ी बिल्कुल डूब जायगी? क्या इन्हीं अनुभवी व्यक्तियों के आधार पर राजस्थान की गाड़ी चलने वाली है? मेरी यह मान्यता है कि इससे जहां राजस्थान की

(श्री दुर्गालाल बाढदार)
दो करोड़ जनता है और उनमें कई अधिकारी हैं तो उनको और पदोन्नति का चान्स मिलने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष: उसी उम्र के अनुभवी।

श्री दुर्गालाल बाढदार : उम्र के आधार पर देखलें तो देश के अन्दर एवरेज क्या है, राजस्थान की एवरेज ऐज क्या है? अगर अनुपात का प्रश्न है तो राजस्थान की एवरेज ऐज क्या है और इन कर्मचारियों का अनुपात क्या है ?

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष, यह पहले नियुक्त हुए थे। इनका पीरियड जबखतम होगा तो इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जायगी।

श्री दुर्गालाल बाढदार: अध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, इसी सदर्भ में है। मानवीय दृष्टिकोणसे क्या आप इसको ठीक मानते हैं कि एक व्यक्ति 10 वर्ष तक सस्पेन्शन में पड़ा रहे? उस बेचारे की क्या स्थिति होगी? इस स्थिति पर आपको विचार करना चाहिए।

श्री बरकतुल्ला खां : दो व्यक्तियों के मुकद्दमे चल रहे हैं। उसके लिए सेक्रेटेरियेट में कान्फ्रेंस बुलाकर डाइरेक्टर आफ विजिलेन्स को इन्स्ट्रक्शन्स दिये गये हैं कि इन केसेज को वाच करें और जल्दी से जल्दी डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी कराकर जो भी फैसला हो करें।

श्री दुर्गालाल बाढदार : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह माना है और 10 साल वाले के लिए कह दिया है, लेकिन दो दो, पांच-पांच साल वाले राजस्थान में हजारों केसेज सस्पेन्डेड व्यक्तियों के होंगे। आप जरा अपने आपको उनकी स्थिति में रखकर देखें कि उनकी क्या हालत होगी। उनकी स्थिति को एक्सपीरियन्स करने की कोशिश कीजिये।

श्री बरकतुल्ला खां : जी हां, मैं यह कर रहा हूं।

राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : पब्लिक सर्विस कमीशन में रिटायर्ड आई.ए.एस. आफिसर्स को ही क्यों लगाया जाता है? और दूसरों को नहीं लगाया जाता है इसका क्या कारण है ?

श्री बरकतुल्ला खां : पब्लिक सर्विस कमीशन में आई. ए. एस के अलावा एक एज्यूकेशनिस्ट और एक इन्जीनियर भी हैं। एज्यूकेशनिस्ट श्री कपूर हैं और इन्जीनियर हैं श्री माथुर। यह नहीं है कि पब्लिक सर्विस। कमीशन में सिर्फ आई. ए. एस. को ही रखा जाय।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि

श्री शिवचरणसिंह (महुआ) : श्री भट्ट जो चीफ इन्जीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है उनको जो एक्स्टेन्शन दिया गया है वह नवम्बर में समाप्त हो रहा है तो क्या उनको एक्स्टेन्शन नहीं दिया जायगा? एक जिन्हें अभी चेयरमैन बनाया गया है उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं तो उनकी मयाद नहीं बढ़ाई जानी चाहिए।

श्री बरकतुल्ला खां: मयाद नहीं बढ़ाई जायगी।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : (श्री शिवचरणसिंह) यह बात आपने 6 महीने पहले नहीं कही थी।

Page No 24

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जुलाई, 1971 में यह फैसला लिया है कि भविष्य में किसी भी अधिकारी की पुनर्नियुक्ति नहीं की जाय और सर्विस में किसी भी प्रकार का एक्स्टेन्शन नहीं दिया जाय?

श्री बरकतुल्ला खां: जी हां लेकिन किसी जगह पर कोई मिनिस्टर अपना प्राइवेट सेक्रेटरी लेता है तो वह ले सकता है।

श्री भैरोंसिह: क्या यह सही है कि इस डिसीजन के बाद में भी कुछ अधिकारियों का रि-अपाइंटमेंट या एक्स्टेन्शन इस प्रकार की भाषा में जो भी कहते हों यह हो रहा है?

श्री बरकतुल्ला खां: जी नहीं, कोई एक्सटेंशन नहीं दिया गया है।

श्री भैरोंसिह: क्या यह सही है कि 1 तारीख से श्री भट्ट का पीरियड खत्म होता है, उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है।

श्री बरकतुल्ला खां: पहले दिया गया होगा।

श्री भैरोंसिह: दिया तो अब है।

श्री शिवचरणसिंह: नवम्बर में अवधि समाप्त हो रही है। 6 महीने का दिया गया है

श्री बरकतुल्ला खां: नवम्बर में अवधि समाप्त हो जायगी तो राजस्थान गवर्नमेण्ट ने फैसला कर लिया है कि उनको एम्पल्यामेण्ट नहीं दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिह: जब जुलाई में फैसला कर लिया तो फिर वह सर्विस में कैसे हैं?

श्री बरकतुल्ला खां: ऐसा है पहले फैसला हो गया।

श्री भैरोंसिह: जुलाई में जो फैसला हुआ कि जिन लोगों का एम्प्लायमेण्ट किया गया है, उनके अलावा और किसी को नहीं किया जायेगा। उस आधार पर उनको नहीं किया जा सकता था?

श्री बरकतुल्ला खां: जी नहीं।

श्री भैरोंसिह: आप का जुलाई का फैसला है। वह एक्सटेंशन कैसे किया है?

श्री बरकतुल्ला खां: जुलाई से पहले एक्सटेंशन दिया जा चुका था। अब टर्म खत्म होगी तो एक्सटेंशन नहीं दिया जावेगा।

श्री भैरोंसिह: गवर्नमेण्ट नियमों के अन्तर्गत जो नवम्बर में रिटायर होने वाले है उनको पहले से एम्प्लाय किया गया है।

श्री बरकतुल्ला खां: वह नवम्बर में रिटायर हो रहे हैं।

श्री भैरोंसिह: यह कैसे हो गया?

श्री बरकतुल्ला खां: मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब टर्म खत्म हो गई है तो आगे उनको एक्सटेंशन नहीं दिया जावेगा।

श्री भैरोंसिह: यह तो हो गया।

श्री बरकतुल्ला खां: मैं पहले की रेस्पेक्ट करता हूं।

श्री भैरोंसिह: आप का मन्त्रिमण्डल बन गया

श्री बरकतुल्ला खां: नवम्बर में एक्सटेंशन पीरियड खत्म हो रहा है?

श्री भैरोंसिह: उससे पहले आप दे रहे हैं।

Page No 25

श्री बरकतुल्ला खां : मुझे सही जानकारी नहीं है। मैं पूछ कर जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्ति हुये।

श्री भैरोंसिंह : आप जवाब दे दें।

श्री शिवचरण माथुर : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बहस में बोलेंगे, तब जवाब दे देंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय· ·

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न समाप्त हुये। अब मैं कोई प्रश्न लेने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष-महोदय, मेरा प्रश्न महत्वपूर्ण है।

श्री शिवचरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले प्रश्न के सम्बन्ध में, जी. एल. श्रीवास्तव जो डिप्टी सेक्रेटरी थे· · · · ·

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर ऑर्डर !

श्री रामचन्द्र आर्य: अध्यक्ष महोदय, अभी टाइम है, आप थोड़ी उदारता दिखायें।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास भी महत्वपूर्ण हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य: इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष: मैंने प्रश्न काल समाप्त कर दिया है।

श्री रामचन्द्र आर्य: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

एक माननीय सदस्य : उत्तर न दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री शिवचरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा· · ·

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखिए)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

निरीक्षकों की नियुक्ति का आधार

87. श्री रावतराम (छापर) :- क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आबकारी एवं कर विभाग को अलग अलग करने से पूर्व आबकारी एवं कर आयुक्त आबकारी निरीक्षकों (द्वितीय श्रेणी) को नियुक्त करते थे ?

(2) आबकारी निरीक्षकों (द्वितीय श्रेणी) की नियुक्ति किन आधार पर की जाती है और इसके लिये कम से कम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि लोक सेवा आयोग (राजस्थान) ने आबकारी निरीक्षकों

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार 50 अंकित नहीं किया गया।

(श्री रावतराम)

की नियुक्तियों हेतु सन् 1958 से 64 दरमियान एडवरटाइजमेंट किया था? यदि हां, तो कब और आयोग द्वारा किन किन को नियुक्तियां दी गई एवं उनकी शैक्षणिक योग्यतायें क्या थीं?

(4) क्या यह सही है कि विभाग ने सीधे ही या पदोन्नति करके कुछ लोगों को आबकारी निरीक्षक द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, सहायक आबकारी अधिकारी एवं उच्च पदों पर नियुक्तियां की हैं? यदि हां तो सन् 1960 से अब तक किन किन को तथा किन आधार पर एवं उनकी शैक्षणिक योग्यतायें क्या हैं?

(5) क्या यह सही है कि उक्त नियुक्तियां राजस्थान सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स के मुताबिक नियमानुसार की गई हैं?

(6) क्या यह सही है कि कतिपय आबकारी निरीक्षकों को राजस्थान पी. एस. सी. से रिजेक्ट हो जाने के बाद भी विभाग ने नियुक्तिया दी हैं? यदि हां, तो किन 2 को और क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) आबकारी निरीक्षकों की नियुक्ति राजस्थान सबओर्डिनेट सर्विस (रिक्रूटमेन्ट) एन्ड अदर कन्डीशन्स) रूल्स, 1960 के अनुसार की जाती है जिसके लिये कम से कम शैक्षणिक योग्यता स्नातक स्तर की होनी आवश्यक है।

(3) जी हां। नियुक्तियां आयुक्त द्वारा की गई थीं। चाही गई सूचना परिशिष्ट (क) में अंकित है।

(4) जी हां। चाही गई सूचना परिशिष्ठ (ख) और (ग) में संलग्न है।

(5) राजस्थान सबोर्डिनेट सर्विस (रिक्रुटमेन्ट एन्ड अदर कन्डीशन्स) रूल्स 1960 केवल निरीक्षकों को ही लागू होते हैं खण्ड चार के उत्तर में वर्णित कुछ निरीक्षकों की विज्ञापन द्वारा एवं पदोन्नति में प्रथमदर्शन में लगता है कि इन नियमों की पालना नहीं हुई। इस की जांच की जायगी।

(6) जी हां, श्री नारायण लाल, एस. डी. कोहली एवं नारायण स्वरूप की नियुक्ति पहले अस्थाई रूप से की गई थी बाद में पी.एस. सी. से इनका सिलेक्शन नहीं हुआ किन्तु इनके अनुभव, स्टाफ की कमी तथा रिक्त स्थानों को ध्यान में रखते हुए इन्हें नहीं हटाया गया और दिसम्बर, 1966 तक इनकी अस्थाई नियुक्ति को लोक सेवा आयोग से अनुमोदित करा लिया गया। इसके पश्चात् निरीक्षकों के पद आयोग के दायरे में नहीं रहने से इनकी नियुक्ति जारी रखने के लिये आयोग की अनुमति की आवश्यकता नहीं रही।

पुलिस द्वारा छात्रों एवं अध्यापकों की पिटाई

88. श्री रामकिशन- क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या भीनमाड़ा में तारीख 24 सितम्बर, 1970 को वहां की सैकण्डरी स्कूल के अन्दर घुस कर पुलिस ने अध्यापकों व छात्रों को मारा यदि हां, तो व कौन-कौन पुलिस अधिकारी थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

(गृहमंत्री)

उत्तर

दिनांक 24-9-70 को धारा 144 ज़ाब्ता फौजदारी को तोड़ते हुए स्कूल बाउन्ड्री के पास छात्रों ने नाजायज मजमा बनाया व मामूर जाप्ते पर पथराव किया। बार-बार समझाने पर भी भीड़ ने पत्थर फेंकना बन्द नहीं किया। नाजायज मजमा को तितर-बितर करने के लिये मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के आदेश से पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज किया। छात्र स्कूल मैदान में घुस कर वहां से पथराव करने लगे। अतः पुलिस ने स्कूल मैदान में घुसकर भीड़ को तितर बितर किया। चूंकि क़ानूनी अधिकार के अन्तर्गत बल प्रयोग किया अतः किसी के खिलाफ़ कार्यवाही नहीं की गई।

ग्राम शक्करगढ़ में के आवंटन में पक्षपात

90. श्री कल्याणमल मीणा (जहाजपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम शक्करगढ़, तह. जहाजपुर जिला भीलवाड़ा के रेवेन्यू को आवंटन में पक्षपात तथा अनियमितायें करते हुए भूमिहीन को जमीन नहीं दी? यदि नहीं तो ता. 30-6-71 को जो अलाटमेन्ट किया उनके नाम, पिता के नाम, जाति, ग्राम तथा किस किस को भूमि अलाट की गई उन खातों की जमीन बीघों में तथा उनके पिता के नाम के खाते की भूमि का ब्योरा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि पुनः दिनांक 18-7-71 को आराजी खसरा नम्बर 1610 वन विभाग से हस्तान्तरित हुआ? यदि हां, तो उस भूमि को किस-किस व्यक्ति को अलाट किया गया? मय पिता के नाम, जाति व निवास स्थान तथा अलाटी के व उसके पिता के नाम पर कितनी बीघा भूमि है व खुद काश्त कार हैं या नहीं प्रमाणित शुदा सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। दिनांक 30-6-71 को जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटन किया गया है उनकी सूची संलग्न है।

(2) खसरा नं. 1610 की 136 बीघा भूमि वन विभाग से राजस्व विभाग को हस्तान्तरित हुआ। इस भूमि में से 58 बीघा भूमि संलग्न सूची में वर्णित भूमि हीन काश्त कारों को नियमानुसार आवंटित की गई है। जिनके सम्बन्ध में वांछित विवरण उक्त संलग्न सूची में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मार्केटिंग सोसायटी के कार्यकर्ताओं को एडवांस

50. श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगापुर):–क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

मार्केटिंग सोसायटी, गंगापुर के भिन्न भिन्न समय पर रहे डायरेक्टरों, मैनेजरों, कर्मचारियों पर उचन्त या एडवान्स और अन्य मद में 31 मार्च सन् 1971 को कितना-कितना रुपया है? यह रुपया बकाया कब से चला आ रहा है? क्या इस पर ब्याज भी देय है? क्या आडिट द्वारा इस सम्बन्ध में आक्षेप किये गये? उनका क्या हुआ?

मार्केटिंग सोसायटी, गंगापुर के भिन्न-भिन्न समय में रहे डायरेक्टरों, मैनेजरों व कर्मचारियों पर उचन्त या अन्य मद में 31 मार्च, 1971 को कितना-कितना रुपया बकाया है और कब से बकाया चला आ रहा है, की सूचना निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	नाम	पद	बकाया राशि दि. 31-3-71	कब से बकाया है ?	मद	ब्याज लिया जाता है या नहीं ?	आडिट आक्षेप है या नहीं ।	आडिट आक्षेपों पर कार्यवाही की गई या नहीं ?
1.	श्री हरिकृष्ण शर्मा	अध्यक्ष	466-54	31-3-71	एडवान्स	नहीं	समिति के व्यवस्थापक ने स्वयं तथा संचालक मण्डल के सदस्यों को एवं कर्मचारियों को बिना पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये एडवान्स दिये हैं और अन्य रकम बकाया बैंक की तरह पर्सनल खातों में डाल दिये हैं। पृथक से एडवांस रजिस्टर नहीं रखा गया। एडवांस जो दिया गया, उसकी विगत आडिट अवधि के दौरान नहीं दी गई। अब सूचियां पृथक-पृथक बनाई जावें तथा खाते दारों से पुष्टि करवाई जाकर लेनदारियों की वसूली की जावे। श्री कन्हैयालाल से वसूली का प्रयास नहीं किया गया।	(1) एडवान्स रजिस्टर रखा जाना प्रारंभ किया जा चुका है। (2) आडिटर को वर्ष 70-71 का आडिट करते समय एडवांस की विगतें प्रस्तुत करदी गई हैं। (3) वसूली के प्रयास जारी है।
2.	श्री रामकिशोर शर्मा	सदस्य संचालक मंडल	53-70	31-3-71	एडवान्स	नहीं		
3.	श्री गिर्राज प्रशाद मीणा	"	27-50	11-3-71	एडवान्स	नहीं		
4.	श्री हरसहाय शर्मा	भूतपूर्व संचालक सदस्य दि. 25-7-71 को पदमुक्त	321-44	1-7-70	एडवान्स व गल्ला उधार	नहीं		
5.	श्री पूनमचन्द जैन	भूतपूर्व सदस्य, दिनांक 21-5-61 से पदमुक्त	50-76	21-5-61	"	नहीं		
6.	श्री रूपचन्द जैन	भूतपूर्व संचालक सदस्य दि. 14-7-66 से पदमुक्त	505-90	14-7-66	"	नहीं		
7.	श्री महेन्द्रकुमार जैन	व्यवस्थापक	666-89	20-6-70	"	नहीं		
8.	श्री देवकीनन्दन गुप्ता	लेखाकार	9-84	31-3-71	गल्ला उधार	नहीं		
9.	श्री चिरंजीलाल मोना	खाद सुपरवाईजर	361-81	31-3-71	एडवान्स	नहीं		
10.	श्री रामकिशोर शर्मा	कैशियर	277 27	8-6-70	एडवान्स	नहीं		
			1000 00	13 6 69	गृहनिर्माण ऋण	हां		
			2000-00	27-6-69	"	हां		
			4000-00	28-2-71	"	हां		
11.	श्री रामस्वरूप अग्रवाल	शाखा व्यवस्थापक	705-00	1-6-70	शादी हेतु ऋण	हां		
12.	श्री राजमल जैन	क्लर्क	284-16	25-5-70	एडवान्स	नहीं		
13.	श्री मानमल जैन	क्लर्क	501-23	1-7-70	एडवान्स	नहीं		
14.	श्री मनोहरलाल शर्मा	क्लर्क	384-15	31-3-71	एडवान्स	नहीं		
15.	श्री रामेश्वरप्रसाद शर्मा	क्लर्क	187-64	31-3-71	एडवा स व गल्ला			
16.	श्री रामदयाल वर्मा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	40-00	3 -3-7	एडवान्स व गल्ला	नहीं		
17.	श्री रघुनन्दनलाल गुप्ता	क्लर्क	1031-26	1-7-70	"	नहीं		
18.	श्री कन्हैयालाल शर्मा	भूतपूर्व संचालक सदस्य, दि. 16-10 69 से पदमुक्त	928-80	15-4-68	"	नहीं	श्री कन्हैयालाल से वसूली का प्रयास नहीं किया गया।	वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। नोटिस दिया जा चुका है।

Page No 29

जिला झालावाड़ के व्यक्तियों में बकाया टैक्स

51. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा-पाटन) क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झालावाड़ में किन किन व्यक्तियों में कितना कितना पैसेन्जर टैक्स 31 मार्च सन् 1971 तक बकाया है। कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त टैक्स वसूली न होने की वजह क्या है?

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ में पैसेन्जर टैक्स 31 मार्च सन् 1971 तक बकाया है उसकी सूची संलग्न है?

(2) 31-3-71 तक वसूली न होने के कारण कुछ बकायों में अदालतों से वसूली (रिक्वरी) के स्टे आर्डर थे। बाकी मामलों में वसूली की कार्यवाही (रिक्वरी प्रोसीडिंग्स) जारी थी।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

सोडियम सल्फेट के कारखाने को बकाया बिक्री कर

52. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि श्री राम गोपाल नागोरी एण्ड सन्स नाम की फर्म जो ग्राम वालिया तहसील डीडवाना जो सोडियम सल्फेट का कारखाना चलाती है में बिक्री कर की राशि बकाया है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि कब-कब से बकाया है? मय कारणों के सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(2) उक्त फर्म से पूर्ण वसूली कब तक करली जावेगी तथा अब तक वसूली क्यों नहीं की गई।

उत्तर

(1) जी हां। फर्म का पंजीयन 18-11-70 से हुआ तब से कर बकाया है। अन्तिम कर निर्धारण न होने से यह नहीं कहा जा सकता कि कितना कर बकाया है।

(2) अस्थाई कर निर्धारण अधूरे रहने से वसूली नहीं की गई। अन्तिम कर निर्धारण होते ही पूर्ण वसूली की जावेगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के अधिकारियों का चयन

53. श्री **हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय में कौन-कौन अधिकारी किस किस पद पर कब से कार्य कर रहे हैं?

(2) इनमें से कितने अधिकारी जन सेवा आयोग द्वारा या विभागीय चयन समिति द्वारा चयन किये जाकर स्थायी पद पर हैं?

(3) कौन-कौन अधिकारी किस किस पद के लिये चयन किये गये और वर्तमान में किस-किस पद पर कार्य कर रहे हैं?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(स्वास्थ्य मंत्री)

(2) संलग्न सूची में अंकित हैं।

(3) संलग्न सूची में अंकित हैं। कालम नं. 5 में अंकित पदों पर यह स्थायी रूप से चयनित व पद स्थापित है। कालम नं. 2 में अंकित पदों पर ये अभी स्थायी या अस्थायी रूप से पद स्थापित हैं।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

औषधालय खोलने का प्रावधान

54. श्री **हंसराज आर्य** (भादरा): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष राजस्थान में कुल कितने औषधालय खोलने का प्रावधान था?

(2) प्रावधान के मुताबिक किन–किन जिलों में कहां कहां पर कितने नये औषधालय खोले जा चुके हैं और कितने खोलने बाकी हैं।

(3) जो औषधालय खोलने बाकी हैं वे कब तक और कहां–कहां पर खोले जायेंगे?

उत्तर

(1) 100 औषधालय।

(2) 45 खोले जा चुके हैं। सूची संलग्न है। 55 खोलने शेष हैं।

(3) विचाराधीन हैं।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

नगर परिषद, सीकर के भूतपूर्व अध्यक्ष पर आरोप

55. श्री **देवीदत्त गाडिया** (बारां): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीकर नगर परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री सोमनाथ को उसके कार्यकाल के समय किन्हीं आरोपों के अन्तर्गत निलंबित किया गया था?

(2) यदि हां, तो किन किन आरोपों को लेकर किस किस तारीख को निलम्बित किया गया? आरोपों की प्रति मय निलम्बन आदेश के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या उक्त अध्यक्ष के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में कोई जांच करवाई गई? यदि हां, तो किन किन आरोपों की जांच किस–किस अधिकारी द्वारा कब कब करवाई गई और जांच रिपोर्ट आने पर क्या क्या कार्यवाही की गई?

(स्थगित किया गया)

परिवार नियोजन विभाग, अलवर द्वारा खादी की खरीद

56. श्री **गंगासहाय** (कठूमर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि परिवार नियोजन विभाग, अलवर द्वारा खादी भण्डार, अलवर से सन् 1970–71 में खादी खरीदी गई? यदि हां, तो खादी कितने नम्बर की खरीदी गई और किस रेट पर खरीदी गई?

(स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

जी. हां। वर्ष 1970-71 में खादी भण्डार अलवर से दुसूती खादी नम्बर 70 की वर्दियां बनी बनाई खरीदी गई जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

14 नग रुपये 28-50 प्रति नग मय सैल्स टैक्स (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी)

2 वर्दी रु 34-00 प्रति नग मय सैल्स टैक्स (ड्राईवरों के लिये)

परिवार नियोजन विभाग, अलवर की मोटर गाड़ियों की मरम्मत

57. श्री **गंगासहाय** (कठूमर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि परिवार नियोजन विभाग, अलवर की दो नई मोटर गाडियों की मरम्मत मैसर्स गोपाल मोटर्स, अलवर से कराई गई थीं? यदि हां, तो इन गाड़ियों की मरम्मत के बिलों का भुगतान कितने रुपये का किया गया तथा मरम्मत के बाद ये गाड़ियां कितने दिनों तक ठीक सर्विस देती रहीं?

उत्तर

जी, हां। उक्त फर्म से परिवार नियोजन संस्थान, अलवर की गाड़ी नं. आर.एस.एल. 2959 व आर.एस.एल. 7297 की मरम्मत माह अप्रेल व जून 1970-71 में कराई गई जिनके मरम्मत बिल धनराशि क्रमशः रु. 339-43 व रु. 14-25 का भुगतान किया जा चुका है? ये गाड़ियां सही हालत पर चालू हैं।

गंगानगर के लिए नगर विकास न्यास योजना

58. श्री **हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा गंगानगर के लिए नगर विकास न्यास योजना स्वीकृत हो चुकी है?

(2) यदि हां, तो क्या नगर विकास न्यास कमेटी के गठन की शीघ्र घोषणा की जायेगी?

(3) यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां

(2) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

3. मामला अभी तक विचाराधीन है।

कोटा लोकसभा मध्यावधि चुनाव में वाहनों का प्रयोग

59. श्री **कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या चुनाव मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कोटा लोकसभा मध्यावधि चुनाव के लिए कितने कितने किस-किस प्रकार के वाहन पकडने के लिए निर्वाचित अधिकारी को आदेश दिए गए थे?

(2) कोटा लोकसभा निर्वाचन अधिकारी ने कुल कितने वाहन किस किस

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

प्रकार के पकडने के लिए किन किन व्यक्तियों को कब कब नोटिस दिए? कृपया सूची रखने का कष्ट करें।

(3) उपरोक्त नोटिस दिए जाने के बाद कितने व कौन-कौन से किस किस के वाहन किस के आदेश से कब-कब व क्यों रिलीज किए गए? कृपया तालिका सदन की पटल पर रखने का कष्ट करें।

(4) निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पर वाहन प्रस्तुत करने की तारीख पर कुल कितने कितने किस किस प्रकार के किन किन के वाहन उपस्थित हुए? कृपया तालिका सदन की पटल पर रखने ा कष्ट करें।

(5) भाग 4 में वर्णित वाहनों में से किस किस को कौन कौन से वाहन क्यों व कब कब रिलीज किए गए? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें?

(6) चुनाव के लिए कुल कितने व कौन कौन से वाहन सरकारी कार्य में चुनाव हेतु लिए गए? कृपया तालिका सदन की पटल पर रखें?

(7) उपरोक्त भाग 6 में वर्णित वाहनों को कितनी कितनी राशि कब कब किस किस हिसाब से भुगतान किया गया

उत्तर

(1) कोटा लोक सभा चुनाव 1971 के लिए निर्वाचन अधिकारी (जिलाधीश) कोटा ने निम्न प्रकार के वाहन अधिग्रहित करने का प्रावधान किया था ताकि आवश्यकतानुसार वाहन आ जावें। यह संख्या इस लिये अधिक रक्खी गई थी क्योंकि कुछ वाहन खराब हो जाने व ब्रेक डाउन हो जाने से समय पर नहीं आ सकेंगे। कुछ वाहन दूसरे जिलों में अधिग्रहित होने से भी नहीं आ सकेंगे तथा कुछ वाहन दूसरे जिलों में भेजने पड़ेंगे :—

(1)	ट्रक	481
(2)	बस	79
(3)	जीप	188
(4)	ट्रेक्टर ट्रोली	36
		784

(2) निर्वाचन अधिकारी (जिलाधीश), कोटा ने 784 वाहन अधिग्रहित करने हेतु नोटिस जारी किये उनकी सूची सदन की मेज पर है :—

(1)	ट्रक	481
(2)	बस	79
(3)	जीप	188
(4)	ट्रेक्टर ट्रोली	36
		784

(3) अधिग्रहण के नोटिस जारी करने के बाद 130 वाहन रिलीज कर दिये गये थे जिनकी सूची स्टेटमेन्ट संख्या 2 में दर्शायी गयी हैं वह सदन की मेज पर है:—

(1)	ट्रक	53
(2)	बस	33
(3)	जीप	44
		130

कुछ गाड़ियों के छोड़ने के कारण इसलिए अंकित नहीं किये जा सके हैं क्योंकि तत्कालीन

Page No 33

(चुनाव मंत्री)

सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का स्थानान्तरण हो गया है उन्हें इस सम्बन्ध में दो बार लिखा गया है परन्तु वह अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं।

(4) अधिग्रहण आदेशानुसार निर्धारित तिथि पर कुल 533 वाहन उपस्थित हुए जो स्टेटमेन्ट संख्या। में क्रम संख्या 132 से 662, 786 से 789 तथा क्रम संख्या 793 पर अंकित है सिवाय क्रम संख्या, 362 422, एवं 623 के—

(1)	ट्रक	359
(2)	बस	38
(3)	जीप	109
(4)	ट्रेक्टर ट्रोली	28
		534

(5) भाग 4 में वर्णित वाहनों में से 141 वाहन स्टेटमन्ट संख्या 3 के अनुसार रिलीज कर दिये गये थे। स्टेटमेन्ट संख्या 3 सदन की मेज पर प्रस्तुत है। पोलिंग पार्टीज एवं अन्य व्यवस्था पूर्ण होने के पश्चात् इन वाहनों की आवश्यकता नहीं थी अतः इन्हें रिलीज कर दिया गया था।

(1)	ट्रक	87
( )	बस	19
(3)	जीप	31
(4)	ट्रेक्टर ट्रोली	4
		141

(6) चुनाव कार्य हेतु कुल 393 वाहन प्रयोग किये गए थे जो स्टेटमेन्ट संख्या 1 में क्रम संख्या 132 से 525 पर अंकित है सिवाय क्रम संख्या 362 एवं 422 के:—

(1)	ट्रक	270
(2)	बस	21
(3)	जीप	80
(4)	ट्रेक्टर ट्रोली	22
		393

(7) भाग 6 में वर्णित वाहनों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर (आदेश की प्रति सदन की मेज पर है) के अनुसार बिल बन चुके हैं अब तक 210 गाड़ियों के किराये का भुगतान तादादी रु. 80097.52 पैसा किया जा चुका है। वाहन मालिक द्वारा बिल पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् ही बिल कोष से पास करा कर भुगतान प्राप्त करने हेतु दे दिया जाता है।

आवास बोर्ड द्वारा मकानों का निर्माण

60. श्री जयनारायण सांलोदिया (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) राज्य में आवासन बोर्ड द्वारा कहां—कहां कितने मकान बनाकर किन किन लोगों को दिया गया ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) आवासन बोर्ड ने जितने मकान बनाये उनमें से कितने अनुसूचित जाति के लोगों को दिये ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) अभी मकान बन कर तैयार नहीं हुए हैं, अतः देने का प्रश्न नहीं उठता।

Page No 34

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) मकान अभी बन रहे हैं, अतः देने का प्रश्न नहीं उठता। विशेष पंजीकरण योजना की लाटरी में सफल अनुसूचित जाति के सदस्यों की सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

थानेदार की जन्म तिथि

61. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री मंजूर अली, थानेदार नगर तहसील देवली जिला टोंक की पहली नियुक्ति पुलिस विभाग में कब हुई? और उनकी जन्म तिथि क्या दर्ज थी?

(2) क्या यह सही है कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी जन्म तिथि को परिवतन करके दुबारा से नियुक्ति ली है? यदि हां, तो यह परिवर्तन किस आधार पर हुआ?

(3) क्या यह सही है कि उन्होंने अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट में हेर फेर किया है? यदि हां, तो उन्होंने जो पहला सर्टिफिकेट पेश किया और जो बाद में पेश किया उन दोनों की प्रति सदन की मेज पर रखे।

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सिर्फ उनके लिख कर देने पर ही उनकी उम्र में दुरुस्ती स्वीकार करली और उन्हें 3 वर्ष की नियुक्ति फिर दे दी गई? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह सत्य है कि मंजूर अली को रिटायरमेंट का नोटिस दिया गया था? यदि हां, तो क्या उन्होंने उस पर कोई एतराज पेश किए थे? यदि हां, तो वे क्या थे? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि श्री मंजूरअली जब रिटायर हुए उससे पूर्व वह थाने नगर पर ही नियुक्त थे और जब उन्हें दुबारा नियुक्त किया गया तब उन्हें फिर उसी थाने पर नियुक्त किया गया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्री मंजूर अली थानेदार प्रथम बार कानिस्टेबिल के पद पर दिनांक 1-12-38 को नियुक्त हुए और उनकी सेवा पुस्तिका में उनकी जन्म तिथि के आगे 22 वर्ष लिखा हुआ है। इस प्रकार इनकी जन्म तिथि 1-12-16 होती है।

(2) जी, नहीं।

(3) इनकी सेवा पुस्तिका से विदित होता है कि यह मिडिल पास हैं अतः मैट्रिक के प्रमाण-पत्र का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(4) राज्य सरकार ने इनकी उम्र में कोई दुरुस्ती नहीं की।

(5) जी हां, प्रतिवेदन संलग्न है।

(6) श्री मंजूरअली कम्पलसरी रिटायरमेंट का नोटिस के पूर्व थाना नगर में नियुक्त थे। इन्हें प्रशासकीय आधार पर पुलिस अधीक्षक, मण्डल टोंक ने थाना नगर में पदस्थापित किया है।

(7) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

गंगानगर के किसान आन्दोलनकारियों को जेल

62. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला गंगानगर में पिछले समय जो किसान आन्दोलन चला था उस आन्दोलन में दो बार कुल कितने किसान जेलों में गये थे ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(2) इस आन्दोलन पर सरकार को कैदियों की व्यवस्था के लिये कितनी धनराशि खर्च करनी पड़ी ?

(3) क्या यह सही है कि इस आन्दोलन में गिरफ्तार होने वाले सभी आन्दोलन-कारियों को जेलों में ए क्लास दी गई थी ?

उत्तर

(1) जिला गंगानगर में पिछले समय जो किसान आन्दोलन चला था उस आन्दोलन में दो बार में 5596 किसान जेलों में गये थे, सूची तैयार की जा रही है तैयार होने पर पेश कर दी जावेगी।

(2) इस आन्दोलन पर सरकार को कैदियों की व्यवस्था के लिये करीबन 221,00,000 रुपये की धनराशि खर्च करनी पड़ी।

(3) जी नहीं, आन्दोलनकारियों को "बी" श्रेणी दी गई थी।

पाली जिले में चोरी एवं हत्यायें

63. श्री शंकर लाल (जैतारण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले म चालू वर्ष में कितनी हत्यायें और चोरियां कहां कहां कब कब हुई सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन हत्याओं और चोरियों के कितने अपराधियों को पकड़ा गया और किन किन अपराधों के अपराधियों का अभी तक पता नहीं लग पाया है ?

(3) चोरियों में कितने मूल्य का माल कहां कहां चोरी गया और कितने मूल्य का माल बरामद किया गया ?

उत्तर

(1) पाली जिले में चालू वर्ष में 25 हत्यायें और 319 चोरियां हुई हैं। विस्तृत सूचना संलग्न सूची के कालम नं. 1 से 4 में अंकित है।

(2) विस्तृत सूचना संलग्न सूची के कालम नं. 5 से 6 में अंकित हैं।

(3) विस्तृत सूचना संलग्न सूची के कालम नं. 7 से 8 में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

टोंक जिले मे पुलिस में भर्ती

64. श्री जयनारायण पालोदिया (निवाई): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1968 से आज तक टोंक जिले में कितने सिपाही, थानेदार आदि पुलिस में भर्ती किये गये, इनमें से कितने अनुसूचित जाति के हैं ? सन् वार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

Page No 36

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(2) क्या टोंक जिले की पुलिस सेवाओं में निर्धारित कोटे के माफिक हर श्रेणी के कर्मचारियों व अधिकारियों में भर्ती की गई है ? यदि नहीं, तो कोटा पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) टोंक जिले में सन् 1968 से जिला स्तर पर की गई कानिस्टेबिलान की सीधी भर्ती के संबंध में विस्तृत सूचना संलग्न सूची के कालम नं. 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में अंकित है।

(2) जिला स्तर पर केवल कानिस्टेबिलान की ही सीधी भरती की जाती है दीगर श्रेणी के कर्मचारियों व अधिकारियों की भरती राजस्थान स्तर पर होती है। कानिस्टेबिलान की सीधी भरती में इस पूरी अवधि में अनुसूचित जाति के निर्धारित कोटा में केवल 5 सिपाही कम भरती हुये हैं जिसके लिये किसी अधिकारी का दोष नहीं है क्योंकि योग्य उम्मीदवारों के न मिलने से यह कमी रही है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

ग्राम पालडी में पानी का कष्ट

65. श्री पूनमचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पालडी (जिला पाली) में ग्राम पंचायत द्वारा एक हौज (टंकी) बनवाई गयी थी जो तारीख 5-11-1970 को अचानक फूट गयी और मौके पर ही पांच बच्चों की मृत्यु हो गई ?

(2) क्या यह सही है कि उपर्युक्त दुर्घटना के पश्चात् हौज नहीं रहने से ग्राम पीचका तो चालू रखना अनिवार्य था। (जैसा हौज के पहले से चालू था) जिससे कि लोग पानी भर सकते थे व मवेशी पानी पी सकते थे (जैसा कि पहले से पीते आये हैं) ?

(3) क्या यह सही है कि शान्ति भंग होने का खतरा होने से वहां (पीच का स्थल पर) धारा 144 लगाई गई थी ? क्या 144 धारा अभी भी वहां लगी हुई है यदि हां, तो क्या अब भी वहां शान्ति भंग होने का खतरा है ?

(4) क्या यह सही है कि सरपंच पालड़ी को विकास अधिकारी, सुमेरपुर पंचायत समिति ने तारीख 19-3-71 को एवं तारीख 2-4-1971 को पत्र लिखे और उप खंड अधिकारी, बाली ने भी तारीख 15-3-1971 को पत्र लिखा ? यदि हां, तो क्या इन सभी पत्रों का यह भावार्थ है कि कानून व व्यवस्था भंग नहीं हो इस बात की तसल्ली कर के पीच का चालू कराने का कष्ट करेंगे।

(5) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत को अभी तक उपर्युक्त तसल्ली नहीं हो पाई है, अतः पीचका बंद है और फलतः पानी का भारी कष्ट है गांव में ?

(6) क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध नहीं कर सकते कि वहां व्यवस्था कायम रख कर शान्ति भंग नहीं होने दे ? यदि सरकार सक्षम है इस कार्य हेतु तो सरपंच के भरोसे शान्ति व्यवस्था की बात उनको तसल्ली हो तब तक

Page No 37

(श्री फूलचन्द बाफना)
के अनिश्चित काल के लिये क्यों छोड़ रखी है ?

(7) क्या सरकार अपने जिम्मे शान्ति व्यवस्था लेकर जनता व मवेशी को पानी पिलवाने हेतु पीच का चालू करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) यह सूचना गृह विभाग के पास नहीं है।

(5) जी नहीं। सरपंच को अब पूर्ण तसल्ली है। अतः पीच का चालू है। और गांव में पानी की कोई तकलीफ नहीं है।

(6) सरकार की तरफ से सब प्रकार की पूर्ण व्यवस्था है। वहां पर किसी प्रकार का कोई खतरा या खतरे का अंदेशा नहीं है।

(7) वहां पर सब प्रकार से पूर्ण शान्ति की व्यवस्था है और पीच का भी चालू है।

अकाल ग्रस्त क्षेत्र

66. श्री शंकरलाल (जंतारण):- क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के किन किन हिस्सों में इस वर्ष अकाल और अभाव की स्थिति आंकी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन हिस्सों में सरकार द्वारा क्या राहत पहुंचाने की योजना है ?

उत्तर

1. अभाव वर्ष संवत् 2028 में अभी राजस्थान में कहीं भी अकाल अथवा अभाव की स्थिति नहीं आंकी गई है। जिलाधीशों से अन्तिम प्रतिवेदन आने पर कार्यवाही की जावेगी।

(2) जिलाधीशों से सूचना आने पर राज्य सरकार इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगी।

पेयजल समस्या पर खर्च

67. श्री भीमसेन (लूणकरणसर)—क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अकाल सहायता विभाग से किस किस जिले में पेयजल समस्या के समाधान हेतु कितनी कितनी राशि खर्च की गई है अथवा खर्च करने का प्रावधान किया गया है ?

(2) ग्रामीण कार्य-क्रम के अन्तर्गत पेयजल समस्या के समाधान हेतु किस किस जिले के लिये कितनी कितनी राशि का प्रावधान किया गया ?

उत्तर

(1) सूची "क" सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल की समस्या के समाधान हेतु जिलेवार

Page No 38

(अकाल राहत मंत्री)
ब्यौरा निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

नाम जिला	प्रावधान (लाखों में)
बाड़मेर	55–80
बीकानेर	33–70
चूरू	38–00
जैसलमेर	71–50
जालोर	19–00
जोधपुर	45–00
नागौर	45–00
पाली	27–00
योग ..	335–00

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)
प्रधान द्वारा लिया गया यात्रा भत्ता

68. श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) – क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति दांतारामगढ़ जिला सीकर के प्रधान द्वारा 1965 से लेकर अब तक प्रति माह कितने कितने रुपयों के यात्रा भत्ते के बिल किस किस तारीख को समिति कोष से उठाये गये हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि इस अवधि में प्रधान द्वारा पंचायत समिति क्षेत्र के बाहर की यात्रा भी की गई है तथा उनका यात्रा भत्ता लिया गया है ? यदि हां, तो कहां कहां की यात्रायें कब कब किस कार्य हेतु समिति क्षेत्र के बाहर की गई है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सत्य है कि पंचायत समिति दांतारामगढ़ की जीप कई वर्षों से खराब पड़ी थी ? अगर हां, तो जब समिति की जीप खराब थी तो प्रधान द्वारा जो यात्रा की जाती थी वह किस साधन से की जाती थी ? यदि यात्रा किराये की जीप से की जाती थी तो जीप का किराया लेने वाले व्यक्ति का नाम मय बिलों की प्रति सहित तथा किस किस तारीखों में किराये पर ली की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति द्वारा जीप किराये पर ली गई ? अगर हां, तो इस जीप के नम्बर क्या हैं और क्या उक्त जीप टैक्सी पास थी ? जीप किराये लेने की इतनी क्या आवश्यकता हुई और किस कारण से ? क्या पंचायत समिति जीप किराये पर ले सकती है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह भी सही है कि प्रधान पंचायत समिति दांतारामगढ़ के खिलाफ अनेक शिकायतें राज्य सरकार के पास आई यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या यह भी सही है कि प्रधान पंचायत समिति दांतारामगढ़ के खिलाफ एक स्पेशल पार्टी द्वारा आडिट कराई गई थी ? अगर हां, तो आडिट पार्टी ने कहा रिपोर्ट दी और उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

Page No 39

व्यक्तिगत लोगों के लिये ट्यूबवेल एवं बांध निर्माण

69. श्री देवीदत्त गाड़िया (धारां) - क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जोधपुर, बाडमेर, बीकानेर में जहां अकाल राहत के कार्यों में करोडों रुपया खर्च हुआ है, उनमें कई स्थानों पर व्यक्तिगत लोगों के खेतों में ट्यूब वेल्स तथा खेतों में या उनके पास बांध आदि बनाए गए हैं ?

(2) यदि हां, तो इस सबंध में क्या शिकायतें भी आई हैं ? यदि हां, तो किस किस जिले के किस किस गांव में किस किस व्यक्ति के निजी खेत में या पास में ट्यूब वेल्स व बांध आदि बनाए गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) जी, नहीं । जिला जोधपुर, बाड़मेर एवं बीकानेर में किसी भी स्थान पर व्यक्तिगत लोगों के खेतों में उनके लाभ के लिये ट्यूब वेल अथवा व्यक्तिगत लोगों के खेतों के पास कोई बांध नहीं बनवाये गये हैं ।

(2) जी, नहीं । इस संबंध में कोई शिकायतें नहीं आई हैं । अतः सूची सदन की मेज पर रखने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

सांड खरीदने में भ्रष्टाचार

70. श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) - क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति दांतारामगढ़ में सांड खरीदने हेतु पंचायत समिति के सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी ? अगर हां, तो उक्त कमेटी के सदस्य कौन कौन थे ?

(2) क्या इस कमेटी में पंचायत समिति के प्रधान का होना आवश्यक है ?

(3) उक्त कमेटी द्वारा कहांकहां से कितनी कितनी कीमत में सांड खरीदे गये और उन्हें कौन सी पंचायतों को दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) सांडों की खरीद में गड़बड़ी की क्या कोई शिकायत भी प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में भी कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी, हां, सर्व श्री जगदीशप्रसाद प्रधान, देवाराम सरपंच गनोडा, सदस्य उत्पादन स्थाई समिति व सुरेन्द्रसिंह पशुपालन प्रसार अधिकारी उक्त समित के सदस्य थे ।

(2) जी नहीं, लेकिन उत्पादन स्थाई समिति के निर्णयानुसार प्रधान को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया था ।

(3) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) जी, हां, जांच की जाकर मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया ।

(पंचायत मंत्री)

(5) जी, हां, केस रजिस्टर कर लिया गया है व जांच जारी है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

शरणार्थियों एवं फौजियों के फार्म

71. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई-माधोपुर)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील खण्डार के ग्राम दौलतपुरा में शरणार्थियों एवं फौजियों के फार्म कितने कितने बीघे के हैं और ये फार्म किस किस वर्ष में किस किस तारीख को प्रदत्त किये गये तथा जब से ये फार्म बने तब से अब तक इन फार्मों में कितनी कितनी बीघा भूमि में वास्तविक काश्त हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन फार्मों में से किस किस फार्म पर क्रमशः कितने परिवार शरणार्थियों अथवा फौजियों के अब तक बसे हैं और आरम्भ में इन फार्मों की भूमि कितने 2 परिवारों को अलॉट की गई थी ? फार्मवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें जिसमें कृपया अलॉटीज के नाम व पते दर्ज हों।

(3) उक्त फार्मों का लगान सरकार में सालाना जमा होता रहा है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो किस किस फार्म पर क्रमशः कितनी कितनी राशि सरकार की बकाया है और यह राशि किस वर्ष की है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या सरकार यह महसूस करती है कि इन फार्मों में वास्तव में अलाटीज काश्त नहीं कर रहे है ? यदि हां, तो फिर इस भूमि को वापिस लिया जाकर भूमिहीनों को अलॉट किये जाने में राज्य सरकार को क्या आपत्ति है ?

उत्तर

(1) तहसील खण्डार के ग्राम दौलतपुरा में शरणार्थियों का 313-13 बीघे का एवं फौजियों का 1577-12 बीघे का दो फार्म हैं इन दोनों फार्मों की जमीन सम्वत् 2006 में राज्य सरकार द्वारा दी गई थी। उक्त दोनों फार्मों में विभिन्न सालों में विभिन्न रकबोंमें जितनी जितनी काश्त की गई उसके बारे में सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) आरम्भ में शरणार्थी को-आपरेटिव सोसायटी लि. के 28 परिवारों को एवं सोलजर्स को-आपरेटिव सोसायटी लि. के 77 परिवारों को भूमि अलाट की गई थी। इनमें से अब क्रमशः 12 एवं 37 परिवार मौजूद हैं। सोलजर्स फार्म सोसाईटी लि. के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। शरणार्थियों की सोसायटी की सूची उपलब्ध होने पर पेश करदी जावेगी।

(3) शरणार्थी को-आपरेटिव सोसायटी लि. का लगान सम्वत् 2027 तक जमा हो गया है एवं सोलजर्स फार्म को-आपरेटिव सोसायटी लि. का लगान सम्वत् 2016 तक का जमा हो चुका है। इस फार्म का सम्वंत् 2017 से सम्वत् 2027 तक का लगान बकाया है। बकाया राशि की वर्ष वार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) इस बारे में कलेक्टर, सवाई माधोपुर को जांच करके रिपोर्ट भेजने हेतु

(राजस्व मन्त्री)
निर्देश दिए हुए हैं। कलेक्टर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

टोंक जिले के पिलाई के बांध

72. श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई):—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक जिले में कितने पिलाई के बांध हैं तथा इन बांधों की पेटा काश्त जमीनें कितनी हैं उनका हर साल कब अस्थाई अलाटमेन्ट किया जाता है? गत पांच सालों की हर तहसील की तारीखों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि समय से पूर्व हर तहसील में बांधों के व नदी के पेटा काश्त जमीन का आलाटमेन्ट नहीं किया जाता है, और जब किसान समय पर काश्त कर लेते हैं तो बाद में उन पर पेनेल्टियां ली जाती हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) टोंक जिले में पिलाई के 126 बांध हैं इन बांधों में से 65 बांधों का पेटा तालाव आवंटित नहीं किया जाता क्योंकि इनके पेटे प्रायः गैरखातेदारी में हैं। शेष बांधों का पेटा तालाव जब खाली होता है आवंटित किया जाता है। गत पांच वर्षों के आवंटन की सूचना संलग्न सूची में अंकित है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) टोंक जिले में प्रत्येक तहसील में समय से पूर्व ही पेटी तालाव व नदी का आवंटन का कार्य प्रारम्भ किया जाता है। आवंटन अधिकारी प्रत्येक तहसील में एक ही होता है ऐसी स्थिति में जब आवंटन कार्य में समय लगता है तो आवंटिती भूमि सूखने से पूर्व ही या एक ही भूमि के दो व्यक्ति इच्छुक होने की दशा में अतिक्रमण कर लेते हैं। अतिक्रमण कर लेने पर ऐसी स्थिति में पेनल्टी नियमित ही है।

खाद व बीज की वसूलियां

73. श्री **फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर)—क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चांचोडी आदि ग्राम के जिन किसानों ने पंचायत समिति रानी से अथवा पंचायत समिति के किसी भी ग्रामसेवक से कोई खाद या बीज नहीं लिया है अथवा जिन किसानों ने लिया था खाद व बीज परन्तु उसकी रकमें जमा करवा चुके हैं-ऐसे किसानों से भी वसूलियां पाली आदि तहसीलों के तहसीलदार कुर्कियों से कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सम्बन्धित तहसीलदारों को पंचायत समिति, रानी, सूचनार्थ शीघ्र ही भेजेगी कि ऐसी वसूलियां रोक दी जावें? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

मंत्री-परिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण

श्री अध्यक्ष :अविश्वास प्रस्ताव की एक सूचना आई है जो माननीय सदस्य मनोहरसिंह मेहता ने दी है प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन संबंधी नियमों के नियम 132 (2) के अन्तर्गत। प्रस्ताव इस प्रकार है :—

'यह सदन राजस्थान के वर्तमान मन्त्रि-परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है।'

मैं, इस प्रश्न को लिये जाने की स्वीकृति देने के प्रश्न पर माननीय सदस्यों से प्रस्ताव करूंगा कि जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों वे अपने स्थान पर खड़े हो जाय।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर खड़े हुये)

The required number is 1/6th of the whole number and that is 37.

इसलिए कि ये 37 से अधिक हैं. मैं इसकी स्वीकृति देता हूं।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव विचारार्थ लिया गया।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष जी, मैं दर्ख्वास्त करूंगा, वोट आफ नो कान्फीडेंस पर आज ही डिस्कशन कर लिया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार): अध्यक्ष महोदय, मैं आप को निवेदन करना चाहता हूं कि

"If leave is granted under sub-rule (2) the Speaker may, after considering the state of business in the House, allot a day or days or part of a day for the discussion of the motion."

132 (2) के तहत लीव ग्राण्ट होने के बाद अध्यक्ष महोदय विचार करेंगे, फिर फैसला करेंगे कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन, का समय किस प्रकार रखा जाये, जो हाउस की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सलाह से करते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सलाह से करते हैं, इसका एक कन्वेंशन, और डेमोक्रेटिक परम्परा रही है। अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बुलाकर फिर इसका समय निर्धारित करते हैं कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन का समय रखा जाये, 5 दिन के बाद भी रखा जा सकता है। मेरा निवेदन है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग तुरन्त बुलाई जाये। इस संबंध में तुरन्त विचार किया जाय। आज बिजनेस है, यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय कर दिया है। हाउस ने उसको एडाप्ट किया है। यह कहीं रूल्स में नहीं है। लीव ग्राण्ट करने का प्राविजन यह है कि क्वेश्चन आवर के बाद और दूसरे प्रश्न लेने के पहले ऐसा प्रश्न लाया जा सके और दूसरा नहीं लाया जा सके। मुख्य मंत्री जी आग्रह नहीं कर सकते हैं कि तुरन्त विचार में लिया जाये। यह नहीं चलने वाला है। अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को बुलाया जाये और इस पर कितना समय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी निर्धारित करे यह नियम 132 (2) की मंशा है। यही परम्परा है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
सतीशचन्द्रजी ने बिजनेस एडवाईजरी कमेटी को बुला कर इसके सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिये कहा है, मेरा यह निवेदन है कि पार्लियामेंट में भी ब इस प्रकार का नो-कान्फीडेंस मोशन रखा गया था तो वह उसी रोज डिस्कस किया गया था क्योंकि इसको ज्यादा इम्पार्टेंस दी जाती है। यह जो नो-कान्फीडेंस मोशन आया है, यह आज के ही रोज ले लिया जाना चाहिये और मेरा निवेदन है....

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : अध्यक्ष महोदय, 132(2) में साफ लिखा है

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जब तक दूसरा बिजनेस शुरू हो, इस हाउस को थोडी देर के लिये एडजोर्न करके बिजनेस एडवाईजरी कमेटी को बुला कर इसके सम्बन्ध में फैसला कर लिया जाय और आज के आज निर्णय लेकर इसका फैसला कर लिया जाय।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय : मेरा यह निवेदन है....

कई माननीय सदस्य : बैठ जाओ ! बैठ जाओ !

श्री खेतसिंह : इनको ×× चाहिये

(शोरगुल)

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, यह हमारा अपमान है। यह पन्द्रह पन्द्रह हजार रुपये टेलीफोन पर खर्च करते हैं और हमें कहते हैं कि ×× चाहिये। यह ×× मिलेगा, यह बंगला देश को जायगा, हम नहीं लें।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : कुछ भी अंकित न हो।

कई माननीय सदस्य : ××

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : कुछ भी अंकित नहीं हो।

कई माननीय सदस्य : ××

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

कई माननीय सदस्य : ××

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर !, माननीय सदस्य ! आर्डर प्लीज ! स्थान ग्रहण करें ! माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। श्री गाडिया, आर्डर, आर्डर प्लीज ! मैं समझ गया।

श्री देवीदत्त गाडिया : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें, फिर व्यवस्था का प्रश्न देख लूंगा।

श्री गोकुल चन्द (खैरथल सु.) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर....

श्री अध्यक्ष : There cannot be any point of order, whether chair is on legs.

श्री मदनसिंह : आन ए पाइन्ट आफ प्रिविलेज !

××अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 44

श्री अध्यक्ष : नो प्रिविलेज । मुझे अपनी बात कहने दीजिये ।

यदि ऐसे शब्द कहे गये हैं. . . .

कई माननीय सदस्य : कहे गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : XXयह शब्द कहे गये हैं उनको एक्सपंज किया जाय ।

(शोरगुल)

माननीय सदस्य ! आर्डर प्लीज !

(शोरगुल)

आर्डर, आर्डर, आर्डर !

अंकित नहीं हो, जब तक शांत वातावरण सदन का नहीं हो

कई माननीय सदस्य :XX

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

कई माननीय सदस्य : XX

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक ने एक सुझाव रखा है कि सदन की कार्यवाही स्थगित की जाकर बिजनेस एडवाईजरी कमेटी में इसका फैसला कर लिया जाय । इस संदर्भ में सदन की कार्यवाही कोरम की घण्टी न बजने तक स्थगित करता हूं और बिजनेस एडवाईजरी कमेटी का आह्वान करता हूं मेरे चेम्बर में मीट करने के लिये ।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्ह पश्चात् 12 बजकर 13 मिनिट पर गणपूरक घण्टी न बजने तक के लिये स्थगित हुई)

(विधान सभा की कार्यवाही मध्यान्ह पश्चात् 22.42 पुनः प्रारंभ)

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : बिजनेस एडवाईजरी कमेटी के जो निर्णय हुए हैं मैं उससे माननीय सदस्यों को अवगत करादूं । यह अविश्वास का प्रस्ताव आज न लिया जाकर कल लिया जावेगा ।

इसके साथ ही कल प्रश्नोत्तर काल समाप्त और स्थगन प्रस्ताव भी चूंकि नो-कान्फीडेंस मोशन आगया है । इसमें उनका उल्लेख हो सकता है इसलिये वह भी कल समाप्त ;।

आरंभ से ही 11 बजे से ही नो-कान्फीडेंस मोशन ले लिया जावेगा । इसी तरह से आज के स्थगन प्रस्ताव भी जो रह गये हैं उन पर कोई व्यवस्था नहीं देना चाहूंगा । वे भी इस नो-कान्फीडेंस मोशन में आ जावेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन पर तो आज ही व्यवस्था दे दीजिये, साहब ।

श्री अध्यक्ष : जिन स्थगन प्रस्तावों पर मेरा निर्णय दिया जाना है उनको देने का कोई अर्थ नहीं होगा ।

आज के स्थगन प्रस्ताव हैं वे तो आवेंगे पर अभी जो मेरे पास पडे हैं उन पर निर्णय स्थगित समझे जावें ।

XXअध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नही किया गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई महत्व-पूर्ण स्थगन प्रस्ताव हो तो ?

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : स्टेट-मेंट तो हो जावे ।

श्री अध्यक्ष : खाली प्रकाश डाल सकता हूं । उन पर मेरा निर्णय देना अर्थ नहीं रखेगा । अभी मैं इस पर निर्णय ले लेता हूं ।

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : अभी वक्तव्य दे देने दीजिये । फिर देख लेंगे । मुख्य मंत्री अपना वक्तव्य देंगे ।

शासकीय वक्तव्य

विधान सभा भवन के सामने दि. 11-11-71 को धोबियों के जुलूस पर लाठी चार्ज सम्बन्धी

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 नवम्बर 71 को करीब दोपहर के 1.40 मिनिट पर धोबी समाज का एक जुलूस रथखाना पर सिरेह-ड्योढी बाजार से असेम्बली के पास पहुंचा । वहां दरवाजे पर डी-वाई एस. पी. और मजि-स्ट्रेट तैनात थे ताकि दरवाजे पर ला एण्ड आर्डर मेन्टेन किया जावे । श्री गिरधारीलाल भार्गव और श्रीमती उजला अरोडा जुलूस के साथ थे । प्रोसेशन के लोग चाहते थे कि विधान सभा बिल्डिंग में दाखिल हों और इस तरह के नारे लगा रहे थे कि लाठी गोली खावेंगे पर अन्दर जावेंगे ।

मजिस्ट्रेट और डी-वाई. एस. पी. ने निवेदन किया कि असेम्बली के अन्दर वे अपने आपको नहीं ले जावें । इसके बाद उन्होंने कोर्डन तोडने की कोशिश की और जबरदस्ती अन्दर घुस आने के लिये आगे बढे तब उनको हटाया गया । इसके बाद पुलिस फोर्स पर प्रोसेशन के कुछ लोगों ने फ्लेग पोस्ट से हमला किया । जिससे एस. एच. ओ. माणक चोक के हाथ पर चोट आई । दो कान्स्टेबलों के भी चोट आई । पुलिस फोर्स खडी थी । उसने रस्सी और बेटन से लोगों को पीछे हटाने की कोशिश की । इससे कुछ लोग गिरे जिनके चोट आई ।

सिटी मजिस्ट्रेट ने इस मामले में इन्क्वायरी की है । इसके कारणों को देखा और इस नतीजे पर पहुंचा कि पुलिस ने कम से कम फोर्स इस्तेमाल की उस समय की स्थिति को देखते हुए ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह वक्तव्य मुख्य मंत्री जी नहीं देते तो ज्यादा अच्छा होता । यह स्वीकार कर लिया कि पुलिस ने फोर्स इस्तेमाल किया । यही ज्यादा बात है । बेंत और रस्सियों, जैसा मैंने सुना है, का उपयोग किया गया । फिर एक बात कही कि प्रदर्शनकारी विधान सभा में घुसना चाहते थे और ये नारे लगा रहे थे कि लाठी गोली खावेंगे और विधान सभा में जावेंगे । मैं समझता हूं मुख्य मंत्रीजी ने और राजस्थान की पुलिस ने यह एक नया नारा इन्ट्रोड्यूस किया है इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं । पर मुख्य मंत्रीजी आप से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा वक्तव्य देंगे ।

इसमें देखने वाला मैं ही नहीं था, विधान सभा के कुछ अन्य गणमान्य सदस्य भी थे जिन्होंने ऊपर से भी देखा है, खिडकियों में से और बाहर जाकर भी देखा है । न तो ऐसा

(श्री भैरोंसिंह)
कोई नारा था और न उनकी विधान सभा में घुसने की इन्टेशन थी ।

प्रश्न केवल इतना था कि विधान सभा से बहुत दूर प्रदर्शनकारियों को रोका गया । जैसे आम तौर पर गेट के सामने आते हैं अपना रिप्रजन्टेशन देकर सडक की दूसरी तरफ चले जाते हैं । इस दृष्टि से वे गेट की तरफ आ ही रहे थे कि बहुत दूर रास्ते पर उनको रोक दिया गया । फिर लाठियां चला दी ।

इस छोटी सी बात को भी जब वे घुमा फिरा कर कहते हैं तो मैं समझता हूं कि सदन की जो पवित्रता है उस पर भी आघात करते हैं । यह तो विश्वास हो गया कि जिनके लाठी लगी उनकी जांच कराने को आप तैयार नहीं हैं और यह भी विश्वास हो गया कि पुलिस को एनकरेज जिस तरह से और मिनिस्टर अब तक करते आये हैं उसी तरह आप भी करते हैं जिस तरह पुलिस की आदत है नये नये नारे कोईन करती है आप ने भी उसी पर विश्वास करके पुलिस अधिकारियों द्वारा दिया हुआ स्टेटमेंट यहां पढ दिया है । कम से कम ऐसी उम्मीद आप से नहीं थी ।

मैंने एक महिला को आपको स्वयं को दिखलाया था और उस समय जो उसके चोट लगी उससे आज भी कमर पर निशान है । किसी डाक्टर से एग्जामिन कराले । अगर डाक्टर कहदे कि रस्सी से या बेंत से यह चोट नहीं है तो हम मान लेंगे । ईमानदारी से मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो यह सिद्ध होगा कि लाठी की चोट उनकी कमर पर है । इसी प्रकार से और लोगोंके भी लाठी की चोट लगी हैं । उन के भी रस्सी के नाम निशान नहीं लाठी चलाई गई है । रस्सी आपने अपनी तरफ से लगा दी है । मैंने भी देखा है । लाठी पुलिस कर्मचारियों के हाथ में थी । रस्सी किसी पुलिस कर्मचारी के हाथ में नहीं देखी । केन भी नहीं देखी । अब अगर आपका केन से मतलब मोटी लाठी से है तो कह नहीं सकता । आप उस को ही केन कहते हैं क्या जो पुलिस वालों के हाथ में थी? तब तो यह निवेदन करूंगा कि आपके लिये डंडा और लाठी में फर्क नहीं होता । वह अगर एक बार पड गया किसी के तो उसे याद करके कई वर्षों तक चलेगा । उसे तो आप सोटा कहिये ।

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने बेटन कहा है । केन नहीं कहा है ।

श्री भैरोंसिंह : मैंने पहले भी इस बारे में सदन में निवेदन किया था कि यहां कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि कोई भी प्रदर्शनकारी आये तो हाउस की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई रिसीव करले उनको और उनके रिप्रेजन्टेशन ले ले । उनके प्रतिनिधि किसी मन्त्री से मिलना चाहें या अध्यक्ष महोदय से मिलना चाहें तो उनको पास देकर असेम्बली में बुला लें, फिर वे मिल कर अपनी बात कहदें और चले जावें । अब इसके विपरीत अगर उनका लाठी से बेंत से या किसी और वीपन से पुलिस द्वारा स्वागत कराया जाता है और पिटवाया जाता है तो यह परम्परा न सदन के लिये शोभाजनक है, न सरकार के लिये और न इस जनतन्त्रीय परम्परा के लिये । अगर जनता की ग्रीवान्सेज को आप सुन कर उनको दूर नहीं कर सकते बल्कि दबाने की नीयत रखते हैं तो इसका परिणाम आगे जाकर क्या निकलेगा इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है ।

मैं अन्त में यही निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का वक्तव्य देकर मुख्य मंत्री ने तथ्यों

(श्री भैरोंसिंह)

को छिपाया है और इस प्रकार का असत्य वक्तव्य देकर हाउस में इस प्रकार की स्थिति पैदा की है जो मैं समझता हूं एक प्रकार से अविश्वास का कारण बनती है।

मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय बरकत साहब से कभी अपेक्षा यह करके नहीं चलता था, जो रातदिन इस हाउस में और बाहर भी, जब कभी चर्चा होती थी तब, लोकतन्त्र का विकास किस तरह से हो, यह कहते रहे हैं। अब मुख्य मंत्री के पद पर जाकर पुरानी बातों को भूल गये और नई बातें जो पुलिस राज्य की हैं वे चालू करदी-तो हमारा दुर्भाग्य है। अध्यक्ष महोदय, यह तो अच्छा है कि मुख्य मंत्री जी ने हां भर ली-आफिशियल लाठी चार्ज और अन-आफिशियल लाठी चार्ज। अन आफिशियल लाठी चार्ज से सरकार इन्कार कर सकती है और अन-आफिशियल लाठी चार्ज कर दिया तो सरकार इन्कार कर दें तो कोई बात नहीं है? और जैसा मैंने सुना है एक कान्स्टेबल से कि यह किया वह किया, सब कुछ किया ये सब बुनियादी बातें है। यदि आप स्वयं चाहें और यदि किसी पुलिस अधिकारी का परीक्षण करना चाहते हैं तो विधान सभा के किसी अधिकारी को नियुक्त कर दें जो इस सम्बन्ध की सारी रिपोर्ट आपको दे दे कि इस सम्बन्ध में क्या स्थिति हुई है और क्या स्थिति नहीं हुई है। मैं अपनी तरफ से कहता हूं जब भीड में उत्तेजना थी, और मुझे इस सम्बन्ध की जानकारी मिली और जब मैं वहां गया तो मुझे एक घडी मिली मैं उस घडी को उठा लाया और पुलिस वालों को इक्कट्ठा किया और मैंने कहा तुम्हारी घड़ी पड़ी है? एक कान्स्टेबल ने जिसने यह घड़ी ली उसने मुझे बताया कि जिस समय लाठी चार्ज हो रहा था, एक लाठी इस फीते पर पडी और इसका कांच व फीता टूट गया और उछल कर दूसरी जगह पड गई। मैंने फिर पूछा, किसी प्रदर्शनकारी ने तो नहीं मारी? तो उसने बताया कसाकसी के अन्दर जो लाठी चली उसके अन्दर लगी है

(शोरगुल अश्रव्य)

मैं सही कह रहा हूं वरना यह कहने की आवश्यकता क्या थी मैं इमानदारी से कह रहा हू आप भरोसा रखें या न रखें मैंने सब लोगों से पूछा है किसी ने घडी को झपटा है ...

श्री यशवन्त सिंह नाहर (बनेडा) : इसको दुरुस्त करलें, लाठी की जगह चाकू के वार से तो हो सकता है, लाठी से पट्टा कट गया-यह मैं नहीं मानता हूं। चाकू से तो फीता कट सकता है।

श्री भैरोंसिंह : लोगों ने लाठी मारी और पट्टा टूट गया वह तो अपने आप में जंचने वाली नहीं है। इसलिये यह अच्छा है आपने अपने मुंह से मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य का खण्डन किया कर दिया अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कम से कम आप तो रक्षा करिये। जो जनता यहां रिप्रजन्टेशन लेकर आयें उसको लाठी से न मारा जाय। उनकी वेदना को सुना जाय। अगर उनका प्रतिनिधि मण्डल किसी मंत्री महोदय से बात करना चाहता है तो उनकी बात भी कराई जाय और अगर अध्यक्ष महोदय से मिलना चाहते हैं तो उनको अध्यक्ष महोदय से मिलाया जाय। आखिर धोबी अपनी मांग लेकर आये थे। कोई उनको हमारी यहां धुलाई थोडे ही करनी थी। उनकी मामूली सी मांगें थी-पुलिस

Page No 48

(श्री भैंरोसिंह)

वालों ने धोबी घाटों का एन्क्रोचमेंट कर लिया, वह वापिस दिलाया जाय, उन्हें बैंक से कर्जा दिलाया जाय और धोबी-घाटों के लिये स्थान सुरक्षित किया जाय । ये इनकी मामूली मांगें थी । मुख्य मंत्री जी ने उनकी मांगें मंजूर करली। अब उसके बारे में वे विधान सभा में प्रवेश करके यह चेष्टा करें कि यहां के कार्य संचालन को न चलने दिया जाय, यह बेबुनियाद बात है । इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं समझता हूं उनके लिये यह शोभनीय नहीं है और इस हाउस के लिये भी शोभनीय नहीं है । ऐसे जो प्रदर्शनकारी हैं उनका अगर इस प्रकार का हाल होगा जैसा परसों विद्यार्थियों के साथ किया गया है तो यह लोकतन्त्र की परम्परा के लिये स्वस्थ नहीं है ।

श्री **समरथलाल** : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना है । जैसा कि भैंरोसिंहजी ने कहा मंत्री महोदय उनकी बात को सुनें । अगर मंत्री महोदय उनकी बात सुनने जाते हैं तो प्रदर्शनकारी पत्थर फेंकते हैं ।

श्री **भैंरोंसिंह** : आप जैसे जायेंगे तो यही होगा ।

श्री **मदनसिंह** : आज इन्द्रा गांधी भी तो प्रदर्शनकारियों के सामने जाती हैं । आपको क्यों डर रहता है ?

श्री **बरकतुल्ला खां** : मैंने सिटी मजिस्ट्रेट से इन्क्वायरी कराई है और जो इन्क्वायरी कराई उस पर पुलिस वालों ने जो रिपोर्ट की है उसकी भी मैंने सिटी मजिस्ट्रेट से जांच कराई है । उसमें यह कहना, मेरा हाथ था गलत है । मैं तो यह कह सकता हूं पुलिस ने ज्यादा से ज्यादा अपने आपको कानून में रखा है । और इस सदन की मर्यादा रखने के लिये लोगों को विधान सभा के अन्दर आने देना उचित नहीं है । यह डेमोक्रेसी है माबोक्रेसी नहीं है । उनको सदन में घुसने का अख्तियार नहीं है । कल भी यह वाकया हुआ था कि कुछ लोगों ने गेलेरी में बैठकर नारे लगाये । तो सदन की इज्जत को कायम रखते हुए किया गया है ।

श्री **मदनसिंह** : आपकी इन्फार्मेशन के लिये कहता हूं आप लोगों-कांग्रेस के सदस्यों ने ही उनको फार्म भर कर दिया था ।

श्री **बरकतुल्ला खां** : सदन की मान्यता को बरकरार रख, सदन की मर्यादा भंग न हो इसलिये किया गया था ।

श्री **देवीदत्त गाड़िया** : आपने जो यह कहा.

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर !

श्री **देवीदत्त गाड़िया** : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न महत्वपूर्ण है ।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य आपके सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं । जन गणना विभाग के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य . . .

(शोरगुल व्यवधान)

श्री **देवीदत्त गाड़िया** : अध्यक्ष महोदय, प्रदर्शनकारियों के तो बयान तक नहीं लिये गये । मजिस्ट्रेट ने जांच क्या की है ?

श्री **अध्यक्ष** : माननीय मुख्य मंत्री महोदय जन गणना विभाग के कर्मचारियों को सेवा से मुक्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर अपना वक्तव्य देंगे ।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय पूरी सूचना नहीं आई है। मैं तीन बजे दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : यस, पोस्ट पोन्ड।

नोहर व भादरा तहसीलों के भूमिहीन किसानों को माह जून, जुलाई, 71 में एलाट की गई भूमि का पट्टा एवं कब्जा न दिये जाने सम्बन्धी

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव में मुख्य रूप से दो मुद्दे उठाये हैं। प्रथम तो तहसील नोहर, भादरा के निवासियों को भूमि आवंटन कर दी थी परन्तु पट्टा नही दिया गया। दूसरा यह है कि करीब एक हजार पट्टे एस. डी. ओ ने अपने पास रख छोडे हैं और भूमिहीनों को पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं मैंने स्वयं उन मुद्दों की बाबत कलेक्टर गंगानगर से जांच कराई है। कलेक्टर गंगानगर ने स्वयं नोहर जाकर जांच की है जिसके परिणाम स्वरूप मुझे यह वताया गया नोहर एस. डी. ओ. द्वारा भूमि आवंटन का कार्यक्रम 1-6-70 को निर्धारित किया गया था परन्तु माननीय सदस्य के लिखित प्रार्थना पत्र आने पर आवंटन का कार्यक्रम 16-6-71 को शुरु किया जाकर 7 अगस्त को सम्पन्न किया गया। भूमि आवंटन के 2377 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं उसमें से 1317 प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिये गये व शेष 1060 प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भूमि आवंटन की गई। अब तक की जानकारी के मुताबिक 750 पट्टे वितरण हेतु पटवारी गण को दिये जा चुके हैं और बाकी के पट्टों के वितरण में देरी के कारण निम्नलिखित बताये गये हैं :—

(1) माननीय सदस्य के आवंटन की कार्यवाही पर हस्ताक्षरों का अभाव।

(2) 6-8-71 तक आवंटन सलाहकार समिति का कार्यक्रम लगातार होने से भूमि आवंटन दरख्वास्तों का फैसला लिया जाना।

(3) एस. डी. ओ. का मेला गोगा मेडी, सीलिंग कार्य एवं गश्त-गिरदावरी के कारण व्यस्त एवं मुख्यालय से बाहर रहना।

इन कारणों के लिये मैंने, कलेक्टर को आदेश दिये हैं, इसकी विस्तृत जांच करें और राज्य सरकार को अवगत करायें। माननीय सदस्य ने रिश्वत देकर पट्टों के दिये जाने की बावत कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स नहीं बतलाया है। इस हालत में मेरे लिये कुछ भी कहना कठिन होगा। यदि माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक केस वतलायें या उसे साबित करने में जांच अधिकारी को सहयोग दें तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुरन्त जांच करेंगे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने यह वताया कि प्रार्थना-पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं होने की वजह से पट्टे देने में देरी हुई तो कोई भी आदमी इस बात को नहीं कह सकता कि अलाटमेंट कमेटी में जो प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जायं उनमें हस्ताक्षर बाकी रहें। कितनी गलत बात है। अलाटमेंट कमेटी की मीटिंग में जितने भूमिहीन काश्तकारों को भूमि अलाट की जाती है या खारिज की जाती है तो वहीं पर दस्तखत हो जाते हैं। यह बिल्कुल झूठ बात सामने रखी है। दूसरे भूमि अलाटमेंट कमेटी द्वारा निर्णय करने के बाद में नियम यह है कि 7 दिन के अन्दर काश्तकार को पट्टा दिया जाना चाहिये और आपने यह फरमाया कि जून में लिखकर देने के बाद कुछ देरी के बाद अलाटमेंट्स शुरू हुए और 8 अगस्त को समाप्त हुए, यह भी गलत है। 17 जुलाई के

(श्री रामचन्द्र आर्य)

बाद कोई भी अलाटमेंटस नहीं हुए । सिर्फ पंजाब से आये हुए जो गलत भूमिहीन बनकर जमीन ली थी उनकी फाइलों पर फैसला किया गया और उनको भी आज ए. डी. एम. से मिलकर एस. डी. एम. ने जो पंजाबी सरदार हैं जिनके पास पीछे भी जमीन उनमें एक आदमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इन्सपेक्टर है इस प्रकार के आदमियों की फाइलों पर 8 तारीख को फैसला किया गया था बाकी तमाम दरख्वास्तें जिस जिस तारीख को मीटिंग हुई और जितने भी सदस्य मौजूद थे दस्तखत किये और एक के भी रहने का प्रश्न नहीं था ।

माननीय अध्यक्ष, महोदय मैं यह भी जानना चाहता हूं कि 5 महीनों के बाद पटवारियों को पट्टा दिया गया जब कि गिरदावरी आज से दो महीने पहले हो गयी थी और फसल काश्त करने के लिये जून और जुलाई के आखिरी सप्ताह तक या अगस्त तक काश्तकार अपनी जमीन पर कुछ काश्त कर सकता है बारानी क्षेत्र में जहां एक फसल पैदा होती है उन काश्तकारों को न तो कब्जा मिला और न पट्टे ही मिले और पट्टे अपने घरों पर दबाकर रखे गये और मैं इस सम्बन्ध में चीफ सेक्रेटरी से मिला और उनको इससे अवगत कराया कि आज आप छापा मारें तो एस. डी. एम. के घर पर एक हजार के करीब पट्टे बरामद किये जा सकते हैं । उन्होंने आश्वासन भी दिया । अब कौनसी अडचन सामने आई ? क्योंकि उसने एक लाख रुपया कम से कम कमाया और उसको जयपुर बुलाया गया और मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि वह यहां रिश्वत देकर गया है । अब वह चाहे XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर-एक्सपन्ज्ड

श्री रामचन्द्र आर्य : ... लेकिन उसने पट्टे रखे और आप यह उत्तर दें कि कोई प्रमाण पेश करें । अध्यक्ष महोदय, रिश्वत ली गयी तो अलग से कार्यवाही की जा सकती है । अध्यक्ष महोदय, एक हजार पट्टे 5 महीनों तक अपने पास रखे और आज भी पटवारी के पास पट्टे सौंप देने की बात कही है और काश्तकारों के पास आज भी पट्टे नहीं गये हैं । इससे बडा प्रमाण नहीं हो सकता और इससे बडा प्रमाण चाहते हैं तो दुनियां में कोई भी आदमी प्रमाण पेश करने के लिये तैयार नहीं होगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यदि आप में थोडी बहुत भी इन्सानियत है-रही तो नहीं है अगर बाकी बच गयी है थोडी बहुत भी तो उसका फोरन असेसमेंट किया जाकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिये और अदालत में उसको खडा करना चाहिये क्योंकि वह व्यक्ति पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेन्ड रहा और आज भी उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है ।

एक माननीय सदस्य : भूख हड़ताल कर दो ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं भूख हडताल ऐसी सरकार के सामने नहीं करता । किसके सामने भूख हडताल करें जिसकी कि कोई नैतिकता ही नहीं हो । नैतिकता हीन सरकार के सामने भूख हडताल करना अपने आपको समाप्त करना पडता है । मैं भूख हडताल अध्यक्ष महोदय के फैसले के खिलाफ कर रहा था । सरकार से तो

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानसार कार्य विवरण से शब्द निकाला गया ।

(श्री रामचन्द्र आर्य)
मैं जानना चाहता हूं कि यह सरकार भ्रष्टाचार की पोषक है और इन्होंने भ्रष्टाचार को इतना ज्यादा पनपाया है जब कि जीता जागता सबूत रेवेन्यू मिनिस्टर के पास मौजूद है

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अविश्वास का प्रस्ताव आरहा है उस समय खुलकर बोल सकेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : हम उम्मीद तो यह करते थे कि उसको मोअत्तिल किया जायेगा अगर उसको मोअत्तिल कर देते तो मैं भी समझता कि आपके अन्दर पानी बचा है या पानी आपका मर चुका है। आप लोगों ने नाजायज़ काम नौकरशाही से कराये इसलिये ही आज आप दब रहे हैं नहीं तो कौनसा कारण है? आपके हाथ में सत्ता है जो बेईमानी करता है, चोरी करता है, पकड़ा जाता है उसको सजा मिलनी चाहिये। यहां सदन में 184 माननीय सदस्य जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं और यहां सवा दो करोड़ जनता के भाग्य का फ़ैसला होता हैं। मैंने इतना बड़ा केस इनके सामने रखा क्या नतीजा निकला? कलैक्टर से जांच करा रहे हैं। क्यों नहीं एन्टीकरप्शन से या सी. आई. डी. के अधिकारियों से कराते? उन काग़ज़ों को ज़ब्त क्यों नहीं किया। सब आपस में चोर और चोर चोर मौसेरे भाई। कलैक्टर क्या करेगा एस. डी. एम. की जांच?

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज सरकार के सामने अविश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ है और इस अविश्वास के प्रस्ताव के पेश होने के कारण यही है

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : इन लोगों ने व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाली।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अविश्वास का प्रस्ताव आ रहा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या इनको मालूम नहीं है कि वह भ्रष्टाच है। पांच-पांच रुपया लेते हैं। अंधा बांटे सीरणी फिर अपने अपने को दे। फिर यहां पर लोग उनकी पैरवी करें।

श्री हंसराज आर्य : यह बिलकुल झूठ है और मैं कोई पैरवी नहीं करता।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप पैरवी नहीं करते तो क्यों नहीं उसका विरोध करते?

श्री हंसराज आर्य : मेरा धंधा नहीं है पैरवी करने का।

श्री रामचन्द्र आर्य : उसने पट्टों को दबाया, और हरिजनों के खिलाफ़ फ़ैसले किये तो आपने क्यों नहीं रेवेन्यू मिनिस्टर को कहा? क्योंकि आप सत्ता में बैठे हो। आपके भादरा की जमीन भी अलाट हुई है

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषण समाप्त करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रेवेन्यू मिनिस्टर और मुख्य मन्त्री महोदय को चाहिये कि इसकी जांच कलैक्टर से नहीं करा कर यहां के सी. आई. डी. द्वारा करानी चाहिये तब तो मैं सन्तोष करूंगा और अगर ऐसा नहीं करते हैं और खाली स्टेटमेन्ट देकर

(श्री रामचन्द्र आर्य)
जाना चाहते हैं तो नादिरशाह की हुकूमत भी चली गयी और तुमको भी चला जाना पड़ेगा। 29 आदमी ठोकरें खाते फिरते हैं इसलिये मुझे इस बात का अफ़सोस नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह उचित नहीं है।

श्री **अध्यक्ष** : आप समाप्त करें माननीय सदस्य !

श्री **रामचन्द्र आर्य** : इसके बारे में दुबारा परसरामजी घोषणा करें।

श्री **दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : अध्यक्षजी, यह एक इतना महत्वपूर्ण मामला है कि एक हज़ार साठ या कितने अलोटीज़ बताये माननीय मन्त्रीजी, इतने लोगों को अलाटमेन्ट किया गया । जब अलाटमेन्ट किया गया तो फ़सल का मौक़ा था उस समय फसल काश्त करने के लिये भूमि अलाट की गई थी परन्तु उन्हें आवन्टन आदेश व क़ब्जा नहीं दिया गया । एस. डी. ओ. की इस कार्यवाही से फसल का समय निकल गया लेकिन न तो काश्तकार को भूमि का क़ब्ज़ा दिया गया और न पट्टे दिए गए । एक हज़ार साठ परिवार काश्त से महरूम रह गए। गवर्नमेन्ट को लैण्ड रेवेन्यू का नुक़सान हुआ, एक हज़ार साठ भूमिहीन परिवार काश्त करते तो कितना लैण्ड रेवेन्यू गवर्नमेन्ट को मिलता और इसके अलावा गवर्नमेन्ट की रेपूटेशन कितनी गिरी है। लोगों में अविश्वास की भावना कितनी पैदा हुई है? गवर्नमेन्ट का कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता जो घोषित किया जाता है। गवर्नमेन्ट ने घोषणा की कि भूमिहीनों को ज़मीन दी जाएगी उसका सेबोटेज़ किया गया, उसके बाद अब इन्क्वायरी किस चीज़ की बाक़ी रह गई है । मन्त्रीजी, अब आप किस की इन्क्वायरी कराना चाहते हैं। इससे बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का क्या हो सकता है। एक अधिकारी इतने समय तक पट्टे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, भूमि का पजेशन नहीं दे, काश्त का समय निकल जाय, एक हज़ार साठ परिवार बिना काश्त के रह जांय, गवर्नमेन्ट को लैंड रेवेन्यू का नुकसान हो, देश को अनाज की हानि हो जाय और आप कहते हैं कि हम इन्क्वायरी करा रहे हैं । आप कहते हैं कि वह दूसरे कामों में लगा हुआ था, तो क्या यह काम दूसरे कामों से ज्यादा प्रायरिटी का नहीं था । आख़िर दूसरा काम क्या था? अलाटमेन्ट जब हो गया तो उसी समय आर्डर देना चाहिये था । पटवारी को कि मौक़े पर निशानदेही करके पजेशन दे। विदिन सेवन डेज या 8 दिन में पटवारी को मौक़े पर निशानदेही करके काश्तकारों को क़ब्ज़ा दे देना चाहिये, इस प्रकार के आदेश होने चाहिये थे लेकिन जान बूझ कर, इरादतन ऐसा नहीं किया गया । इसके बाद अब आप क्या इन्क्वायरी कराना चाहते हैं । हज़ार साठ आदमी बिना फ़सल बोये रह गए यह इस बात का सबूत है कि अधिकारी ने जामबूझकर कर ग़लत काम किया है। इसलिये मैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि उन्हें सख्त से सख़्त, इस अधिकारी के ख़िलाफ़, एक्शन लेना चाहिये ।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट में निवेदन

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

कर देता हूं। हमारे यहां पर जब अलाटमेन्ट हुआ था, बानसूर क्षेत्र में तो अलाटमेन्ट होने के बाद रातों रात पट्टे तैयार कर दिए गए थे। और पट्टे तैयार कर पटवारी को दे दिये गए थे और पजेशन दे दिया गया था। यह ऐसा मामला है कि जिसमें पांच-पांच महीनें तक पट्टे पड़े रहें और लोगों को पजेशन नहीं दिया जाय, यह बहुत गम्भीर मामला है। आप कहते हैं कि दस्तखत नहीं हुए तो इसमें दस्तखत क्या होने हैं। कोई मेम्बर नहीं पहुंचता है तो भी अलाटमेन्ट हो जाता है। तहसीलदार नहीं हो तो एस. डी. ओ. सेन्कशन कर देते हैं। इसलिये यह पांच पांच महीने तक कागज़ पड़े रहे हैं तो यह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नमूना है। इसलिये मैं मिनिस्टिर साहब से निवेदन करूंगा कि इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मन्त्रीजी।

श्री अचलाल (हिन्डौन) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट के लिये। मैं एक जानकारी चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज से कुछ दिन पहले जब कि भीखाभाई समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट पर अपना जवाब दे रहे थे तो उस समय मन्त्री महोदय श्री भीखाभाई ने सदन के समक्ष यह कहा था कि 99 परसेंन्ट क़ब्जे दे दिये गए हैं। जब कि आज रेवेन्यू मिनिस्टर साहब यह कह रहे हैं कि एक हजार से ऊपर पट्टे एक जिले की एक तहसील के अन्दर ही नहीं दिए गये हैं। तो हम क्या यह समझें कि रेवेन्यू मिनिस्टर जो कुछ कह रहे हैं वह गलत है या परसों जो भीखाभाई ने जवाब दिया था वह झूठा था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर ! राजस्व मन्त्रीजी।

श्री **परसराम मदेरणा** (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने अक्टूबर के महीने में, शायद अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में इसी पट्टे नहीं देने के मामले में एक आवेदन-पत्र मुख्य सचिव को दिया था। मुख्य सचिव ने उसी वक्त उस पर आदेश दिया कि एण्टी-करप्शन द्वारा इस पर जांच होनी चाहियें और उन्होंने डी. आई. जी., एण्टी-करप्शन से टेलीफोन पर बात की कि इस प्रकार की कम्पलेंट आई है इसलिये इमीजियेटली मौके पर जाकर इसकी जांच होनी चाहिये। एण्टी-करप्शन के डी. आई. जी. ने जो उस रेंज के एडीशनल एस. पी. एण्टी-करप्शन हैं उसको इमीजियेटली जांच करने के लिये आदेश दिया। लेकिन दुर्भाग्य से, अध्यक्ष महोदय, वह एण्टी-करप्शन के एडीशनल एस. पी. उस वक्त छुट्टी पर थे इसलिये जांच नहीं हो सकी।

फिर माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव के जरिये इस मुद्दे को यहां पर उठाया, तो जल्दी से जल्दी कराने के लिये व्यवस्था की गई। मैंने जानकारी की कि एण्टी-करप्शन के एडीशनल एस. पी. छुट्टी से वापिस आए या नहीं। यह इसलिये भी आवश्यक समझा गया कि एण्टी-करप्शन की जांच तो अभी इतनी जल्दी में मुकम्मिल तौर पर नहीं हो सकती थी इतने थोड़े समय के अन्दर, और माननीय सदस्य ने जो मुद्दा यहां उठाया है उसका समाधान करने के लिये यह उचित

(श्री परसराम मदेरणा)
समझा गया कि जिलाधीश द्वारा इसकी जांच की जाय। 11 तारीख की रात को जिलाधीश वहां पहुंचे और उन्होंने कागजात देखे और कागजात देखने के बाद उन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भेजी है। अभी तक जांच पूरी नहीं हो सकी है। यह मैं मानता हूं कि जब 1060 व्यक्तियों को जमीन का अलाटमेंट हो चुका और वह 13923 बीघा भूमि थी जिसका अलाटमेंट किया गया था तो टाइमली उसके पट्टे दे दिये जाते तो निश्चित रूप से इस फसल से काश्तकार महरूम नहीं रहते। इसमें कोई दो राय नहीं है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अगस्त की बात कही गई है वह सही नहीं है। जुलाई में कुछ को भूमि का आवन्टन किया गया था और अब तक उनको पट्टे दे देने चाहिये थे और इसीलिये जिलाधीश ने सारे कागजात अपने कब्जे में ले लिये हैं और वे इसकी जांच कर रहे हैं।

तीसरी बात यह कही गई कि मीटिंग के अन्दर माननीय सदस्य उपस्थित न हों तो भी अलाटमेन्ट आर्डर पर दस्तख़त हो जाते हैं। यह बात सही है कि जो मीटिंग दि. 21-6-71 और 11-7-71 को हुई उनमें माननीय सदस्य स्वयं मौजूद थे। वे सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थित थे लेकिन उन्होंने एक पत्र पर तो दस्तखत किए लेकिन एक्चुअली जो अलाटमेन्ट की प्रोसीडिंग थी उस पर उन लोगों ने दस्तखत नहीं किए। कुछ पर किए और कुछ पर नहीं किए। जैसा कि एस. डी. ओ. ने कलैक्टर को बताया कि वे माननीय सदस्य का इन्तज़ार कर रहे थे कि उनके दस्तखत हो जावें तो दस्तखत होने के बाद पट्टे वितरित किए जावें। यह कलैक्टर का वरशन है। इसके अलावा किस किस तारीख को पटवारी को पट्टे इश्यु कर दिए गए हैं इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। अब तक 750 पट्टे पटवारी को वितरण हेतु दिए जा चुके हैं इस लिये एक हज़ार पट्टे तो पैन्डिंग नहीं हैं।

श्री दौलतराम सारण : पटवारी को कब दिए?

श्री परसराम मदेरणा : अलग अलग डेट्स हैं इसकी।

श्री दौलतराम सारण : आप तो कोमन डेट बता दीजिए। फसल निकलने के बाद पट्टे देने का क्या सेन्स है।

श्री परसराम मदेरणा : सेन्स वेन्स की बात तो मैं नहीं कहता। कुछ पट्टे अक्टूबर में दिए गए हैं। (विराम) ज्यादातर पट्टे 1 से 10 तारीख के बीच में दिए गए हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : बीच में मैं एक बात कह देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें। पहले उन्हें कहने दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : उसके बाद माननीय सदस्य ने एक बात कही कि गिरदावरी समाप्त हो गई थी। मैं इतना निवेदन कर दूं कि मुकम्मिल तौर पर तो गस्त गिरदावरी कम्प्लीट हुई अक्टूबर के एण्ड में ....

श्री रामचन्द्र आर्य : गिरदावरी किस बात की होती ?

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि इस साल जून के अन्त में बारिश हो गई थी और जुलाई के शुरू में बाढ़ आ गई थी तो 15 जुलाई तक तो काश्त होना मुश्किल था। इतना मैं जरूर मानता हूं कि यदि जल्दी से जल्दी पट्टे दे दिये जाते तो फिर भी काश्तकार फसल से महरूम नहीं रहते।

यहां पर पट्टे घर में दबा कर रखने की बात कही गई। कितने पट्टे दबा कर घर पर रखें, किस किस आदमी से रिश्वत ली, किससे नहीं ली और किससे मांगी, इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर को हिदायत की गई है कि जो पट्टेदार हैं और जिन्होंने शिकायत नहीं की है उनसे भी पूछा जाना चाहिये, कोई आदमी किसको पट्टा मिलने वाला है कोई आदमी पूछने नहीं जाएगा वह सामने आने वाला नहीं है, इसलिये, उनसे भी जानकारी की जानी चाहिये, इस तरह का मुद्दा रख रहे हैं।

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इस इन्क्वायरी को पन्द्रह दिन के अन्दर समाप्त करने के आदेश दे रहा हूं और पन्द्रह दिन के अन्दर चूंकि सदन तो एडजोर्न हो जाएगा, मैं सदन को कोन्फिडेन्स देना चाहता हूं कि अगर जांच से अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री दौलतराम सारण : इससे बड़ा सबूत आप और क्या चाहते हैं। यह बिल्कुल साफ़ है कि अलाटमेन्ट फ़सल से पहले हुआ, फ़सल का समय निकलने के बाद अक्टूबर में पटवारी को पट्टे दिए गए और जिससे फसल नहीं बोई जा सकी, सरकार को लैण्ड रेवेन्यू का नुकसान हुआ, इसके बाद आप और क्या जानना चाहते हैं।

मुझे खेद है आपके इस व्यवहार पर।

श्री रामानन्द आर्य: दो मिनिट, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : देखिये, मेरे पास समय कम है। अभी विद्युत् मण्डल पर विवाद होना है आप उसका समय छीन रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : अब मैं समय नहीं दूंगा। यह समाप्त हो गया। दूसरा एडजोर्नमेन्ट मोशन लेने दीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं एक जानकारी करना चाहता हूं। कम से कम जो स्टेटमेन्ट दे...

श्री अध्यक्ष : मेरे पास अभी दो स्टेटमेन्ट और हैं...

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह कहना चाहता हूं कि एस. डी. ओ. ने यह जो बात कही है..

श्री अध्यक्ष : सदन का समय जा रहा है.....

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

× × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार शब्द निकाले गये।

Page No 56

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाये ।

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

तहसील मांगरोल, शाहबाद, किशनगंज, बारां अटरू, दीगोद व पीपलदा जिला कोटा में अतिवृष्टि से क्षति सम्बन्धी वक्तव्य

दूसरा वक्तव्य मन्त्री महोदय ! तहसील मांगरोल, शाहबाद ।

श्री **परसराम मदेरणा** (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है, उसमें उन्होंने यह लिखा है कि कोटा जिले में माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर, 1971 में अतिवृष्टि के कारण कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और जिला कोटा की अटरू, लाडपुरा, किशनगंज, मांगरोल, पीपलदा, रामगंजमंडी व शाहबाद तहसीलों में नुकसान हुआ । जिलाधीश द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 125 गांवों में बाढ़ एवं अतिवृष्टि का प्रभाव हुआ है। तहसील बारां, दीगोद में बाढ़ से कोई नुकसान नहीं हुआ व अटरू तहसील में केवल एक गांव में 70 व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित हुए । तहसीलवार प्रभावित गांवों की संख्या, प्रभावित जनसंख्या, बाढ़ से मरने वालों की संख्या एवं प्रभावित पशु संख्या इस प्रकार है:-

क्रमांक	नाम तहसील	प्रभावित ग्राम सं.	प्रभावित जन सं.	मरने वालों की सं.	प्रभावित पशु संख्या
1.	अटरू	1	70	–	1
2.	लाडपुरा	6	628	2	–
3.	किशनगंज	14	875	6	161
4.	मांगरोल	13	–	–	–
5.	पीपलदा	6	450	1	53
6.	रामगंजमंडी	–	–	2	–
7.	शाहबाद	85	5105	–	329

बाढ़ के कारण जो मकान गिरे हैं उनकी स्थिति इस प्रकार है : शाहबाद तहसील 208, किशनगंज 390, पीपलदा 111, लाडपुरा 125 । बाढ़ से क्षतिग्रस्त लोगों को तत्काल राहत देने के लिये जिलाधीश को दस हजार रुपया एक बार एवं बाढ़ ग्रस्त मकानों के लिये अनुदान हेतु 1.50 लाख रुपये की धनराशि दी जा चुकी है। पेय जल के कुओं की मरम्मत हेतु 5 हजार रुपया तथा मुख्य मंत्री सहायता कोष से लोगों को कपड़े, दवाइयां आदि के लिये 15 हजार रुपया का प्रावधान दिया जा चुका है । 20 हजार रुपयों का प्रावधान मुख्य मंत्री सहायता कोष से और दिये जा रहे हैं । इस प्रकार जिलाधीश को उनकी मांग एवं आवश्यकता के अनुसार धनराशि दे दी गई है । जिलाधीश ने बाढ़ग्रस्त मकानों के लिये लोगों को धनराशि के वितरण हेतु 55 हजार रुपया परगना अधिकारी, कोटा को तथा

×××अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार शब्द निकाले गये ।

(श्री परसराम मदेरणा)

30 हजार रुपये परगना अधिकारी, बारां को आवंटित कर दिये हैं जिसमें से वे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निम्न मापदण्ड के आधार पर राशि का वितरण कर रहे हैं :

	रु. तक
बह गये एवं क्षतिग्रस्त मकानों के लिए	300/-
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त	100/-

जिन जिन लोगों पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा है, ऐसे लोगों को एक सप्ताह का मुफ्त भोजन देने की जिलाधीश ने व्यवस्था की है। 512 परिवारों के 3788 व्यक्तियों को इसका लाभ मिला है और इस पर 14254.12 पैसे का खर्चा हुआ है..........

श्री देवीदत्त गाड़िया : कितना खर्चा हुआ है ?

श्री परसराम मदेरणा : 14254.12 पैसे।

खरीफ की फसलों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है और गिरदावरी होने के बाद ही वस्तु-स्थिति का सही अनुमान हो सकेगा। तथापि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जिन गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक फसलों को नुकसान हुआ है, वहां भू-राजस्व वसूली स्थगित कर दी गई है। सड़कों एवं तालाबों की मरम्मत के लिये संबंधित मुख्य अभियन्ता को फिलहाल 10-10 लाख रुपये का प्रावधान दिया गया है। नुकसान का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जाकर केन्द्रीय सरकार को मेमोरन्डम के रूप में भेजा जा चुका है और केन्द्रीय अध्ययन दल के आने के बाद केन्द्रीय सरकार से जो कुछ धनराशि प्राप्त होगी उसके अनुसार बाढ़ग्रस्त तालाबों एवं सड़कों की मरम्मत के लिये प्रावधान दिया जा सकेगा। केन्द्रीय अध्ययन दल दिनांक 14 नवम्बर याने कल से राज्य का दौरा कर रहा है। इस दौरे के बाद ही प्रावधान प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जा सकेगी। तथापि सड़कों एवं तालाबों की तत्काल मरम्मत के लिये कुछ अस्थायी गेंगें लगा दी गई हैं और इस प्रकार लोगों को फिलहाल रोजगार मिल रहा है। राज्य सरकार को बीमारी एवं भूखमरी से किसी के मरने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और न ऐसे मामले अभी तक सामने आये हैं। बाढ़ से बीमारी न फैले इसकी रोकथाम के लिये सभी सम्भव कदम उठाये गये हैं। लोगों को उचित मूल्य पर काठ, कपड़ा आदि प्राप्त हो सके इसके लिये जिला प्रशासन ने वन विभाग से मिल कर आवश्यक कदम उठाये हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं और लोगों को सभी प्रकार की सुविधा देने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गाड़िया। अत्यन्त संक्षेप में।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जिस ढंग से वक्तव्य दिया है, वह वक्तव्य न तो सन्तोषजनक है और न राज्य सरकार की दक्षता का ही प्रतीक है। अध्यक्ष महोदय, माह जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर के महीने तक कोटा जिले की तहसीलें किशनगंज, शाहबाद, बारां, मांगरोल, फलोदी, अटरू, रामगंज मण्डी, इन इलाकों के अन्दर और जिसके अन्दर विशेष रूप से

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
तहसील किशनगंज, शाहबाद जो आदिवासी इलाका है, तहसील पीपलदा और बारां व मांगरोल इन इलाकों के अन्दर चार महीनों के अन्दर अतिवृष्टि के कारण तथा किशनगंज में करीब 87 इन्च वर्षा हुई है। यह सरकारी रिकार्ड है और इसी प्रकार बारां, मांगरोल और अन्य लाकों के अन्दर करीब 77 इन्च वर्षा हुई है। भयंकर वर्षा और बाढ़ के कारण अध्यक्ष महोदय.........

श्री अध्यक्ष : क्या ये सरकारी आंकड़े हैं, सही हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : जी हां।

श्री अध्यक्ष : तब फिर आगे चलिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस भयंकर वर्षा के कारण जितनी भी नदियां थीं, पार्वती नदी और काली सिन्ध नदी और दूसरी जितनी भी नदियां थीं उनमें इतनी भयंकर बाढ़ आई कि किशनगंज, शाहबाद की आबादी, देवली, समरनिया, शाहबाद, सून्डा और रामनगर, करवेन, वोन्डरा, इन गांवों के अन्दर अध्यक्ष महोदय, लगातार 7-7, 8-8 रोज तक पानी रहा और इस कारण गांव के लोग अपनी जिन्दगी बचाने के लिये पेड़ पर चढ़ गये, गांव में कोई ऊंचा मकान था तो उस पर चढ़ गये, पेडों पर ही चढ़े रहे जब तक कि पानी नहीं उतरा।

श्री अध्यक्ष : यह सब सरकार भी मानती है। आगे चलिये। तथ्यों का स्पष्टीकरण मांग लीजिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो पीड़ित इलाके हैं, किशनगंज और खतोली के अन्दर डेढ़ महीने तक कोई भी अधिकारी नहीं गया है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अक्टूबर के महीने तक जिलाधीश, कोटा ने किशनगंज, शाहबाद के पीड़ित क्षेत्रों का दौरा नहीं किया, उस पीड़ित क्षेत्र के अन्दर जाकर निरीक्षण नहीं किया और न राज्य सरकार ने अक्टूबर महीने तक किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता ही दी जबकि उस क्षेत्र में के जन प्रतिनिधियों ने पंचायत समिति के प्रधान ने विधायकों ने राज्य सरकार को तार दिया था, और राज्य सरकार ने कोई आर्थिक सहायता नहीं दी। और उस इलाके में आदिवासी सहरिया लोग किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र के अन्दर 20 आदमी मरे जिनमें से 5 आदमी एक सरदार परिवार के मरे और बाकी आदिवासी सहरिया जंगल के अन्दर झोंपड़ी बनाकर रहते थे वे बाढ़ की चपेट में आकर बह गये और राज्य सरकार ने आज तक उसकी जांच नहीं की।

श्री अध्यक्ष : उड़ीसा की बाढ़ से भी भी ज्यादा थे क्या ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, आपको वेदना नहीं हो सकती है, राज्य सरकार को वेदना नहीं हो सकती है और यदि इस बात को इतने हलकेपन से लिया जाता है तो मेरी आत्मा में बड़ी वेदना होती है। राज्य सरकार के मंत्री-मण्डल के माननीय मुख्य मंत्रीजी, राजस्व मंत्रीजी राजस्थान के एक-दो इलाकों के अन्दर जहां पर बाढ़ आई है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) वहां पर गये हैं, लेकिन इस इलाके के अन्दर आज तक मंत्री-मण्डल का एक भी सदस्य नहीं पहुंचा है।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

साथ ही साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूँ कि इस कोटा जिले के अन्दर भयंकर बाढ़ के कारण, भयंकर वर्षा के कारण करीब चार करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। उससे सड़कें टूटी है, सरकारी घर गिर गये हैं, लोगों के सैंकड़ों मकान कच्चे और पक्के गिरे हैं और सारी की सारी खरीफ की फसल नष्ट हो गई है उनका लगान स्थगित कर दिया जाय। लगान स्थगित करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। मैं माननीय मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मेरी यह मांग है कि जो कोटा जिले में बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ है, खरीफ की फसल नष्ट हुई है उस इलाके का लगान माफ करने की घोषणा करें। और जो सहायता की बात करते हैं तो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक जिलाधीश ने कोटा जिले के जन-प्रतिनिधियों, एम. पी., एम. एल. ए., प्रधान और प्रमुखों की मीटिंग नहीं बुलाई है और न इस संबंध में विचार-विमर्श किया है। माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि आर्थिक सहायता की घोषणा की है तो राज्य सरकार ने जो सहायता दी है वह किस किस समय दी है और कितने कितने रुपये दिये गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी से मांग करता हूं कि उस पीड़ित इलाके को यदि आप सहायता देना चाहते हैं तो जो आदिवासी सहरिया बेघरवार हो गये हैं, जिनके पास खाने का दाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को झोंपड़ी नहीं है, वे आज भूखों मर रहे हैं, परन्तु राज्य सरकार ने इस मामले में आज तक बात नहीं की। तहसीलदारों ने जो गांवों की सूची दी है वह वहीं बैठकर दी है और तहसीलदारों ने आज तक गांवों का दौरा नहीं किया है। इसका एक कारण है कि सितम्बर तक वर्षा हो जाने के कारण वे गांवों में जा नहीं सकते थे। रास्ते रुके हुए थे नदियों के कारण और अध्यक्ष महोदय, किशनगन्ज-शाहबाद के इलाके के अन्दर आज स्थिति यह है कि सिंचाई के जो बांध थे–आनासागर का बांध, गडरा का बांध, जिनसे हजारों बीघा सिंचाई होती थी वह सिंचाई उन बांधों के टूट जाने के कारण··

श्री अध्यक्ष : मेरे धैर्य का बांध टूट रहा है

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपके धैर्य का बांध टूट रहा है और धैर्य की सीमा हमारी भी समाप्त हो रही है।

इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किशनगंज-शाहबाद में पीने के पानी के जो तालाब थे वे बाढ़ के कारण सारे के सारे टूट गये और गांवों के अन्दर पीन के पानी के कुए नहीं हैं, और उन गांवों में आदिवासी सहरिया अनुसूचित जन-जाति के लोग व दूसरे जो लोग हैं उनको 12-12 मील से पानी लाना पड़ता है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पीने के पानी के तालावों का तुरन्त मरम्मत कराई जाय और एक निश्चित धनराशि सिंचाई विभाग और पंचायत समितियों को दें। साथ-साथ ही सिंचाई के तालाव जी टूट गये हैं उनकी भी तुरन्त मरम्मत कराई जाय। यदि सिंचाई के तालाव ठीक नहीं हुए तो सारी की सारी जो रबी की फसल है वह तो नष्ट हुई है लेकिन आगे भी नष्ट होगी।

अध्यक्ष महोदय, वहां की सड़कों की हालत ऐसी है कि आज भी उन सड़कों पर कोई नहीं

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

जा सकता है और उन सड़कों के कारण सारा यातायात अवरुद्ध हो रहा है। इस कारण से गांव के लोग न तो कलेक्टर के पास जा सकते हैं और न एस. डी. ओ. के पास जा सकते हैं और न सरकारी अधिकारी गांवों तक जा सकते हैं इस कारण से उस इलाके में डकैतिया हो रही है, इसलिये सड़क की मरम्मत के लिये पर्याप्त धन राशि तय की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। एक बात यह कहना चाहता हूं..

श्री अध्यक्ष : इससे ज्यादा क्या अधिक होगा?

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय मंत्री जी ने कहा कि बारां तहसील में कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अतिवृष्टि के कारण 77 इंच वर्षा के कारण बारां तहसील के क्षेत्र मान्धना, शेरगढ, वैरवा इस सारे इलाके में खरीफ की फसल नष्ट हो गई है। तना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, कई जगहों पर तो बाढ़ के कारण जो जमीन थी वह दो–दो फीट जमीन खत्म हो गई। पत्थर निकल आये हैं। जिन किसानों की जमीन खराव हो गई है उन किसानों को आजीविका-पालन के लिये दूसरी जमीन दी जानी चाहिये। यह मेरी राज्य सरकार से मांग है। इतना ही नहीं...

श्री अध्यक्ष : मुझे लगता है माननीय सदस्य रात के 9-10 बजे तक सदन को बिठाना चाहेंगे।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने यह कहा कि बाढ़-पीड़ितों के लिये उस क्षेत्र में आर्थिक सहायता दी है। यह सरकार जो सूचना दे रही है, मैं माननीय अध्यक्षा महोदयसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी सहरिये और अनुसूचित जन-जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं जो कि पीड़ित थे उनमें से कुछ परिवारों को 15-15, 20-20, रुपया सहायता दी है। यह कोई सहायता नहीं है। 15-15, 20-20 रुपयों से तो दो दिन तक गुजारा कर सकते हैं। लेकिन आज उनकी हालत ऐसी है कि आज उनके पास खाने को कुछ नहीं है..

श्री अध्यक्ष : समाप्त कर दें।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं एक बात राजस्व मंत्रीजी से पूछना चाहुंगा कि जो खरीफ की फसल नष्ट हुई है उसका लगान माफ करें। दूसरी मांग मेरी यह है कि जितने ये पीडित परिवार हैं इनको कम से कम 2-2 हजार रुपयों की सहायता दें। साथ ही साथ यह जो रबी की फसल है उसके लिये उन पीडित परिवारों को जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं रहा और खरीदने के लिये कुछ नहीं रहा उनको खेती के लिये खाद और बीज कर्जे से दिलायें, और जितने भी सरकारी कर्जों की वसूली हो, चाहे वह बैंक की हो, चाहे तहसील की हों, चाहे पंचायत समिति की हो, इन सारे कर्जों की वसूली को तीन साल तक रोकें। इसके साथ-साथ उस इलाके के अन्दर जो भी सहायता वितरित की जाय उसके लिये जिलाधीश महोदय वहां के जन-प्रतिनिधि को बुलाकर उनके साथ निर्णय करें तब जाकर कहीं व्यवस्था हो सकती है। आपने जो क्षेत्रीय सहायता कमेटी के बारे में बात कही है मैं पूछना चाहुंगा माननीय मंत्रीजी से कि वह कमेटी कब आने वाली है, वह कब उस क्षेत्र में आयेगी और उसकी क्या व्यवस्था

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

है ? इस सम्बन्ध म मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम आप उस इलाके के अन्दर 20 लाख रुपये तुरन्त किशनगन्ज-शाहबाद, खेतोली, पीपल्दा, बारां, रामगन्ज मंडी और दूसरे पीड़ित इलाकों के लिये • •

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर प्लीज । राजस्व मंत्रीजी ।

श्री **कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो सवाल करना चाहता हूं । मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी करना चाहूंगा कि आपने यह सूचना दी है कि खाने की व्यवस्था की गई है, मकानों के लिये व्यवस्था की गई है तो मैं जानकारी चाहूंगा कि किन किन सेन्टर्स में कब से कब तक खाने की व्यवस्था की गई है और उसमें राजस्थान सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ ? और इस प्रकार की भी आपने जानकारी दी है आज की मकानों को पूरा करा दिया और नुकसान हुआ था उसकी व्यवस्था की गई तो आप जानकारी दें कि किस किस तहसील में मकानों के लिये आपने पेमेन्ट किया है ? तीसरी राज्य सरकार से मैं यह जानकारी चाहूंगा कि आपने यह कहा कि केन्द्रीय अध्ययन दल स्टडी कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने स्वयं ने भी फ्लड के मामले में लास हुआ है और बाढ के कारण साइल इरोजन और इरिगेशन के अन्दर नुकसान हुआ है उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इर्रीगेशन डिपार्टमेंट और पी. डब्ल्यू. डी. ने आपके पास रिपोर्ट भेजी है तथा उस हिसाब से राज्य सरकार सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कितनी राशि मांग रही है और स्टेट गवर्नमेंट ने स्वयं ने एडहाक मदद इन दोनों मदों में इरिगेशन और पी. डब्ल्यू. डी. में कितनी गारन्टी दी है । मैं यह जानकारी चाहूंगा ।

श्री **परसराम मदेरणा** : राज्य सरकार ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट से जो बांध टूट गये हैं, सड़कों की रिपेयर करनी है, जमीन को ठीक करना है उसके लिये 320 लाख 45 हजार रुपये की राशि मांगी है । मेमोरेण्डम दिया है, उसके आधार पर सेन्ट्रल एड जल्दी आनी चाहिये। लेकिन माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि राजस्थान के अलावा बिहार और उत्तरप्रदेश में काफी बाढ आई है । वह राजस्थान के मुकाबले में बहुत ज्यादा है । मैं स्वयं सितम्बर के अन्त में सेण्ट्रल स्कीम के मि. बोहरा हैं, उनसे मिला था । उन्होंने कहा था कि दूसरी स्टेट्स बहुत ज्यादा है ।

(दर्शकदीर्घा से एक दर्शक द्वारा पर्चे फेंके गये तथा नारे लगाये गये)–(व्यवधान)

सेण्ट्रल से 14 ता. को टीम आई है । सेण्ट्रल टीम की रिपोर्ट जायगी । उसके बाद जो अमाउण्ट आयेगा, उसके बाद लार्ज स्केल पर हम कर सकेंगे । जो मकान आदि गिर गये हैं, उनके लिये भी । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है । यह न होते हुए भी फैमिन फण्ड का जो पैसा 10 लाख रुपया था उसमें से और इरीगेशन की मद से साढ़े 3 लाख रुपया कोटा डिवीजन में दिया है । इर्रीगेशन के तालाब टूट गये हैं, उनका पानी रोकने के लिये । यहां पर कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, उनका कहना है कि यह गलत हुआ है । कोटा के कलेक्टर को • • •

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : कोटा कलेक्टर ने कहां रिलीज किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह हमारे पास जानकारी नहीं है। लेकिन मैं कल ही या आज ही माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा।

लगान रोकने के बारे में कहा गया था। यह हम आज उसके बारे में विचार करेंगे। सहरियों के बारे में मैं स्वयं जानता हूं। माननीय सदस्य तो स्वयं प्रश्न उठाते ही हैं लेकिन मेरी भी सहानुभूति है। राज्य सरकार ने उनके बारे में कोई कमी नहीं रखी है। यह बात अवश्य है कि मैं स्वयं नहीं पहुंच सका हूं। इसका मुझे दुःख है। अभी सैन्ट्रल टीम आ गई है, और राजस्थान का भ्रमण कर रही है। 14 ता. से। मैं समझता हूं कि रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी तो दूसरे कार्यों को लिया जायेगा।

पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापितों को चोहटन व शिव तहसील म न बसाने के निर्णय सम्बन्धी चर्चा

श्री अध्यक्ष : पश्चिमी पाकिस्तान से आये लोगों को वसाने के बारे में कुछ प्रकाश डालें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं अध्यक्ष महोदय, दो घन्टे बाद ही इस बारे में कुछ कह सकूंगा।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय.................

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : आप व्यवस्था दें।

श्री नत्थीसिंह : आप ने जानकारी के लिये भेजा था। इस बारे में आप ने कहा था...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव था, उस पर क्या आश्वासन देते हैं ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। नेता महोदय बोल रहे हैं।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी) : मेरे 3 स्थगन स्ताव थे, उन पर कोई व्यवस्था नहीं दी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य श्री बालसिंह सोढ़ा जो जैसलमेर से आये हुये हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। मेरा दल इस सम्बन्ध में बहुत चिन्तित है। विपक्षी दल के अधिकांश माननीय सदस्य भी चिन्तित हैं।

एक माननीय सदस्य : अधिकांश नहीं, सभी हैं।

श्री अध्यक्ष : कोई अपवाद स्वरूप है क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक अध्यक्ष हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने साथ साथ यह भी सुना है कि माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने कोई आदेश दिया है। मैं समझता हूं कि वह आदेश कोई ऐसा नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है, कि दो घन्टे का समय लेना चाहते हैं। उसके अन्दर सारी जानकारी करके निराकरण कर देंगे। इसलिये जो कुछ आप कहें, उसके बाद कह दें।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : अगर अभी 2 मिनिट दे दें तो म बहुत संक्षेप में कह दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं······

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तो अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दिया था। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि जब तक सरकारों की स्थिति है, उनके आदेश दिनों दिन घटते घटते धुरे के अन्दर परिवर्तन हो रहे हैं । ऐसी परिवर्तनशील स्थिति में सरकार की हटधर्मी लेकर, इसे फाल्स प्रेस्टिज के आधार पर लेकर कि भूत पूर्व मुख्य मंत्री के आदेश में कोई तरमीम नहीं की जा सके तो मैं यह कहूंगा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था होगी । जिस प्रकार परिवर्तित परिस्थिति में होती जारही है, उस प्रकार सरकार को भी अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिये । हमने यह सुना है कि शिव और बाड़मेर में आये हुए शरणार्थियों को बसाया ही नहीं जाये । यह भी एक ऐसी व्यवस्था है कि इस पर सरकार को विचार करना चाहिये । अगर परिवर्तित स्थिति है तो उसके अनुसार सरकार को विचार करना चाहिये । यह मानवता का परिवर्तन है ।अगर सरकार कोई नकारात्मक स्थिति रखे तो यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण होगा । शिव, बाडमेर, तहसील में किसी शरणार्थी के रहने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं । केवल मात्र भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने 6 या 10, 12 महीने पहले आदेश दिया होगा तो यह भी मैं अध्यक्ष महोदय, आप को सूचित करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भी वह गम्भीरता पूर्वक विचार करें निष्पक्षता पूर्वक विचार करें । ये शरणार्थी आये हुए हैं, इनके बारे में विचार कराना चाहिये । हमको पाकिस्तान जैसी रीति नीति नहीं अपनानी चाहिये । जो वहां देखते है उसको लेकर लकीर के फकीर होकर चलें तो यह उचित नहीं है ॥ मैं समझता हूं कि वहां को जनता के हितों को संरक्षण दिया जाये । उनको प्राथमिकता दी जाये । शरणार्थियों को दर दर भटकाया जाय, यह उचित नहीं होगा । अगर और कोई निवेदन करना होगा तो माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के पश्चात् जानकारी के लिये मैं और भी प्रश्न करूंगा । लेकिन सरकार के लिये यह शोचनीय है । यह समस्या का हल ढूंढें और शीघ्र से शीघ्र ढूंढें । हमारे माननीय सदस्य कल भूख हड़ताल पर उतरे हुए हैं । उनकी व्यवस्था करें । मैं इतना अवश्य कहता हूं कि सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा तो हमें दूसरा दरवाजा खटखटाने के लिये मजबूर होना पड़ेगा ।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, परसों छात्रों पर लाठी चार्ज कि गया था, उस सम्बन्ध में ···

श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक) : आज भी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय में हड़ताल हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : मैंने मंत्री महोदय को संकेत कर दिया है । यही व्यावहारिक है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल) : अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता ने अभी फरमाया है और आपको भी यह चिन्ता है। विधान सभा के प्रांगण पर वह भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एक मोटी सी बात है।

श्री अध्यक्ष : मोटी सी बात तो है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : दुनियां में ऐसा कौन सा कायदा है· · ·

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय के कहने के पश्चात अबआप क्या कह रहे हैं ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं जानता हूँ कि राजस्थान सरकार किसके कहने पर चल रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : म एक मिनिट भी नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : फिर क्यों लेते है। यह रूप रेखा रख दी गई है। अतिरिक्त नहीं है। सदन के समय का ध्यान रखें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : चलने दीजिये बोलते रहिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपकी अनुमति से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं· · · · · ·

श्री अध्यक्ष : मैं अनुमति नहीं देता हूं, फिर भी बोलते हैं तो बोलते रहिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं केवल यह कहता हूं, ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन है तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं· · · · · ·

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का स्टेटमेंट नहीं आया है, कुछ रूपरेखा नेता महोदय ने दी है, उसको नोट डाउन मंत्री महोदय ने कर लिया है और उस पर आधारित वह स्टेटमेंट देंगे।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे दल के माननीय सदस्य श्री दुर्गालाल बाढ़दार जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं उसका म समर्थन करता हूं। मैं इतना ही निवेदन करता हूं, कल शाम को मंत्री महोदय मेरे साथ लिफ्ट में नीचे तक गये थे, उस समय उन्होंने संकेत दिया था कि आज सुबह तक मंत्री महोदय इस स्थिति में होंगे कि कोई न कोई इस समस्या के लिए स्टेटमेंट दे देंगे। मैं चुप बैठा हुआ था। मैं समझता हूं, उदारता और सहनशीलता जनतंत्र के अन्दर परमावश्यक है और इस सिद्धान्त को लेकर मैं सब्र के साथ बैठा हुआ था। मैं आशा करता हूं, कोई न कोई मंत्री महोदय उत्तर देंगे लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट पर डिबेट शुरू होती है उस डिबेट के दौरान वह डिबेट स्थगित की जाय और फिर मंत्री महोदय की ओर से वक्तव्य दिया जाय–यह व्यवस्था मेरी समझ में नहीं आती है। इसलिये कृपा करके कोई न कोई व्यवस्था आप ., संकेत दें ताकि मुझे संतोष हो जाय कि जो मंत्री महोदय आश्वासन दे रहे हैं वह निरर्थक है, झूंठा है आश्वासन या तथ्यपूर्ण आश्वासन है। इस आश्वासन पर भरोसा करूं या नहीं करूं क्योंकि आश्वासन हजारों दिये जाते हैं जो नाम मात्र के आश्वासन होते हैं। इसलिये कोई न कोई विशेष आश्वासन के रूप में आश्वासन दिया जाय, और मुझे आश्वस्त किया जाय तो मैं समझूंगा कि यह

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

आश्वासन है, नहीं तो यह निरर्थक आश्वासन होगा।

श्री अध्यक्ष : (श्री सुरेन्द्र व्यास के खड़े होने पर) यस !

छात्रों के ऊपर हुए ला ी चार्ज के संबंध में वक्तव्य दिये जाने की मांग।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, परसों छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, उसके संबंध में आसन को माननीय भैरोंसिंह जी ने जानकारी दी थी और उस पर चर्चा भी हुई थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, राज्य सरकार की ओर से कोई भी वक्तव्य अभी तक इसके विषय में नहीं आया है। आज फिर हड़ताल विश्वविद्यालय के अन्दर रखी गई है और जुलूस बना कर स्टूडेंट असेम्बली की तरफ आ रहे हैं, वह पहुंचने वाले हैं, या आ गये हैं। इस प्रकार की स्थिति बनी है कि छात्रों के अन्दर टेंशन बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के दस हजार लड़के एक लाठी चार्ज के मसले को लेकर स्ट्राइक करें, जब कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने परसों के रोज यूनिवर्सिटी के ऊपर डिबेट का उत्तर देते हुए उदारतापूर्वक छात्रों की वाजिब और रीजनेबल डिमाण्ड्स को स्वीकार किया था, उसके बाद भी एक छोटी सी बात को लेकर छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। उसके कारण से छात्रों में टेंशन पैदा हुआ है। मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को निर्देश दें, मुख्य मंत्री को निर्देश दें कि मुख्य मंत्री जी इस बारे में वक्तव्य दें ताकि छात्रों की उद्विग्नता शांत हो सके और उनको मालूम हो सके, माननीय सदस्यों को मालूम हो सके कि किन किन परिस्थितियों में लाठी चार्ज किया गया था। इस सम्बन्ध में सदन में कोई वक्तव्य दें तो मैं और सदन के दूसरे माननीय सदस्य भी सरकार की जानकारी के लिये तथ्य रख सकते हैं और जानकारी के लिये बता सकते हैं कि किस प्रकार शान्त वातावरण में स्टूडेंट्स को प्रवोक करके लाठी चार्ज किया गया है।

श्री अध्य ा : पर्याप्त हुआ।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव मैंने सहकारी ऋण के संबंध में आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, जिससे लाखों आदमियों, किसानों को ऋण · · · · ·

श्री अध्यक्ष : निर्णय देना अवशेष है।

श्री नत्थीसिंह : कब देंगे ? आप कह रहे हैं दूंगा नहीं। आप वक्तव्य दिला दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो स्टूडेंट्स के बारे में बात है, जोधपुर यूनिवर्सिटी आज खुलने वाली थी यह जान कर हमें खुशी हुई थी। लेकिन उसके लिये उचित परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई हैं, दूसरे आग में घी डाल दिया है स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज करके। उसके संबंध में गवर्नमेंट की तरफ से कोई वर्शन नहीं आया है। इस संबंध में गृह मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी कुछ कहें ताकि प्रवोकेशन की कोई अन टू वर्ड सिचुएशन पैदा नहीं हो। नहीं तो ऐसी स्थिति पैदा होगी, फिर लाठी चार्ज होगा और फिर मामला पैदा होगा। इसलिये प्रिकाशनरी मेजर्स की दृष्टि से इस संबंध में कोई वक्तव्य दिया जाय। क्योंकि विद्यार्थी जुलस ले कर आ रहे हैं इसलिये सरकार को सचेत रह कर

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)
उनके शिष्ट मण्डल को बुला कर उनसे बात करनी चाहिये और उनकी मांगों का निराकरण किया जाना चाहिये। इस हाउस में वक्तव्य दिया जाय। जो मंत्री बैठे हैं, यह कुछ बोलें, क्या डैफ एण्ड डम्ब की तरह बैठे हुए हैं, भेड़-बकरियों की तरह बैठे हुए हैं।

श्री **सुरेन्द्र व्यास** : अध्यक्ष महोदय, परसों आश्वासन दिया था कि एक्चुअल फेक्ट्स की मंत्री महोदय जानकारी देंगे। लेकिन आज जो मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य दिया उसमें जानकारी नहीं दी गई। जो 11 तारीख को लाठी चार्ज हुआ था उसके बारे में वक्तव्य दिया और मुख्य मंत्री जी ने उसमें एक चलता हुआ रेफरेन्स कर दिया. उसमें संतोषजनक तथ्य, फेक्ट्स वगैरह नहीं रखे, जो मैं समझता हूं, आवश्यक है और इस कारण अनावश्यक तौर पर एक प्रवोकेटिव सिगनिफिकेन्स हो रहा है। मैं समझता हूं, इस संबंध में वक्तव्य जरूर आना चाहिये और मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी स्वयं हैं, उनका विभाग है, उनको वक्तव्य देना चाहिये।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, आपने एडजोर्नमेंट मोशन्स का डिस्पोजल नहीं किया तो मिनिस्टर यह कैसे मान कर चल रहे हैं कि उनकी इस सदन में जरूरत नहीं है। आप अभी यदि यह कह दें कि फलां स्थगन प्रस्ताव है, इसका स्पष्टीकरण दे दिया जाय, तो सारी बेंचें खाली पड़ी हैं, न चीफ मिनिस्टर हैं, न डिप्टी मिनिस्टर हैं, न तीसरे मिनिस्टर हैं, न फाइनेन्स मिनिस्टर हैं, न मैडिकल मिनिस्टर हैं, चौथे, पांचवें, छठे कोई नहीं हैं, केवल एक दो बैठे हुए हैं। यह गृह मंत्री जी का मामला है, जो एडजोर्नमेंट मोशन उनसे संबंधित है, उसके संबंध में आप गृह मंत्री जी को कह दें कि वह स्पष्टीकरण कर दें, तो उन्होंने यह प्रिजम्प्शन कैसे कर लिया and only he is absent from the House.

श्री **गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, यह तय हो गया था· · · · ·

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : आपसे कौन पूछता है।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय कर लिया गया था कि इनके विषय में· · · · · · · ·

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : सवाल पैदा नहीं होता है,
You are misguiding the House.

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : फिर भी इस मुद्दों को यहां उठाने की कोशिश की जाती है और भेड़-बकरी, सब कुछ कह देते हैं। माननीय सदस्य की जबान पर लगाम नहीं है· ·

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज !

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : यह बेवाजिब बात है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक ने जो कहा है, यह कहां तक सच है, यह आप जानते हैं।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : अध्यक्ष महोदय, यह कह दूंगे। आपके सामने तय हुआ था, एडजोर्नमेंट मोशन्स के संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया जायगा क्योंकि उनके संबंध में जो नो-कान्फीडेंस मोशन आया है उस पर

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

विचार करते समय विचार कर लिया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भेड़-बकरी, चाहे जो बात कह देते हैं। माननीय सदस्य की जबान पर किसी तरह की लगाम नहीं है। इन्होंने यह जो शब्द कहे हैं यह एक्सपंज किये जायं।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ था कि क्वेश्चन नहीं लिये जायेंगे। और यह तय हुआ था कि आज एडजोर्नमेंट मोशन पर व्यवस्था देंगे........

श्री **अध्यक्ष** : मैं दे रहा हूं।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : लेकिन यहां पर मंत्री मौजूद नहीं हैं। अब जो स्टूडेंट का मसला खड़ा हुआ है, उसका कौन जवाब देगा और दूसरे मोशन्स के बारे में कौन जवाब देगा ?

श्री **दिग्विजय सिंह** : यह झूठ क्यों बोलते हैं कि ऐसा तय हुआ था। इस सदन में मंत्री नहीं हैं।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : कोई काम होता तो कह कर चले जाते। लम्बा सैशन होता तो कह कर चले जाते, यह चार दिन का सैशन चल रहा है और उसमें भी मंत्री बैठते नहीं हैं हाउस में। आप बोलिये, आप मुख्य सचेतक हैं, आपका काम है, आप जाइये और उनको बुला कर लाइये। यू आर पेड फार इट।

श्री **गिरधारी लाल व्यास** : यह कहने वाले आप कोई नहीं होते हैं। कोई मंत्री का सवाल नहीं है। आप कोई भी सवाल उठा दें और.........

श्री **अध्यक्ष** : हाई आर यू प्रवोक्ड। सिट डाउन। क्यों परेशान होते हैं।

यह सौभाग्य का विषय है, ट्रेजरी बेंच खाली पड़ी है, अपोजिशन कब्जा क्यों नहीं करता है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह भद्दा लगता है, अध्यक्ष महोदय, यह हाउस के प्रति कन्टेम्पचुअस एटीट्यूड है। नये नये मंत्री बने हैं, फिर भी हाउस से गायब रहते हैं। चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गये वह मौजूद नहीं हैं.......

श्री **अध्यक्ष** : दो मंत्री हैं।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : सब हैं।

श्री **अध्यक्ष** : पहले वह प्रश्न तय कर देता हूं जो माननीय नेता महोदय ने उठाये हैं.........

श्री **रामसिंह कुंडि** : डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन हैं, इसकी जानकारी नहीं है।

श्री **अध्यक्ष** : अध्यक्ष जानकारी नहीं देता है। आप प्रश्न पूछ लीजिये, जानकारी मिल जायगी।

श्री **सतीशचन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, यह मामला गम्भीर है ।

एक माननीय सदस्य : एडीशनल चीफ मिनिस्टर,. असिस्टेन्ट चीफ मिनिस्टर मौजूद हैं । डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अभी मैं खड़ा हूं । मैं वह मसला तय कर देता हूं जो माननीय नेता महोदय ने उठाया है । एक तो यह, माननीय मंत्री ने कहा है दो घण्टे के बाद आप उत्तर देंगे । शायद नेता महोदय, विरोधी दल को यह विश्वास बनता है ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : (श्री हरिदेव जोशी के प्रवेश करने पर) आ जाइये न, आ जाइये ।

श्री **अध्यक्ष** : मैं हूं न । मैं यहां बुला लेता हूं ।

श्री **सतीशचन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, नियमों में लिखा है, अध्यक्ष महोदय, खड़े हों तो हाउस से कोई जा नहीं सकता । अध्यक्ष महोदय, आ सकता है, जा नहीं सकता । यह बता दीजिये । परेशान हो रहे हैं वहां खड़े खड़े ....

श्री **अध्यक्ष** : आप बैठे बैठे बोल रहे हैं और जब मैं यहां प्रिसाइड कर रहा हूं आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : नियमों में ऐसा प्रावधान है कि आप सदन में तो आ सकते हैं पर जब अध्यक्ष महोदय खड़े हों तो आप जा नहीं सकते । मंत्री महोदय का बाहर खड़े रहना ठीक नहीं ।

श्री **अध्यक्ष** : क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है वो तो आप को सोचना चाहिये क्यों कि जब मैं खड़ा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिये, बोलना नहीं चाहिये । माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें । आर्डर प्लीज !

श्री **सतीशचद्र अगवाल** : अध्यक्ष महोदय !

श्री **अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण करे । माननीय सदस्यों को मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि सदन के विरोधी दल के नेता को ऐसा विश्वास है कि शायद आज वक्तव्य नहीं दिया जा सकेगा । ऐसी बात नहीं है इसमें समय तो लगेगा ही, क्योंकि विस्तृत जानकारी करने में समय तो लगेगा ही । सोचना इसमें यह पड़ रहा है कि जब समय लग रहा है और उत्तर लम्बा होगा तो अभी इसे स्थगित कर दूं इस बीच उत्तर तैयार हो जाय और बाद में उत्तर दे दिया जाय ।

श्री **भैरोंसिह** (किशनपोल) : उत्तर दिलाया जाय । समय बढा दीजिये ।

श्री **अध्यक्ष** : यह तो मेरे चिन्तन करने का विषय है । क्योंकि बीच में स्थगित करता हूं तो रात को ज्यादा देर सदन की कार्यवाही चलेगी । अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि अगर सदन की कार्यवाही बारह बजे तक रात को चली तब तो फिर माननीय सदस्यों को भोजन वगैरह की असुविधा भी रहेगी । मैं इस बारे में असमजस में पड़ा हुआ हूं कि क्या किया जाय ।

श्री **भैरोंसिह** : बारह बजे तक चलने दीजिये ....

श्री अध्यक्ष : खैर, ये तो मैं सोच रहा हूं। अगर सदन को बारह बजे तक चलने दिया गया तब भी सरकार को अपने पक्ष की ओर से पहले सूचना मिलेगी उसके बाद में ही कार्यवाही होगी। और इस बीच जैसा कि मैंने कहा कि भोजन वगैरह का प्रबन्ध कैसे होगा।

श्री **विजयसिंह** (मकराना) : आज तो 6 बजे बाद ब्लेक आउट हैं।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : भोजन की व्यवस्था तो आपकी तरफ से हो जायेगी बाहर तम्बू लगे हुए हैं सभी व्यवस्थां हो जायेगी।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य ऐसा है कि भारतीय संस्कृति में आतिथ्य मांगा नहीं जाता है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, बाहर अतिथि सत्कार के लिये आपने तम्बू वगैरह लगा रखे हैं ?

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य किसी भी प्रश्न का औचित्य देखा जाता है। उस प्रश्न की शालीनता और गम्भीरता होती है। मैं सोच रहा हूं कि समय कब तक के लिये बढ़ाया जाय।

श्री **प्रेमसिंह** (छबडा) : समय बढ़ा दिया जाय। देर रात तक। चा‍हे 2 बज जायं।

श्री **अध्यक्ष** : इस संबंध में माननीय सदस्यों के सोचने का मामला नहीं है यह मेरे सोचने का विषय है कि कब तक सदन की कार्यवाही चलती रहने दी जाय। दो बजे तक चले या 11 बजे तक चले यह तो सुविधानुसार कार्यवाही सदन की चलेगी। और बाकी की कार्यवाही को उसके पहले कब तक चलायी जाय।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

कई माननीय सदस्य : 6 बजे तक। अध्यक्ष महोदय,

श्री **अध्यक्ष** : अगर 6 बजे तक रखता हूं तो समय थोड़ा रहता है। जरा मैं इस विषय पर चिन्तन कर लेता हूं।

श्री **दौलतराम सारण** (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय आपको क्या एतराज है जब स्वयं मुख्य मंत्री जी 2 घन्टे के बाद वक्तव्य देने को तैयार हैं। आप बीच में क्यों आपत्ति कर रहे हैं।

श्री **अध्यक्ष** : वो तो ठीक है कि मंत्री महोदय को दो घण्टे बाद वक्तव्य देना चाहिये पर इसी बीच की कार्यवाही के लिये.....

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय आप समय फिक्स कर दें। इसी बीच अध्यक्ष महोदय जब तक वे एक लाठी चार्ज के बारे में वक्तव्य देंगे तब तक वो दूसरा लाठी चार्ज का इन्तजाम कर देंगे।

श्री **अध्यक्ष** : क्या कोई और लाठी चार्ज होने वाला है क्या ?

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : ये तैयार कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, दूसरे लाठी चार्ज के लिये इसी बीच में दूसरी कार्यवाही ली जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : क्या दूसरा लाठी चार्ज करके आये हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह : वे इसी काम के लिये आये हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है कि मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया उसके बारे में एक वक्तव्य मंत्री महोदय से करवा दिया जाय।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। ये कुछ और पेंन्डिग स्थगन प्रस्ताव हैं जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है।

(1) दशहरे के अवसर पर गोविन्दगढ़ जिला अलवर में पुलिस द्वारा गोली कान्ड से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव,

(2) वेतन केन्द्र विशनपुरा, पंचायत समिति रानी के केन्द्र प्रभारी श्री मेघाराम अध्यापक की हत्या के संबंध में श्री शंकरलाल जैतारण श्री जसराज, श्री दौलतराम आगरी, श्री पृथ्वी सिंह व श्री विठ्ठल भाई, द्वारा स्थगन प्रस्ताव ,

(3) रामगढ़ (जिला अलवर) पुलिस थाने में डी. वाई. एस. पी. द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी के किसी नेता की पिटाई के संबंध में श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव,

(4) लूनकरणसर एवं कोलायत क्षेत्र में उपनिवेशन क्षेत्र में घोषित गांवों के काश्तकारों को भूमि अधिकारों से वंचित किये जाने संबंध में श्री दौलतराम श्री चुन्नीलाल व श्री हरजीराम बुरड़क द्वारा स्थगन प्रस्ताव,

(5) राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में अकाल की स्थिति के बारे में श्री वृद्धिचन्द्र जैन, श्री भीमसेन, श्री हुक्मसिंह, श्रीमती मदनकौर व श्री रघुनाथ विश्नोई द्वारा स्थगन प्रस्ताव,

(6) ग्राम आटोन (कोटा) में दशहरे के अवसर पर हिन्दू धर्मावलिम्बयों के जुलुस के साथ घटना के संबंध में श्री नन्दलाल, श्री देवीदत्त गाड़िया व श्री प्रेमसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव,

(7) गंगानगर जिले के भूमिहीन किसानों को राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि अलोट न होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री रामचन्द्र आर्य, श्री हरजी राम बुरड़क व श्री चुन्नीलाल इन्दलिया द्वारा स्थगन प्रस्ताव,

(8) जिला गंगानगर के बारानी ग्राम अकाल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रामचन्द्र आर्य द्वारा स्थगन प्रस्ताव,

(9) राजस्थान में अतिवृष्टि, बाढ़ एवं अनावृष्टि से फसल की क्षति के संबंध में श्री दौलतराम सारण द्वारा स्थगन प्रस्ताव,

(10) गत सत्र में राज्य सरकार को साईकल लकड़हारा मजदूरों द्वारा दिये गये ज्ञापन पर सरकार द्वारा कोई निर्णय न लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गंगासहाय द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री रामानन्द अग्रवाल सदस्य विधान सभा द्वारा दिये गये निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव :

(1) जयपुर नगर की औद्योगिक बस्ती शान्ति नगर की समस्यायें हल न होने से आन्दोलन की स्थिति

(2) अलवर में यू. आई. टी. में फैले भ्रष्टाचार, मनमानी एवं पक्षपात।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग (सड़क एवं मकान) के वर्कचार्ज कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान सुविधायें देने संबंधी आश्वासन की क्रियान्विति न होने से उत्पन्न स्थिति।

(4) अलवर के जनरल अस्पताल में अव्यवस्था।

(12) राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर व राज्य के अन्य केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को ऋण न दिये जाने के आदेश के संबंध में श्री नत्थीसिंह व श्री रामकिशन, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः मैं सदन में इनको प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं। इसके अलावा कुछ और भी स्थगन प्रस्ताव आये हैं उनके बारे में मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित माननीय सदस्यों ने बाड़मेर जिले में पाकिस्तानी विस्थापितों के पुनर्वास के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रसारित निषेधात्मक आज्ञा के विरोध स्वरूप जैसलमेर के विधायक श्री बालसिंह सोढ़ा की भूख हड़ताल के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है :—

(1) महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
(2) श्री भैरोंसिंह शेखावत
(3) श्री आईदानसिंह
(4) श्री पृथ्वीसिंह
(5) श्री दुर्गालाल बाड़दार
(6) श्री कृष्णकुमार गोयल
(7) श्री दिग्विजय सिंह
(8) श्री फतेह सिंह
(9) श्री रूप सिंह
(10) श्री केसरीसिंह हाड़ा
(11) श्री प्रेमसिंह सिंघवी
(12) श्री देवीदत्त गाड़िया
(13) श्री विठ्ठलप्रसाद शर्मा
(14) श्री गंगासहाय
(15) श्री बृजवल्लभ बोहरा
(16) श्री दौलतराम सारण

इसी विषय पर पहले भी दो और स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें निम्नांकित माननीय सदस्यों से प्राप्त हुई थी :

(1) श्री बालसिंह सोढ़ा
(2) श्री पृथ्वीसिंह
(3) श्री आईदानसिंह व
(4) श्री भैरोंसिंह शेखावत

इस विषय पर आज माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा स्थिति को स्पष्ट करते हुए वक्तव्य दिया जायेगा। अतः मैं इन सभी स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, आप सदन में प्रस्तावों को प्रस्तुत किये जाने के लिये असमर्थ है वो तो ठीक है पर आप जानकारी तो कर लेते।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। मैं अभी खड़ा हूं और आप बोल रहे हैं। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

इनके अतिरिक्त श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें दी हैं :

(1) मिनर्वा टाकीज के पीछे की कच्ची बस्ती के विकास की योजना अभी तक भी नगर विकास न्यास द्वारा चालू न करने के संबंध में।

(2) सन् 1967 के मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में जयपुर शहर में घटित घटनाओं के संबंध में 21 व्यक्तियों पर अभी भी फौजदारी मुकदमा जयपुर की अदालतों में चल रहे हैं। मुकदमों को राज्य सरकार द्वारा वापिस न लिये जाने के संबंध में।

(3) 7 मार्च सन् 1967 को हुए गोली कांड के संबंध में बैरी आयोग की सिफारिशों के अनुसार पुलिस एवं अन्य अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सदस्य विधान सभा ने निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें दी हैं :

(1) ग्राम मोठरावास तहसील आमेर म ग्राम पंचायत नागल पुरोहित की जमीन को विधान में दिये गये आश्वासन के विरुद्ध एक व्यक्ति को अलाट किये जाने के संबंध में।

(2) भूतपूर्व अध्यक्ष यू. आई. टी. हिन्डौन को यू. आई. टी. का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किये जाने के निर्णय के संबंध में।

(3) कृष्णा मिल, ब्यावर में सरकार द्वारा वर्क लोड का मामला इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल को सुपुर्द कर देने के बावजूद मालिकों द्वारा वर्क लोड लादने के प्रयत्न के संबंध में।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सदस्य, विधान सभा द्वारा बीकानेर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कन्या छात्रावास में समाज कल्याण विभाग के अधीक्षक के लड़के द्वारा एक छात्रा के साथ बलात्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री रामचन्द्र आर्य व श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा ने जिला बाड़मेर ग्राम ठिडाऊ, बावड़ी तथा मीठे का तल्ला व बूढ़ आदि तहसील चोहटन के आस पास के गांवों में पाकिस्तान से आये हुए सोढ़ा जागीरदार शरणार्थियों द्वारा गांवों में नाजायज हथियार हाथ में लेकर ग्रामीण हरिजनों के साथ मारपीट करने व उनकी जमीन पर जबरन काश्त करने आदि के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। चूंकि नये निर्णय के अनुसार कि कल कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं लूंगा मैं इनको अस्वीकार करता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री देवीदत्त गाडिया, सदस्य, विधान सभा ने बारां नगर में नगरपालिका क्षेत्र के नयापुरा वार्ड नम्बर 2 में मजदूरों की 50-60 झोंपड़ियों से बारां परगना अधिकारी द्वारा जबरन वहां की महिलाओं, बच्चों को बाहर निकाल देने तथा उनका सामान बाहर फिकवा देने आदि के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

2. श्री भीमसेन, सदस्य, विधान सभा ने लूणकरणसर तहसील के रिविजन सेटलमेंट में हुई अनियमितताओं के संबंध में दायर की गई उजरदारियों के फैसले से उत्पन्न स्थिति के बारे म एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

3. इन्हीं माननीय सदस्य ने एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें लूणकरणसर क्षेत्र के 91 गांवों के खातेदारी अधिकार का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज न करने तथा उन गांवों के काश्तकारों का जितना रकबा उपनिवेशन क्षेत्र में शामिल होने के वक्त था, उतने रकब को पुनः राजस्व तहसील क्षेत्र में आते पर मान्यता न देने का उल्लेख किया गया है।

4. श्री भीमसेन, सदस्य विधान सभा ने लूणकरणसर क्षेत्र में संवत् 2013 से 2018 के दौरान जो भूमि आवंटित हुई है और जिनके आवंटित कृषि भूमियों पर 10 साल पूरे हो चुके हैं ऐसे काश्तकारों के खातेदारी अधिकारों का रेवेन्यू रेकार्ड में इन्द्राज न किये जाने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

5. श्री मनोहरसिंह मेहता, सदस्य विधान सभा ने एक मंत्री के कार्य के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

6. इन्हीं माननीय सदस्य ने मांडलगढ़ क्षेत्र में गोवटा से सिंचित होने वाली जमीन तथा चित्तौड़ जिले के ओराई डेम से सिंचित होने वाली भूमि को हाथ से खेती न करने वाले प्रभावशाली लोगों को दिलाये जाने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

7. श्री मदनसिंह दांता, सदस्य, विधान सभा ने सीकर जिले की दांतारामगढ़ तहसील के ग्राम राजपुरा भिराना में बस न चलाये जाने के संबंध मे एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

8. श्री सुवालाल चौधरी, सदस्य विधान सभा ने जयपुर जिले की तहसील दूदू, फुलेरा फागी में इस वर्ष अतिवृष्टि व बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध म एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

9. इन्हीं माननीय सदस्य ने एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें तहसील फुलेरा ग्राम सरथना, जावली, सीमा रामपुरा में एक जुगला झील के पानी की निकासी को बन्द कर देने का उल्लेख किया गया है।

10. श्री मदनसिंह दांता, सदस्य, विधान सभा ने रामगढ़ तहसील में ग्राम सेवा सहकारी समिति, सुरेरा के मंत्री द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच कराने

(श्री अध्यक्ष)
के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

11. श्री देवीदत्त गाड़िया सदस्य विधान सभा ने जिला झुंझुनू के प्रमुख ग्राम माखर में नल योजना का कार्य गत 4 माह से बन्द कर देने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

12. श्री मदनसिंह दांता, सदस्य, विधान सभा से एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है जिसमें दांतारामगढ़ तहसील के लोसल में हरिजनों को पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

13. श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों की जांच न कराये जाने के संबंध में विधान सभा के एक भूतपूर्व विधायक द्वारा की जा रही भूख हड़ताल के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

14. श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य, विधान सभा ने बंगला देश से आये विस्थापितों के नाम की आड़ में राजस्थान सरकार द्वारा विधान सभा के सत्र की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् अध्यादेश जारी करके राज्य सरकार द्वारा जनता पर करोड़ों रुपये के टैक्सेज लगाये जाने की संभावना के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, जगनसिंहजी की भूख हड़ताल के संबंध में ....

श्री अध्यक्ष : मैं अभी स्थगन प्रस्तावों पर निर्णय दे रहा हूं।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित कर जाकर इन पर आज विचार किया जावे अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इनके अतिरिक्त कुछ पेन्डिग स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो चुकी है। ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं :–

1. जयपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के शिक्षा शास्त्रियों की नियुक्तियों में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में श्री हरजी राम बुरडक, सदस्य, विधान सभा द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव।

2. श्री श्रवणलाल व श्री गंगा सहाय, सदस्य, विधान सभा द्वारा लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं चुने गये पुराने कृषि स्नातकों को सेवा मुक्त किया जाकर नई नियुक्तियाँ की जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव।

3. श्री रामानन्द अग्रवाल, व श्रीकृष्ण कुमार गोयल, सदस्य, विधान सभा द्वारा राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव।

राज्य सरकार से प्राप्त उत्तरों की दृष्टि म म इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

इन सब ही स्थगन प्रस्तावों को पूर्व निर्णयानुसार लेने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, दो तीन का तो आपने रेफरेंस दे दिया, एक का आपने रेफरेंस नहीं दिया है ।

श्री अध्यक्ष : जानकारी के लिये भेजा है ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : उसमें जानकारी का क्या सवाल है । प्रधान मंत्री विदेश यात्रा से लोट आयीं हैं और आते ही यह स्थिति बनी है । इसमें रूल आफ लॉ का प्रश्न है । उसको बलाये ताक रखकर जन्तर मन्तर रोड पर कब्जा कर लिया । कौनसा तरीका है ? सादिक अली जो ओल्ड कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उनको गोदी में उठाकर बाहर निकाल दिया ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : आपको क्या दिक्कत हो रही है ?

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : जबर्दस्ती कब्जा करना है तो कश्मीर पर करो न । वहां तो हिम्मत होती नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री अग्रवाल ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : हमारी चीज है ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : कानून को हाथ में ले नहीं सकते ।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : सिन्डीकेट आपकी है जिसने यह हाथ में लिया है कानून ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : मोशन तो मैंने भेजा है आपको ?

एक माननीय सदस्य : उनको मोशन लग लग रहे हैं ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : एक अजीब घटना है ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : Might is right

श्री अध्यक्ष : श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है :

7 जंतर मंतर रोड पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी द्वारा जबरदस्ती कब्जा किये जाने की घटना लोकतन्त्रीय इतिहास में बेमिसाल है और एक भारी कलंक है । कानून को अपने हाथ में लेकर वरिष्ठ सदस्यों द्वारा इस प्रकार की घिनोनी हरकत निन्दनीय है । सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही स्थगित की जाकर पहले इस प्रश्न पर विचार किया जावे ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : हमारी चीज है । बिल्कुल गलत बात है ।

श्री अध्यक्ष : आप तो कम से कम खयाल रखिये मैं खड़ा हूं ।

(श्री देवीदत्त गाड़िया के खड़े होने पर)

आर्डर प्लीज ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसी घटनाओं से और लोगों को मौका मिलता है ।

श्री अध्यक्ष : यह केन्द्र से सम्बन्धित है । और कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित है । इसका सम्बन्ध हमसे कुछ नहीं है इसलिये मैं इसको निरस्त करता हूं । ग्राह्य समझने में असमर्थ हूं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको तो थोड़ी ताड़ना मिलनी चाहिये ।

सदन में पर्चे फेंकने की घटना

श्री अध्यक्ष : आप तो थोड़ा संयम रखिये, मुख्य सचेतक महोदय।

अभी एक घटना हमारे यहां हुई। उस व्यक्ति का नाम है श्री नजीर भारती। कुछ पर्चे फेंके और नारे लगाये। उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे कागजों में कुछ रिपोर्ट आयी है। बस।

"श्री नजीर भारती पुत्र वजीर अहमद कौम मुसलमान निवासी जयपुर ने आज दिनांक 15-11-71 को लगभग पौने दो बजे विधान सभा के प्रांगण में जब कि विधान सभा की कार्यवाही चल रही थी तब दर्शक दीर्घा से नारे लगाये एवं पर्चे फेंके, इस प्रकार उन्होंने विधान सभा के नियमों का उल्लंघन कर सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचायी। इससे पूर्व भी इस प्रकार के नारे लगाने एवं पर्चे सदन में फेंकने के कार्य में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

इनका स्थानीय पता बी-10, एम. एल. ए. क्वार्टर, जयपुर एवं स्थायी तौर पर यह कोटा के रहने वाले हैं। इनके पास की संख्या 123 हैं तथा इन्हें पास विभाजन संख्या 126 वाले माननीय सदस्य द्वारा सिफारिश करने पर जारी किया गया था।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम-का-थाना) : वे कौन हैं।

श्री अध्यक्ष : यह आप जानलें। वैसे यह इम्मेटीरियल है।

श्री मोहन लाल मोदी : इन पर गम्भीर चार्ज है, पहले भी कर चुके हैं, तो इस पर विचार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन से सुझाव लेना चाहता हूं कि इसको छोड़ दिया जाय या····

कई माननीय सदस्य : छोड़ दिया जाय

श्री अध्यक्ष : सदन की यह संपत्ति है कि यह छोड़ दिया जाय।

ट्रेक्टरों के आवंटन की जांच करने सम्बंधी समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण काल में वृद्धि

श्री **भैरोंसिह** : सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि ट्रेक्टरों के आवंटन के सम्बन्ध में जो प्रश्न सौंपे गये थे उस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट आज सदन के समक्ष पेश करने वाला था। पर इस बीच में कुछ ऐडीशनल फैक्ट्स सदन में और आये हैं। रिपोर्ट मेरे पास तैयार है। पर जिस प्रकार की जानकारी माननीय सदस्यों ने इस बीच और दी है तो अगर सदन अनुमति प्रदान करे तो उन मुद्दों पर विचार कर लिया जाय और इसी रिपोर्ट में इन मुद्दों को भी शामिल करके अन्तिम रिपोर्ट बाद में पेश कर दी जाय।

श्री **हरिदेव जोशी** (उद्योग मंत्री) : सप्लीमेंट्री रिपोर्ट बाद में क्यों नहीं दे देते।

श्री **भैरोंसिह** : इस में सप्लीमेंट्री नहीं होती।

श्री **सतीश चन्द्र अग्रवाल** : टाइम एक्सटेंड कर दें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री **देवीदत्त गाडिया** : अध्यक्ष महोदय, आदर्श विद्या मन्दिर, जयपुर के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव सदन में है। आपने जितने स्थगन प्रस्ताव हैं उनको रद्द कर दिया है। तो इस सम्बन्ध में तो रिप्लाई दिलवा दिया जाय। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का यह कोई प्रश्न है यह मैं नहीं मानता।

श्री देवीदत्त गाडिया : आपने गत सत्र में व्यवस्था दी थी।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया, मैं देख लूंगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : रिप्लाई भिजवा दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक) : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था। आदर्श विद्या मन्दिर, जयपुर के बारे में दिया था। इस संस्था में सरकार ने लाखों रुपया दिया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का यहां कैम्प लगता है। यहां के टीचर्स उसमें भाग लेते हैं। शाखाओं में काम करते हैं। इस आधार पर उस समय के शिक्षा मंत्री शिव चरण जी माथुर ने इसकी सहायता वन्द कर दी थी पर दुर्भाग्य से अब शिक्षा मंत्री पूनम चन्दजी विश्नोई ने वापिस चालू कर दी है।

(2.25 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सरकार के पैसे से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसी साम्प्रदायिक संस्था की शाखायें जहां लगती हों, जिसके सर संघचालक वहां आते हों, जहां के अध्यापक इन कामों में भाग लेते हों तो हमारे आज के समाजवादी शिक्षा मंत्री ने यह कैसे किया। इस सहायता को वापिस लिया जाना चाहिये।

श्री विजयसिंह (मकराना) : हम कल इसे डिस्कस कर लेंगे। आप पोलिटीकल बात करते हैं यहां पर।

श्री देवीदत्त गाडिया : राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति होती हो ऐसी बात नही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ निश्चित रूप से एक गैर राजनैतिक संस्था है, देश के युवकों का चरित्र बल बढाना और नैतिकता और भारतीय संस्कृति में ढालने का रचनात्मक काम करती है। इसको ये राजनैतिक दुस्साहसी लोग सहन नहीं कर सकते क्योंकि इसके कारण वे अपना भविष्य अन्धकारमय देखते हैं। इससे इनकी जडें हिलने लग गई हैं।

(शोरगुल : अश्रव्य)

इस तरह के अनर्गल आक्षेप हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज इनके नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : राज्य सरकार सहायता दे। पर जहां बालकों को गुमराह किया जाता हो।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाडिया : खण्डेलवाल हाई स्कूल में कांग्रेस का सेमीनार हुआ था। इस तरह की मुस्लिम लीग से सांठ गांठ करने वाली और साम्प्रदायिकता को खुले रूप में प्रोत्साहन देने वाली इस कांग्रेस संस्था का जहां सेमीनार हो उस संस्था की एड बन्द होनी चाहिये। जहां नैतिक निर्माण का काम होता हो ऐसी संस्था के बारे में अनर्गल बात किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : कांग्रेस जैसी राजनैतिक संस्था का सेमीनार जिस संस्था में होता है उस राजनीति

Page No 78

(श्री भगवानदास शास्त्री)
में भाग लेने वाली संस्था की सहायता सरकार बन्द कर दे ।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इसकी व्यवस्था क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : इस पर जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जानकारी प्राप्त करने का मसला नहीं है कहीं भी ।

श्री देवीदत्त गाडिया : ये संघ की ताकत को देखकर जलते हैं । संघ तो इसी तरह दिन दूना रात चौगुना प्रगति करता जावेगा । ये देश के दुश्मन, देशद्रोही, देश के दुश्मनों के साथ सांठ गांठ करने वाले और विदेशी ताकतों को यहां लाने वाले इससे घबराते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ये साम्प्रदायिकता का प्रचार करते हैं ।

श्री देवीदत्त गाडिया : साम्प्रदायिकता का प्रचार मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिला कर उसके साथ सांठ गांठ करके करने वाले लोग आप हैं, ये कांग्रेसी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी तो आज देशद्रोही है । रूस और चीन को लाना चाहते हैं । हिन्दुस्तान पर ये चीन और पाकिस्तान के गुर्गे मिलकर हमला कराना चाहते हैं । देश में नक्सलवाद पैदा करके अराजकता पैदा करना चाहते हैं । मुस्लिम लीग को जिन्दा करके देश में फिर साम्प्रदायिकता का जहर घोलना चाहते हैं ।

(शोरगुल)

इसीलिये चल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, सदस्य माननीय सदस्य ।

श्री देवीदत्त गाडिया : जनता संघ के अन्दर जाती है इसलिये · · ·

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये गाडिया जी · · · (अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाडिया ; शिव चरण जी ने स्वयं ने कहा · · ·

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री मोहन लाल मोदी (नीम-का-थाना) : अगर यह महत्वपूर्ण है तो माननीय सदस्यों को जानकारी मिलनी चाहिये । ऐड बन्द करदी गई ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री भगवानदास शास्त्री : जो बच्चों के भविष्य को बनाये, कोई संस्था हो · ·

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाडिया : जो कांग्रेस के एम. एल. ए. हैं और जिन्होंने झूठे लैटर पैड छपा रखे हैं । कोई संस्था नहीं है । उन लोगों को हजारों रुपयों की ऐड दी है । उनको नहीं रोक सकते हैं, जो बोगस हैं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष जी, शिक्षा के लिये कोई नहीं सुनता है । ऐड बन्द कर दी . .

श्री देवीदत्त गाड़िया : आदर्श विद्या मन्दिर का सबसे बेस्ट रिजल्ट है । आज आप आदर्श विद्या मन्दिर का अनुशासन देखिये, वहां के नियम देखिये ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : कांग्रेस के मेम्बर सहयोग नहीं देते हैं, मुख्य सचेतक महोदय को । वे ही असली भागीदार हैं इसके ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप तो बैठे रहो ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कार्यवाही चलने दें इस प्रश्न पर सरकार से जानकारी चाही जा रही है । आगे की कार्यवाही चलाने में सहयोग प्रदान करें ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : जब तक यहां अध्यक्ष महोदय थे कोई कांग्रेस का मेम्बर बोला नहीं । आप आसन पर आये हैं और ये लगातार फायदा उठाते जा रहे हैं ये समझते हैं डिप्टी स्पीकर तो कमजोर हैं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह गलत बात है ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : ये गिरधारी लाल जी डिप्टी स्पीकर नाहर साहब को बनाना चाहते थे । ये तो इनकी हरकतें हैं ।

(पुनः व्यवधान : अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं चीफ व्हीप का क्या काम है ? मुख्य सचेतक जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता है वह किस बात का चीफ व्हीप है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जब मैं अपने प्रस्ताव पर कुछ जानकारी पेश कर रहा था · · ·

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने सारी व्यवस्थायें दे दी हैं और व्यवस्थायें देने के बाद आप पधारे हैं । अध्यक्ष महोदय के चले जाने के बाद आप पधारे उसके बाद नया विवाद खड़ा करना मैं समझता हूं जो बिजनेस में नहीं है उसको · ·

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय के विचारार्थ माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था । मैं नहीं समझता ऐसी क्या प्रलय होगई कि माननीय सदस्य दूसरों की सुनना नहीं चाहते हैं । किसी विषय पर ही दूसरे माननीय सदस्य को नहीं बोलना देना चाहते हैं · · ·

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह प्रजातन्त्र है जोशी जी, आप तो मजदूरों पर गोलियां चलाओ, विद्यार्थियों पर गोली चलाओ । यही काम रह गया है आपका ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सही बात सुनने का, गाड़िया जी, आप में साहस नहीं है ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय ने अपना निर्णय इस पर दे दिया है अब आप जो भी उचित समझें कार्यवाही करें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य सहयोग प्रदान करें ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : ये कांग्रेस के वे मेम्बर हैं जो आपको डिप्टी स्पीकर नहीं चाहते थे और अब उसको ये एक्सपोज करना चाहते हैं। आप (श्री गिरधारी लाल व्यास) नाहर साहब को चाहते थे इसलिये इनकी खिलाफत करना चहाते थे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस प्रश्न पर अधिक चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री मोहन लाल मोदी : मैं जानकारी देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय ने निर्णय नहीं दिया है इसलिये .... (अश्रव्य)

श्री श्रवण लाल (हिण्डोन) : अध्यक्ष महोदय ने जिस समय निर्णय दिया था उस समय आप पान खाने गये थे।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिये हैं...

श्री यशवन्तसिंह नाहर (वनेडा) : माइक से बोलना तो आता नहीं दूर से बोलें न।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिये हैं कि जानकारी प्राप्त की जाय। आसन की प्रतिष्ठा सदन के हाथ में है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं सभी सदस्य आगे की कार्यवाही चलाने में सहयोग प्रदान करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और साथ में यह कह दीजिये कि राजनैतिक विरोध को न उभारें।

विद्युत मण्डल के आय-व्ययक (1971-72) पर विचार

श्री शिवचरण माथुर (विद्युत मंत्री) : मुझे प्रस्ताव पेश करना हैं...

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) 1971-73, को जो दिनांक 24 मई, 1971 को सदन की मेज पर रखा गया था, विचारार्थ लिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमें तो एडजोर्नमेंट मोशन पर कुछ कहना था।

श्री उपाध्यक्ष : कल एडजोर्नमेंट मोशन की ही तो बहस है। कल कह दीजिये।

श्री शीशराम ओला।

श्री शीशराम ओला (खेतड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज विद्युत विभाग के आय-व्ययक पर विचार विमर्श हो रहा है। इसमें मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा...

एक माननीय सदस्य : सबसे पहले यह क्यों...

श्री उपाध्यक्ष : चीफ व्हीप ने इनका प्रथम नाम दिया है।

श्री शीशराम ओला: कोई चोरी तो नहीं की, बोलने का ही तो आदेश दिया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह चाहता हूं जो राजस्थान का जिला हरियाणा की बोर्डर से मिला हुआ है, हरियाणा राज्य सरकार ने, वहां के बिजली बोर्ड ने हर गांव में बिजली पहुंचा दी है, हर गांव को सिंचाई के अच्छे साधन दिये हैं। अब राजस्थान का काश्तकार जो उस बोर्डर पर बसता है उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हरियाणा कौनसा है और राजस्थान कौनसा है। वह अपने आप मुंह से बोलता है। हरियाणा में दीपावली नजर आती है और राजस्थान में अन्धेरा नजर आता है। मैं आपके

(श्री शीशराम ओला)
द्वारा हमारे मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा · · ·

अगर आपको पंचायत करनी है तो बाहर कर लीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको कहने का कोई अधिकार नहीं है।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे खेद है इस तरह से माननीय सदस्य ने कहा है · · ·

श्री उपाध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं आपस में चर्चा नहीं करें। जो कुछ करें वह आसन की मार्फत करें।

श्री शीशराम ओला : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह अर्ज कर रहा था कि हरियाणा सरकार में और राजस्थान सरकार में एक ही पार्टी की सरकार है वहां पर सरकार को इतना पैसा कहां से मिल जाता है क्योंकि वहां हर गांव को तो सडक से जोड दिया गया है, हर गांव को बिजली दे दी गयी है, हर गांव को सिंचाई के साधन मिले हुए हैं उनके खेतों में जो टीबे थे वे खतम हो गये और यहां यह सब कुछ नहीं है और हम कहते हैं तो हमारी सरकार कहती है कि अर्थ का संकट है। मैं नहीं समझता कि जनता यह कब तक बर्दाश्त करेगी कि एक ही जगह के रहने वाले लोगों में एक के खेत में तो पानी है और दूसरे के खेत में पानी नहीं, एक के खेत में तो बिजली है और दूसरे के खेत में बिजली नहीं, एक के खेत में टीले नहीं और उसी के खेत के बराबर जो खेत राजस्थान में है उसमें अभी तक टीले पडे हैं। मैं नहीं समझता कि ये बात कब तक चलती रहेगी। जो लोग हमारे इधर राजस्थान में हरियाणा के बोर्डर पर रहते हैं उनके बर्दाश्त के बाहर हो गया है। मैं इसलिये, माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से और हमारे विद्युत मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि बिजली का कार्य झुन्झुनूं जिले के लिये जो भी हो वह युद्ध स्तर पर हो। गांव गांव में बिजली दी जाय और इसलिये दी जाय कि झुन्झुनूं जिले में कोई खेती के साधन नहीं हैं सिवाय बिजली के। वहां पर न तालाब हैं, न बांध है और न नहरें हैं। लुहारू की जमीन झुन्झुनूं जिले से ऊंची पडती है और झुन्झुनूं जिले से ज्यादा खराब जमीन है वहां पर और झुन्झुनूं जिले की जमीन वहां की जमीन से अच्छी जमीन है। उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूंगा कि झुन्झुनूं जिले के काश्तकारों के पास न तो बिजली आई, न नहरें आई इसलिये वहां किसान को हीन समझता है हरियाणा के किसान के मुकाबले में और वहां के लोग बिजली बोर्ड के प्रति उदासीन रही और साथ ही साथ दिन प्रतिदिन शासन के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। इसलिये, उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे जोरदार शब्दों में निवेदन करूंगा कि झुन्झुनूं जिले में किसानों को और छोटे उद्योग-धंधों वालों को युद्ध स्तर पर बिजली दी जाये ताकि उनका असंतोष दूर हो सके और वे राष्ट्र के लिये अधिक अन्न पैदा कर सकें।

यही नहीं वहां पर जो कुछ हो रहा है, जो भी बिजली मिली है उसके लिये जो धांधली हो रही है, जो गडबडियां हो रही है वह मैं आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत मंत्री

(श्री शीशराम ओला)

महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा। 1969 के अन्दर इन तीन गांवों में खराना कला, खराना खुर्द और काकोडा में बिजली देने का कार्यक्रम था लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आज तक वहां एक भी खम्बा नहीं दिया गया। जब बिजली विभाग को कहा जाता है तो वे कहते हैं कि तीन-चार दिन में हो जायगा और वहां आज तक एक भी खम्बा नहीं लगा है जब कि इस साल के फरवरी तक जो बिजली मंजूर की गयी थी गांवों को उनको बिजली मिल गयी लेकिन 69 की मन्जूर शुदा सूची में जो गांव थे उनको बिजली नहीं मिली। क्या कोई कह सकता है कि बिजली बोर्ड राजस्थान में काम कर रहा है या यहां कोई प्रशासन है। इससे बडी और कोई धांधली या अनुशासन हीनता बिजली बोर्ड के लिये और इसके अधिकारियों के लिये हो नहीं सकती।

इसी प्रकार से तीन गांव शाहपुर, शहदपुर और जयसंकर-इन तीन गांवों को बिजली मन्जूर हुई और इतने गांवों को बिजली देने के लिये एक ही जगह पर ट्रांसफार्मर रख दिया जब कि तीनों गांवों में तीन ट्रांसफार्मर्स रखने अत्यन्त आवश्यक है। आपने एक ही ट्रान्सफार्मर रख दिया। तीनों गांवों के आदमियों ने अलग अलग कुए बनाये, उन्होंने हजार हजार रुपया खर्च करके मोटरें खरीदी लेकिन एक गांव के लोगों को भी कनेक्शन नहीं दे सके और तीनों के बीच में एक छोटा सा ट्रान्सफार्मर रखा। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इसकी जांच कराई जाय और उसके बाद जो दोषी व्यक्ति हैं उन्हें सजा दी जाये और भविष्य में इस प्रकार की धांधली नहीं हो इसके लिये सख्ती से उनके खिलाफ कदम उठाया जाये।

इसी प्रकार से बिजली बोर्ड का एक विभाग सर्वे भी करता है और उसमें इंजीनियर्स होते हैं। जिस गांव में एक भी कुआ नहीं है, पानी नहीं है वहां के लिये तो लिख देते हैं और रेम्युनरेटिव 20 कुए हैं और जहां कुए अच्छे रहे वहां के लिये वे लिख देते हैं नान-रेम्युनरेटिव स्कीम। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार से गलत काम करने के अधिकार इस बोर्ड को और इस बिजली विभाग को सरकार ने क्यों दे रखे हैं? आखिर इसकी भी कोई सीमा होती है कि जहां बिल्कुल एक भी कुआ नहीं वहां के लिये तो 20 कुए लिख देते हैं और उनको तो बिजली मिल जाये और जहां 40 कुए हैं, अच्छा पानी है, अच्छी जमीन है वहां पर कह देते हैं कि एक भी कुआ अच्छा नहीं है, इस बारे में मैं, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से विद्युत् मंत्री जी से कहूंगा कि जांच होनी चाहिये और बिजली विभाग इस मामले में बिल्कुल कान बन्द करके और आंख मींचकर बैठा है इसलिये उनको वक्त रहते ध्यान देना चाहिये नहीं तो मैं समझता हूं कि जनता स्वयं ध्यान देगी और ऐसे अधिकारियों को गांव में नहीं घुसने देगी।

इसी प्रकार से 1970 में सिघाणा से 500 हार्स पावर का ट्रांसफार्मर उठाकर दूसरी जगह ले जाया गया जब कि वहां पर तीन-चार सौ कुए हैं और उनको एक महीने तक बिजली नहीं मिलेगी। जनवरी के फर्स्ट वीक में ट्रांसफार्मर उठाया गया और 27, 28 तारीख से करीब दूसरा ट्रांसफार्मर आया जब कि 20-25 दिन के लिये वहां कोई बिजली की व्यवस्था ही नहीं रही। वहां के सब काश्त-

(श्री गोशराम ओला)

कार जिनको कुओं से पानी देकर अन्न पैदा करना था वे बगैर पानी के बैठ रहे और उनकी लाखों रुपयों की फसल नष्ट हो गयी और उनको लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, जो दूसरा ट्रांसफार्मर रखा उसको वे ठीक तरह से एडजस्ट नहीं कर सके और ट्रांसफार्मर जल गया और उसके ठीक होने में दस दिन लग गये। मैं नहीं समझता कि इस तरह की धांधली की जाये! यह तो किसान आज इतना समझदार नहीं है, और यदि किसान इसके लिये हाई कोर्ट में चला जाये तो बिजली विभाग के पास कोई चारा है क्या? अगर वे चले जायं तो बिजली बोर्ड को मुआवजा देना पड़े और, उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये लिखा गया, शिकायतें की गयीं लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं विद्युत् मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करके सन्तोषप्रद उत्तर मिलना चाहिये।

आपका कन्स्ट्रक्शन का भी एक डिपार्टमेंट है। कन्स्ट्रक्शन विभाग वाले पोस्ट खड़े करते हैं, तार खींचते हैं और ट्रांसफार्मर्स लगाते हैं और फिर जो असिस्टेंट इन्जीनियर है उसके सुपुर्द कर देते हैं, उस स्कीम को। हमारे जिले में, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा हो रहा है कि इस कार्य में ढिलाई है। जब खम्भे शुरू हो जाते हैं तो काश्तकार ये सोचते हैं कि अब हमारे यहां बिजली आ गयी और वे बिजली की मोटर ले आते हैं। ट्रांसफार्मर रखने के बाद भी दो दो महीने तक डिपार्टमेंट द्वारा कन्स्ट्रक्शन नहीं होता और उसका रिजल्ट यह होता है कि काश्तकार अपने खेतों पर खेती करने से वंचित रह जाते हैं। नवम्बर, दिसम्बर तक यदि बिजली मिल जाती है तो काश्तकार काश्त कर सकता है और बिजली का इस्तेमाल कर सकता है लेकिन जनवरी-फरवरी में यदि बिजली जाती है बजाय नवम्बर और दिसम्बर के तो दो महीने लेट हो जाने का परिणाम यह होता है कि काश्तकार काश्त नहीं कर सकता क्योंकि उसको वक्त पर पानी नहीं मिलता। इसलिये काश्तकार को पांच-सात हजार रुपया खर्च करना पड़े और पांच-सात हजार नहीं बल्कि उसका करीब दस हजार रुपया लग जाता है उसके बाद भी उसको कोई फायदा नहीं मिलता है और इस अर्थ के संकट में काश्तकार को उसका कितना मुआवजा देना पड़ता है और उसके दिल पर क्या गुजरती है यह हम आसानी से महसूस नहीं कर पाते हैं। इसीलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि इस तरह की ढिलाई के प्रति डिपार्टमेंट कड़ा रुख अपनाये, सख्ती से काम ले, डिपार्टमेंट उनके खिलाफ एक्शन ले और उनको हिदायत दे कि तत्काल कन्स्ट्रक्शन कार्य पूरा होने पर बिजली विभाग के इंजीनियर, जिनका काम कनेक्शन देना है, द्वारा यह कार्य सम्पूर्ण कर दिया जावे।

इसी प्रकार से, मिलिट्री पर्सनल के लिये आज के मुख्य मंत्री और उस वक्त के विद्युत् मंत्री थे उन्होंने एक निर्णय लिया था कि जो मिलिट्री पर्सनल हैं उनको प्रायरिटी बेसिस पर कनेक्शन दिये जायं जिन गांवों में बिजली आ गई है। मिलिट्री पर्सनल कभी कभी छुट्टी पर आते हैं साल में, कभी डेढ़ साल में और कभी छः माह में और अपने कुओं पर भी काम करते हैं। सब के घर में पीछे काम करने वाले नहीं होते हैं। किन्हीं की औरत काम करती है, किन्हीं के छोटे बच्चे काम करते हैं। हो सकता है कि एक दो के मां-बाप भी हों लेकिन वे

(श्री शीशराम ओला)

भी ठीक से काम नहीं कर पाते वृद्धावस्था के कारण। अब वे चार बार आयें, पांच बार आयें और कोई भी इंजीनियर के दफ्तर में जावें तो उन्हें कह दिया जाता है कि तुम्हारा नम्बर नहीं है। इससे उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। वह निराश हो कर वापिस लौट जाते हैं। और इस प्रकार तीन–चार वर्ष तक वह अपने कुओं को सिंचाई के लिये कनेक्शन नहीं दिला सकते हैं। इस सारी दिक्कत को महसूस करते हुए ही उस वक्त के विद्युत् मंत्री और आज के मुख्य मंत्री ने यह निर्णय लिया था कि मिलिट्री पर्सनल को बिजली देने में प्रायरिटी दी जाय, लेकिन आज तक इस कार्य पर अमल नहीं हुआ और यह योजना कागजों में पड़ी हुई है, यह आदेश रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई है। आज हमारे देश पर इमरजेंसी की स्थिति है, देश पर संकट के बादल घुमड़ रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हिदायत कर दी है कि वह फौजियों के कुनबे को, फौजियों के परिवार को सहायता दे, उनको तकलीफ न होने पाए। मैं नहीं समझता कि यह आदेश भी अमल में आएगा। एक निर्णय पहले लिया गया लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया गया कब अगला हुकुम निकला है यह कितना कामयाब होगा मुझे इसमें संदेह है। इसकी आप जांच करवायें और जांच करवाने के बाद यह देखें कि किन अधिकारियों ने इस पर एक्शन नहीं लिया है और उनके खिलाफ कार्यवाही करें, इस पर भी आप महरबानी से ध्यान दें।

सुल्ताना एक जगह है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सुल्ताना में असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर का हैडक्वार्टर हो बिजली विभाग का। क्योंकि झुंझुनू सुल्ताना से आगे पड़ता है और खेतड़ी तहसील के लोगों को बिजली के कनेक्शन के लिये दूर दूर तक जाना पड़ता है। इन लोगों को 30-30, 35-35 मील तक चल कर झुंझुनू पहुंचना पड़ता है। यहां तक कि एक तहसील को पूरी पार करके दूसरी तहसील के अन्दर जाना पड़ता है। इसलिये उन किसानों की सहूलियत को देखते हुए, किसी की मोटर जल जाय, किसी को इंजीनियर से ठीक करानी हो, कोई और बात की शिकायत करनी हो तो उस शिकायत करने के लिये उसको दो दिन लग जाते हैं। एक दिन आने में और एक दिन जाने में। इस तरह से वह दो दिन तक अपने खेतों में पानी नहीं दे सकता। इसलिये एक असिस्टेन्ट इंजीनियर या एक जूनियर इंजीनियर का हैडक्वार्टर सुल्ताना में होना चाहिये। यह एक कस्बा है जिसकी 7-8 हजार की आबादी है। इससे उन लोगों को सहूलियत हो जाएगी, इससे उनको लाभ होगा, उनकी दिक्कत आसानी से हल हो सकेगी।

यही नहीं, मैं तो यह भी निवेदन करूंगा कि झुंझुनू में सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर का दफ्तर भी खोल दें तो बहुत अच्छा हो। जिस तरह से झुंझुनू में बिजली देने की आप योजना बना रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए और खेतड़ी में जो कोपर प्रोजेक्ट है और उसमें जितनी बिजली की खपत है, उसको मद्देनजर रखते हुए यदि एक सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर का दफ्तर भी वहां पर हो जाय तो मैं समझता हूं कि वहां के काश्तकारों को इससे सहूलियत होगी और जो रोजमर्रा की दिक्कतें हैं उनसे उनको छुटकारा मिलेगा।

(श्री शीशराम ओला)

मैं इसके साथ साथ दो तीन सुझाव आपकी सेवा में रखना चाहता हूँ बिजली के संबंध में। 33 हजार के. वी. की लाइन सिंघाना से कुहाड़वास वाया बुहाना होनी चाहिये। एक लाइन सूरजगढ़ से कुहाड़वास वाया बलोदा कलोट होनी चाहिये। ये लाइनें यदि डाल दी जायें तो आसानी से लोड मिल सकता है। हमारे यहां पर इस कदर बिजली सरप्लस है और दूसरी स्टेट्स पंजाब वगैरह में बिजली की बड़ी भारी कमी है। हम अपने यहां पर जो बिजली उपलब्ध है उसको ही कंज़ूम नहीं कर सकते हैं तो हम आगे के लिये क्या मांग कर सकते हैं कि हमको और बिजली मिलनी चाहिये। यही कारण है कि हमारी स्टेट पिछड़ी हुई है। इस तरह की हालत के कारण ही हम सही ढंग से बिजली का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिये हमको और सहूलियतें मिलनी चाहिये जो अभी तक नहीं मिली हैं। तो यह मैंने आपके सामने सुझाव रखा।

अब दूसरा मेरा सुझाव यह है कि कुहाड़वास से बवसैई वाया भालोट, भीर, पचेरी, शिमला, नेहाडा, दुदुआगोरी होते हुए भी एक 33 हजार के. वी. की लाइन होनी चाहिये।

इसी तरह से झुंझनूं से बिसाऊ, झुंझनूं से गुढ़ा वाया शीतल बड़ा गांव और मण्डेला से बिसाऊ में भी एक हजार 33 हजार के. वी. की लाइन होनी चाहिये। इससे वहां के काश्तकारों को, जिन गांवों में बिजली चली गई है और बिजली का ठीक से वोल्टेज नहीं पहुंचने के कारण मोटरें जल जाती हैं और किसानों को नुकसान होता है उससे वह बच सकेंगे। बिजली बोर्ड के प्रशासन के प्रति जो असंतोष है, असंतोष ही नहीं घोर असंतोष है, वह भी दूर हो सकेगा। मैं समझता हूं कि यह जेन्यूइन सुझाव है, वाजिब सुझाव है जिसको स्वीकार किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पुनः एक बार माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करें और इस सारे काम को युद्ध स्तर पर लेकर झुंझनूं जिले को ज्यादा से ज्यादा बिजली दें तो वहां के गांव के बहादुर जो आज देश की रक्षा के लिये सीमाओं पर तैनात हैं, उनको भी इस बात का संतोष होगा कि हम लडाई के मोर्चे पर काम कर रहे हैं तो हमारे परिवार के लोग खेती पर युद्ध का मोर्चा ले रहे हैं। इस प्रकार यदि कार्य किया गया तो यह हमारे देश के लिये, हमारे प्रान्त के लिये और हमारे जिले के लिये शुभ लक्षण होगा। इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गोयल।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर बहस करने का यह पहला अवसर प्राप्त हो रहा है। यद्यपि बोर्ड के संबंध में अनेक बार दूसरी चर्चाओं में कई मुद्दे उठाए गए हैं लेकिन यह पहला अवसर है जब कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर हम बहस में भाग ले रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अनेक बार विधान सभा के अन्दर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

के ऊपर चार्जेज लगाए हैं और मेरा स्पष्ट आरोप आज भी यह है कि जितना बोर्ड के अन्दर कुनबापरस्ती, भाई भतीजावाद और ग्रुपिज्म है मैं समझता हूं कि शायद ही किसी अन्य विभाग में यह देखने को मिलेगा। यही कारण है कि जिस गति के साथ आज राजस्थान का रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिये था, जिस प्रकार से आज राजस्थान के गांव गांव और ढाणी ढाणी तक बिजली पहुंच जानी चाहिये थी वह इस ग्रुपिज्म और कुनबापरस्ती के कारण नहीं पहुंच पा रही है। यह ठीक है कि आज बोर्ड और सरकार यह कहने की स्थिति में हो सकती है कि आज हमने बोर्ड को मुनाफे की स्थिति में पहुंचाया है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह मुनाफा उनकी कार्यकुशलता का परिचायक नहीं है, उनकी कार्य क्षमता का परिचायक नहीं बल्कि राजस्थान के उपभोक्ता की कीमत पर आपने आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को मुनाफे की स्टेज पर पहुंचाया है। आज कंजूमर किस रेट पर बिजली का पैसा चुका रहा है, कभी आपने विचार किया है? आज आप समाजवाद का नारा देते हैं। आज आपने बिजली के उपयोग को लग्जूरियस कमोडिटी में मान लिया है, जो बिजली का उपयोग करे उसे ज्यादा पैसा देना चाहिये, लेकिन वास्तव में आज के दिन बिजली नेसेसिटी है, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और उसका जितना कम से कम पैसा लिया जा सकता है, लिया जाना चाहिये। सन् 61 से आप राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी की दरें बढाते चले जा रहे हैं। आज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करेंगे। क्या राजस्थान सरकार हमारे प्रान्त से लगे हुए जो अन्य राज्य हैं, उनके मुकाबले पर कहीं टिकती है? राजस्थान के कितने क्षेत्र के अन्दर आपने बिजली को पहुंचाया है? आपने कितने गांवों के अन्दर बिजली पहुंचायी है? क्या गांवों और कुओं तक बिजली को पहुंचाया है? गांवों और कुओं को बिजली पहुंचाना तो दूर रहा आपने पंचायत समिति के हैडक्वार्टर्स पर भी बिजली को नहीं पहुंचाया है। आज पंचायत समिति के हैडक्वार्टर्स और तहसीलों के हैडक्वार्टर्स बिजली के बिना महरूम हैं। कई बार मैंने बिजली मंत्री जी को पत्र लिखा कि कोटा जिले के अन्दर बिजली का उत्पादन होता है। रावतभाटा बिजली का केन्द्र है। उसी जिले के अन्दर, पंचायत समितियों के केन्द्रों पर बिजली नहीं है, वे बिजली से महरूम रख गये हैं। तो यह बिजली बोर्ड और इस राज्य सरकार के लिये शर्म की बात नहीं है? वहां पर चम्बल का पानी आता है। तहसील दीगोद पंचायत समिति सांगोद, अठावा, सुल्ताननगर, तहसील पीपलदा, किशनगंज, और शाहबाद ऐसे केन्द्र हैं जहां पर अभी तक आपने बिजली ले जाने के लिये सोचा नहीं है। आपने घोषणायें की हैं कि इस वर्ष के अन्त तक प्रत्येक पंचायत समिति के केन्द्र पर बिजली पहुंचा देंगे। क्या ऐसी कोई योजना राज्य सरकार की है तो मैं कहूंगा कि विद्युत् मंत्रीजी घोषणा करके बतावें कि अमुक समय तक राजस्थान की तहसीलों और पंचायत समितियों के हैड क्वार्टर्स पर बिजली पहुंचा देंगे। परन्तु यह नहीं होगा, यह मैं जानता हूं और इसका कारण है रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन का नारा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का नारा लगा कर, इसका नाम लेकर आप प्रोमोशन देकर चीफ इंजीनियर बना सकते हैं। आपके एक चीफ इन्जीनियर के रिटायरमेन्ट की टर्म निकल चुकी है और उसको आप एक्सटेन्शन दे चुके हैं। हम पूछना चाहते हैं विद्युत् मंत्रीजी

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)
से, यह प्रश्न यहां पर विधान सभा में उठा था, जो चीफ इन्जीनियर श्री भट्ट हैं उनका रिटायरमेन्ट 1-11-71 को हो चुका है और 1-11-71 के बाद भी श्री भट्ट चीफ इन्जीनियर किस तरह से होकर बैठे हैं ? किस प्रकार से ये चीफ इन्जीनियर के पद पर कन्टीन्यू कर रहे हैं जिनका कि 1-11-71 को रिटायरमेन्ट हो चुका है ? राजस्थान सरकार ने अगस्त, जुलाई के महिने में ही इनको 6 महिने का एक्सटेन्शन दे दिया है और अब फिर साल भर का देने का किया है। राजस्थान के अन्दर जो योग्य व्यक्ति हैं क्या इससे उनकी योग्यता कुंठित न होगी ? आप राजस्थान के सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर्स, जो कि हर प्रकार की योग्यता रखते हैं, जो कि आज से 8-10 वर्ष पहले ही इफीसेन्सी बार को पार कर चुके हैं, और आगे इन्क्रीमेन्ट नहीं है, क्या उनकी योग्यता कुंठित नहीं हो रही है ? लेकिन ऐसे व्यक्ति को, जिसका कि रिटायरमेन्ट हो चुका है, उसका एक्सटेन्शन कर रहे हैं। आपने अनेक बार घोषनायें की हैं, और इस प्रकार के आर्डर्स निकाले हैं कि हम किसी प्रकार भी किसी व्यक्ति को रि-एम्पलाय नहीं करेंगे। तो श्री भट्ट पर किस प्रकार यह रहम किया गया है, यह दया उन पर ही क्यों की गई है ? इसी प्रकार आपको आश्चर्य होगा, कोटा के चम्बल प्रोजेक्ट पर चीफ इन्जीनियर थे, उनका रिटायरमेन्ट हो गया। उसके बाद, बोर्ड का टैक्नीकल मेम्बर उनको बनाया गया। क्या आपको कोई योग्य आदमी नहीं मिलता था ? उसको ही दुबारा छाती पर लाकर टैक्नीकल मेम्बर बनाया है। उनकी 63 वर्ष की आयु हो गई है। मुझे दुःख है कि राजस्थान सरकार ने और बोर्ड ने 65 तक की एज तक कन्टीन्यू करने के लिये मन्जूर कर लिया है। क्या ऐसे बुड्ढों को, बुड्ढे व्यक्तियों को नौजवानों की कीमत पर सरकारी नौकरी में रखना चाहिये था ? तब दूसरे व्यक्ति कहां जायेंगे ? जिन्होंने अनुभव प्राप्त कर लिया है, क्या उनकी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता कुंठित नहीं होगी ? इस प्रकार से इनका एक्स्टेन्शन नहीं होना चाहिये था। राजस्थान सरकार के विद्युत् मंत्रीजी इस संबंध में अपनी स्पष्ट घोषणा करें कि उनकी नीति इस संबंध में क्या है।

आपको पता होगा कि जून 71 के अन्दर आपने जूनियर इन्जीनियर्स की पोस्ट के लिये एप्लीकेशन्स इनवाइट की थीं और उसके अनुसार आपने 68 स्थानों को एडवरटाइज किया था। इन स्थानों के लिये करीब डेढ़ हजार व्यक्तियों ने एप्लीकेशन्स दीं। क्या जिन लोगों ने एप्लीकेशन्स दी हैं उनका इन्टरव्यू हुआ है ? उनको नहीं बुलाया गया और एडहाक बेसिस पर अपाइन्टमेन्ट कर दिया गया है 50 स्थानों पर। आपको क्या अधिकार था ? डिपार्टमेन्टल प्रोमोशन कमेटी को आपने एक तरफ रख दिया और केवल दो व्यक्तियों ने इस प्रकार से 50 स्थानों पर एडहाक बेसिस पर अपाइन्टमेन्ट कर दिया। इस प्रकार राजस्थान के अन्दर बेकारी, मंहगाई जो मुंह बनाये खड़ी है, राजस्थान के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास में इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा, डिग्री है, क्या उन लोगों के स्थान पर आप बाहर के लोगों को लेना चाहते हैं ? मैं मानता हूं कि सारा देश एक है और मुझे उससे कोई विरोध नहीं है। परन्तु राजस्थान सरकार ने क्या कभी यह सोचा है कि हमारे इन्जीनियरिंग कोलेज और पोली टैक्नीक से जो लड़के निकल रहे हैं

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

उनको किस तरह से यहां पर खपाया जाये। जो कोटा फिक्स है कि अमुक परसेन्टेज तक राजस्थान के लोगों को लिया जायेगा, इस पर सरकार ने कभी विचार नहीं किया कि नियुक्तियों के अन्दर राजस्थान के लोगों को प्रायोरिटी दे, उनका परसेन्टेज कोटा फिक्स कर और दूसरी ओर जून 71 के अन्दर पोस्ट एडवरटाइज की, उन एडवरटाइज्ड पोस्ट पर इन्टरव्यू नहीं लिये गये और एडहाक बैसिस पर 51 आदमियों का आपने अपाइन्ट-मेन्ट कर दिया। इस विषय में जो व्यक्ति दोषी हैं उनके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था, जो आप प्राफिट बता रहे हैं, वह आपकी क्षमता का द्योतक नहीं है। स्थिति यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के परचेजेज के मामले में जितने घोटाले हैं वे लाखों, करोड़ों की संख्या में हैं। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के किसी अन्य राज्य के अन्दर इस प्रकार के घोटाले नहीं हैं। आंख मीचकर सरकार सो जाती है और जांच नहीं करती है। मैं विद्युत् मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान एटोमिक पावर प्रोजेक्ट, राजकीय सम्पत्ति नहीं है? यह राष्ट्र की मान्यता है कि वह राष्ट्रीय सम्पत्ति है। हमारे देश की सरकार हर प्रकार से उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। परन्तु हमारी राजस्थान की सरकार को, और राजस्थान के विद्युत् बोर्ड को दुहाई देनी पड़ेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आर. ए. पी. के लिये कन्डक्टर्स परचेज किये गये थे, क्या आपने उनकी जांच की है। इसी की परचेज में घोटाले हुए हैं। क्या इस प्रकार से जो इन्फीरीयर क्वालिटी के कन्डक्टर्स परचेज किये गये हैं, उसकी जांच करके किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है। आज तक आपने किसी को दोषी नहीं ठहराया है। मेरा कहना है कि अकेले इस परचेजेज में ढाई करोड़ का घोटाला किया गया है, यह सुन कर आप आश्चर्य करेंगे। जिस तरह के ये कन्डक्टर्स होने चाहिये थे, जिस प्रकार का अल्यूमिनियम उसमें होना चाहिये था जितने वायर होने चाहिये थे, वह कहीं भी नहीं थे। 6–7 वायर जहां पर होने चाहिये थे, या 7–8 वायर जहां पर होने चाहिये थे उसकी जगह पर 6–7 वायर ही थे। जिस क्वालिटी का अल्यूमिनियम होना चाहिये था, वह नहीं था। मुझे जानकारी मिली है कि 220 के. वी. लाइन के लिये जो कन्डक्टर्स इन्सुलेशन परचेज किये गये थे, वह 45 लाख मीटर तार दोष-पूर्ण होने के कारण आज बेकार पड़ा हुआ है। स्थिति यह है उपाध्यक्ष महोदय, तार का जो स्पेसिफिकेशन था, उसके अनुसार उसका डाईमीटर 3.18 मिली मीटर होना चाहिये था जिसकी जगह वह 2.90 मिली मीटर है। जबकि उसका डाईमीटर 3.18 होना चाहिए, एक्चुअल है 2.90 एम. एम.। अल्यूमिनियम भी उसके अन्दर जितनी मात्रा में होना चाहिये था, जितनी मात्रा में मांगा गया था, वह भी नहीं है। जगह जगह पर वह तार स्टील के तारों से जुड़ा हुआ है, स्टील के तार भी कम हैं और इस कारण से यह तार बेकार पड़ा हुआ है। क्या इसकी जांच कराई गई है? जांच कराई गई है और जांच कराने के बाद रिपोर्ट आई है? मैं पूछना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट के ऊपर क्या कार्यवाही की गई है। मेरी सूचना है कि एक्स. ई. एन. श्री ए. पी. सिंह ने वह जांच की है। क्या परिणाम निकला और कौन दोषी पाया गया? किन अधिकारियों ने यह

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

स्कैन्डल किया है और स्पेसिफिकेशन से खराब माल खरीदा जो अब किसी भी प्रकार से काम में नहीं आ सकता है ? जिस क्षमता का वह परचेज किया जाना चाहिये था, उस परचेजेज के बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं । आर. ए. पी. पी. के लिये जो परचेजेज की गई और माल खरीदा गया वह इतनी मात्रा में बेकार पड़ा है उस पर किसी भी प्रकार का लोड नहीं डाल सकते हैं ।

मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से इस संबंध के अन्दर जांच की आपने क्या कार्यवाही की, और जो दोषी पाये गये हैं व्यक्ति उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इसी पार्टी ने आपको कन्डक्टर्स सप्लाई किये थे उसमें कुल केपिटल का 10 पर्सेन्ट के हिसाब से 15 लाख की बैंक गारन्टी ली गई थी । स्पेसिफिकेशन के अनुसार और निश्चित टाइम के अन्दर वे माल सप्लाई करेंगे इसके लिये राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने 15 लाख की बैंक गारन्टी ली थी । यह जो 15 लाख की बैंक गारन्टी ली है उस माल के लिये सी. ई. ने लिखा है कि माल खराब आया है और रिपोर्ट की बैंक को कि बैंक गारन्टी जब्त की जाय । इसके बाद बोर्ड ने उसको स्टे कर दिया, और उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि जो बैंक गारन्टी की टाइम लिमिट थी वह लैप्स हो गई, और राज्य सरकार और बोर्ड के पास कोई जरिया नहीं है कि जो कुछ लास हुआ है आर. एस. ई. बोर्ड को कन्डक्टर की सप्लाई में वह वसूल कर सकें । इसके लिये कौन अपराधी है ? बोर्ड के किस व्यक्ति ने, किस अधिकारी ने स्टे आर्डर किया ? क्यों नहीं बैंक गारन्टी को आपरेट होने दिया और क्यों नहीं बैंक गारन्टी से पैसा वसूल होने दिया ? इसके लिये आप जानकारी देना चाहेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक घटना नहीं है परचेजेज की जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, और भी अनेक परचेजेज में नुकसान हुआ है । मंत्री महोदय को मालूम होगा कि सन् 65 के अन्दर आपने एस. ई. एस. आर. कन्डक्टर्स जो भिन्न भिन्न प्रकार के थे उनके लिए टेन्डर आमन्त्रित किये थे 17000 किलोमीटर के लिये । वह टेन्डर्स आपको प्राप्त हुए 1965 के अन्दर और आपने आर्डर प्लेस किया उसके आधार पर 29-7-65 को । उपाध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि आज हम एक ओर तो पैसे की कमी बताते हैं और पैसे की कमी बताकर राजस्थान के उपभोक्ता पर टैक्सेज का बर्डन लादते चले जा रहे हैं और आज यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने मनमाने ढंग से, मनमाने ढंग से ही नहीं बेईमानी से जिनके चाहे टेन्डर को एक्सेप्ट करती है और जिनके चाहे टेन्डर्स को रिजेक्ट करती है । मनमाने ढंग से लेम एक्स्यूजेज के आधार पर जिसके चाहे टेन्डर को एक्सेप्ट करके आर्डर प्लेस करती है । मंत्री महोदय, जिस केस के बारे में मैं कह रहा हूं इसमें विभिन्न पार्टीज ने कई टेन्डर्स इस प्रकार के पेश किये हैं । ये टेण्डर्स एक ओर जहां 1946 से 669 तक के पर किलोमिटर की रेट के थे तो दूसरी ओर 1703 से लेकर 579 तक के थे, लेकिन जो लोएस्ट टेन्डर्स थे उनको बोर्ड व परचेज कमेटी ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि चूंकि माल की जल्दी आवश्यकता है और माल की जल्दी आवश्यकता के लिये

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

लोवर टेन्डर्स में जिस प्रकार की कन्डीशन्स थीं उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस प्रकार से माल जल्दी चाहिये और फर्म प्राइस पर रा-मेटेरियल नहीं है। इन दो लेम एक्सक्यूजेज पर कि माल जल्दी चाहिये और जो रा-मेटेरियल चाहिये उसकी फर्म प्राइस हो, इस आधार पर जो लोएस्ट टेन्डर जयपुर की एक फर्म का था उसको रिजेक्ट कर दिया और इंडियन एल्युमीनियम केबल्स, नई दिल्ली के टेण्डर को एक्सेप्ट किया। इस बात से हमको 5,44,000 रुपयों का नुकसान हुआ। अगर हमने लोएस्ट टेण्डर एक्सेप्ट किया होता तो 5,44,000 रुपयों का फायदा होता। यह आर्ग्यूमेंट समझ में आ सकता है कि माल की जल्दी आवश्कता थी और प्राइस जो रा-मेटेरियल की थी वह किस प्रकार की फर्म थी यह आर्ग्यूमेंट करते तो 5,44,000 का नुकसान नगण्य है। क्या मेटेरियल समय पर मिला? जो 29-7-65 को आॅर्डर प्लेस किया और जिस प्रकार से फरवरी 67 में उस कान्ट्रेक्ट की सप्लाई कम्प्लीट हो जाना चाहिये थी वह क्या हुई? क्या समय समय पर आॅर्डर प्लेस किये गये? नहीं किये। नहीं किये गये तो जो अर्जेंसी के आर्ग्यूमेंट के बहाने पर जो हायर टेण्डर एक्सेप्ट किये गये थे वह गलत था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि माल का आर्डर नहीं किया गया, और फिक्स्ड पीरियड में सप्लाई करने के लिये, कम्पनी को बचाने के लिये लेम एक्सक्यूजेज लिये जा सकते हैं कि पाकिस्तान एग्रेशन का टाइम आ गया था, डिवेल्युएशन हो गया था, हमारे पास पैसे की तंगी थी। मैं कहना चाहूंगा कि सारे के सारे बहाने हैं। आप स्वयं देखेंगे परचेज फाइल को और जो आॅर्डर प्लेस किये हुए हैं उनको तो मालूम पड़ेगा कि वह सारे बहाने थे। उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा मामला चलता रहा और नतीजा यह हुआ कि आपने स्वयं ने डिवेल्युएशन का सहारा लेकर, आपके अधिकारियों ने और आपके बोर्ड ने डिवेल्युएशन का बहाना लिया और उस कम्पनी ने जिसको समय पर माल सप्लाई करना चाहिये था वह सप्लाई नहीं कर पाई आपसे टाइम बढ़ा देने का बहाना लेकर आपसे कहा कि डिवेल्युएशन हो गया है और जिस प्राइस रेट पर आॅफर किया है उस प्राइस पर रा मेटेरियल सप्लाई नहीं कर सकते हैं और डिवेल्युएशन के कारण पैसा बढ़ाना चाहा, और राजस्थान सरकार, यह समाजवादी सरकार, सिर झुकाकर सामने आ गई। उपाध्यक्ष महोदय, जो रेट एन्हन्स की गई उस कारण से कोई 2–5 लाख का फर्क नहीं पड़ा। इस कारण से राज्य सरकार को 20,49,000 रुपयों का एक्स्ट्रा पेमेन्ट करना पड़ा। आपका एग्रीमेंट किस बात के लिए है? आपने जो टेन्डर दिया है वह किस बात के लिए है, आप जो कान्ट्रेक्ट करते हैं वह किस बात के लिये है? आरम्भ के अन्दर जो लोएस्ट टेन्डर था यह कहकर उसको रिजेक्ट कर दिया कि माल जल्दी चाहिये और रा-मेटेरियल की प्राइस फर्म चाहिये आधार पर टेन्डर एक्सेप्ट किया है। जब इस आधार पर टेण्डर एक्सेप्ट किया है तो डिवेल्युएशन का आर्ग्यूमेंट किस आधार पर मान लिया और आपने स्वयं राजस्थान सरकार ने आॅर्डर प्लेस नहीं किया चाहे वह पार्टी से मिलकर किया हो, चाहे किसी भी कारण से किया हो, तो फिर अर्जेंसी का बहाना नहीं लेना था। इस प्रकार केवल इस परचेजिंग

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, हम हिसाब लगायें तो राज्य सरकार को, राजस्थान की जनता को इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने केवल इन कन्डक्टर्स की परचेजेज में केवल एक टेण्डर के अन्दर लगभग 50 लाख का लास दिया है–25 लाख का लास दिया है। इसके लिये कौन जिम्मेदार है? क्या इस की जांच कराई है? मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि आपको इस प्रकार का मुगालता दिया हो कि रा-मेटेरियल नहीं था। मैं कहना चाहूंगा कि उसको रा-मेटेरियल सप्लाई किया गया, इन्डीजिनस रा-मेटेरियल सप्लाई किया गया और फारेन मेटेरियल के सप्लाई के लिये इम्पोर्ट लाइसेन्स दिया गया। मैं बताना चाहूंगा कि हमने स्वयं ने औरंगपुर और गाजियाबाद से इन्डीजिनस रामेटेरियल 65-66 से लेकर 67-68 तक 5782 मैट्रिक टन्स कच्चा माल दिया है और उसी प्रकार फारेन एक्सचेन्ज के रूप में 65-66 से लगाकर 67-68 तक 3,40,10,000 रु. का फारेन एक्स्चेन्ज दिया है। यह कम्पनी इस आधार पर यह कहकर चले और फारेन एक्सचेन्ज वह ले ले और रा-मेटेरियल यह ले ले और उस आधार पर बोर्ड के मेम्बर्स से मिलकर, संबंधित अधिकारियों से मिलकर वह अपना हाइएस्ट टेण्डर एक्सेप्ट करा ले और उसके बाद यह बोर्ड और बोर्ड के सदस्य और अधिकारियों ने राज्य सरकार को थोड़ा-बहुत नहीं 25 लाख का लास पहुंचा दिया। क्या राज्य सरकार ने इसकी जांच की है? क्या कभी इसके लिये कोई एन्क्वायरी कमेटी बिठाई है? नहीं बिठाई है आज तक जांच नहीं की गई है। मैं कहना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों ने गफलत की है, जिन्होंने इस प्रकार की गड़बड़ की है, जिन्होंने पूरी जांच नहीं करके इस प्रकार की परचेजेज की हैं उसके ऊपर मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस दोष के लिये उनको अपराधी बनाया जाय।

जैसा कि मैंने 65 का बताया तो एक के बाद एक इस प्रकार के केसेज आते रहे हैं। 64 के अन्दर इसी बोर्ड ने इसी प्रकार के कन्डक्टर्स के लिये टेण्डर्स इन्वाइट किये और 22-2-64 को टेन्डर्स इन्वाइट हुए थे। 1200 किलोमीटर के टेन्डर्स इन्वाइट किये गये, और पार्टी से मिलकर जो कि कुल टेण्डर 1200 का था उसको बढ़ाकर 2300 किलोमीटर का कर दिया। क्या आप इसको उचित समझते हैं। टेन्डर इन्वाइट करते हैं 1200 किलोमीटर का और पार्टी उसके आधार पर अपने टेण्डर्स देती है और सारा खर्चा केल्क्यूलेट करके सामान देती है और वही पार्टी जिसका मैंने आपको ऊपर नाम लिया है इन्डियन एल्युमिनियम केबल्स जिसका टेन्डर हाई था जैसा कि पहले उसका हाइएस्ट टेन्डर था उसको लेम एक्स्क्यूजेज जैसे अर्जेंसी का बहाना और फर्म प्राइस का बहाना करके उसको कान्ट्रेक्ट दे दिया उसी तरह से इसमें भी करके टेन्डर एक्सेप्ट किया गया और उसके कारण 90 हजार का लास हुआ। और उसके बाद यह जो 1200 किलोमीटर था उसके बजाय उससे परचेज किया गया 2318 किलोमीटर का तो यह कहां तक उचित है? और, उपाध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि दोनों केसेज के अन्दर पैनल क्लाजेज हैं और पार्टी यदि समय पर माल सप्लाई नहीं करेगी तो एक केस के अन्दर 0.25 पर्सेंट से लेकर 10 पर्सेंट

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

तक रखा है और दूसरे केस में 0.5 पर्सेंट से लेकर 5 पर्सेंट तक रखा है, और दोनों केसेज के अन्दर इसके बावजूद कि उसने समय पर माल सप्लाई नहीं किया और हमारा मनी ब्लॉक हो गया राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने एक में भी पैनल्टी इम्पोज नहीं की।

मैं जानना चाहूंगा कि यह पैनल्टी इम्पोज क्यों नहीं की गई? इस केस को जो मैंने बताया है, पैनल्टी लगाई जाती तो गभग साढे 4 लाख रुपया इस पार्टी को देना पड़ता। न पैनल्टी लगाई, न लो स्टैण्डर्ड रेट पर माल खरीदा गया। इस प्रकार से इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने राजस्थान सरकार को लाखों का नुकसान पहुंचाया है। क्या मंत्री महोदय कहेंगे कि इसकी जांच कराऊंगा। आप तो उनको कहेंगे, आप बुड्ढे हो गये तो क्या हुआ? हम तुम को एक्सटेंशन देते हैं। इस वक्त एक व्यक्ति को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में एक्सपर्ट होने के नाते चीफ इन्जीनियर बनाया गया है। एक स्पेशलिस्ट मिस्टर सक्सेना है; उनको 4 महीने के लिये विदेश भेजा गया था। आज वह आदमी ट्रेण्ड है। फिर कौन सा कारण है कि आप एक व्यक्ति के लिये यह सब कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कहना पड़ेगा कि देर आयद दुरुस्त आयद। राजस्थान सरकार ने अजमेर के पावर हाउस को अपने हाथ में लिया। आप ने उनको 61 लाख रुपया एडवांस पे किया है। यह किस तखमीने के आधार पर किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, आप के माध्यम से मैं कहूंगा कि बिना किसी इण्ट्री के एड्हाक बेसिस पर 61 लाख रुपया उसको एडवांस कर दिया जाय। आज हालत यह है, जब सरकार उसको हाथ में लेने के लिए गई तो जो बड़ी बड़ी मशीनें थीं, उनका पता नहीं चला आप ने उसको पेमेन्ट कर दिया। फिजिकल वेरीफिकेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नतीजा यह है कि लाखों की मशीनें गायब हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार जांच करवाये। जांच कराके जो अपराधी व्यक्ति हैं, उनको सजा दी जाये। अन्त में मैं कहूंगा मंत्री महोदय केवल बखान करने से काम नहीं चलेगा। आज जो देश हमारे साथ साथ आजाद हुये थे, उनके साथ तुलना करके देखें तो हमें अपनी उपलब्धि मालूम होगी। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने क्या उपलब्धि की है, इसके लिये अपने पास में ही बैठा हुआ हरियाना है। आज उससे आपका 10 परसेण्ट भी मुकाबला नहीं है। आप झालावाड़ चले जायं, वहां खम्भे तो डाल दिये हैं, लाइन का कोई काम नहीं हुआ है। मनोहरपुर पंचायत समिति है, वहां भी लाइन नहीं है। पंचायत हैडक्वार्टर, तहसील हैडक्वार्टर पर आप बिजली नहीं पहुंचा पाये हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा? हम घोषणा करते हैं कि राज्य में एटोमिक एनर्जी प्राजेक्ट तैयार हो रहा है। आर. एस. ई. बी. में करोड़ों रुपये चले गये। इसमें रिपीटीशन नहीं होगा। आंख मूंदकर काम नहीं चलेगा। कौन व्यक्ति है? आप ने आंखें मूंदी हैं। इसकी एग्जाम्पिल अजमेर है। अजमेर के बारे में आपको मालूम हो जाएगा। जो आपका कृपा पात्र है। वह व्यक्ति सम्पत्ति बनाये बैठा है। राजस्थान के खजाने को खराब करने के लिये, जूनियर इन्जीनियर हैं, असि. इन्जीनियर हैं। इनके अपाइण्टमेन्ट हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
ये सारे बीज बोये गये हैं। भाई भतीजे के लिए। आप घोषणा करते थे, गांव गांव और ढाणी ढाणी में बिजली पहुंचाने के लिये। आप गांव गांव में बिजली को पहुंचायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा में, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में चर्चा चल रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत जो योजना हाथ में ली गई है। किन गांवों को प्रायोरिटी दी जाये सबसे पहले उनमें बिजली पहुंचाई जाये इसके लिये शुरू में ध्यान देने की विशेष रूप से आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जालौर जिले की ओर मैं ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा। जालौर जिला ऐसा है, जिस पर हर दूसरे साल अकाल की छाया आती रहती है। वेल इर्रीगेटेड एरिया भी है। वहां 5, 7 साल में पानी की कमी होती है। वहां हजारों कुवे बने हैं। बिजली उपलब्ध नहीं होते हुये भी हजारों पम्पिंग सेट लगे हुए हैं। इस समय में क्रूड आयल, मोबिल आयल काम में लेते हैं। उसके लिये साथ में काश्तकार लगे रहते हैं। मैंने एक प्रश्न के जरिये से सूचना प्राप्त की थी। जालौर जिले में बहुत ही कम परसेण्टेज है। कुओं की संख्या को देखते हुये मंत्री जी भली भांति पता चला सकेंगे। यहां कितना क्षेत्र है। कितना स्कोप है। ऐसे जिलों की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। जब कि हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात म बिजली लगी हुई है। पिछले सालों में गुजरात सरकार ने पावर भी लगा दी है। खेतों को देने को कहा था। परन्तु लाइन कन्सट्रक्शन नहीं होने की वजह से पावर नहीं लगा सकते थे। तो ऐसी हालत में ऐसे जिलों में विशेष कर जालौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर जिले हैं जो आये साल अकाल-ग्रस्त रहते हैं। एक ही प्रोजेक्ट के अन्दर ये सांचोर और भीनमाल हैं। परन्तु पिछले टाइम माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि यह एक जो स्कीम है इसको बहुत ही तेजी से इम्प्लीमेंट कराया जाय परन्तु जो प्रोग्रेस आज दिन तक देखने को मिलती है उससे ऐसा लगता है इस वर्ष जो लाइन के जरिये इलेक्ट्रिफिकेशन गांवों का होना था और बेरों को पावर उपलब्ध होनी चाहिये वह नहीं होगी। ऐसा लगता है, इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जालौर जिले में जिन क्षेत्रों में बिजली नहीं पहुंची है और हजारों की संख्या में वहां कुए हैं, इसलिये उस एरिया में कुओं को पावर देने के लिये लाइन लगाना बहुत जरूरी है–इसलिये इसको शीघ्रता से पूर्ण कर और जालौर से भीनमाल और रानीवाड़ा की जो की बेल्ट है उन गांवों के लिये इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये शीघ्रता से इस योजना को पूरा किया जाय जिससे कि वहां के लोगों को संतोष हो और जो जालौर जिला पिछड़ा हुआ है उसकी प्रगति करने में यह सहायक हो।

इसके साथ ही निवेदन है कि सांचोर में गुढ़ामालिनी होकर लाइन जा सकती है। वहां के लिये कोई योजना नहीं है। वहां

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

डीजल सैट से पावर जनरेट होती है। इसलिए यह लाइन बाड़मेर तक पहुंचा दी जाय तो इस स्कीम के जरिये गुढ़ामालिनी के क्षेत्र में जो बैरे हैं उनमें पावर कनेक्शन दिया जा सकता है और जो बाड़मेर में बिजली की कमी रहती है वह दूर की जा सकती है। ऐसी हालत में यह जो लाइन है, इसको पूरा करने में यदि पैसे की भी कमी हो तो उसकी पूर्ति करके लाइन जल्दी से जल्दी वहां पहुंचाई जाय और जो योजना है उसे एक्सटैंड करके इसी साल वहां पावर उपलब्ध कराई जाय।

जालौर जिले की तहसील आहोर में फालना से बिजली आती है। वहां के काश्तकारों की शिकायत है कि पावर टाइम टू टाइम चली जाती है। जिस टाइम पावर चाहिये, उसमें देने में इंजिनियर बताते हैं कि डिफीकल्टी है। उनको समय पर बिजली की आवश्यकता होती है लेकिन उन्हें रात को बिजली देने के लिये कहते हैं। इस कारण वहां काफी डिफीकल्टी है। फालना को वहां से रिप्रेजेंटेशन किये हैं कि रबी की फसल के समय पर बिजली दी जाय। जालौर में बिजली देने का समय है वह उपयुक्त नहीं होने की वजह क्या है, क्या डिफीकल्टी है। वह जो भी डिफीकल्टी हो वह शीघ्रातिशीघ्र दूर की जाय और जो जालौर में बार बार बिजली का ब्रेक डाउन होता है उसमें जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश की जाय।

इसके अलावा भीनमाल में, सांचोर में दो पावर हाउस हैं, इनमें डीजल सैट हैं। मैंने पहले जब आग्रह किया तो वहां सैट लगाया है, सांचोर में 100 किलोवाट का सैट लगाया है। पहले वहां पर पावर की कमी थी जब तक हाइडल पावर नहीं आये, तब तक जो पावर हाउस की क्षमता है उससे जो शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स के एरिया में दो सौ, तीन सौ वेल्स बने हुए हैं, वहां पर दो-तीन खम्बे लगाने से लाइन लेजाकर उन वेल्स पर पावर पहुंचाई जा सकती है। इससे ग्रामीण विद्युतिकरण में सहायता होगी और इर्रिगेशन के लिहाज से कुओं पर पम्पिंग सैट लगाने की संख्या में वृद्धि होगी। यह जो 100 के. वी. का डीजल सैट लगा है, उससे पावर जनरेट होगी, वह आस पास के गांवों को और वेल्स को इसी साल दी जाय जिससे काश्तकारों को संतोष हो क्योंकि वहां पर स्केअरसिटी कन्डीशन्स हैं और क्रूड आयल कम उपलब्ध होता है, ऐसी हालत में पावर उपलब्ध कराने से लोगों को काफी रिलीफ मिलेगा।

उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा विशेष कर जिला जालौर के लिये निवेदन है कि राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी का एक इन्सपेक्टर है जिसके जरिये कान्ट्रेक्टर इलेक्ट्रिसिटी लगाने के लिये एल फार्म लेते हैं, उनको लाइसेंस इश्यू करते हैं। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, विशेष रूप से जब तक लाइसेंस इश्यू करके कान्ट्रेक्टर्स की मात्रा नहीं बढ़ायेंगे तब तक बिजली विभाग में जो लोगों के अन्दर करप्शन की बीमारी है वह नहीं मिट सकती है। इसको मिटाने की हमने काफी कोशिश की लेकिन मिटा नहीं है। करप्शन इसी तरह से दूर हो सकता है कि रजिस्टर में जिस प्रकार एप्लीकेशन दर्ज हो उसी तरह पावर कनेक्शन दिया जाय। लेकिन एल. फार्म की बीमारी भयंकर है। जालौर में जो इन्सपेक्टर है, भीनमाल में

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

वही जाता है और कान्ट्रेक्टर को जो एल फार्म दिया जाता है, वह लाइसेंस इश्यू होता है जयपुर से, इसलिये करप्शन की शिकायत होती है। मेरा निजी अनुभव है, इसका एकमात्र कारण यह है, करप्शन को दूर करने के लिये ज्यादा लाइसेंस इश्यू किये जायं। मेरा निवेदन है कि जो लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति हैं उनको यदि ट्रेनिंग की आवश्यकता हो तो वह दी जाय। जो पावर हाउस है उनको लाइन से जोड़ने की स्कीम है और कनेक्शन लेने को लोग तैयार हैं। उसके लिये एप्लीकेशन दिलवाई है। फिर क्या दिक्कत है। पहले कहते हैं एप्लीकेशन फार्म नहीं है, फिर लाइसेंस इश्यू नहीं होते हैं इस कारण मोनोपोली एक कान्ट्रेक्टर की हो जाती है और वह ए. ई. एन. से मिल कर काम करता है इसलिये उसकी शिकायत नहीं होती है। कोई खिलाफत करता है तो वह मेनपुलेट करता है, कभी लेबर से स्ट्राइक करा देता है, झगड़ा पैदा करा देता है। यदि शिकायत करें तो ऐसी पोजीशन पैदा करता है। कि मशीनें ठीक ढंग से काम नहीं करने पाती हैं। इसका एक मात्र उपाय यही है (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) लाइसेंस ज्यादा इश्यु किये जायं और लाइसेंसीज कम हों तो दूसरी जगहों से जो आने को तैयार हैं, उन्हें ऐसी जगहों पर भेज दिया जाय। कान्ट्रेक्टर्स में कम्पीटीशन होगा तो यह बीमारी दूर हो सकती है। इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जालोर जिले में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की कालोनी है। इस वर्ष वित्त मंत्री ने वजट भाषण में घोषणा भी की थी, ऐसे मोहल्लों को फ्री इलैक्ट्रीफाई कर दिया जायगा। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का कथन इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस ओर प्रगति कम हुई है। ऐसे मोहल्लों को इलेक्ट्रिफाई करने में अगर वजट में कमी है तो सोशल वेलफेयर का जो वजट है उसमें से पैसा ले लिया जाय। मैंने मंत्री महोदय से पूछा था कि जिला जालोर में कोई स्कीम अभी नहीं है तो उन्होंने कहा कि स्कीम बना कर भेज दो। सोशल वेलफेयर आफिसर से कहते हैं कि स्कीम बना कर दे तो आगे फारवर्ड कर सकते हैं। मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि इंजीनियर को वह डाइरेक्शन्स दे कि जहां कहीं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मोहल्ले हैं वहां की स्कीम बनाकर सोशल वेलफेयर आफिसर की मार्फत यहां भेजी जायें क्योंकि काफी बजट भीखा भाई ने वताया है और जहां के लिये मांगें वहां के लिये वह देने को तैयार हैं लेकिन योजना नहीं आती हैं। मेरा निवेदन है कि योजना बनाने का काम टेक्निकल होता है जो सोशल वेल फेयर आफिसर नहीं कर सकता है इसीलिये इंजीनियर को कहा जाय···

श्री विजय सिंह : यह फर्माया कि माननीय भीखा भाई ने बजट बनाया है, तो वह दूसरे महकमे का कैसे बता सकते हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास बिजली देने के लिये काफी प्रावधान है लेकिन जिलों के प्रस्ताव न आने के कारण वह पैसा देने में असमर्थ है इसलिये बिजली का पैसा प्रत्येक जिलों में कम गया है क्योंकि स्कीम नहीं आई है। इसलिये मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वह अपने विभाग को सक्रिय करके जहां से प्रस्ताव नहीं आये हैं वहां से भिजवायें ताकि यह मोहल्ले इलेक्ट्रिफाई हो सकें।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इन तथ्यों के साथ मेरा निवेदन है कि जालौर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिहाज से पिछड़ा हुआ है । गुजरात में विद्युतिकरण काफी हुआ है । मैं इस ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, गांवों में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाय और काश्तकारों को रिलीफ देने के लिये ज्यादा कुओं पर विजली उपलब्ध कराई जाय । रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जिन कालोनीज का करना है, वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में करने के लिये जितना स्कोप है उसके अनुसार फण्ड प्रोवाइड करने की मैं रिक्वेस्ट करूंगा । इन मुद्दों के साथ जो कुछ बाकी करप्शन वगैरह है, छोटी मोटी शिकायतें रहती हैं । निजी रूप में कई कम्प्लेंट जरूर की जा सकती हैं, मोटे तौर से जो सुझाव मैंने दिये हैं, इनको माना जाय तो कुछ रूप में करप्शन की समस्या को दूर किया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह :

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय कांग्रेस के सदस्य ही बोल रहे हैं और अभी स्वतन्त्र पार्टी का एक भी सदस्य नहीं बोला है । हमें भी तो मौका मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको बोलने का मौका दूंगा । दस मिनट मिलेंगे आपको ।

श्री विजयसिंह : आप दस मिनट तो बाद में देना पहले अभी दो मिनट बोलने दीजिये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : मुझे बोलने दीजिये । मेरे बोलने के वक्त ही क्यों आपत्ति उठायी जा रही है माननीय सदस्यों द्वारा ।

श्री रामकिशन (वैर) : इन्हें बोलने दीजिये । इनको बड़े मुश्किल से मौका मिला है इन्हें बोलने दें । ये राजाखेड़ा के बारे में बोलेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज । श्री प्रद्युम्न सिंह अपना भाषण जारी रखें ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय आज यहां सदन में राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर विचार हो रहा है । इसके बारे में आज यहां दोनों पक्षों के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । मैं भी कुछ अपने विचार व्यक्त आपके सामने करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय सबसे पहले मैं बोर्ड के अधिकारियों ने जो कार्य किया है उसके लिये मुझे खुशी है और इन्होंने जो कार्य किया है उसकी उपलब्धियां जो भी हैं उनकी तरफ मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । राजस्थान के निर्माण के बाद उपाध्यक्ष महोदय विद्युत की तरफ से राजस्थान में काफी प्रगति हुई है । उपाध्यक्ष महोदय, पर आज जब हमारे राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की उपलब्धियों को दूसरे पडोसी प्रांतों की तरफ खास तौर से गुजरात, हरियाना, पंजाब आदि के मुकाबले में देखें तो ऐसा मालूम होगा कि उपाध्यक्ष महोदय हमारे यहां बिजली में कोई प्रगति नहीं हुई । यह बहुत ही स्वाभाविक बात है उपाध्यक्ष महोदय कि आज जो विद्युतीकरण से गुजरात, हरियाणा पंजाब अपने इलाके से बहुत ही आगे विकास किया हुआ है इसलिये हमारे मन में रोष भी आता है क्योंकि आज यहां पर तो गांव गांव में बिजली अभी तक नहीं पहुंची है पर हरियाणा व पंजाब की स्थिति यह है कि वहां हर गांव में विद्युतिकरण हो चुका है । इस मामले में सदन में कई बार चर्चा हुई

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

है तो असली इसका कारण यह है कि राजस्थान के निर्माण के वक्त राजस्थान बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था फिर भी काफी प्रगति हुई है। प्रगति कम होने का कारण यह भी है कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को भी हमें देखना पड़ता है, दूसरे यहां अकाल पड़ता रहता है और इसके अलावा आबादी का घनत्व भी हरियाणा और पंजाब से कम है। इसके अलावा आज राजस्थान हिन्दुस्तान में सेकिंड बिगेस्ट स्टेट है और इसके विपरीत हरियाणा छोटा है पंजाब छोटा है इसलिये अगर यहां विद्युतिकरण हुआ भी है तो एवरेज अपने आप ही कम आयेगा। आज राजस्थान में 26 जिले हैं और हरियाणा में सिर्फ 7-8 जिले हैं तो उन्हें तो विद्युतिकरण करने में कोई खास वक्त नहीं लगता और अपने यहां सभी बातों को ध्यान में रखने की जरूरत रहती है। वैसे राजस्थान के जो पडोसी प्रांत हैं उनकी राजस्थान से आर्थिक हालत भी काफी ठीक है इसलिये उनके यहां विद्युतिकरण अधिक हुआ है फिर भी अपने यहां भी काफी प्रगति हुई है। पर इन सभी हालतों के बावजूद जो राजस्थान के गांव दूसरे प्रांतों की सीमा से लगे हुए हैं उनके यहां की जनता को काफी दुख होता है इसलिये मैं माननीय महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो दूसरे प्रांतों की सीमाओं से लगे हुए हैं उनकी ओर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिये। उन इलाकों में विद्युतिकरण का खास कार्य किया जाना चाहिये। आज जब राजस्थान का विद्युत विभाग बना या जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना था तब उसकी माली हालत बहुत ही खराब थी उसमें काफी सुधार हुआ है अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की माली हालत में जो सुधार हुआ है उसका कारण उपभोक्ताओं की अधिकता के कारण हुई है। तो उपाध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन यह है कि बोर्ड तो एक कामशियल कनसर्न है इसलिये उपभोक्ताओं से अगर बोर्ड को लाभ हुआ है तो कोई नई बात नहीं है। कामशियल कनसर्न को लाभ होना चाहिये। पहले तो बोर्ड की माली हालत ठीक नहीं थी पर अब कर्मचारियों की कार्य कुशलता के कारण ये लाभ हुआ है। और अब बोर्ड मुनाफे में चल रहा है। मैं किसी पार्टीबाजी या और कोई दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूं जो वस्तु स्थिति है वह बता रहा हूं।

श्री बिरधी चन्द जैन : मुनाफा कहां हुआ यह तो कागजों म है, कितना मुनाफा हुआ ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : I don't have exact figures. How can I give you? ये तो आप कह सकते हैं मैं तो वस्तु-स्थिति बता रहा हूं।

श्री विजयसिंह : यह कैसे कह सकते हैं इनको भी मिलता होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बोर्ड को मुनाफा हुआ है और सही स्थिति है।

श्री मोहनलाल मोदी : वो तो रेट्स बढ़ा दीजिये तो अपने आप मुनाफा हो जायगा। ये तो गलत बता रहे हैं हाउस को मिस गाइड कर रहे हैं। वो तो रेटस बढाने की वजह से मुनाफा हुआ। क्या यह नेट प्रोफिट है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं तो बता रहा हूं कि बोर्ड मुनाफे में चल रहा है। मैं तो निवेदन कर

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
रहा था कि बोर्ड के बनने के बाद इन पिछले सालों में बोर्ड की हालत सुधरी है। पर उपाध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय से आपके मारफत निवेदन करूंगा कि आज ग्रामीण विद्युतिकरण की प्रोग्रेस बहुत कम है इसलिये मैं राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों व उसके अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज राजस्थान के पास बिजली अधिक है और हमारे यहां जो बिजली जनरेट की जाती है अगर उसको फैलाने की कोशिश नहीं की गई और वह बिजली अपने काम में नहीं ली गई तो दूसरे प्रांतों की सरकार उस बिजली को ले जायेगी और इसके लिये हो सकता है दूसरे प्रांत वाले भारत सरकार से हमारे ऊपर बिजली देने के लिये दबाव डालें और हमें मजबूरन बिजली देनी पडे। इसलिये इस को खास तौर से ध्यान में रखकर ग्रामीण विद्युतिकरण किया जाना चाहिये।

दूसरे उपाध्यक्ष महोदय आज जो बिजली के कनेक्शन देने की कार्यवाही है उसमें उपभोक्ता बहुत ही परेशान है क्योंकि कम लोगों के पास लाइसेंस है इसलिये जो आज कान्ट्रेक्टर्स द्वारा शोषण किया जा रहा है जनता का उसे बन्द किया जाना चाहिये। आज चूंकि लोगों के पास लाइसेंस कम हैं इसलिये कान्ट्रेक्टर्स उपभोक्ताओं को परेशान करते हैं इसलिये मेरा सुझाव है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आफिसरों को चाहिये है कि वह लाइसेंस को अधिक से अधिक द ताकि लोगों को परेशानी होना बन्द होजाय और ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण विद्युतिकरण होने से किसानों को अपनी खेती से लाभ हो सके। कुओं में बिजली ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। आज लाइसेंस की लोगों के पास कमी होने की वजह से जनता को परेशानी है सो वो उसे खतम करने के लिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने चाहता हूँ कि इसके लिये ठोस कार्यवाही की जाय ताकि यह परेशानी मिट जाये और अपने राजस्थान में जो कि बिजली जनरेट होती है वो काफी मात्रा में है वो दूसरे प्रान्तों में न जाकर हमारे यहां के लोगों को उसका लाभ मिल सके। इसके लिये मेरा एक निवेदन है कि ग्रामीण विद्युतिकरण के संबंध में गांवों में बिजली की मांग अधिक है और अभी अपने पास बिजली जनरेट भी अधिक होती है, लोगों को कम बिजली मिलने का कारण खास तो यह है कि कान्ट्रेक्टर्स की कमी है तो मेरा सुझाव है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजली मिले उसके लिये कान्ट्रेक्टर्स की संख्या बढायी जाय ताकि लोगों कोबिजली के लिये चक्कर नहीं काटना पडे क्योंकि इस प्रकार कान्ट्रेक्टर्स में कम्पीटीशन की भावना बढेगी और इस प्रकार लोगों को परेशानी नहीं होगी।

दूसरी बात मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह लीकेज के बारे में है। इस सदन में कई बार पहले भी इस बारे में प्रश्न उठाये जा चुके हैं कि बिजली की चोरी होती है तो मेरा मन्त्री महोदय का इस ओर खासतौर से ध्यान आकर्षित करने का मकसद यह है कि इसे तुरन्त रोका जाना चाहिये और इसके लिये [illegible] हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके अलावा मेरा मन्त्री महोदय को यह निवेदन है कि आज राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बडे उद्योगपतियों में बहुत ही आउट स्टेंडिंग्ज है वो भी उपाध्यक्ष महोदय एक एक उद्योगपति में लाखों रुपये की है। वो भी वसूल की जानी चाहिये। पर आज स्थिति ऐसी है कि वह बकाया

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

की वसूली नहीं हो रही है। तो मैं इस ओर राज्य सरकार और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इसकी वसूली करे ताकि वो रकम जो हैल्ड अप हुई है, उससे बोर्ड को हानि हो रही है वह नहीं हो क्योंकि उस रकम पर इन्ट्रेस्ट तो मिलता नहीं दूसरे बोर्ड दूसरी जगह अपने विकास के कार्य करने में असमर्थ पाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उनसे आउट स्टेंडिंग्ज जो है वह वसूल किये जाने चाहिये।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि शिड्यूल्ड कास्टस और शिडयूल्ड ट्राइब्स की बस्तियां में अभी भी बिजली नहीं लगी है उनमें बिजली लगायी जाय। मेरा तो ऐसा सुझाव है कि इसके लिये पर्टीकूलर लोकेलिटी फिक्स अप करदी गयी होती तो आज कई हरिजन बस्तियों में विद्युतिकरण हो गया होता। इसलिये राज्य सरकार का ध्यान में आकर्षित उस ओर करना चाहता हूं कि हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण किया जाय ताकि उन लोगों को जो पिछडे हुए हैं और जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है उसमें विकास कार्य हो। इसके लिये सरकार को चाहिये कि फण्ड्स अलाट कर दे। नहीं तो लोगों को अलाटमेंट आफ फण्ड्स के लिये चक्कर काटना पड़ता है। मैंने राज्य सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी थी और उसमें यह सभी बातों का उल्लेख किया था। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव यह भी है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एक्ट म संशोधन होना चाहिये क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में अगर मिनिस्टर स्ट्रांग है तब तो बोर्ड के अधिकारी काम कर देंगे नहीं तो उस एक्ट में सभी पावर्स बोर्ड में ही वेस्ट करती हैं और राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। अगर मन्त्री दमदार है तब तो काम हो जायगा वरना मन्त्री कुर्सी पर बैठा देखता रह जायेगा और कोई काम नहीं होगा।

श्री रामकिशन: आप मंत्री थे तो क्या किया

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरा मन्त्रालय नहीं था।

आपकी ड्यूटी तो पांच छः महीने में समाप्त होने वाली है। फिर क्या होगा।

एक मा. सदस्य : आपकी भी हो जावेगी।

श्री प्रद्युम्नसिंह: तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत जो इस प्रकार के प्रावधान हैं उनमें संशोधन होने चाहिये और खास तौर से राजस्थान सरकार को भारत सरकार पर दबाव डालना चाहिये। सुपरटाइम स्केल के चेयरमैन और अधिकारी हैं। उनके रहने के बावजूद भी कई ऐसी बातें हो गयी हैं कि मंत्री और अधिकारियों के बीच में मन मुटाव रहा है। इसलिये इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अन्तर्गत जो प्रावधान हैं उनमें रद्दोबदल करना चाहिये ताकि राज्य सरकार का इफेक्टिव कन्ट्रोल रह सके।

एक चीज और निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। यहां पर कुछ अफसरों के बारे में चर्चा की गयी। किसी का एक्सटेन्शन किया गया था रिएम्पलायमेन्ट दिया गया। यह बात सही है, उपाध्यक्ष महोदय। आज बेकारी के जमाने में जो हमारे नौजवान हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेकारी बढ़ रही है। अगर कुछ सरकारी कर्मचारी लग जाते हैं, इन्जीनियर्स वगैरह तो यह तो मानना ही पड़ेगा

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
कि जिन्होंने चालीस पचास वर्ष सर्विस की है उनको कहीं ज्यादा अनुभव है और उनके अनुभव के मुकाबले में नौजवान को अनुभव नहीं है। इसलिये उस हालत में मैं इसको बेकार नहीं मानता हूं।

धौलपुर क्षेत्रीय समस्याओं की ओर मैं निवेदन करना चाहता हूं। 67 से पहले उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर सब डिविजन के एक भी गांव में बिजली नहीं लगी और उस क्षेत्र से जो विधायक चुन कर आये हैं उनके लिए लज्जा की बात है।

श्री **रामकिशन**: यह प्रचार करेंगे कि आपके प्रयत्नों से लगी?

श्री **प्रद्युम्नसिंह**: जी हां, आप आइये वहां बात करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां कोई क्षेत्रीयता की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन भरतपुर जिले की और तहसीलों के मुकाबले धौलपुर में एक भी तहसील नहीं है जहां पर बिजली लगी हो। अब हमारे यहां बिजली लगी है और 1 दिसम्बर से कार्य होने जा रहा है। उसके लिये विद्युत मंत्रीजी और बोर्ड के कर्मचारी बधाई के पात्र हैं और जिन माननीय मंत्री महोदय ने इसको मंजूर किया था मैं उनको भी बधाई देता हूं।

श्री **रामचन्द्र आर्य**: आप कितनी ही खुशामद करें आपका नम्बर तो आने वाला नहीं है।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन

(3.54 म. प.)

श्री **प्रद्युम्नसिंह**: अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज भी धौलपुर सब-डिवीजन की एक तहसील सरमथुरा है वहां आज भी बिजली नहीं पहुंची। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि बिजली की लाइन वहां पर खींचना आवश्यक है। धौलपुर सब डिवीजन में सिंचाई के अधिक साधन उपलब्ध न होने के कारण अन्डरग्राउंड वाटर पर निर्भर रहना पड़ता है इसलिये धौलपुर पंचायत क्षेत्र के लिये विद्युत योजना रख कर जल्दी से जल्दी कार्य शुरू कर ताकि पिछड़े हुए इलाके काफी तरक्की कर सकें।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि धौलपुर सब डिवीजन में बिजली और प्रशासनिक मामलों में जो मैंने सुझाव दिये हैं उन पर अवश्य गौर करेंगे।

श्री **अध्यक्ष**: माननीय मुख्य मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

शासकीय वक्तव्य

जनगणना विभाग के कर्मचारियों के सेवामुक्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति सम्बन्धी

श्री **बरकतुल्ला खां** (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जनगणना विभाग, जैसा कि आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन है। यह भी जानते हैं कि उन लोगों को, जिनको नौकरी दी गयी थी उनको वह टेम्प्रेरी दी गई थी और आर्डर में भी टेम्प्रेरी लिखा गया था लेकिन एक हजार से ज्यादा नौजवान लोग हैं, जैसे ही उनकी टर्म खत्म होगी अन-एम्प्लायड होंगे। राजस्थान गवर्नमेन्ट ने

(श्री बरकतुल्ला खां)
इस बात का ख्याल रखा है कि जिन लोगों को गवर्नमेन्ट की सर्विसेज में रखा था और आज भी हैं उनको दूसरी कोई जगह दी जाय। पहला काम तो यह किया है कि एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज को लिख दिया है कि इन लोगों की सीनियोरिटी रेस्टोर कर दी जाय और ज्यों ही जगह खाली हो इनको प्रायोरिटी दी जाय। बी. एससी. बी.काम, एम.एससी., एम. काम और ग्रेजुएट इन इंगलिश लिट्रेचर को फौरन शिक्षा विभाग में जगह दी जाय। एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज को कहा जाय कि इनको पहले प्रायोरिटी दी जाय।

इसके साथ साथ यह भी किया है कि 28 पर्सेन्ट तो हम शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्युल्ड ट्राइब्स को दे दें और 25 पर्सेन्ट जोब मिनिमम उनके लिये रिजर्व किये हैं और जोब भी मिनिमम होंगे 25 पर्सेन्ट में लिये जावेंगे।

इस तरीके से इस बात के गवर्नमेन्ट ने आज ही आदेश निकाले हैं कि इन लोगों की हर तरीके से मदद की जाय और प्रायोरिटी देकर फौरन सीनियोरिटी रेस्टोर की जाय।

मैं समझाता हूं इससे काफी लोगों को नौकरियां मिल जावेंगी जैसे कि बी. एस. सी. बी. काम. एम.एसी, एम.काम, और बी.ए. इन इंगलिश लिट्रेचर को फौरन जगह दे देंगे।

परिवार नियोजन के लिये आज भी बात की और कल भी की। प्रतिनिधि मिलते रहे हैं और उदयपुर, जोधपुर और जयपुर में भी मिले हैं। जो भी सुटेबल जोब हैं उन पर जल्दी से जल्दी उनको एब्जोर्ब किये जायं यह मैंने कहा है। मैं समझता हूं इससे समस्या का समाधान हो जावेगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है इस समस्या के प्रति उनकी सिंपेथी है यह तो उससे प्रकट होता है। लेकिन मूल समस्या की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया। ये सारे कर्मचारी 1 दिसम्बर से गणना विभाग से पृथक किये जावेंगे। आपने जिस प्रकार की व्यवस्था की, घोषणा की मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनके रिटायरमेन्ट के पहले ही उन सब को एब्जोर्ब कर लिया जावेगा।

यह सदन अच्छी तरह से जानता है कि आज एम्पलायमेन्ट प्राप्त करने में कितनी कठिनाइयां आती हैं। अनएम्पलायड व्यक्ति एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज का कार्ड लेकर विभिन्न विभागों के पास जाता रहे उससे उसको नौकरी आसानी से मिल जाय यह संभावना नहीं रहती है।

यह प्रश्न आज से पांच छः दिन पहले राजस्थान विधान सभा में एडजोर्नमेंट मोशन के जरिये आया था। आज तक तो सरकार ने शिक्षा विभाग और फेमिली प्लानिंग विभाग से और अन्य सम्बन्धित विभागों से जानकारी करली होगी कि राजस्थान में कितनी नोकरियां खाली हैं। तो इस तरह से वेग कहने से कोई लाभ नहीं होगा।

राज्य सरकार यह कहे कि हमने बैन हटा लिये और जैसा मैंने सुना है इस से तो ऐसा लगता है कि यह समस्या हल होगी नहीं, उनको एम्प्लायमेंट मिलेगा नहीं और एक तारीख तक नहीं मिला तो समस्या ज्यों की त्यों है।

(श्री भैरोंसिंह)

अगर इसका समाधान करने की नीयत है तो आज से 1 तारीख से पहले पहले हम कोई ऐसी व्यवस्था करके चलें कि सारे विभागों से यह जानकारी मिल जाय, कर ली है तो सुन्दर है, नहीं तो, कर ली जाय और फिर उनमें इनको एब्जार्व करने की व्यवस्था की जाय। इस काम के लिये किसी भी विशिष्ट अधिकारी को लगाया जा सकता है।

शिक्षा विभाग में और अन्य विभागों में भी यह आदेश जारी किया जा सकता है कि जब तक इनको एब्जार्व नहीं किया जाय, कोई नई नियुक्ति बाहर से न की जाय। अगर ऐसी स्थिति होती है तो कमोबेश इनकी व्यवस्था हो जावेगी। तो ज्यादा अच्छा यही है कि सर्विस से वे अलग हों इससे पहले ही उनको व्यवस्था हो जाय और वे एब्जार्व कर लिये जायें।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि इनमें बहुत से फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं बी. एस-सी. हैं एम. एस-सी. भी हैं। सब क्वालिफाइड लोग हैं। फिर यह मान कर भी नहीं चला जा सकता कि केवल अकेले शिक्षा विभाग में ही इतनी जगह हैं कि जिन पर इन सबको रखा जा सकता है। वैसे मेरी जानकारी है कि वहां काफी जगह हैं। अधिकांश को वहां लगाया जा सकता है। फिर कई और विभाग भी हैं। तो यह जानना चाहता हूं कि इसके लिये क्या सरकार किसी विशेष अधिकारी को यह भार देने को तैयार है कि वह अन्य विभागों से और शिक्षा विभाग से भी जानकारी प्राप्त करके उनको 31 दिसम्बर से पहले पहले वहां एब्जार्व कर देगी। ऐसे आदेश नहीं दिये हों तो अब देने की कृपा करें। नहीं तो यह सरकारी मशीनरी जिस प्रकार की है, हम भी अच्छी तरह से जानते हैं, आप भी जानते हैं। यहां चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपकी इच्छा आपकेपास ही रह जावेगी। तो अपनी इच्छा के इम्प्लीमेंटेशन की ऐसी कोई व्यवस्था करदें तो हमें संतोष होगा।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं माफी चाहता हूं मैं कहना भूल गया था। इस मामले में मैंने डिप्टी सेक्रेटरी, जी.ए. डी. को आफिसर इन्चार्ज बना दिया है। वे सारे विभागों से बात करके जो योग्य व्यक्ति हैं उनको वहां लगा दिया जावेगा। दूसरे लोगों को लेने पर बैन लगाने को तैयार नहीं हूं। तो ये लीयेजन आफिसर का काम करेंगे।

अब प्रश्न रह जाता है अनट्रेंड टीचर्स का। ट्रेंड टीचर्स मेरे पास हैं। अगर इनमें ट्रेंड टीचर्स होंगे तो ले लेंगे। पर कम से कम जितने भी होंगे 25 पर्सेन्ट तो आवेंगे ही। इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। यह आदेश भी मैंने दे दिया है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : जन गणना विभाग के लोगों के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैं स्वयं भी इस बारे में मिला था। रिप्रजेन्टेशन पर आदेश भी दिये गये हैं।

आपने जो आदेश दिये थे उस बारे में डिप्टी सेक्रेटरी ने डाइरेक्टर, स्टेटिस्टिक्स के नाम आर्डर निकाला कि जो पोस्ट निकली हैं, उन पर इनके केस को कन्सीडर किया जाय। इस पर कुछ लड़के उनके पास गये भी तो उनको डाइरेक्टर ने यह कहा कि वे दर्ख्वास्त दें, विज्ञापन दिया जावेगा, उस पर दर्ख्वास्त दें

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
तब उनके साथ आपका केस भी कन्सीडर कर लेंगे। इसके आधार पर चल कर तो इस समस्या का हल नहीं निकलने वाला है।

जहां तक इनकी योग्यता का प्रश्न है इनकी योग्यता का टेस्ट आलरेडी जब इन्हें सेंसस विभाग में लिया गया था तब ले लिया गया था। कोई टेम्प्रेरी तौर पर ये नहीं रखे गये थे। बाकायदा इनका रिटन टेस्ट हुआ है, इन्टरव्यू हुआ है। इस सारी प्रक्रिया में से निकलने के बाद इनको नियुक्तियां मिली हैं। तो इनको तो केवल एब्जार्व करना है। यह आप आदेश दें। बाकी इसके लिये समय सीमा भी निर्धारित कर दें।

ओवर एज का भी प्रश्न पैदा होगा इनके साथ। तो इनका अपोइंटमेंट होते समय जो एज थी उसको कन्सीडर करते हुए ओवर एज के सवाल से भी रिलेक्सेशन दिया जाय।

तो कैटेगेरिकल एस्योरेन्सेज इन बातों के लिये भी दिया जाना जरूरी है।

श्री जसराज (भिनाय): शिड्युल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को भी एब्जार्व करने का आदेश दिया जाय।

श्री बरकतुल्ला खां: शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिये 28 पर्सेन्ट का कोटा मौजूद है वे इन 25 पर्सेन्ट में भी आ सकते हैं। इससे उनकी सारी पोजीशन कवर हो जाती है।

अब रहा प्रश्न ओवर एज का। इस बारे में तो निर्णय पहले ही ले लिया गया है। सर्विस के दौरान जो ओवर एज हो गये हैं उनको ओवर एज नहीं माना जावेगा।

श्री शंकरसिंह (नसीराबाद): मेरा यह भी सुझाव है कि जिनकी हालत बहुत खराब है जिनकी आर्थिक स्थिति शोचनीय है उनको पहले लिया जाय।

विद्यार्थियों पर हुए लाठी चार्ज के सम्बन्ध में शासकीय वक्तव्य

श्री बरकतुल्ला खां: विद्यार्थियों की जो घटना हुई उसके लिये मैंने कलेक्टर को आदेश दिये हैं कि वह खुद जिम्मेदारी के साथ सारी बात की जांच करके अपनी रिपोर्ट दें।

श्री विजयसिंह: वह रिपोर्ट कब तक पेश होगी?

श्री भैरोंसिंह: इतना तो अभी बतादें कि लाठी चार्ज हुआ था या नहीं?

श्री बरकतुल्ला खां: एक रिपोर्ट आई थी, उसे कलेक्टर के पास भेजी है इसलिये कि वे खुद एन्क्वायरी करके बतावें।

श्री भैरोंसिंह: वे तो एन्क्वायरी करेंगे यह दूसरी बात है। मैं तो एक बात जानना चाहूंगा कि एक्चुअली लाठी चार्ज हुआ या नहीं?

श्री सुरेन्द्र व्यास: लाठी चार्ज नहीं हुआ, ऐसा आफिसियली कहा गया है क्या?

श्री बरकतुल्ला खां: यह और भी पोइन्ट्स जो हो सकते हैं उन पर जांच खुद करके रिपोर्ट देने के लिये मैंने कलेक्टर के पास भेजा है।

श्री भैरोंसिंह: पुलिस क्या कहती है, इसकी रिपोर्ट तो आपके पास आई है। उसके अनुसार लाठी चार्ज हुआ या नहीं यह बतायें।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि मैं आपके सामने वह सारी रिपोर्ट रखने से पहले कलेक्टर की रिपोर्ट को लेना चाहता था ।

एक माननीय सदस्य : वह तो अलग चीज है।

श्री बरकतुल्ला खां : एक तरफ तो यह लाठी चार्ज हुआ और दूसरी तरफ है लाठी चार्ज नहीं हुआ । मैं चाहता था कलेक्टर खुद एन्क्वायरी करे ताकि सन्तोषजनक एन्क्वायरी हो सके । डिस्ट्रिक्ट का हाइऐस्ट आफिसर है वह करे तो ठीक रहेगा ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कलेक्टर से जांच कराने के लिये कहा है । मैं मुख्य मंत्री जी को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं यह लाठी चार्ज गोविन्द सिंह जी ने करवाया है । यह मेरी जानकारी है । डी. आई. जी. के रेन्क का आफिसर लाठी चार्ज करवाता है तो उसमें कलेक्टर एन्क्वायरी करके सही फैक्ट्स क्या कर पायेगा । मैं मुख्य मंत्रीजी को जानकारी दूं कल स्टडेंट्स डिमान्स्ट्रेशन कर रहे थे · · ·

एक माननीय सदस्य : कल नहीं परसों ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : परसों, तो मुख्य मंत्री महोदय वहां पहुंचे उसके पहले, अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं स्टूडेंट्स के अन्दर गया । उन्होंने इंगित करके बताया डी. आई. जी. गोविंद सिंह स्टूडेंट्स से कह रहे थे नहीं मानते हो तो हम डन्डे उठायेंगे, उसके पश्चात् ही, अध्यक्ष महोदय, यह दुर्घटना हुई है । माननीय मुख्य मंत्री महोदय चले गये और स्टूडेंट्स को उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की । स्टूडेंट्स एजीटेटेड थे, मैं उचित नहीं मानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय गये और वे एड्रेस करना चाहते थे । उनको जरूर मुख्य मंत्री को सुनना चाहिये था लेकिन वे चले गये । बाद में डी. आई. जी. ने आर्डर करके लाठी चार्ज करवाया और आफिसियल यह है कि लाठी चार्ज नहीं करवाया गया ।

श्री अध्यक्ष : आप स्वयं थे वहां पर ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरी जानकारी है, अध्यक्ष महोदय । मुझे स्टूडेन्ट्स ने यह बताया यह आदमी प्रवोक कर रहा था । मैं यह पूछना चाहता हूं जनरली एस. पी. के ओहदे का आफिसर क्या लाठी चार्ज करवा सकता है ? लेकिन जो डी. आई. जी. अजमेर के हैं-डी. आई. जी. हैं वे कैसे भी व्यक्ति हों, मुझे आपत्ति नहीं है पर डेलिगेशन से जो साफ्ट बात नहीं कर सकते उनकी क्या जरूरत है जो डिमोन्सट्रेशन पर चक्कर लगाते हैं · · ·

श्री अध्यक्ष : यह भी जांच से प्रकट हो जायगा ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हाई आफिसर इन्वोल्ड हैं उसकी जांच कलेक्टर कर पायेगा या नहीं ? मैं यह चाहता हूं · · · ·

श्री अध्यक्ष : उनमें क्षमता है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : थोड़ी निष्पक्ष जांच करवा सके · · · ·

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न अभी जांच का नहीं है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की विवशता को समझता हूं जो पुलिस की तरफ से रिपोर्ट आई है उसमें सम्भव है मुख्य मंत्री जी का विश्वास न हो और इसी कारण

(श्री भैरोंसिंह)
कलेक्टर के द्वारा जांच कराने के आदेश दिये हैं। आप यह कह सकते हैं पुलिस की रिपोर्ट है, मैं इसका वेरिफिकेशन कलेक्टर से करवा रहा हूं। अगर पुलिस की यह रिपोर्ट है कि लाठी चार्ज नहीं हुआ है तो यह आप स्पष्ट कह दें कि लाठी चार्ज नहीं हुआ है। बाद में कलेक्टर क्या कहता है क्या नहीं कहता है यह दूसरी बात है। कलेक्टर खुद वहां उपस्थित था, वह जांच क्या करेगा। ऐसी बात नहीं है कि कलेक्टर उपस्थित नहीं था और अगर पुलिस ने रिपोर्ट की है तो मैं नहीं मानता हूं वह कलेक्टर साहब को बिना दिखाये रिपोर्ट दी हो। यह आप भी मन में मानकर चलते होंगे, पुलिस ने और कलेक्टर ने मिलकर बढ़िया से बढ़िया जो रिपोर्ट दी जा सकती है, वह सबमिट की है। आप टैक्निकली कह सकते हैं कि मैं जांच करवा रहा हूँ लेकिन बिना कलेक्टर के अप्रूवल के यह रिपोर्ट आई हो यह बात नहीं है उसको भी जाने दीजिये, टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा किसी सीनियर आफिसर से जांच करवाइये·····

श्री बरकतुल्ला खां : मैं इसके लिये तैयार हूं। मैं कलक्टर के अलावा किसी ऑफिसर से जांच कराने को तैयार हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जो स्टूडेन्ट्स को सेटिस्फाई कर सके।

श्री भैरोंसिंह : पुलिस ने क्या रिपोर्ट दी है वह बताई जाय। हम पोइन्टेडली यह चाहते हैं कि पुलिस ने क्या रिपोर्ट दी है। पुलिस ने लाठी चार्ज स्वीकार किया है या लाठी चार्ज को स्वीकार नहीं किया है। दो ही बात हैं आपके पास जैसी सूचना आई है वह देंगे, लाठी चार्ज हुआ या नहीं हुआ यह बता दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पुलिस कहती है लाठी चार्ज नहीं हुआ अब पुलिस अधिकारी जिन्होंने लाठी चार्ज करवाया है उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये जब कि वह रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री जी ने फरमादी कि पुलिस ने यह स्टेन्ड लिया क्या लाठी चार्ज नहीं हुआ? यह तथ्य सदन के सामने आ जाय। पुलिस क्या कहती है। आफिशियल लाइन क्या है।

श्री विजय सिंह : लाठी चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है परसों हमने यह प्रश्न रखा था। दो दिन बाद गृह मंत्री जी जो मुख्य मंत्री जी भी हैं, पुलिस ने क्या कहा है, वह पुलिस की अपटूडेट नालेज नहीं है तो दुर्भाग्य की बात है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पुलिस के वर्सन क्या हैं?

श्री बरकतुल्ला खां : पुलिस का वर्सन यह है कि कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया है। यह वर्सन है जब लडके बहुत ज्यादा उग्र हुए तो उनको पीछे धकलने की जरूर कोशिश की है।

श्री विजयसिंह : ऐसे पुलिस ऑफिसर के डन्डे लगवाने चाहिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : चौपड़ तक लाठी चार्ज किया गया है इतनी तो सीमा पार की है और कहते हैं लाठी चार्ज नहीं हुआ।

श्री विजय सिंह : पुलिस के बड़े बड़े अफसर इस छोटी सी बात की घटना के लिये जिसको प्रत्यक्ष देखा है वह सरासर असत्य कहते हैं। वे अपनी नौकरी के अन्दर कहां तक सत्य कह सकते हैं?

(व्यवधान: अश्रव्य)

Page No 106

श्री अध्यक्ष : श्री नाहर ।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह भी सही है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने···

श्री अध्यक्ष : श्री नाहर ।

(व्यवधानः अश्रव्य)

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मैं पहले बोलूंगा । उसके बाद आप बोलिये मुझे आदेश हुआ है बोलने का ···

श्री दौलतराम सारण : आप आदेश का लड्डू ले लीजिये ।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मेरा ख्याल है जितनी चर्चा हुई है उससे एक बात साफ है पुलिस की एक रिपोर्ट है जो सदन में माननीय मुख्य जी द्वारा प्रस्तुत हुई है उसके बाद अब और कोई एन्क्वायरी की जा रही है···

(व्यवधान)

उसके बाद चुनौती दें, गवाह दें । कोई माननीय वक्ता जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है····

श्री विजय सिंह : देखा है ।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : गलत है ।

श्री विजयसिंह : मैंने देखा है और आपके कानों म रुई डली हुई है तो उसका क्या । एक-दो आदमियों ने ही नहीं देखा कइयों ने देखा है ।

श्री अध्यक्ष : विटनेस बाक्स में ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जो कुछ सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है···

श्री भैरोंसिंह : रिपोर्ट तो आई ही नहीं है।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मुख्य मंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं । आपने देखा नहीं उसके बाद में इतनी···(व्यवधान: अश्रव्य) ।

श्री भगवानदास शास्त्री : माननीय मुख्य मंत्री जी गलत कहते हैं क्या ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सदन की गरिमा को देख । कोई आई विटनेस है क्या ?

श्री विजय सिंह : हां, बिल्कुल आई विटनेस ।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या हुआ बेरी कमिशन की इन्क्वायरी का ? एक भी कार्यवाही की आपने ?

(शोरगुल)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आपके रूल्स बने हुए हैं । मैं यह मानता हूं कि वास्तव में मार पीट हुई है तो इन्क्वायरी होनी चाहिये ।

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लडकों के साथ मारपीट हो और उनके चोट आये और पुलिस कहे कि लाठी चार्ज नहीं किया तो यह शर्म की बात है ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं निन्दा करता हूं अगर हुई है तो लेकिन स्टेटमेंट के ऊपर चर्चा की सीमा होती है । हम उसको मानकर चलें ।

श्री श्रवणलाल : यहां तो सफेद झूठ बोला जाता है। लाठी चार्ज हो और सदन के माननीय सदस्य भी देखें, जनता भी देखे और लाठी चार्ज हो और उसको यहां सफेद झूठ के रूप में बोला जाये यह कहां तक ठीक है। · ·

श्री गिरधारीलाल व्यास : झूठ शब्द को एक्सपन्ज किया जाये। जो पार्लियामेंटरी शब्द हों उनको तो बोलें कम से कम। ढंग से तो बोलो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : (शोरगुल में अश्रव्य) इसलिये मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा जांच कराई जानी चाहिये जिसके ऊपर स्टूडेंट्स का भरोसा हो, माननीय सदस्यों का भरोसा हो और जिस केस में कलेक्टर खुद मौजूद हो · · · ·

श्री अध्यक्ष : यही आप पहले दो बार कह चुके हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसलिये इस मामले में जल्दी से जल्दी जांच होनी चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जयपुर का ही केस नहीं है। कहीं भी विद्यार्थियों के जुलूस हों, डिमान्स्ट्रेशन हों, वहां पर लड़कों को मारना और फिर सदन में झूठी रिपोर्ट देना कब तक बरदाश्त किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : (श्री सुरेन्द्र व्यास के खड़े होने पर) आपने बहुत कुछ कह दिया। आर्डर प्लीज One hon' abb : member will speak once but not twice or thrice.

श्री सारण

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, माननीय नाहर साहब ने कहा कि कोई भी आई विटनेस सदस्य नहीं है। मेरे ख्याल से न तो किसी माननीय सदस्य का प्रत्यक्षदर्शी होना आवश्यक है, प्रत्येक सदस्य अपनी दृष्टि से पूरी जानकारी करके जिम्मेदारी के साथ इस सदन में अपने विचार रखता है। इसलिये यह कहना कि आप प्रत्यक्षदर्शी नहीं है यह बिल्कुल वाहियात बात है, अनुपयुक्त बात है। माननीय मुख्य मंत्री जी भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे उनको जो रिपोर्ट प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से मिली है वह उन्होंने सदन के सामने रखी है। उस लाठी चार्ज के थोड़ी देर बाद मैं ऊपर गया और बहुत काफी संख्या में लोग खड़े थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर लड़कों में उत्तेजना थी?

श्री अध्यक्ष : आप तो ऊपर ही थे न ?

श्री दौलतराम सारण : मैं ऊपर गया लाठी चार्ज के बाद।

श्री अध्यक्ष : यह अच्छा हुआ कि थोडी देर बाद पहुंचे।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह किसी भी कारण से हुआ हो। हो सकता है लड़कों की उत्तेजना को पुलिस बरदाश्त नहीं कर सकी हो या किन्हीं लडकों ने दो चार पत्थर फैंके हों इसलिये उत्तेजित होकर और नाराज होकर पुलिस ने मौके पर डंडे जरूर बरसाये हों। कितने लड़कों के चोटें आई मैं नहीं कह सकता लेकिन यह निश्चित बात है कि लाठी चार्ज हुआ और इससे इन्क्वायरी नहीं की जा सकती क्योंकि काफी बडी संख्या में लोग खड़े थे और मैंने पूछा था और वे सब यह बात कह रहे थे।

(श्री दौलतराम सरणा)

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय यह है और एक बात विचार की है कि आप इन्क्वायरी चाहे कलेक्टर से करवायें या किसी और से करवायें परन्तु यह माननीय सदस्यों में भरोसा डालना चाहिये कि जो भी इन्क्वायरी होगी उससे सही बातें सामने आ जायें । परन्तु यह सत्य पर परदा डालने की या सत्य को छिपाने की प्रवृत्ति, एक दूसरे डिपार्टमेंट को शील्ड करने की प्रवृत्ति प्रशासन में है यह बहुत गलत है । इसके परिणाम बडे भयंकर होते हैं और यह प्रशासन धीरे धीरे जनता का विश्वास खोता जा रहा है ।

इसलिये ऐसे मामलों में मुख्य मंत्री जी को अगर गलत रिपोर्ट दी जाये तो ऐसी रिपोर्ट देने वाला चाहे डी. आई. जी. हो, चाहे एस. पी. हो या कोई भी हो—अगर गलत रिपोर्ट दें तो उनके खिलाफ संजीदगी के साथ एक्शन लेना चाहिये । यह बड़ा गलत तरीका है कि प्रशासनिक भूलों को छुपाने के लिये गलत बात कह दी जाये । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह कह दिया जाता कि पुलिस ने एतिहातन लाठी चार्ज किया तो कौनसी गुनाह की बात हो जाती । आप कहें कि लाठी चार्ज करवाया है यह हौंसला तो कम से कम होना चाहिये कि हां हमने एतिहातन लाठी चार्ज किया । लेकिन आपमें साहस भी नहीं है । आप गलत बातों को कह रहे हैं इसकी प्रक्रिया जनता में कोई अच्छी नहीं हुआ करती इसलिये आपसे मेरा निवेदन यह है कि गलत बात कहने वालों को सजा दें । सही रिपोर्ट रखिये और प्रशासन को शील्ड करना है, प्रशासन की बात का समर्थन करना है तो डटकर कीजिये उसमें एतराज नहीं है लेकिन मर्द तो वह जो हिम्मत के साथ गलत बात का भी समर्थन करते हैं लेकिन हीजड़ों की तरह से चाहे जिस बात का समर्थन करें यह कमजोरी है । यह बिलकुल गैर वाजिब बात है ।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री दुर्गालाल बादवार : मैं तो केवल एक प्रश्न करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न अभी ही आ जायेगा ।

श्री रामकिशन ।

श्री रामकिशन (बैर) : अध्यक्ष महोदय, यह कोई बहुत बड़ा गम्भीर और पेचीदा मसला नहीं है लेकिन गम्भीरता इसमें इसलिये आ जाती है कि पुलिस और सरकार युवा शक्ति से किस प्रकार से निपटना चाहती है । यहां लाठी चार्ज हो गया है या कोई दुर्घटना हो गयी उससे चिन्ता नहीं है लेकिन विद्यार्थी और युवाओं के साथ मामूली सी छेड़छाड़ अग्नि को प्रज्वलित कर सकती है इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि जो पुलिस ने रिपोर्ट दी है—यह सही बात है कि मैं उस समय नहीं था लेकिन मैं लाइब्रेरी से आया और कल प्रोफेसर केदार के यहां कुछ बच्चे आये थे और उनके पट्टियां बंधी थीं और उन्होंने कहा कि पुलिस ने मारा । इसलिये मैं चाहूंगा कि जब सरकार बदल गयी तो सरकार की आदतें भी बदलनी चाहिये । पहले की सरकार में इस तरह के बयान दिये जाते थे । मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट का फर्ज है कि सच्चाई को सच्चाई के रूप में स्वीकार करें और लाठी चार्ज जैसा पुलिस

(श्री रामकिशन)

वाले कहते हैं कि नहीं हुई और वास्तविकता यह है कि हुई है तो पहले ही उनको मान लेना चाहिये कि गलत सूचना दी है। अगर आपने गलत सूचना की आदत प्रशासन को देने की डाल दी तो इसके दूसरे परिणाम होंगे। प्रशासन ने आज तो विद्यार्थियों के बारे में गलत सूचना दी, कल को डकैतियों के बारे में गलत सूचना देंगे, फिर बोर्डर के बारे में गलत सूचना देंगे क्योंकि जब आदत बन जाती है तो उसका सुधारना बहुत मश्किल हो जाता है। मैं मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि निश्चित तौर से लाठी चार्ज हुआ है, अब कितना हुआ, किस पक्ष की गलती है इसका तो जो जांच हो रही है उससे निराकरण हो जाएगा, इसके सिवाय हमारे पास चारा नहीं है। कम से कम प्रारम्भिक तौर पर तो यह मान कर चलें कि लाठी चार्ज हुआ, 30–35 छात्र घायल हुए हैं, अब किसके ज्यादा लगी, किसके कम लगी, कौन गम्भीर घायल हुए यह तो जिन लोगों ने देखा है वही बता सकते हैं। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से चाहूंगा कि पुलिस के जिस अधिकारी ने यह रिपोर्ट दी है कि लाठी चार्ज नहीं हुआ तो जांच के टर्म आफ रेफ्रेन्स में यह भी जोड़ा जाय कि क्या पुलिस अधिकारी ने जो राज्य सरकार को सूचना दी है कि लाठी चार्ज नहीं हुआ क्या वह गलत सूचना दी गई थी? इसकी भी जांच होनी चाहिये।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि·······

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं·······

श्री अध्यक्ष: नेता महोदय बी. के. डी. के।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी से कि आप किसी इण्डिपेन्डेंट आफिसर से इन्क्वायरी करावें और उस इन्क्वायरी रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाय। ऐसा नहीं हो कि पहले जैसे इन्क्वायरी कमीशन बैठा, बेरी कमीशन की रिपोर्ट आई और उसको स्वीकार नहीं किया। हम यहां पर धरना देते रहे और कुछ नहीं हुआ। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन्क्वायरी किसी इण्डिपेंडेंट आफिसर के द्वारा कराई जावे और उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाना चाहिये।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, सदन में इस बात की चर्चा होरही है कि छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और हमारे मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि पुलिस ने उनको यह रिपोर्ट दी है कि लाठी चार्ज नहीं हुआ। अगर यह बात सही नहीं है और लाठी चार्ज हुआ है तो मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार आपको धोखा देने का मतलब सरकार को धोखा देना है। और यदि इसमें सच्चाई है···
· · · · ·

श्री अध्यक्ष: आपका मतलब है कि मुख्य मंत्री जी सरकार नहीं हैं।

श्री शंकरसिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, यहां पर लिख रहा है "सत्यमेव जयते" तो जब हम सत्य की बात करते हैं·······

श्री अध्यक्ष: यह तो मुझ में महदूद है। यह तो मुझ तक सीमित है।

Page No 110

श्री शंकरसिंह रावत : मेरा निवेदन यह है कि लाठी चार्ज हुआ है यह बात सदन के अन्दर बहुत से माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। मैं हमारे मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि अगर पुलिस इस तरह से आपको धोखा देती है, सरकार को इस तरह से धोखा देती है तो इसका उधर की पार्टी ही विरोध नहीं करेगी, अगर यह बात सत्य निकली तो हम भी इसका विरोध करेंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार अभी सदन के सामने यह बात आई है कि छात्रों पर पुलिस की सूचना के अनुसार कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। मगर वही रिपोर्ट इस बात की द्योतक है कि पुलिस के कुछ लोगों ने पत्थर बरसाए और उसकी वजह से कुछ लोगों के चोट आई। उसी रिपोर्ट के अनुसार सिपाहियों के भी चोटें लगीं हैं और छात्रों के भी चोटें लगी हैं। अब यह मुख्य मंत्री जी के विचार करने का विषय है कि चोटें कैसे लगीं जब लाठी चार्ज नहीं हुआ। सौभाग्य से आसन पर भी कानून के ज्ञाता बैठे हुए हैं और नाहर साहब जो डिफेंड कर रहे हैं वे भी कानून के ज्ञाता हैं..........

श्री अध्यक्ष : आप क्या कानून के ज्ञाता नहीं हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि चोटें आई थीं और वह चोटें लाठी बरसाई गई तब आई। अब यह मेरी समझ में नहीं आता कि टेक्निकल तौर पर उसको लाठी चार्ज कहा जाएगा या नहीं लेकिन लाठियां बरसाई गईं और लोगों के चोट आईं इसमें संदेह नहीं है। लाठी चार्ज करने के बाद आज पुलिस कहती है कि लाठी चार्ज नहीं किया गया तो, क्या लाठी चार्ज की कोई डेफिनेशन कायम करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। जब यह विश्वासपूर्वक कहा जा रहा है कि लाठी चार्ज हुआ और पुलिस ने रिपोर्ट मुख्य मंत्री जी को यह दी है और मुख्य मंत्री जी उस रिपोर्ट के आधार पर यह कह रहे हैं कि लाठी चार्ज होने की सूचना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न.....

श्री अध्यक्ष : एक ही प्रश्न रखिए।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कुछ माननीय सदस्य निरन्तर इस बात की मांग करते हैं कि किसी निष्पक्ष अधिकारी से जांच कराई जाय तो कहा जाता है कि कोई आई विटनेस नहीं है और अगर कोई आई विटनेस है तो उसको जांच समिति के समक्ष अपना बयान देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि एक ओर तो हम यहां पर मांग करें और सही बात कहें और उसी आधार पर हमें गवाहियों में घसीटना पड़े तो यह सदन की मर्यादा क्या रह जाएगी। इस प्रकार सदन के समक्ष हम कोई मांग करते हैं, अपनी जानकारी के आधार पर कोई तथ्य सदन के सामने रखते हैं तो उस पर हमसे यह आशा की जाती है कि तुम जाकर गवाही दो तो यह कहां तक प्रजातंत्र की मर्यादा है।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। अब हो गया माननीय सदस्य।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसलिये मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात की निष्पक्ष रूप से जांच कराई जानी चाहिये, वरना, माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों का सड़क पर गुजरना मुश्किल हो जाएगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट के लिये आप आज्ञा दें तो।

श्री अध्यक्ष : यस।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने इधर की ओर के भी माननीय सदस्यों के विचार सुने और उधर से भी सुने। मेरे ख्याल से यह एक साईकलोजिकल प्रश्न भी है और मैं यह समझता हूं कि समय परिवर्तनशील है। हमको एक सैट मेथड फोलो नहीं करना चाहिये। मैंने नहीं देखा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मैं बिजीबाडी भी नहीं होना चाहता। लेकिन आजकल हमारे देश का जो वातावरण है उसको भी देखना चाहिये। मेरा यह अनुभव अवश्य है कि पुलिस ने, मैं पुलिस को डिमोरलाईज नहीं करना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि पुलिस का जो वतीरा है वह वहां का वहीं हैं। जो ब्रिटिश पैटर्न का वतीरा था वैसा ही वतीरा आज भी है। मैं खुद यह मानता हूं कि इण्डियन स्टेट के समय जो पुलिस का वतीरा था, जो ब्रिटिश रेजिम के समय पुलिस का वतीरा था वही आज भी मौजूद है। समय एक जैसा नहीं होता। समय वदल रहा है। अब नवयुवकों की भावना और उनका अटेंशन है उसको भी सरकार को देखना चाहिए। मेरे ख्याल से जो इधर से सुझाव मुख्य मंत्रीजी को दिए गए हैं वह उनके और उनकी सरकार के लिए हितकर हैं और यह मेरी निश्चित रूप से भावना है। इसमें कोई फाल्स सेंस आफ प्रेस्टिज का भी प्रश्न नहीं है। यदि मुख्य मंत्री जी इसकी निष्पक्ष रूप से जांच करवायेंगे तो मेरे ख्याल से इससे उनकी प्रतिष्ठा ही नहीं बढ़ेगी अपितु जो असंतोष नवयुवकों में है उनके प्रति भी मुख्य मंत्रीजी उनके अधिक नजदीक जायेंगे और ऐसा एक मार्ग प्रशस्त करेंगे कि जिसके द्वारा सरकार के लिए भविष्य में उत्पन्न होने वाली दिक्कतें और समस्याओं को भी वह सुलझा सकेंगे। मैं तो यही कहता हूं, कि आप सहृदय व्यक्ति है आपको ब्रिटिश काल की जो परम्पराएं हैं, पुलिस की जो परिपाटी है उससे ऊपर उठ कर निष्पक्ष रूप से, विल्कुल लिबरल तरीके से, उदारता के साथ, ऊपर उठ कर आपको कोई न कोई आश्वासन देना चाहिए कि जिससे जो असंतोष विद्यार्थियों में है उसका कुछ न कुछ हद तक शंका समाधान हो सके।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कि आप कुछ अनाउंस करें मैं कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। जो कुछ यहां पर कहा गया है, अध्यक्ष महोदय, जयपुर राजस्थान की राजधानी है और राजधानी में भी यहां राजस्थान की राजधानी में यह विधान सभा है और उसके निकट छात्रों का प्रदर्शन हो और उस पर लाठी चार्ज किया जाय और सदन के दोनों तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य उसकी पुष्टि करें और उसके वाद राज्य सरकार यह हठवादी रवैया अपनाए, मुझे इस वात का बड़ा खेद है कि आखिर यह तरीका क्या है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यह संकटकाल में इस प्रकार की वारदात होती है। जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्रों की सहानुभूति में कुछ मांगों को लेकर विद्यार्थी छात्रों का प्रदर्शन हुआ, लोकतंत्र का सबसे बड़ा शस्त्र प्रदर्शन करना है और उस शस्त्र को लेकर विद्यार्थी विधान सभा के सामने आएं तो यहां पर इस प्रकार से पुलिस द्वारा उनकी दुर्गति की जाती है। आपने जांच की बात कही है, लेकिन जांच से होता क्या है, जांच की आवश्यकता क्या है, इससे नतीजा क्या निकलने वाला है। जांच का तो एक तौर तरीका है, टेम्प्रेरी बढ़ते हुए असंतोष को दवाने का माध्यम है। छात्रों में बढ़ते हुए असंतोष को दबाने के लिये जांच का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन जांच की स्थिति तो बहुत बिगड़ चुकी है। राजस्थान की पुलिस पर लगा हुआ कलंक अभी तक आप धो नहीं सके हैं। किस प्रकार 7 मार्च, 1967 को गोलीकाण्ड हुआ, यह भूले नहीं हैं। हाई-कोर्ट के जज ने जांच की, सारी एवीडेंसेज हुई, शहादतें हुई और उसके बाद जिस प्रकार का सर्टीफिकेट राजस्थान की पुलिस को दिया गया है उसके खिलाफ भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। इस राजस्थान राज्य में कोई भी कातिल खुला हुआ घूम सकता है, किसी पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यह तो आपकी हुकूमत का रवैया रहा है। जब ऊपर की हुकूमत बदल गई है तो पुलिस का भी रवैया बदलना चाहिए। पुलिस के थानों पर बोर्ड लगा रखा है "मेरे योग्य सेवा"। इस तरह के वोर्ड हर एक थाने पर लगे हुए हैं। लेकिन इस मेरे योग्य सेवा का मतलव क्या है? पीछे से सिर पर डण्डा मारो और सामने से कहो कि मेरे योग्य सेवा। अगर यही आपका सेवा का स्टेंडर्ड है तो भगवान बचाए। क्या जरूरत है? किस बात की इन्क्वायरी कराना चाहते हैं? जांच का मतलब है 6 महीने के लिये मामला बालाये ताक रख दिया गया। पुलिस ने नाजायज तरीके से लाठी चार्ज किया है। 30-35 लोगों के चोटें आई हैं। विधान सभा के मेम्बर्स ने देखा है। उस हालत में पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है, वह गलत है। पुलिस तो बेसिकली यह मानने के लिये तैयार ही नहीं है कि लाठी चार्ज हुआ है। पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि लाठी चार्ज नहीं हुआ है। यह कोई डिस्ट्रिक्ट का सवाल नहीं है। यह जयपुर की विधान सभा के सामने का सवाल है। मैं यह मांग करता हूं कि उस पुलिस के आफिसर या इन्चार्ज जिसने यह रिपोर्ट दी है कि लाठी चार्ज नहीं हुआ है, ज्यादा था या कम था यह बात अलग है, जिस व्यक्ति ने आपको गलत रिपोर्ट दी है, उस आफिसर को इमीजियेटली सस्पेन्ड करना चाहिये। This is a satisfaction that we want.

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं कि हर इन्डीव्यूजल के राईट्स डेमोक्रेटिक कन्टरीज में प्रोटेक्टेड हैं। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि बगैर जानकारी किये हम चाहे जिसको सस्पेन्ड करें, चाहे जिसको सजा दें। ऐसा नहीं हुआ है और न ही हो सकता है और न मैं करना चाहता हूं। लेकिन यह जरूरी है कि.........

श्री विजयसिंह : हमारे विरोधी पक्ष के साथ हमेशा होता है ।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कहीं । कुछ माननीय सदस्यों ने दूसरी बात कही । सर्विसेज भी आपकी हैं और न यह मेरे अकेले की सर्विसेज हैं । यह राजस्थान सरकार की और जनता की सर्विसेज हैं, किसी एक व्यक्ति और किसी एक दल की नहीं हैं । न तो हम सर्विसेज के अन्दर यह गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं और न यह चाहते हैं कि पुलिस हर जगह लाठी चार्ज करे । जहां तक नौजवानों का संबंध है, उनके संबंध में बदनाम हुआ है परन्तु मैंने यह कोशिश की है कि विद्यार्थियों को सपोर्ट किया है उनकी जायज मांगों के लिये और उनको मान लिया है । लेकिन कभी कभी गलतफहमी हो सकती है । इसलिये मेरा यह कहना है कि कलक्टर से जांच करवाऊं और जांच रिपोर्ट सदन को रख दूं । मैं यह उचित समझता हूं कि कमिश्नर आफ पब्लिक ग्रिवेन्सेज इसकी इन्क्वायरी करें । न तो पुलिस से उसका संबंध है और न एडमिनिस्ट्रेशन से उसका संबंध है, वह इसकी जांच करें । मेरे दिमाग में गलतफहमी नहीं रहनी चाहिये और माननीय सदस्यों को भी नहीं रखना चाहिये कि पुलिस हर मर्तबा लाठी का प्रयोग करती है और मेरे पास कोई गलत रिपोर्ट ले आवे । पुलिस को कुछ करना होता है जब पत्थर बरसाये गये हों, पुलिस ने उनको पुश करने की कोशिश की और किसी के चोटें आई हों । मैं चाहता हूं कि कमिश्नर फार पब्लिक ग्रिवेन्सेज इसमें इन्क्वायरी करें । और यह प्रिज्यूम कर लेना कि मेरे को पुलिस ने झूठी रिपोर्ट दी है वह ऐसी बात है कि चन्द आदमी मिलजुल कर हमेशा कह सकते हैं कि यह बात झूठी है । उसमें कुछ तत्व होना चाहिये । हम तो, सबसे बड़ा राजस्थान विधान सभा का सदन हो सकता है, उसमें बैठे हैं और उसके जरिये लोगों को यह विश्वास चाहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक परम्परा को मानते हैं और उसी डेमोक्रेटिक परम्परा के जरिये हम कोई काम करवावें । जैसा मैंने पहले अर्ज किया है, कमिश्नर फार पब्लिक ग्रिवेन्सेज इसकी जांच करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : वाद-विवाद प्रारम्भ ।

श्री रामकिशन ।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय.....

पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापितों को शिव-चौहटन में बसाने संबंधी शासकीय वक्तव्य

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि आज वक्तव्य देंगे पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को बसाने के संबंध में । वह अभी हो जाये ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय,

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इनका भाषण बहुत लम्बा होगा । पहले यह स्टेटमेंट हो जाये ।

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये ।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में 58 परिवार

(श्री परसराम मदेरणा)

लक्ष्मणसिंह सोढ़ा के नेतृत्व में पश्चिमी पाकिस्तान से 8 फरवरी, 71 को आये थे। जो साथ में 56 ऊंट, 25 घोड़े, 30 गायें, 25 बकरियां और 15 बन्दूकें तथा दूसरा सामान लाये थे। हमने शीघ्र ही भारत सरकार से सम्पर्क किया और इन शरणार्थियों को भारत सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा में ही सहायता देना प्रारम्भ कर दी।

दिनांक 8 मार्च, 71 को भारत सरकार को एक विस्तृत योजना पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों के परिवारों को सहायता देने और स्थायी रूप से बसाने के लिये भेजी गई। इस बीच में जिलाधीश बाड़मेर के पास 30 तम्बू पड़े थे वो तत्काल दे दिये गये और 100 तम्बू मध्य प्रदेश के माना शिविर से मंगवा कर इन शरणार्थियों को दिये गये। भारत सरकार की तरफ से पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिये नकद सहायता देने का माप दण्ड है, उसके अनुसार सहायता प्रारम्भ कर दी गई और एक अस्थायी शिविर बावड़ी कलां में प्रारंभ कर दिया गया। पीने के पानी के लिये 6,899) का खर्च करके कुओं की मरम्मत कर दी गई है। ये अस्थायी कैम्प अभी भी चल रहे हैं और भारत सरकार के स्वीकृत मानदण्ड के अनुसार सहायता दी जा रही है। अब तक 50 हजार रुपया इस कार्य के लिये राज्य सरकार ने स्वीकृत कर दिया है।

राज्य की तरफ से जिलाधीश बाड़मेर को आदेश जारी कर दिये गये थे कि इनको बाड़मेर जिले में चौहटन और शिव तहसीलों के अलावा राजकीय पड़त भूमि का अस्थायी तौर पर आवंटन कर दिया जाये। राज्य सरकार ने यह निर्देश भी दिये थे कि उन नलकूपों के चारों तरफ जमीन पड़ी हो उसकी एक योजना बना कर भेजी जावे कि जिन ट्यूब वेलों को खर्च करके चलाया जा सकता हो। इरादा यह था कि अगर ऐसी भूमि उपलब्ध हो जाये तो भारत सरकार से योजना की स्वीकृति प्राप्त करके इन शरणार्थियों को जमीन दी जा सके। इधर भारत सरकार की तरफ से अभी तक राज्य सरकार द्वारा भेजी गई स्थाई रूप से बसाने वाली योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है जिसके लिये उनको टेलिफोन से ताकीद कर दिया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 जो कि केन्द्रीय कानून है, की धारा 5 के अन्तर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है। इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम 9 के अनुसार नागरिकता प्रदान करने के पहले इस बात का संतोष किया जाना है कि आवेदनकर्ता इन प्रावधानों को पूरा करता है जो इन नियमों में अंकित है। राज्य सरकार स्वयं चाहती है कि शीघ्र से शीघ्र इन शरणार्थियों के पुनर्वास की स्थायी व्यवस्था हो जावे। इसके लिये उन्हें नागरिकता प्राप्त करनी पड़ेगी और ज्योंही नागरिकता प्राप्त कर ली जाती है इनको स्थायी रूप से बसाने की व्यवस्था की जायेगी।

श्री **भैरोंसिह शेखावत** : यह आपने स्पष्ट नहीं किया कि इनको चौहटन और शिव तहसील में बसाया जाये या न जाये। आपने बड़ी चतुराई से इसको कह दिया है। क्या कलक्टर को राज्य सरकार ने इस प्रकार से लिखा है कि इनको चौहटन और शिव तहसीलों के अलावा बसाया जाये। मैं

(श्री भैरोंसिंह)
यह जानना चाहता हूं कि यह कलेक्टर ने राज्य सरकार को लिखा है या राज्य सरकार ने कलेक्टर को लिखा है।

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : यह बात नहीं है।

श्री **परसराम मदेरणा** : मैंने यह बात कही है....

श्री **अध्यक्ष** : कह दिया है आप उस वक्त अटेन्टिव नहीं थे।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : मैं उस वक्त अटेन्टिव था। कलेक्टर ने रिकमेन्डेशन की है कि इनको शिव चौहटन के अतिरिक्त बाड़मेर जिले में बसाया जाये।

श्री **अध्यक्ष** : वापिस वह अंश पढ़ दीजिये।

श्री **परसराम मदेरणा** : राज्य सरकार की तरफ से जिलाधीश बाड़मेर को आदेश जारी कर दिये गये कि इनको बाड़मेर जिले की चौहटन और शिव तहसीलों के अलावा राजकीय पड़त भूमि का अस्थायी तौर पर आवंटन कर दिया जाय।

श्री **भैरोंसिंह** : चौहटन और शिव तहसीलों में इनको न बसाया जाय इस प्रकार का आदेश देने की आवश्यकता क्या थी ? यह सही है कि शरणार्थी हैं और जहां सरकार बसाती है वहां जाना पड़ेगा। वे हक नहीं मांग सकते। परन्तु इनके लिये इस प्रकार की बाधा लगाने की आवश्यकता क्या थी ?

श्री **जसराज** : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं।

श्री **अध्यक्ष** : एक तो आने दीजिए।

श्री **परसराम मदरणा** : हमने तो यह बात लिखी थी कलेक्टर को—

"...This may be sent to this department so that Government of India may be requested to sanction funds."

वह एक अस्थाई योजना थी और उसके अलावा अस्थाई आवंटन की बात कहीं थी। उनसे कहा था कि ट्यूबवैल.........

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री **परसराम मदेरणा** :......हम जानते हैं कि बाड़मेर में जो रेगिस्तानी भूमि है वह 10–15 रुपये की बीघा की कीमत की है। हम उनको ट्यूब वैल के पास बसाना चाहते थे ताकि ट्यूब वैल का सदुपयोग भी हो जाय और ये निर्वाह भी कर सकें......

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्वेश्चन इस बात का है कि राज्य सरकार ने जो आदेश दिया कि शिव और चौहटन तहसीलों को छोड़कर बाड़मेर जिले में उनको कहीं भी बसा दिया जाय।

श्री **दौलतराम सारण** : विवादास्पद विषय केवल यह है कि राज्य सरकार जो उनको बसाने के लिये कोशिश कर रही है, और जो उसने कोशिश की है, वह सब सराहनीय है, परन्तु चौहटन और शिव को छोड़ कर उनको बसाने की यह क्यों पाबन्दी लगा रहे हैं ? विवादास्पद मुद्दा यह है तो इस पाबन्दी को हटाने के लिये सरकार तैयार है क्या ?

श्री **परसराम मदेरणा** : राज्य सरकार ने जो यह आदेश दिया था उसमें इस बात का भी प्रावधान था या लिखा था कि इनको शिव

(श्री परसराम मदेरणा)

ग्रौर चौहटन में नहीं बसायें, लेकिन जहां पर ट्यूब वैल हैं उन ट्यूब वैल के पास बसायें।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : शिव ग्रौर चौहटन में क्यों नहीं बसाया जाय ?

श्री दौलतराम सारण : ग्राप चाहें उनको जैसलमेर में बसायें, चाहे बाड़मेर जिले में बसायें चाहे जोधपुर जिले में बसायें, चाहे राजस्थान के किसी हिस्से में बसायें, ग्रापके इनको बसाने के बारे में इस सदन के माननीय सदस्यों को ग्रापत्ति नहीं है, लेकिन ग्रापत्ति का मुद्दा यह है कि चौहटन ग्रौर शिव को छोड़कर ही उनको क्यों बसाया जाय ग्रौर उनमें क्यों नहीं बसाया जाय ? यह पाबन्दी क्यों लगाई है ? क्या इस पाबन्दी को राज्य सरकार हटाने को तैयार है चाहे उनको बसाये कहीं, चाहे उनको ग्रजमेर में बसायें, चाहे बाड़मेर में बसाया जाय ?······

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार का जो ग्रादेश था वह तो उनको एक साल के लिये लैण्ड एलाटमेंट करने का था। पहले भी जो शरणार्थी ग्राये थे उनको इसी एरिया में जमीन दी गई थी।·····

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह बेकार से क्वेश्चन को एवायड कर रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से ग्रश्रव्य)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कहां बसायें कोई ग्रापत्ति नहीं·······

श्री परसराम मदेरणा : मैं एक बात कहना चाहता हूं। क्वेश्चन को एवाएड नहीं कर रहा हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस तरह का जवाब दिया। मैंने मंत्री महोदय का जो वक्तव्य था वह ध्यान से सुना। दूसरे सम्मानीय सदस्यों की ग्रोर से इस बात के लिये·····

(दर्शक दीर्घा पर से परचे गिराये गये)

कहा गया कि यह इनको चौहटन के ग्रन्दर ग्रौर बाड़मेर···

एक माननीय सदस्य : बाड़मेर नहीं शिव।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बाड़मेर तहसील के ग्रन्दर बसाने के लिये मुमानियत क्यों है ? उसका भी एक हद तक मुझे कुछ मालूम नहीं है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि नागरिकता प्राप्त करने के लिये स्वयं ग्रगर वे इच्छा व्यक्त करेंगे तो इसके लिये व्यवस्था की जायगी। वह सन्तोषजनक है। मैंने पहले भी कहा ग्रौर दिन ब दिन यह परिस्थिति सामने है कि यह प्रवृत्ति होती जा रही है। उसके साथ-साथ सरकार ने जो निर्णय यह डिस्क्रिमिनेट्री लिया है इस संबंध में कोई पुनर्विचार करके सरकार इन लोगों को यदि ये चाहें तो एक हद तक सीमित रूप में सरकार क्या व्यवस्था कर सकती है इन लोगों को बाड़मेर में या चौहटन में बसाने के संबंध में ? यदि ऐसा कोई ग्राश्वासन सरकार देना पसन्द करती है तो मेरे खयाल में एक लिमिटेड डिग्री में, कुछ ग्रंशों में एक रास्ता निकल सकता है। इस वक्त सरकार के हाथ की बात है। सरकार चाहे तो इस पूंजी को मोर सकती है ग्रौर ग्रगर उलझन में भटकाना चाहे ग्रौर खटास में रखना चाहे तो उससे मेरे खयाल से कटुता उत्पन्न होगी ग्रौर निराशा भी उत्पन्न होगी।

मैं सरकार को, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापके द्वारा सरकार को पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको हटाकर कोई न कोई लिमिटेड रूप में इनको

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

बाड़मेर के अन्दर, चौहटन के अन्दर या दोनों में से एक तहसील के अन्दर बातचीत करके उन शरणार्थियों का कोई न कोई एडजस्टमेंट सरकार कर सके ऐसा मैं समझता हूं कि यह एक माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है यह असम्भव नहीं है। यह मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

श्री जसराज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय आश्वासन दें उसके पूर्व·······

कई माननीय सदस्य (विरोधी पक्ष) : बैठ जाओ, बैठ जाओ।

श्री जसराज (भिनाय) ·······: मैं सदन से कहना चाहूंगा कि इनको आश्वासन देने से पहले हरिजनों के जो वहां पर रहते उनके जो अधिकार हैं वे सुरक्षित रहें। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा·········

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था·······

श्री शिवचरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, मंत्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : मैं उसी बात को निवेदन कर रहा था·······

श्री अध्यक्ष : पॉइंट ऑफ ऑर्डर आ गया है। उसे पहले लेने दें। वह एक हथियार है।

श्री शिवचरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इन दो-तीन दिनों के अन्दर अन्दर सदन में देखा है कि यह तीसरा टाइम है कि इस तरह से परचे गिराये गये हैं और सदन की कार्यवाही में इस प्रकार से बाधा डालने का प्रयत्न किया गया है। इस तरह से·······

श्री अध्यक्ष : यह पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

मैंने नोटिस ले लिया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सदन का समय हो रहा है। टाइम बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष : अब कौनसा समय रहा है। आप तो चलने दें। अनुमति है। सदन का समय जब तक वाद-विवाद समाप्त न हो तब तक के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनको तो अपनी ड्यूटी को अन्जाम देना है।

श्री अध्यक्ष : आप भी ड्यूटी का अन्जाम देते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बोलना इनके लिये परमावश्यक हो जाता है। ये न बोलें तो काम न चले।

श्री अध्यक्ष : कनेक्शन आपका है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस तथा-कथित ऑर्डर की यहां बात कही गई है वह एक अस्थाई आवंटन था।

श्री भैरोंसिंह : अब इफेक्टिव नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, उन्होंने जमीन ही नहीं लिया इसलिये इफेक्टिव तो हुआ नहीं। मैं निवेदन यह कर रहा था कि माननीय सदस्यों की उद्विग्नता को देखते हुए उनको दो तहसीलों में बसाया जाय,

(श्री परसराम मदेरणा)
और जैसा कि मैंने निवेदन किया था परसों जब कि जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य भूख-हड़ताल की बात कर रहे थे कि राज्य सरकार इस मामले में रिजिड नहीं है और अपना दिमाग ओपन रखना चाहती है, और मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस आर्डर के बारे में माननीय सदस्य को भूख-हड़ताल पर बैठना पड़ा इस पर पुनर्विचार कर लूंगा

श्री **भैरोंसिह** : कर क्या लेंगे ?

श्री **गिरधारीलाल व्यास**: गौर कर लेंगे और क्या कर लेंगे ?

श्री **परसराम मदेरणा** : राज्य सरकार पुर्नविचार करेगी ।

श्री **भैरोंसिह** : नहीं उसको वापिस लें ।

श्री **अध्यक्ष** : सम्भवतः वह प्रश्न आ जाय । आप डिस्टर्ब नहीं करते तो शायद कह देते ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : हमारा कहना यह है कि आप उस प्रोहिबिटेरी आॅर्डर को वापिस ले लें फिर चाहे कहीं बसायें क्योंकि हम यह नहीं कहते कि उनको शिव और चौहटन में ही बसायें । जब हम बंगला देश वालों को देवली में बसा सकते हैं तो कभी हमारा यह अनुरोध नहीं है कि उनको शिव में ही बसाया जाय । यह जबरदस्ती प्राब्लम क्रियेट करने के लिये यह अनफार्चुनेटली आॅर्डर दिया गया है । आपके हाथ में पावर थी । आर्डर देते मगर वहां पर नहीं बसाते । आपके हाथ में अब भी पावर है । अब भी वापिस ले लें जब कि आपके हाथ में अधिकार है तो कोई कमिटमेंट नहीं होगा ।

श्री **हरिवल्लभ शर्मा** : माननीय मंत्री महोदय के स्टेटमेंट का सवाल है ।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य इंटरप्टेशन न करें । स्टेटमेंट आने दें ।

श्री **परसराम मदेरणा** : माननीय अध्यक्ष, उनको कहां बसाया जाय और कहां नहीं बसाया जाय तो जब राज्य सरकार ने शरणार्थियों के बारे में बसाने की एक अस्थाई व्यवस्था की थी । स्थाई व्यवस्था तो जो भारत सरकार को स्कीम भेजी है उसकी स्वीकृति के बाद में भेजेंगे कि उनको कहां बसाना है और कहां नहीं बसाना है आप कह रहे हैं कि चाहे उनको देवली में बसायें चाहे अलवर के आसपास बसायें । यदि इस प्रकार के आदेश हम देंगे तो क्या कहेंगे कि इस आदेश को वापिस लिया जाय । गवर्नमेंट का वह राइट है कि इस प्रकार के आदेश दे । गवर्नमेंट वह भी आदेश दे सकती है । एक तहसील या दो तहसील में बसाये जायं यह भी आदेश दे सकती है । परन्तु इस आदेश को लेकर माननीय सदस्यों में रोष है इसलिये मैंने सरकार की तरफ से पुनर्विचार का आश्वासन दिया था । राज्य सरकार पुर्नविचार कर लेगी और पुर्नविचार के बाद मैं स्वयं इस सदन के एडजोर्न होने के बाद बाड़मेर जा रहा हूं उनसे स्वयं से बात कर लूंगा और बातचीत के बाद यह व्यवस्था करना है कि उनको कहां बसाया जाय सब पहलुओं को देखकर—प्रशासनिक और दूसरे पब्लिक इन्ट्रेस्ट में उस पर निर्णय लिया जायगा ।

Page No 119

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है · · · · · ·

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय · ·

श्री मनोहरसिंह मेहता : अरे भाई, मुझे कह लेने दो ।

श्री अध्यक्ष : इनको कह लेने दें ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : वह देशद्रोही हैं, या कुछ अलग हैं । आप के भारत में आकर बैठे हैं । आप शिव और चौहटन शब्द ही हटा दीजिये । एक माननीय सदस्य ने भूख हड़ताल चालू कर रखी है । आप जहां कहीं चाहें वहां कहीं भी उनको भेज दें । आपको कठिनाई नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : Yes

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय · ·

श्री अध्यक्ष : Order please

श्री जसराज: अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बारे में किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है कि उनको नहीं बसाया जाये । परन्तु शिव और चौहटन का सवाल आया है तो वहां रहने वाले जो नीची जाति के लोग हैं, उनके साथ में जो सोढ़ा परिवार आया है, जो लक्ष्मणसिंह जी आये हैं, उनका व्यवहार ठीक नहीं है । उनको पकड़ कर उनसे बेगार ली जाती है ।

श्री भैरोंसिंह : यह गलत है ।

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री बृद्धिचन्द्र जैन : बिल्कुल सही है ।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री नाथूराम (डागीडोरा) : आप बोलने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । यही बोल रहे हैं ।

श्री नाथूराम : इनको बोलने दिया जाय ।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । आप अपने सदस्य के भाषण में व्यवधान डालते हैं ।

श्री जसराज : अध्यक्ष महोदय, अगर किसी भी माननीय सदस्य को भेजें तो वह सीताराम जी भूख हड़ताल पर विधान सभा के सामने बैठे हैं । बाड़मेर से 4 सदस्य आये हैं । उनसे बातचीत कर सकते हैं । मैंने उनसे बातचीत की है । उन्होंने जो कुछ कहा है और हस्ताक्षर की हुई अर्जी दी है इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वह सत्य है । परन्तु इतना निश्चित है कि वहां जो मेघवाल परिवार रहते हैं, उनके साथ में सोढ़ा परिवार ने दुर्व्यवहार किया है । जब से वह आये हैं, तब से उन्होंने उनको पकड़ कर बेगार लेना प्रारम्भ कर दिया है । 50–60 घोड़े लेकर आये हैं । ऊंट लेकर आये हैं । बकरियां लेकर आये हैं । उनके लिये चारा, पाला, उनके खेतों को जबरदस्ती काट कर उनको खिला दिया है । यही नहीं मेघवालों को पकड़ कर उनसे मकान तैयार करवाये हैं । छप्पर बनवाये हैं । आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भावी नागरिक, नन्हें बच्चे हैं उनसे बेगार ली है । अगर यह सत्य है कि उनसे बेगार ली जाती है । सीताराम जी मेघवाल को खाट पर भी नहीं बैठने दिया गया है । यह सत्य है । वह हमारे

(श्री जसराज)
देश में आये हैं। हमारे देश का स्वाभिमान है। हम उनको जाने नहीं देंगे।

(व्यवधान)

आप कृपा कर बोलने दीजिये।

श्री **विजयसिंह** : ये स्वाभिमानी आदमी हैं।

श्री **जसराज** : मैं एक तथ्य और पेश करूंगा। वहां कुछ शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को जमीन एलॉट की गई है। वह जमीन ओडा, संकर पुत्र मानक, इन 3 व्यक्तियों को एलॉट की गई है। 16-10-71 को दस ग्यारह बजे, पर्वतसिंह और जनकसिंह सोढ़ा इन दोनों ने मिलकर गुमाना नामक मेघवाल के साथ मारपीट की। केवल इसलिये कि वह चुना हुआ सरपंच है। भाग्य से वह भी मेघवाल जाति का है। कोई यह सोचे कि वह मेघवाल है, अनुसूचित जाति का है। उसको खाट पर बैठने का अधिकार नहीं है। तो मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य यह स्वीकार नहीं करेगा। सीताराम भूख हड़ताल पर बैठा है। उसका बेटा मोतीराम 21-10-71 को अपनी ससुराल से होकर जहां इन लोगों का कैम्प लगाया गया है, वहां से होकर गुजर रहा था। वहां उससे ऊंट से उतरने को कहा तो वह नहीं उतरा। उसका एक मील से पीछा करके उसको पकड़ लाया गया। उसको मारा गया और पीटा गया। उसको पकड़ कर बांध दिया गया। यह तो अच्छा हुआ, कुछ आदमी उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने उनको हाथ पैर खोल कर छुड़ा दिया। उनसे नाजायज काम कराये जाते हैं। उनसे पाला, घास कटाये जाते हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो उसको कोई भी सदस्य स्वीकार नहीं करेगा। वहां बिरला ग्राम में 150 मेघवाल हैं। उसके पास में बूर, मीठी काकली, टीप काकली, भीनासर, ये सारे गांव हैं। 30 या 40 प्रतिशत मेघवाल परिवार हैं। कुछ भील हैं। वह वहां पर घोड़े पर बैठकर हथियार लेकर चारों तरफ घूमें। आतंक का वातावरण तैयार करें तो मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य यह स्वीकार नहीं करेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसी हरकत हैं तो उनको चौहटन में नहीं बसने दिया जाये और दूसरी जगह, जहां उचित समझे वहां बसायें। चौहटन में इस प्रकार की हरकतें उन्होंने की हैं इसलिये वहां नहीं बसाया जाय।

श्री **आईदान सिंह** (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं.........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य के बयान ध्यानपूर्वक सुने। मुझे दुःख हुआ यह सुन कर कि चौहटन में मेघवालों और भीलों पर कुछ एक व्यक्तियों ने दुर्व्यवहार किया। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाय उतनी कम है। आज कई व्यक्ति, चार, छः, दस, बीस आदमी कानून की अवहेलना करते हैं, मेघवालों पर, भीलों पर अत्याचार करते हैं तो कानून है, सरकार के हाथ लम्बे हैं, सरकार उन लोगों के लिये सख्त से सख्त कदम उठाये, और जो कुछ भी उचित हो वह दण्ड दे। लेकिन इसके साथ साथ उधर की तरफ के खास करके आदिवासी और हरिजन महानुभावों को मैं यह भी निवेदन

Page No 121

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

करना चाहूंगा कि पाकिस्तान से शरणार्थी के रूप में भारत में बसने के लिये जो आये हैं वह शत-प्रतिशत गुण्डे और बदमाश नहीं हो सकते। यदि खराब लोग हैं तो खराब लोगों को सजा दी जाय, लेकिन खराब नहीं हैं और सरकार व्यवस्था करना उचित समझती है तो सम्पूर्ण आदिवासियों और हरिजनों को संरक्षण देते हुए वहां पर उन्हें बसाने की व्यवस्था की जा सकती है। तो मैं समझता हूं कि इधर के पक्ष की मांग है वह सर्वथा ठुकराने के योग्य तो नहीं है। मैं सरकार से और मंत्री महोदय से खास तौर से यह निवेदन करना चाहूंगा, जहां तक व्यक्तिगत मेरे से हो सकता है, मैं माननीय सदस्य, जो जैसलमेर से आये हैं, उनके साथ जाकर, व्यक्तिगत रूप से जो शरणार्थी वहां पर अगर उदण्डता की नीति अपनाते हैं उनकी भर्त्सना करूंगा, मैं समझाइस करूंगा। मैं कहूंगा, यह पाकिस्तान नहीं है, यह भारतवर्ष है, भारतवर्ष के संविधान में सुरक्षा हर आम लोग को दी गई है और भाईचारे के नाते सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिये। जो डिक्टेटर जहां है, जहां डिक्टेटरशिप हो रही है, वह डिक्टेटरशिप यहां कायम करेंगे और अधिनायकवाद कायम करेंगे तो यहां पर एक मिनिट भी नहीं टिक सकेंगे। लेकिन एक दो उदाहरण लेकर जनरल वे में यह व्यवस्था की जाय और यह कहा जाय कि 'सब' शरणार्थी नालायक हैं, जो आये हैं वह कमजोर लोगों की जमीन पर कब्जा करके–जमीन उनसे झिटक रहे हैं–यह बेसलैस ख्याल है। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन कर सकता हूं, ऐसी जो आशंका उनकी है वह निर्मूल है।

श्री **किशनलाल शाह** (मांवा) : अध्यक्ष महोदय ....

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री गंगाराम !

श्री **गंगाराम चौधरी** (गुढ़ामलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस संबंध में कुछ निवेदन करूंगा। जैसा कि माननीय सदस्य, जसराज जी ने कहा, यह तथ्य सही है। मैंने भी कुछ जानकारी की है, वह है कि श्री लक्ष्मणसिंह, जिनकी तारीफ हो रही है, बहैसियत जागीरदार, वह तारीफ के काबिल हैं, लेकिन बहैसियत नागरिक पाकिस्तान में रहने का मौका नहीं मिला है, इसलिये यहां आये हैं। यहां डेमोक्रेसी है, लेकिन जिस प्रकार की बेगार हरिजनों से ली है और जिस प्रकार की ज्यादती हरिजनों के प्रति की है वह बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। श्री चतराराम ने 24-10-71 को एक दर्ख्वास्त पेश की थी, उसमें सारे वाकयात पेश किये थे। मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था जानकारी करने का। मैं नहीं कह सकता उसका क्या नतीजा हुआ। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि हर बात की, जो लिखकर दर्ख्वास्त में पेश की थी, जानकारी की जाय और जो खेत उनके द्वारा छीने गये हैं, जिनकी एस. डी. ओ. और कलेक्टर को दर्ख्वास्त दी है, वह अभी तक वापिस नहीं लौटाये गये हैं, उनको उनसे छीन कर, जिनके खेत हैं उनको उनका कब्जा दिलाया जाय और गुनहगार को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही उसके खिलाफ करनी चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि वह आठ-दस महीने वहां रहे हैं उनसे पता चलता है कि उनका मकसद है, हरिजन और मेघवालों के गांवों में इसलिये रहना चाहते हैं कि उनसे बेगार वगैरह लें। अगर उन्हें रखना है, और अगर वह सही तरह रहना चाहते हैं तो उन्हें जैसलमेर

(श्री गंगाराम चौधरी)

में जाकर बसना चाहिये जहां उनके भाई बन्धु हैं, जहां सोढ़ा जाति के लोग रहते हैं, वहां उन्हें रहना चाहिये। ट्यूब वैल शिव तहसील में हैं। मैं नहीं कहता कि वह बाहर भेज दिये जायं, लेकिन हरिजन मेघवालों की बस्ती में उन्हें नहीं बसाया जाय क्योंकि उनका बेगार लेने का रवैय्या है, उससे लोग तंग हैं। इस कारण लोग पिण्ड छुड़ाना चाहते हैं।

श्री **भंरोंसिह शेखावत** (किशनपोल): माननीय श्री गंगाराम जी ने जो बातें कहीं उनके आधार पर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, यह झगड़ा इस बात का नहीं है कि किस आदमी ने किस को तंग किया, किस आदमी ने किस का खेत छीन लिया। अगर लक्ष्मणसिंह सोढ़ा हरिजन का खेत छीनता है, तो सरकार लक्ष्मणसिंह की नहीं, राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार का बना हुआ कानून है, कोई एन्क्रोचमेंट करता है तो एन्क्रोचमेंट को किस प्रकार रिमूव किया जाय, इसके राजस्थान सरकार के पास अधिकार हैं। तो मैं इस चीज को मानता हूं कि अगर उन्होंने किसी की जमीन पर एन्क्रोचमेंट किया है तो जो भी आप कार्यवाही कर सकें एन्क्रोचमेंट रिमूव कराने की, वह कानूनी कार्यवाही करें। उसमें हम किसी प्रकार बाधक नहीं हो सकते। दूसरा प्रश्न यह आया कि कुछ शिय्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों से उन्होंने बेगार ली, जो माननीय सदस्य ने सुनी सुनाई बात की कि उनको पीटा गया। यह मेरी जानकारी में नहीं है। थोड़ी देर के लिये माननीय जसराज जी ने जो बात कही, उसको स्वीकार कर लिया जाय कि उनके साथ मारपीट हुई—यह हुआ या नहीं हुआ लेकिन इसके लिए कानून है, पुलिस है। पुलिस के थाने में रिपोर्ट होती तो वह निश्चित रूप से न लक्ष्मण सिंह को छोड़ते, न मुझे छोड़ते। वह रिपोर्ट होने के बाद भी पुलिस कार्यवाही न करे तो दोष किसको दिया जाय? लेकिन इन दोनों बातों को, जो आप कह रहे हैं, सही मान लिया जाय तो मैं कहता हूं, विवाद यह नहीं है, आप स्वयं कह रहे हैं, दो तीन महीने पहले की घटनायें हैं, हैं न जसराज जी दो तीन महीने पहले की घटनायें?.....

श्री **जसराज**: 24-10-71 को।

श्री **भंरोंसिह शेखावत**: मैं निवेदन करना चाहता हूं, राज्य सरकार का आदेश एक साल पहले का है। उस समय कोई घटना नहीं हुई, इसलिये इस घटना को इस आदेश के साथ मत जोड़िये। इनको जोड़ते हैं तो बहम होता है कि इस आदेश की पुष्टि के लिये भूमिका बनाई और चतराराम को भूख हड़ताल पर बैठाया........

(शोरगुल)

श्री **जसराज**: यह गलत है।

श्री **देवीलाल**: एक तरफ अत्याचार करते हैं और.........

श्री **नाथूराम**: अत्याचार किये गये हैं

(शोरगुल)

श्री **जसराज**: फिर यह कहते हैं कि भूख हड़ताल पर बैठाया।

श्री **रोशनलाल शर्मा**: भूख हड़ताल पर बैठे उस के लिये गवर्नमेंट को कहें।

श्री जसराज : भूख हड़ताल के लिये कहा कि हड़ताल पर बैठाया है यह गलत है ।

श्री भैंरोंसिह : मैं निवेदन कर रहा हूं कि जसराज जी ने कहा उसको शत प्रतिशत मान लिया जाय, आप सुनें ......

श्री यशवन्त सिंह नाहर : यह कहां की बात है कि सुनी सुनाई बात है, उस पर विश्वास नहीं किया जाय ।

श्री भैंरोंसिह शेखावत : मैं सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करता । लेकिन आज तक हिम्मत नहीं हुई, आप बैठ जाइये ....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कहने दीजिये, माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह ली है, उन्हें कहने दीजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कहना चाहता था, लड़ाई झगड़े की जमीन के कब्जे की न एस. डी. ओ. के पास कोई कम्प्लेन्ट गई, यह गंगाराम जी कहते हैं, तो गंगाराम जी स्वयं मिनिस्टर रहे हुए हैं, वह कानून कायदे जानते हैं, एस. डी. ओ. कोर्ट में एन्क्रोचमेंट की एप्लीकेशन हो तो उस प्रकार के मामले का हमें उल्लेख नहीं करना चाहिये । वह कर रहे हैं इससे भावना प्रकट होती है कि वास्तविकता का आभास नहीं है । यदि मारपीट हुई है तो मैं उसकी वकालत नहीं करता । लक्ष्मणसिंह कोई नहीं हैं, अगर मारपीट हुई है तो कानून में सजा मिलनी चाहिये, वह नहीं मिलेगी तो जो कार्यवाही होनी चाहिये वह होगी । यह बसाने का सवाल है, आप यह कहते हैं तो यह बसाने का सवाल नहीं है, यह नागरिक अधिकार देने का सवाल है कि नागरिक अधिकार दिये जायं या नहीं । इन प्रश्नों को पीछे छोड़िये कि यह लोग लाठी चलाते हैं या हरिजनों की जमीन छीनते हैं । मैं निवेदन करूंगा, जो कांग्रेस के एम. एल. ए. यह कहते हैं, उनको बिना किसी दबाव के उन्हें यह मांग करनी चाहिये कि लक्ष्मण सिंह को नागरिकता के अधिकार न दिये जायं तब तो मैं समझूंगा कि आपमें साहस है, जो बात आप सोचते हैं वह आप कहते हैं कि नागरिकता का विरोध नहीं करना चाहते, उनको बसाना चाहते हैं, लेकिन चौहटन में नहीं बसाये, तो बाड़मेर में कोई गांव नहीं है जहां मेघवाल और भील नहीं हों । जिस गांव में बसायेंगे वहां मेघवाल और भील बैठे होंगे । ट्यूब वैल के पास बसायेंगे तो ढाणियों में मेघवाल होंगे । मेरा निवेदन है कि आदमी की आदत को कर्व करने की कोशिश की जाती है । लक्ष्मणसिंह ज्यादती करता है और उसके खिलाफ शिकायतें आई हैं तो प्रोसीक्यूशन करो । मैं कहता हूं कि उनके पुनर्वास का मसला है, यह गवर्नमेंट के करने का है । गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला, वह एक साल पहले निकाला । उससे इन घटनाओं को जोड़ते हैं तो यह घटना उसके बाद की है । आप पहले की कोई घटना बता दें, जिस समय राज्य सरकार ने आर्डर इश्यू किया, उससे पहले की तो मैं समझूंगा कि राज्य सरकार के आदेश के पीछे इस प्रकार की भावना थी । लेकिन अब स्पष्ट लगता है, आप जोर से बोलें, चाहे न बोलें, लेकिन सरकार नहीं चाहती है उस नेगेटिव आर्डर को वापिस लेना और उसका समर्थन इस प्रकार की भूख हड़ताल करा कर और इस प्रकार के मिथ्या आरोप लक्ष्मण सिंह के ऊपर लगा कर कह

(श्री भैरोंसिंह)

कि लक्ष्मणसिंह को नागरिक अधिकार न मिलें, जमीन न मिलें—इस प्रकार का षड़यंत्र करें, तो मैं परसराम जी, आपको इतना कहना चाहता हूं, सरकार आपके पास हैं, बहुमत आपके साथ है, लेकिन आप देश की कुछ सेवा नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के अन्दर लक्ष्मण सिंह सोढा को बसाया नहीं, इस कारण पाकिस्तान की पीड़ाओं से परेशान होकर वह यहां बसना चाहता है। लेकिन जब और लोगों को पता लगता है कि लक्ष्मण सिंह के साथ इस प्रकार हो रहा है तो मैं कहता हूं मेघवाल और भील आज मुसलमान हो रहे हैं क्योंकि हिन्दुस्तान में आ नहीं सकते हैं और पाकिस्तान की पीड़ाओं को सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिये कन्वर्शन हुआ है। इसको स्वीकार करने के लिये आप तैयार हैं? आज चौहटन तहसील में, शिव तहसील में, मैं नहीं कहता, उनको बसायें। जो आदेश आपने जारी कर दिया, उसको वापिस लेने को तैयार नहीं हैं तो आपकी मर्जी है। आपके पास बहुमत है, आपके पास सरकार है आप चाहें जो करें, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा,, इस आदेश को वापिस लेकर राजस्थान में या राजस्थान के बाहर उनको बसाने की स्थिति बना कर चलें, उनको बसाने का प्रोग्राम बनायें तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा राज्य सरकार से यही पूछना है कि जो आपने लक्ष्मण सिंह को स्थायी आवंटन किया था उस आज्ञा को रद्द किस आधार पर किया सिर्फ किसी के कहने सुनने से, और लोगों के आरोप प्रत्यारोप लगाने से आप उस आदेश की निषेधाज्ञा निकाल देते हैं यह राज्य सरकार की कार्यवाही उचित नही है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के मन्त्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि पहले राज्य सरकार ने उसको स्थायी आवंटन क्यों किया और बाद में उसे रद्द कर देते हैं इसके क्या कारण हैं। इसका मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण कराना चाहता हूं।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं भी कहना चाहूंगा। अगर पाकिस्तान से कोई शरणार्थी आये तो हमारे देश में वह एक अतिथि के रूप में माना जाता है, ऐसी हमारी संस्कृति रही है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का जो व्यवहार जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है किया है तो राज्य सरकार की यह कार्यवाही उचित नहीं है।

श्री **नाथूराम** (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, वह शरणार्थी नहीं है। वह जागीरदार हैं और गरीबों के साथ अत्याचार करता है।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** : उपाध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य जो यह बात कह रहे हैं वह सही है जो बात नहीं है जब गवर्नमेंट ने आदेश दिये हैं कि उसे स्थायी आवंटन किया जाय और बाद में उसे रद्द किया है तो गलत हैं सिर्फ यही कह देना कि वह शरणार्थी नहीं है वह जस्टीफाइड नहीं है। यह तो कलेक्टर को देखने की बात है पहले तो उसे जस्टीफाइड मान कर आपने शरणार्थी की हैसियत से जमीन का स्थायी आवंटन किया और बाद में उसे रद्द कर दिया है ये बिल्कुल गलत है। इन्हीं लक्ष्मण सिंह के लिये और जो आदेश सरकार करती है और बाद में रद्द करती है इसके लिये एक माननीय सदस्य श्री बालसिंह सोढा भूख हड़ताल पर हैं। अगर वो चोहटन या शिव

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

कहीं पर बसते हैं और सरकार बसाती है शरणार्थियों को तो उन्हें बसने दिया जाना चाहिये; उन्हें रोका नहीं जाना चाहिये। यह नीति सरकार की समान रूप से होनी चाहिये। और रहा सवाल हरिजनों के बारे में तो यह कांग्रेस सरकार सिर्फ वोट लेने के वक्त हरिजनों से वायदे करती है पर उनके विकास के लिये कुछ भी नहीं कर रही है। वोट खतम हो जाते हैं उसके बाद में उनकी समस्याओं को कोई नहीं सुनता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अलवर का उदाहरण देता हूं कि वहां तीन महीने हुए 25-30 हरिजनों को बेघरबार कर दिया है बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं आज तक कोई जवाब राज्य सरकार ने उनकी शिकायतों का नहीं दिया। आज कहने को तो ये कांग्रेस सरकार हरिजनों की भलाई के लिये बड़ी बड़ी घोषणायें करती है पर उनकी क्रियान्विति नहीं करती है बडे अफसोस की बात है जो सरकार आज हरिजनों की बस्तियों के निर्माण की बात करती है पर वह कुछ नहीं कर रही है। आज उन लोगों को जिन्हें बेघरबार किया है उनकी हालत देखी नहीं जाती है। इसलिये मेरा राज्य सरकार को अनुरोध है कि जिनकी वजह से उन्हें बेघरबार किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और सामूहिक रूप से उन्हें बसाने के प्रयत्न किये जायें। इसी प्रकार जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि बाडमेर, जैसलमेर में भी हरिजनों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जारहा है उसे खतम किया जाय पर मेरा खयाल ऐसा है कि ये कांग्रेस की सरकार उनका कुछ भी भला नहीं करेगी। राज्य सरकार को चाहिये कि अलवर, बाडमेर, जैसलमेर के हरिजनों के लिये सामूहिक रूप से सरकारी अधिकारियों को आदेश दें जिससे कि उनको समस्याओं का हल निकले; वरना ये हरिजन लोग इस कांग्रेसी सरकार की मदद नहीं करेंगे। और आपको . . .

श्री **नाथूराम** (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अभी कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि वहां पर शरणार्थियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है और इस प्रकार लक्ष्मणसिंह के खिलाफ कार्यवाही की गयी है तो उसके बारे में मेरा निवेदन है कि आज भी विधान सभा के बाहर एक चतराराम नाम का व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है उसने इसलिये भूख हड़ताल करी है कि आज बाड़मेर, जैसलमेर के क्षेत्र में किस प्रकार हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज किस प्रकार का अत्याचार उस ऐरिया में हो रहा है वैसा अत्याचार राजस्थान में कहीं नहीं हो रहा है। जो पाकिस्तान से शरणार्थी आये हैं वो आज वहां पर हरिजनों के लड़के जो पढ़ते हैं उनसे भी बेगार ले रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हरिजनों को उधार रुपये देकर उनसे बेगार लेते हैं और जो खेती करते हैं उनमें भी अपना हिस्सा आधा ले लेते हैं। बहुत ही घोर अन्याय हो रहा है मैं कहता हूं कि उसे तुरन्त खतम किया जाना चाहिये नहीं तो फिर उपाध्यक्ष महोदय . . .

श्री **उपाध्यक्ष** : स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य, काफी हो गया है।

श्री **नाथूराम**: उपाध्यक्ष महोदय आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। 100-200 रुपये उधार देकर ब्याज के पेटे लोगों से काम ले रहे हैं।

श्री **उपाध्यक्ष** : स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है लोगों से बेगार ली जा रही है। असली सागरी प्रथा तो अब भी वहां है। उसे तुरन्त समाप्त करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। विरोधी पक्ष के नेता महा- रावल श्री लक्ष्मणसिंह।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री नाथूराम जी ने आपत्ति की है कि बाडमेर, जैसलमेर क्षेत्रों में हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है उसका मैं समर्थन करता हूं और मेरा इस बारे में राज्य सरकार को सुझाव है कि वो दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि पाकिस्तान से जो शरणार्थी आये हैं वे उन क्षेत्रों के हरिजनों से बेगार लेते हैं और उनको लिपाई, पुताई का का काम करने के लिये मजबूर करते हैं तो गलत है। मैं तो इस सरकार की कमजोरी मानता हूं यह तो सरकार की ड्यूटी है कि वह ऐसा नहीं होने दे। ये तो भारत के हर नागरिक का फण्डामेंटल अधिकार है कि उसे कोई भी बेगार नहीं ली जा सकती है। अगर बेगार ली जाती है तो उसूलन गलत है। लेकिन कोई शरणार्थी आते हैं और उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है तो शोभाजनक नहीं है। माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह जी ने और श्री बद्री प्रसाद गुप्ता ने जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं और जहां जहां पर अगर झगडा रहता है तो जहां जहां पर मेघवाल और भील हैं उस एरिया में नहीं बसाया जाय। लेकिन इसके साथ यह भी डिस्क्रिमिनेशन मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि आज ऐसे भी गांव होंगे जहां पर श्री गंगाराम जी जैसे लोग भी वहां पर होंगे, वो भी तो रहते ही हैं उन्हें वहां पर बसा दिया जाय। उधर बैठे लोग हंस रहे हैं लेकिन माननीय सदस्य मेरा मन रो रहा है कि आज शरणार्थियों की यह हालत है। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिये कि जो हरिजन आदिवासी वगैरह हैं उन्हें ऐसे पडौसी लोगों के साथ बसाया जाय, जैसे श्री गंगाराम जी सदस्य विधान सभा हैं। ये अच्छे लोग हैं वहां बसा दिया जाय। और जैसा कि दूसरे माननीय सदस्य कहते हैं कि लक्ष्मणसिंह नालायक है और हरिजनों के साथ अत्याचार करता है तो मैं उसका भी हामी नहीं हूं अगर वो दोषी है तो उसका मैं भी विरोध करता हूं।

उनको सख्त से सख्त सजा दी जाय। उनको उस तहसील में स्थान न दिया जाय, लेकिन एक दो तीन अगर गुण्डे खराब काम करने वाले होते हैं तो सब शरणार्थियों को कह दिया जाय कि तुम सब नालायक हो यह कैसे हो सकता है? मुझे विशेष समय नहीं लेना हैं। मुझे यही कहना है कि माननीय सदस्य श्री बालसिंहजी सोढा एक सिद्धांत के सवाल को लेकर आये हैं ...

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय :

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे यही कहना है कि उनको ऐसी जगह बसाइये कि शिकायत पैदा न हो। ऐसी जगह उनको दीजिये जिससे उनकी जो आपत्तियां हैं वे हल हो जायं और आदिवासियों की आपत्तियां बढे नहीं। यह कोई असंभव समस्या नहीं है। आप निश्चित रूप से इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं। कहावत है :

"वेयर इज विल देयर इज वे"

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

लेकिन केवल एक प्रदर्शन करना चाहते हैं तो मैं मानता हूं कि आपकी नीति नकारात्मक है और आप कुछ नहीं करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो अवश्य कर सकेंगे, करने योग्य है और करना चाहिये और इन्साफ का तकाजा है कि आपको कुछ करना चाहिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाडमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पार्टी के नेता ने जो विचार रखे हैं उन विचारों से मैं भी काफी सहमत हूं। उनका यह स्पष्ट कहना, तो मैं कहता हूं कि उन्होंने बहुत ही सार बात कही है, उनका यह कहना कि जहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग रहते हैं वहां पर उनको न रखा जाय। हमें कोई एतराज नहीं है। बाड़मेर तहसील में रखें दिया जाय हमें कोई ऐतराज नहीं है। शिव, चोहटन में अधिक दूसरे लोग रहते हैं। इसलिये मदेरना साहब ने यह बात कही कि खुद मौके पर आकर बातचीत करके कोई न कोई हल निकालेंगे और आपकी इच्छा के अनुसार करेंगे।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: शिव, चोहटन और बाडमेर मैंने देखा ही नहीं मैं वहां कभी नहीं गया।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : शिव और चोहटन का एरिया है वह डेजर्ट एरिया है और ट्यूब वेल करके...

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह शिव और चोहटन शिड्यूल्ड कास्ट्स का एरिया है ? गलत।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : शिव और चोहटन में शिड्यूल्ड कास्ट्स की सबसे ज्यादा संख्या है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री विजय सिंह : माननीय हादी वहां से आये हैं। उनके कहने से कह रहे हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : चौहटन क्षेत्र में...

श्री विजय सिंह : शिड्यूल्ड कास्ट्स का एरिया घोषित करा लीजिये यदि उनकी संख्या सबसे ज्यादा है तो।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जब यह घोषित होगा तो अनुसूचित जाति का एरिया घोषित होगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह आप कैसे कह सकते हैं ? इलेक्शन कमीशन तय करेगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 71 में जो सेन्सेज हुई है उसके आधार पर कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहिये माननीय सदस्य।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 71 में सेन्सेज हुई 65 के युद्ध के कारण मुसलमान अधिक संख्या में वहां से चले गये जब कि वहां उनकी संख्या ज्यादा थी और अब वह कम हो गयी और अब वहां शिड्यूल्ड कास्ट्स का प्रपोर्शन ज्यादा बनता है खास तौर से शिव तहसील में चतरा राम सरपंच और उसके पुत्र के साथ जो घटना घटी...

Page No 128

श्री **दौलतराम सारण** (डूंगरगढ) : इससे हमारा कोई विवाद नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुःख है कि माननीय सदस्य मूल इश्यू को साइड ट्रेक करना चाहते हैं । किसी ने गुनाह किया है तो उसकी सजा वह भुगतेगा और उसको सजा दीजिये, रोका किसने है आपको । चतराराम और उसके परिवार के साथ और आदिवासियों और हरिजनों के साथ अन्याय किया, कानून के खिलाफ वर्जी की, राज्य सरकार को चाहिये कि उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करे । यहां पर यह विवाद का मुद्दा नहीं है । विवाद का मुद्दा यह है कि शरणार्थी जो पाकिस्तान से आये हैं उनके लिये यह आदेश है कि शिव और चौहटन को छोडकर और कहीं उनको बसाया जाय यह आदेश नहीं होने चाहिये । राज्य सरकार सक्षम है उनको जैसलमेर, बाडमेर जालौर चाहे सवाई माधोपुर में उनको बसाये । यह तो सरकार के देखने की बात है कि उन्हें कहां बसाये । इस प्रकार एक विवादास्पद आदेश जारी करके एक विवाद खडा कर दिया । राज्य सरकार को इस आदेश को विड्रो करना चाहिये । राज्य सरकार कहीं बसाये हम यह वकालत नहीं करते हैं कि उनको चौहटन में बसाओ । नही यह कहते हैं कि उनको बाडमेर और शिव में बसाओ यह हमारे विवाद का मुद्दा नहीं है ।

श्री **देवीलाल मीणा** (सराडा) : हम आपको जानते हैं । उस बात को दबाने के लिये . . .

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री **दौलतराम सारण** : चिलम भरना ही आपका काम है । शिड्यूल्ड कास्ट्स के प्रतिनिधि होने का ठेका आपने ही नहीं लिया है ।

श्री **देवीलाल मीणा** : हमने नहीं लिया है लेकिन हम आपको जानते हैं ।

(व्यवधान, शोरगुल)

श्री **उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ।

श्री **प्रेमसिंह सिंघवी** (छबडा) : हमारे लिये कहते हो । आप लोग ही तो मार रहे हो ।

(शोरगुल)

श्री **उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, आर्डर ।

श्री **दौलत राम सारण** : यह क्यों कहते हैं कि यहां नहीं बसायेंगे और यहां बसायेंगे ? यह बेबुनियाद है और प्रशासनिक दृष्टि से ठीक नहीं है ।

श्री **उपाध्यक्ष** : मैं निवेदन करूं कि मंत्री महोदय स्थिति को और स्पष्ट कर दें ।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : एक जबरदस्त मुद्दे को विवाद में डाल दिया गया ।

श्री **डूंगाराम राजोरिया** (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय . . . .

श्री **उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज । एक माननीय सदस्य एक दफा ।

श्री हीरा भाई ।

श्री **डूंगाराम राजोरिया** : निवेदन यह करना चाहता था . . वेस्ट पाकिस्तान से आये लोग . . . .

श्री **हीरा भाई** (कुशलगढ-सु.) : बहस चल रही है । मेरा जहां तक ख्याल है शायद

(श्री हीराभाई)
दोनों तरफ से प्रिजुडिस हैं इन बातों के लिये। यह बात जरूर है कि नागरिक अधिकार पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को देना हमारा परम कर्तव्य है। अमुक जगह ही उनको अधिकार दिये जायं और अमुक जगह नहीं दिये जायं यह हमारा कहना भी गलत है और गवर्नमेंट का भी यह आदेश देना गलत है। मैं स्वयं आदिवासी हूं और आदिवासी और हरिजनों में जन्मा हूँ और उन पर क्या–क्या मुसीबत हुई है और क्या होने वाली है उसको मैं खूब जानता हूँ। उसी के साथ–साथ उतने उत्सुक होकर आप हम लोग तैयार हैं यह कहते हैं राजा मानसिंह थे उनके भी मामले आवेंगे। उन्होंने भी क्या–क्या अत्याचार किये हमारे पीडित रामकिशनजी के खिलाफ मेरे पास आये और कह रहे थे। यह तो वोट का मामला है। हमारे साथ तो राजा मानसिंह इसी तरह व्यवहार कर रहे हैं। पर इन सबका कसूर किसका निकालें ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : पंडितजी, ये सच कह रहे हैं क्या ?

श्री रामकिशन : जी हां।

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) : तो हमेशा यह बडी जात वाले लोग ऐसा ही करते रहे हैं फिर चाहे ये किसी भी तरफ के हों, इनका हमेशा शोषण करते रहे हैं। अफसरों और पुलिस के मार्फत कराते हैं। ये और कई तरीके से करवाते हैं।

मेरा निवेदन है कि हमारे साथ तो चाहे महारावल लक्ष्मणसिंहजी करें चाहे महाराजा मानसिंहजी करें या लक्ष्मणसिंहजी करें। सब हमारे लिये तो बराबर है। तो दूध में उबाल आता है और ठंडा हो जाता है बाहर निकलने के बाद तो ये सारे दूध हैं। इस तरह से नहीं लेना चाहिये।

अगर अन्याय का मुकाबला करना है तो वह हम करेंगे पर जहां तक किसी को बसाने का सवाल है, उनको कहीं भी बसाओ। लक्ष्मण-सिंह डाकू हों या कुछ भी हों। जहां उनकी इच्छा हो बसाओ, उनको बसने की सारी सहूलियत दो। अब अगर वे अन्याय, अत्याचार करते हैं कराते हैं तो हम देखेंगे यह सब। अगर इतने डरपोक रखेंगे आप हमें तो नाथूरामजी भी कम नहीं हैं। बहुत बडे एक गुजराती सेठ कहलाते हैं। राज पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। पुलिस का पहरा उन पर लगा रखा है। गरीबों की तमाम जमीन छीन रखी है। यह कांग्रेस सरकार उनके हाथ लगा सकती है क्या ? तो इस अन्याय और जोर जुल्म के लिये इस कांग्रेस पर और कांग्रेस सरकार पर भरोसा करके बैठें क्या ?

श्री नाथूराम (बागीडोरा-सु.) : उनके लिये तो भूख हड़ताल करते हैं।

श्री हीरा भाई : मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हमें अन्याय का मुकाबला करना है तो उसके लिये हमें तैयारी करनी होगी अपने में ताकत पैदा करनी होगी। पर उनको नागरिक अधिकारों को क्यों नहीं देते। दे, जहां चाहे वहां बसाय। इसके बाद अगर शासन है तो वह देखे उनको। अगर वे अन्याय अत्या-चार करते हैं तो सरकार उनसे निपटे। कानून है सरकार के पास। कानून से काम ले। गलत काम करने वाले को सजा दे। पर यह कहां का न्याय है कि क्योंकि वे ऐसा कर सकते हैं, किया था पहले इसलिये उनको नागरिक अधिकारों

(श्री हीराभाई)

से ही वंचित कर दो यह कहां का न्याय है। सरकार अगर समर्थ है तो कानून अपना मनवाये। अब अगर कोई हमारे साथ अन्याय करता है तो हम कमर कस कर तैयार रहेंगे। बाकि आप लोगों को ताकत नहीं कि जलती आग में पैर रखो। पर आप लोग तो मरे हुए मुर्दे की तरह कांग्रेस के इन डरपोक लोगों की गोद में पड रहेंगे तो ये तो उनसे भी कम नहीं रहेंगे। ये भी लूटेंगे। ये नये राजे महाराजे आपको चाट जावेंगे, नवाब साहूकार सेठ ये चाट जावेंगे। ये नये जागीरदार चाट जावेंगे। मिनिस्टर चाट जावेंगे।

डरने का दोस्तो किसी से भी सवाल नहीं हैं। हर कदम पर हम इतनी मजबूती से चलना सीख लेंगे जिस दिन कि दुनियां का हर कदम पर अन्याय का मुकाबला करने लगेंगे तो उस दिन हमारे साथ अन्याय करने की फिर किसी को भी हिम्मत नहीं पडेगी फिर चाहे लक्ष्मणसिंहजी हों, महारावल हों, मानसिंहजी हों या आज के ये कांग्रेसी जागीरदार सेठ साहूकार और मिनिस्टर हों।

तो आप अपना फर्ज देखकर चले। उनको बसावें, जहां वे चाहें, वहां बसावें, इसके बाद अगर लक्ष्मणसिंह जी गलत काम करते हैं तो फिर आपकी पुलिस किस काम की है, आपका प्रशासन और यह सारी मशीनरी जिस पर हम लाखों करोडों खर्च करते हैं किस काम की है। आप इस तरह से पाकिस्तान हिन्दुस्तान का बंटवारा घर में ही करके मत चलिये। वे अगर बदमाश हैं तो उनको जेल में रखें जैसे पाकिस्तान ने रखा था। अगर उसी तरह से रहने की कुव्वत आप में है तो। अगर वे गलत हैं तो इस मामले में हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। पर जूं के डर से कपडा छोडकर भागने लगे तो इससे काम नहीं चलेगा।

गरीबों के लिये जब तक गरीब समर्थ स्वयं नहीं होंगे उनके दुःख-दर्द दूर नहीं होंगे। उनको हिम्मत करके जुल्मों का सामना करना होगा। अपने आपको मजबूत करें। यही मेरा कहना है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो चर्चा चल रही है उस पर नया विषय श्री जसराजजी ने उठाकर उस चर्चा को मोडने की कोशिश की है।

श्री जसराज : वस्तु स्थिति पर मैंने प्रकाश डाला है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इनकी भावनाओं की मैं भी कद्र करता हूं। कोई भी सदस्य अगर यह सत्य है तो उसको मानने से इन्कार नहीं कर सकता। उसका प्रतिकार भी करेगा। करना चाहिये।

पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस प्रसंग में इस मामले को उठा कर जो भावना को प्रभावित किया गया है मैं माननीय श्री गंगाराम से यह जानना चाहूंगा कि बाडमेर जिले में ऐसा कौनसा क्षेत्र है जहां से कांग्रेस का विधायक नहीं जीता हो। शत प्रतिशत सीट कांग्रेस को मिली है। अब अगर आदिवासी लोगों के साथ या हरिजन बन्धुओं के साथ आपके क्षेत्रों में किसी ने इस तरह का अत्याचार किया था तो आपने क्या किया? वहां तो आपका पूरा राज्य था। जैसा आप कह रहे हैं कि वे जब से आये हैं उन्होंने अत्याचार किया है लूटमार की है। तो आप क्या कह रहे

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

थे, आपकी सरकार आपकी पुलिस क्या कर रही थी ।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हो सकता है ये तथ्य सही हों पर इसके पीछे जो कारण हैं जिन कारणों से यह आदेश निकलवाया गया है वे केवल राजनीतिक कारण हो सकते हैं और कारण नहीं हो सकते । 65 के आक्रमण के समय जो स्थिति मेघवालों की हुई है उनकी क्या हालत होती अगर ऐसा आदेश निकाल देते तो ।

फिर यह सारा मामला अलाटमेंट कमेटी के हाथ में है । अगर आप इस आदेश को वापिस ले लेते हैं तो इसका कोई असर नहीं पडने वाला है । केवल इसमें भावना का प्रश्न है ।

आप सोचिये थोडा जो भागकर यहां आते हैं किस कारण से आते हैं । निश्चय ही पाकिस्तान में उनके साथ भयंकर अत्याचार होते हैं इसलिये अपने घर बार को छोडकर यहां आते हैं, आये हैं । नहीं तो कौन अपना घरबार छोड़कर दर दर की ठोकरें खाने निकलता है ? अब अगर उन्होंने किन्हीं कारणों से गरीब लोगों के साथ अत्याचार किया है तो इनको सजा मिलनी चाहिये ।

आज तो प्रश्न केवल भावना का है । आप यह रोक हटा दीजिये । इसमें प्रतिष्ठा का विषय सरकार को नहीं बनाना चाहिये । एक आदमी भूख हड़ताल पर बैठा है । फिर जगह देना तो आपके हाथ में है । आप जहां आपको सहुलियत हो वहां दीजिये । पर इस तरह से हुक्म निकालना तो कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता । यह आप भी मानेंगे ।

इसलिये मैं पुनः राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि आप इस पर गंभीरता से सोचें । इसे प्रतिष्ठा का सवाल न बनावें । आप इस सिवाय शब्द को हटादें ।

एक सदस्य : हरिजन बैठे हैं, हम भी उनके साथ बैठेंगे ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जिन्होंने अत्याचार किये हैं उनका मुकाबला करने के लिये हम भी आपके साथ हैं ।

श्री हरि वल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : खण्डार के थानेदार ने जिस तरह से आप लोगों को पीटा है क्या किया आपने उसका ? और क्या किया आपकी हिमायत में आने वाली इस कांग्रेस सरकार ने ? आपने पूछा कभी इस सरकार से ?

श्री राम नंद अग्रवाल (अलवर) : माननीय मंत्रीजी तो चले गये । मुझे लगता है कि मामला थोडा प्रेस्टिज का बन गया है वर्ना मकसद जो सरकार का है वही सभी सदन के सदस्यों का है । इसमें फर्क नहीं है ।

अब सरकार को यह डर है कि अगर वहां बसा दिया तो उनकी बात जायेगी । इसके लिये मैं यह समझता हूं कि एक सोलम कमिटमेंट इधर से भी दिया जावे कि सिवाय शब्द अगर हटा दिया जाता है तो वे यह जिद्द नहीं करेंगे कि इनको वहीं बसाया जावे । सरकार की जहां मरजी हो वहां बसादें । वे कोई एजीटेट नहीं होंगे ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : परसों हाउस में सोढा साहब ने भी यही कहा था ।

Page No 132

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो इस सदन की भावना स्पष्ट है। आपके इस शब्द के हटा देने के बाद कोई जिद् नहीं करेगा कि आप उनको किसी परटीकूलर जगह पर ही बसाओ। जहां पर भी आप एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने लिये सुविधाजनक समझें वहां बसा सकते हैं।

अब अगर आपने बिना जजमेंट के किसी पर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो यह जस्टिफाइड भी नहीं होगा। जैसे एक लडका है, बिना कसूर किये ही अगर किसी जगह से उसको रेस्टिकेट कर दिया तो वह जहां भी जायेगा उसको तो एडमिशन नहीं मिलेगा और साइकलोजीकली उसकी तो दिक्कत बढ जावेगी। तो इस दृष्टिकोण से भी आप सोचें। इसे आप जल्दी से कर दीजिये और लटकते रहे, यह भावना नहीं हो। आप अभी परमानेन्टली नहीं कर सकते हैं तो हाउस को बतादें। अभी दो-तीन दिन में जैसा निर्णय लेना चाहते हैं वहां भेज दीजिये ताकि वे अपनी जिन्दगी शुरु करें उनको भी कोई दिक्कत न रहे यह एक सीधी साधी सी बात है।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी का कन्डेम करने का प्रश्न नहीं है। जैसा मैं प्रारंभ में निवेदन कर चुका हूं अभी तक सिटिजन-शिप के राइटस कनफर नहीं किये गये हैं इसलिये इंडियन नेशनलिटी नहीं मिली है। परमानेन्टली नहीं बसाया जा सकता है इसके लिये उनको आवंटन किया। अब आवंटन करने के बाद में स्थायी जमीन कहां दी जावगी। इन दो तहसीलों के अलावा भी जमीन दी जायगी। उन्होंने अभी जमीन ली भी नहीं है, काश्त की नहीं · · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने आफर की थी क्या ? और अगर यह बात है तो 'वी डोन्ट एग्री।'

श्री परसराम मदेरणा : लक्ष्मण सिंह सोढा ने चिट्ठी लिखी थी इसलिये मैं निवेदन करूं हमने एक साल पहले आदेश नहीं किये थे। यह आदेश 23 जून, 71 को किये हैं जून के लास्ट वीक में 4-5 दिन वर्षा हुई थी। जून से पहले जमीन अलाट करने का प्रश्न नहीं उठता है। मैं सदन को कान्फीडेंस में लेना चाहता हूँ जैसी मैंने प्रारंभ में बात कही थी। जहां हरिजनों की बेकारी के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने बात कही उसका सम्बन्ध कानून से है वह अपने आप में है। कोई आदमी कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री हीरा भाई : आपकी गलती से सबको भुगतना पड रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : क्या भुगतना पड रहा है।

श्री हीराभाई : मेरे कहने का मतलब प्रशासन में · · ·

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये मैं निवेदन कर रहा था उनको बसाने के लिये कोई काउन्टर मोशन यहां पर लाया गया है। यह बात निराधार है। लक्ष्मणसिंह जी अभी मुझे मिले थे 5 तारीख को इसी पांच नवम्बर को, जोधपुर में मिले थे। उनसे मैंने बात की है। उसके बाद मैं इतना ही आश्वस्त कराना चाहता हूं कि डिसिजन ले लिया जैसा मैं पूर्व में कह चुका हूं यह भारत सरकार के विचाराधीन है और पब्लिक के इन्टरेस्ट में मैं नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

कहना चाहता हूँ लेकिन प्रशासनिक कारणों से और इन्टरनेशनल बोर्डर होने से कुछ डिसिजन लेने पड़ते हैं लेकिन कोई उन लोगों के खिलाफ कोई बात नहीं है। लक्ष्मण सिंह और ये जो दूसरी कोमों के आदमी हैं उनको बोर्डर पर नहीं बसाया जायगा। मैं पुनः कोई निर्णय करने को तैयार हूं लेकिन सभी बातों को सोचकर और भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित कर किया जा सकता है इसलिये पूर्ण रूप से कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन इतना आश्वासन जरूर है कि उनको सिटिजनशिप के राईट जल्दी दिये जायेंगे। जो कानूनी पूर्ति करवानी है उस पर जल्दी निर्णय लिया जायेगा। जब भारतीय नागरिक बन जायेंगे तो यह प्रश्न ले लिया जायगा कि उनको कहां बसाया जायगा। जैसा कोटा से आनेवाले माननीय सदस्य कह रहे थे-काश्त करने का सवाल नहीं है। रेगिस्तानी इलाका है। जुलाई में केवल 5 दिन खेती होती है उसके बाद साल भर खेती नहीं होती है। अब जून में वर्षा आयेगी तब जाकर कुछ होगा। माननीय सदस्य बालसिंहजी से निवेदन कर दिया गया था। यह आर्डर है इसका इम्प्लीमेन्टेशन हुआ नहीं। न जमीन दी न काश्त की। इस प्रकार यदि कोई इस प्रकार की बात हुई तो मैं यहां तक जाने को तैयार हूँ कि इन दो तहसीलों के बारे में पुनः विचार कर लूंगा। बाडमेर डिस्ट्रिक्ट का एरिया ही ऐसा है जहां यह स्थिति है कि जब हिन्दुस्तान पाकिस्तान अलग नहीं था तो उस एरिया के कुछ लोग इधर रह गये और कुछ लोग उधर रह गये और इन्टरनेशनल बोर्डर पर जो रहने वाला है शायद उनके पास रहना पसन्द न करें। बंगाल से जो शरणार्थी आते हैं उनको अगर राजस्थान में बसने की बात करते हैं तो वे पसन्द नहीं करते हैं। इन दो तहसीलों के बारे में भी निवेदन कर दूं कोई ऐसी रिजिडिटि नहीं है। पुनः विचार किया जायगा और जल्दी से जल्दी जो कार्यवाही हो सकेगी वह की जायगी।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : मंत्री महोदय को केवल इतना ही निवेदन है कि जहां तक हो सके और जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं वे गंभीरतापूर्वक विचार करने योग्य हैं। क्या मैं आशा करू पांच मिनिट के लिये आप माननीय सदस्य बाल सिंह जी सोढा से मिलकर जो पहले आपने प्रकाश डाला है उसी तरह उनको जाकर कुछ समझा दें मेरी मौजूदगी में तो आभारी रहूंगा। समझाने का कष्ट तो आपको होगा लेकिन माननीय सदस्य जो भूख हड़ताल पर हैं आश्वस्त हो जायं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं जरूर मिलूंगा लेकिन आध घण्टे के बाद क्योंकि सेन्ट्रल स्टडी टीम मुख्य मंत्री जी से मिलने आई हुई है और उसमें मेरे भी कुछ मुद्दे हैं; इसलिये मैं पांच मिनिट के लिये उनसे मिलना चाहता हूं।

श्री जसराज : माननीय सदस्य बाल सिंह जी से मिलने के बाद अगर आप श्री चतरराम जो बाहर भूख हडताल पर बैठे हुए हैं उनसे भी बात कर सकें तो मेहरवानी होगी।

श्री परसराम मदेरणा : चतराराम का सम्बन्ध माननीय मुख्य मंत्रीजी से है। उनसे निवेदन करें। यह डिपार्टमेंट तो मेरा है इसलिये मैं माननी सदस्य बालसिंह जी से मिल लूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय जसराज जी ने कहा श्री चतराराम से मिलने

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

का तो मेरा निवेदन है पहले उनसे मिल ल और माननीय सदस्य बालसिंह से बाद में मिल लें।

श्री राम चन्द्र आर्य : उस इलाके में हरिजन ज्यादा है इसलिये किसी हरिजन थानेदार को भेजा जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री श्रवण लाल: कलेक्टर भी हरिजन भेजा जाय।

श्री परसराम मदेरणा : हरिजन सब इन्सपेक्टर होगा तो यह प्रयत्न भी किया जायगा कि उसको वहां लगाया जाय।

विद्युत् मण्डल के आय व्ययक पर अग्रेतर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम किशन।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी विद्युत् मण्डल के 1971-72 के बजट पर सदन में चर्चा हो रही है। आज बिजली का संबंध केवल शहरों से ही नहीं बल्कि इसका सम्बन्ध हिन्दुस्तान और राजस्थान के उत्पादन से जुड गया है इसलिये बिजली के मामले को हम न तो टेक्निकली फैशन के रूप में ले सकते हैं और न केवल हल्के विवाद के रूप में। हम आज राजस्थान में विद्युत् का जो असर देखते हैं, जो विद्युत् का प्रभाव देखते हैं या जो विद्युत् का प्रसारण देखते हैं उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार को कुछ निवेदन करना चाहूँगा, और मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार विद्युत् मण्डल को मेरे इन सुझावों को दे।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन के कई माननीय सदस्यों ने और खास तौर पर झुन्झुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरे सदस्यों ने यह कहा है कि गुजरात और राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान में बिजली के प्रकाश, बिजली के विकास और बिजली के प्रसारण में बहुत फर्क है और वहां हमसे बहुत ज्यादा है। लेकिन हम क्यों दूसरे राज्यों से पीछे हैं इनके कारणों में हमें जाना होगा। विद्युत् मंत्री महोदय जवाब देते समय भौगोलिक स्थिति की चर्चा करेंगे, वह हमारी समझ में आता है कि हरियाणा और राजस्थान का कोई मुकाबला नहीं है। हरियाणा छोटा सा प्रदेश है और हम उस स्थिति को समझते हैं कि राजस्थान इतना विकास नहीं कर सकता लेकिन विवाद यह नहीं है। विवाद यह है कि हमारे जितने सीमित साधन थे, हमारे क्षेत्र की जितनी भौगोलिक स्थिति थी उतनी भी हमारे क्षेत्र में काम हुआ या नहीं। पंजाब, हरियाणा, गुजरात और शायद देश के अन्य राज्यों में से एक राज्य को छोडकर राजस्थान में बिजली के मामले में ज्यादा प्रगति नहीं हुई। प्रश्न यह है कि जो सीमित साधन थे उनका भी हमने लाभ उठाया या नहीं। और, उपाध्यक्ष महोदय, हम शुरू से देखते हैं तो ऐसा मालूम पडता है कि राजस्थान सरकार की बिजली के संबंध में कोई नीति ही नहीं थी। पहली पंचवर्षीय योजना में और दूसरी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान सरकार ने विद्युत् के प्रसार के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिये जो काम किया है उससे हमें पता चल जाता है कि राजस्थान सरकार की बिजली के बारे में कोई नीति नहीं थी, कोई दृष्टिकोण नहीं था। तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार का दृष्टिकोण बदला है। दस साल तक तो सोचा ही नहीं इसलिये पिछडेपन का कारण हमारी भौगोलिक स्थिति नहीं है, पिछडेपन का कारण हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है बल्कि

(श्री रामकिशन)

पिछड़ेपन का कारण यह है कि राजस्थान सरकार की विकास, सिंचाई और विजली के मामलों में कोई नीति नहीं है । इसलिये ऐसी सरकार से हम भविष्य में क्या आशा करें । इस संबंध में सदन में चर्चा करना चाहूँगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम पहली पंच वर्षीय योजना में हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों से देखें तो हम पायेंगे कि वहां बिजली के प्रकाश, बिजली के विस्तार के लिये कार्य किये गये हैं, लेकिन राजस्थान की हालत तो यह थी कि पहली पंचवर्षीय योजना में केवल 24 बस्तियों में बिजली दी गई । ऐसा मालूम पडता है कि राजस्थान सरकार ने केवल मजाक के लिये काम शुरू किया था, हमारी पहली पंचवर्षीय योजना में । हमारा 56 करोड़ के आसपास हमारा बजट था जिसमें सिंचाई के लिये केवल 30 लाख 32 हजार रुपया खर्च किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में विद्युत् के प्रसारण, विद्युत् के उत्पादन और विद्युत् के फैलाव के लिये बहुत ही थोड़ा काम हुआ है, और हम समझते हैं कि हम उसे आरंभ ही नहीं कह सकते, लेकिन हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों में इस सम्बन्ध में बिजली के प्रसार के लिये मजबूत नींव रख दी गयी । अब यह ज्ञान राज्य सरकार को 5 साल में भी नहीं हुआ और बिजली केवल 24 बस्तियों को दी जिसमें खर्चा हुआ 30 लाख का । हम योजना का अनुपात लगायें । अगर हिन्दुस्तान की राजगद्दी पर छोटे किसान का लड़का बैठा होता या जिसका उत्पादन से संबंध होता तो मैं समझता हूं सिंचाई और बिजली के लिये दूसरी नीति होती, लेकिन जो राज्य करने वाले लोग हैं उनको जमीन से प्यार नहीं, उनको धरती से लगाव नहीं और उसका यह नतीजा है कि हम किसी भी मामले को ले लें आज दुनियां के दूसरे देश के विकास के मामले में जब आसमान में जारहे हैं उस समय तो हिन्दुस्तान में रेंगना शुरू किया है, चलना शुरू किया है धीरे धीरे । प्राथमिकता किस बात की हो, पहले किस बात पर जोर हो इस बारे में राजस्थान की सरकार ने और फिर हिन्दुस्तान की सरकार ने नहीं सोचा । अब यह ज्ञान पांच साल में भी नहीं जागा । राजस्थान सरकार उस दिशा में कुछ नहीं कर रही है ।

दूसरी पंच वर्षीय योजना में जब अन्य राज्यों ने ग्रामीण विद्युतिकरण का काम हाथ में ले लिया उस समय भी राजस्थाम सरकार कुछ नहीं कर पाई और दूसरी पंचवर्षीय योजना में केवल 65 बस्तियों में बिजली दी गई और 67.76 करोड़ रुपया खर्च किया गया और आंकड़ा था 1 अरब 5 करोड़ रुपया और उसमें विद्युत् प्रसारण के लिये केवल 67 लाख रुपया रखा था । आखिर हम किस को दोष दें । केवल यह कह देना कि राजस्थान बहुत लम्बा है, राजस्थान रेगिस्तानी है-राजस्थान लम्बा है और रेगिस्तानी है यह सही है, लेकिन दर्द यह है कि हमारी सरकार के दिमाग भी रेगिस्तानी थे और उनमें उपजाऊपन नहीं था-दिशाशून्य, ज्ञानशून्य और ये राजस्थान में राज्य कर रहे थे । वोर्ड की क्या जिम्मेदारी है, और क्या किया है इस सम्बन्ध में क्या बात करें लेकिन हमारे बिजली के सवाल को हमें तो दूसरी दृष्टि से देखना पड़ेगा ।

आज इस सदन में चर्चा हो रही थी कि हमारा विद्युत् मण्डल फायदे में चल रहा है । किस ने बहका दिया कि फायदे में चल रहा

(श्री रामकिशन)

है। अब की साल भी घाटा है लेकिन फायदा अगर है तो यह है कि हमने ब्याज देना शुरू कर दिया है जब कि हिन्दुस्तान की सारी सरकारें, सारी अर्थ-व्यवस्था का यह तरीका है कि विदेशों में जो ऋण मिलता है उसका ब्याज देना शुरू नहीं किया है। उस मामले में हम तारीफ कर सकते हैं कि मूल नहीं देकर ब्याज देना शुरू किया है, बाकी घाटा तो आज भी है और यह घाटा रहेगा। घाटा इसलिये रहेगा कि अब पैसे के प्रावधान का सवाल नहीं है अब तो दृष्टिकोण का सवाल है। राजाखेडा से आने वाले माननीय सदस्य श्री प्रद्युम्नसिंह जो कि मेरे इलाके से हैं और मेरे छोटे भाई समान हैं वे खुशी जाहिर कर रहे थे कि 67 के बाद धौलपुर में बिजली लग गयी लेकिन आपने यह नहीं देखा हिन्दुस्तान के राजनीतिज्ञ राजनीति के मामले में शून्य हैं अमेरिका जायेंगे, इंगलेंड जायेंगे, फ्रांस जायेंगे, कनाडा जायेंगे और जर्मनी जायेंगे और प्रधान मंत्री जी खुशी खुशी लौट आयेंगी लेकिन जिन चीजों में राजनीति का प्रवेश नहीं करना चाहिये, वहां करते हैं। हमारे जितने गांवों का इले-क्ट्रिफिकेशन हुआ मैं धौलपुर के माननीय सदस्य के लिये कहूंगा कि जिन गांवों में बिजली दिलाई उसमें पिछले साल कनेक्शन हो गये क्या? उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने गांवों का सिलेक्शन किया, जो स्वीकृति दिलाई हिन्दुस्तान के राजनीतिज्ञ बतायें जमीन की क्या नीति है, उद्योगों की क्या नीति है, बेरोजगारी के लिये क्या किया जाये? इन चीजों पर चर्चा करने के बजाय बिजली का लटठा लग जायगा, तालाब बन जायेंगे तो वोट मिल जायेंगे इस दृष्टि से विकास को जोड़ा जाता है इसलिये दिक्कत पैदा हुई कि पिछली बार जितने गांवों का विद्युतिकरण हुआ 31-3-71 तक 253 गांवों में कहीं कनेक्शन नहीं लिये। अब बोर्ड ने लाईन डालदी, पैसा खर्च कर दिया और उसमें से 1/10 ने तो कनेक्शन नहीं लिये और वह इलाके कौन से थे-जयपुर के जितने गांवों को बिजली दी सब ने ली, अलवर में जितने गांवों को बिजली दी उन्होंने कनेक्शन नहीं लिया लेकिन जब राजनैतिक आधार पर गांवों को मन्जूर किया तो रिजल्ट उल्टा हो गया। उसमें उदयपुर में 45 गांवों ने नहीं ली। यह वही इलाका आ जाता है कि जहां बंध बन गये तो वोट मिलेंगे, सडकें बन गईं तो वोट मिलेंगे। बोर्ड नुकसान में क्यों होता है? उसके दूसरे कारण भी हैं, भ्रष्टाचार वगैरह भी हैं लेकिन एक कारण यह है कि जिन गांवों के लिये पैसा खर्च करके लाइन डाल दी जाती है वहां कनेक्शन नहीं होते हैं। उसमें हम देखते हैं कि 253 में से 45 गांवों ने कनेक्शन नहीं लिये। भीलवाडा में 44 गांवों और चितौड़गढ में 42 गांव हैं। यह वही इलाका है जहां वोट सीक करने के लिये बिजली पहुंचाई गई लेकिन गांवों में कनेक्शन नहीं लिये गये...

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर): आपका यह कथन बिल्कुल गलत है। मेरा चेलेंज है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कोई गांव नहीं हैं जहां बिजली पहुंची हो और लोगों ने बिजली न ली हो। जहां 2 घर भी बिजली पहुंची, एक महीने के अन्दर बिजली ली है, लोगों ने दर-ख्वास्तें दी हैं और अधिकारियों ने तुरन्त बिजली दी है। अगर आप चाहें तो मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं।

श्री रामकिशन: आप पहले मेरी बात तो सुनें।

श्री रोशनलाल शर्मा: मैं तो सुन रहा हूँ। लेकिन आपने जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में यह बात कही है, पांच-चार गांवों को छोड़कर जिस गांव में भी बिजली पहुंच गई, मकानों में बिजली ली है, कुओं में बिजली ली है। अब किसी गांव में कुओं में पानी ही नहीं हो तो बिजली लेकर क्या करें ? आप जो राजनैतिक आधार की बात करते हैं · · ·

श्री रामकिशन : मैं जो बात कह रहा हूँ कृपया उसको समझिये।

श्री रोशनलाल शर्मा : वह तो मैं पौने पांच बरस से समझ रहा हूं।

श्री रामकिशन : अगर पौने पांच बरस में मैं आपको नहीं समझा सका तो यह मेरा दुर्भाग्य है। जब पौने पांच बरस में नहीं समझा सका तो एक घण्टे में क्या समझा सकता हूँ। यह मेरी सूचना नहीं है, बोर्ड की सूचना है।

श्री रोशनलाल शर्मा: मैं तो आपको करेक्ट करने के लिये कह रहा हूँ कि जो कुछ आप कह रहे हैं वह गलत है।

श्री रामकिशन : मैं आपको कह रहा हूँ कि 31-3-71 तक 253 गांवों में बिजली नहीं ली गई जिनमें उदयपुर, भीलवाडा और और चित्तौड़ के गांव हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा: यह जो सूचना आपके पास आई वह गलत है।

श्री रामकिशन : यह सूचना अगर गलत है तो यह बोर्ड की रिपोर्ट को फाडकर फेंक दीजिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री राम किशन की वकालत तो नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर मीलों तक बिजली आयी है। गांव के ऊपर होकर आयी है। आपके भी क्षेत्र में उदयपुर से सलूम्बर तक बिजली गई है और जितने भी गांव रास्ते में पड़ते हैं उनको कितनी बिजली मिली है यह आप भी जानते हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा: मैं तो कह रहा हूं कि कई जगह नहीं दी है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पर मैं तो इतना कहता हूं · · ·

श्री रोशनलाल शर्मा: मैं तो यह कह रहा हूं कि उदयपुर जिले में जिन गांवों में विद्युतिकरण कर दिया गया है उन गांवों ने बिजली नहीं ली यह रिपोर्ट गलत है। यहां तक कि रेवारी गांव के अन्दर 44 कनेक्शन हैं।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से भरतपुर जिले के 27 गांवों में कनेक्शन नहीं हुए। भरतपुर जिले के 27 गांवों में कनेक्शन नहीं लिये गये हैं और इन 27 गांवों में से 4 गांव नगर के हैं, 2 गांव डीग के हैं, 1 गांव बयाना का है, एक गांव कुम्हेर का है और 20 गांव धौलपुर के इलाके के हैं। धौलपुर के इलाके में 3 तहसीलें हैं · · ·

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : यह रिपोर्ट सही नहीं है।

श्री रामकिशन : मैं यह 31-3-71 की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं। तो उपा-

(श्री रामकिशन)

ध्यक्ष महोदय, म निवेदन कर रहा था कि आपको इन सारे मामलों पर गम्भीरता से सोचना होगा। हम विरुद्ध नहीं हैं बिजली देने के, धौलपुर म बिजली दें, नगर में बिजली दे, और जगहों पर भी बिजली दें लेकिन पटवारी से जो सर्वे कराते हैं, कुओं के पानी के बारे में जानकारी कराते हैं सर्वेक्षण वगैरा कराते हैं उस पर भी आपको अमल करना चाहिये। हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन कमेटी की रिकमण्डेशन आती है, कमेटी अपनी सिफारिश करती है। उस कमेटी में विकास अधिकारी होते हैं, विद्युत विभाग के प्रतिनिधि होते हैं, कलेक्टर होते हैं, जिला परिषद के प्रतिनिधि होते हैं और व सब लोग अपन 2 क्षेत्र के बारे म प्रारम्भिक जानकारी रखते हैं। अगर हम एक सिद्धांत तय करलें कि जो सिफारिश प्रोडक्शन कमेटी की तरफ से आती है बोर्ड के सामने, राज्य सरकार के सामने, उनके बीच में से छांट कर काम करेंगे तो बोर्ड का घाटा काफी कम हो सकता है। लकिन होता क्या है कि प्रोडक्शन कमेटी को सिफारिश होगी कुछ और उसके बाद में अगर जरूरत पडी किसी कारण से, चाहे राजनैतिक कारण हो या और कोई कारण हो, जरूरत पडेगी तो दूसरी जगह कनेक्शन दे देंगे। चुनाव सम्बन्धी काय हो तो वहां कनक्शन दे देंगे लेकिन कमेटी की सिफारिश के अनुसार कनक्शन देने के लिये नहीं है। एक तो मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की बातों को रोकें उनके बारे में मेरी धारणा यह है कि वे इस प्रकार की बातों को रोक सकते हैं और रोकेंगे। इस प्रकार से बिजली के लटठे से वोट मिलने वाले नहीं हैं। अगर बिजली के लट्ठे से ही वोट मिलते हों तो कलकत्ता, मद्रास, और हैदराबाद में बिजली की कोई कमी नहीं है लेकिन वहां पर भी कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो विकास के मामले हैं, आर्थिक विकास के कार्यक्रम हैं उसमें हमें इस प्रकार से प्राथमिकता देनी होगी कि हमें कहां और किस चीज की जरूरत है। कहां से हमें रिटर्न मिल सकता है, इसको देखकर ही हमें प्राथमिकता तय करनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट में एक बात और कही गई। यह रिपोर्ट जो पेश की गई है यह सन् 1970-71 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि ग्रामीण विद्युतिकरण का कार्यक्रम यह घाटे का कार्यक्रम है। इसमें राजस्थान विद्युत मण्डल के 63-64 से लेकर 69-70 के बारे में बताया गया है कि 6 करोड 67 लाख का घाटा हुआ है। और अपने संतोष के लिये यह और कह दिया है कि यह घाटा हमारे देश में ही नहीं है बल्कि दुनिया के अन्य देशों में, इटली, बेल्जियम आदि देशों में भी ग्रामीण विद्युतिकरण पर घाटा होता रहा है। हम इन चीजों को इस तरह से नहीं देखते। बेल्जियम के साथ आज वहां की स्थिति क्या है, यह हम नहीं देखते। इटली आदि यूरोपियन देशों में क्या स्थिति है यह हम नहीं देखते। वे कृषक क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र बन चुके हैं इसलिये वहां घाटा हो सकता है, लेकिन उस आधार पर हम अपने यहां के घाटे पर संतोष नहीं कर सकते। इसलिये हमें यह घाटा कम करने के लिये प्रयत्न करना चाहियें। अब प्रयत्न करते वक्त हमें लक्ष्य निर्धारित करना होगा। इसके लिये मेरा सुझाव है कि हम राजस्थान को एक इकाई नहीं मानें। राजस्थान राजनैतिक दृष्टि से एक इकाई है लेकिन विका

(श्री रामकिशन)

की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से और जलवायु की दृष्टि से राजस्थान कई हिस्सों में बंटा हुआ है। इसलिये प्राथमिकता तय करते समय राजस्थान के पूर्वी हिस्से अलवर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि की जरूरतें दूसरी हो सकती हैं। अब इस इलाके के अन्दर यदि पशुपालन का कार्यक्रम शुरू करें तो मैं समझता हु कि वह अनुपयोगी होगा। इसी प्रकार जैसलमेर, बाड़मेर में हम बिजली पहुंचाने के लिए ज्यादा जोर दे रहे हैं। बिजली दी जाय इसमें तो मुझे एतराज नहीं है लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि वहां पर इसका उपयोग कितना हो सकेगा। इसलिए हमें राजस्थान को इकाइयों में बांटना होगा और हमें देखना पड़ेगा कि सिंचाई और बिजली में प्राथमिकता किसको दी जाय। रोड डेवलपमेंट के अन्दर किसको प्राथमिकता दी जाय, पशुपालन के क्षेत्र में किसको प्राथमिकता दी जाय, माईनिंग के मामले में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाय। क्योंकि राजस्थान की सम्पूर्ण जलवायु और राजस्थान की सम्पूर्ण भूमि एक जैसी नहीं है। अभी राजस्थान सरकार ने एक फैसला किया, बिल्कुल राजनैतिक आधार पर प्रचारात्मक फैसला है कि हम पंचायत समिति और तहसील हैडक्वार्टर्स पर बिजली पहुंचा देंगे। मुझे वहां बिजली पहुंचे इसमें एतराज नहीं है। हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो, तहसील तो क्या गांव 2 और घर घर में बिजली पहुंच जानी चाहिए लेकिन अभी जो आपने फैसला किया है उसमें यह भी देखा है कि वहां बिजली लेने वाले कितने हैं? कई गांव ऐसे मिलेंगे जहां दस बीस कनेक्शन भी लेने वाले नहीं होंगे और राजस्थान में कुछ इलाके ऐसे भी हैं, जहां सौ डेढ सौ कनेक्शन लेने वाले भी मिल जायेंगे और वहां बिजली पहुंचाने में खर्चा भी कम आएगा। इस तरह से हम अगर बिजली पहुंचाते हैं तो हमारा घाटा भी कम होगा और हम अपनी इकोनामी को भी मजबूत कर सकेंगे। अगर आप इस प्रकार का फैसला नहीं कर सकते तो आप जोन बना लें, विकास के जोन बनायें। तो इस प्रकार हम ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। इस प्रकार अगर आप विचार कर सकें तो राजस्थान के ज्यादा हित में होगा। अगर इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना केवल राजनैतिक आधार पर बिना लम्बाई को ध्यान में रखे और बिना उसके रिटर्न को ध्यान में रखे, इस प्रकार बिजली पहुंचाते रहे तो इसका परिणाम पांच सात साल तक और भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करें।

दूसरा निवेदन मेरा यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि हम कुछ क्षेत्रों के लिए सघन कार्यक्रम बनायें। मुझे मालूम हुआ है कि विद्युत मण्डल ने कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए भी हैं और केन्द्रीय मदद से और उनसे ऋण लेकर हम उन कार्यक्रमों को पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए हमने 24 स्कीमें बना कर भेज रखी हैं जिनमें से 4 राजाखेड़ा की स्कीमें स्वीकृत भी हो गई हैं। हमें देखना चाहिए कि इन क्षेत्रों के साथ क्या हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे भरतपुर जिले के अन्दर दो तीन तहसीलें ऐसी हैं जिनके काश्तकार नई टेक्निक अपनाने के आदी हो गए हैं। वे हर प्रकार की नई टेक्निक को अपनाने को तैयार हैं। इसमें

(श्री रामकिशन)

नदबई का क्षेत्र है । वहां जिस प्रकार की आबादी और जिस प्रकार के काश्तकार हैं उनमें भी ट्रैक्टर इतने ज्यादा हैं कि किसी जिले में नहीं है । एक तहसील में तो गंगानगर से भी ज्यादा हैं ....

श्री **बनवारीलाल** : धौलपुर उससे भी बढ़िया है ।

श्री **रामकिशन** : आप तो स्कूल में बैठे हों ऐसे बात कर रहे हो । यह राजस्थान की विधान सभा है, यहां कोई बात सोच समझ कर कहनी चाहिए । धौलपुर में तो कुल 8 ट्रैक्टर हैं । तीन बोहरों के पास और पांच पटेलान के पास ट्रैक्टर दिखते हैं ।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इन सारी बातों की ओर ध्यान दें और इन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर इनको चुनें और देखें कि किन जिलों में बिजली की मांग सबसे ज्यादा है । मैं किसी क्षेत्र का नाम लिए बिना यह निवेदन करूंगा कि जिन क्षेत्रों में बिजली की मांग ज्यादा हैं उनके लिए आप सघन कार्यक्रम बनाएं । अब सघन स्कीम बन रही है । भरतपुर जिले के नगर और डीग को सघन स्कीम में ले रहे हैं क्योंकि राजबहादुर जी ने वहां से चुनाव लड़ा है । मैं पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, नगर में कितने लोगों ने बिजली ली है । 8 लोगों ने भी कनेक्शन नहीं लिये है । अब इसके लिये सघन स्कीम तैयार हो रही है । ■ाहेली से पानी आ जाता है और कुओं में पानी आ जाता है । बाद मे कुओं में पानी नहीं रहता है । आज वहां पर एक भी कुएं पर बिजली नहीं है । अगर भरतपुर जिले को ही सघन क्षेत्र में लेना है तो और भी विधान सभाई क्षेत्र हैं । महुवा, टोडाभीम है अगर इनकी सघन स्कीम बनती तो ठीक बात हो सकती है । यह भी उनके निर्वाचन क्षेत्र में है । 8 निर्वाचन क्षेत्रों में से दो क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां मे बिजली पहुंचने पर रिटर्न जल्दी मिल सकता है और वोट भी उनको वहां से ज्यादा मिल सकते हैं ।

श्री **शिवचरणसिंह** (महुआ) : आप नगर मे विधान सभा का चुनाव लड़ना चाहते है ।

श्री **रामकिशन** : आप अपने दिमाग से करौली को निकाल दीजिये । मैं मूर्ख हूं कि नगर के लिये बिजली देने के लिये मना करूंगा । आप ज्योतिषी नहीं हैं । ये दोनों ही बातें सही नहीं हैं ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप प्राथमिकता तय कर दें और उसके आधार पर एक प्रोग्राम बनावें ।

दूसरा निवेदन यह करना है कि हमारे विद्युत मण्डल की बकाया के सम्बन्ध में सरकार की क्या धारणा है । बड़ी बड़ी पार्टियों में यह बकाया है और उसकी वसूली के लिये हम काम नहीं कर रहे हैं । छोटे छोटे कन्जूमर, उपभोक्ता बिजली के बिल का पेमेन्ट नहीं करते हैं तो उनके कनेक्शन काट दिये जाते ह । शान्तिप्रसाद जैन जैसी कई वड़ी पार्टियां हैं । इनकी 40 लाख की बकाया हैं उसकी वसूली के लिये आप क्या कर रहे हैं ? आज राजस्थान में करीब एक करोड़ 58 लाख रुपयों की बकाया है । यह बकाया बड़ी बड़ी पार्टियों पर है और इसकी वसूली के लिये विद्युत मण्डल को मजबूती से कोशिश करनी

(श्री रामकिशन)

चाहिये और राज्य सरकार को भी जोर देना चाहिये। कुछ मुद्दे विवाद के हों तो उनका निराकरण शीघ्र से शीघ्र किया जाये अन्यथा हमारा जो बजट है, वह पूरा नहीं होगा। गांवों को बिजली नहीं पहुंच सकेगी क्योंकि बोर्ड के पास पैसा नहीं है, और जो उसका इनवेस्टमेन्ट है उसकी उसको रिटर्न नहीं मिल रही है। गलत प्लानिंग की वजह से आज बोर्ड को रिटर्न नहीं मिल पा रही है और इस कारण से बोर्ड के विकास की गति अवरुद्ध हो रही है। मेरा निवेदन है कि बड़ी बड़ी पार्टियों पर जो बकाया है उसकी वसूली के लिये शीघ्रता से प्रयास करना चाहिये। आज वैसे बिजली के मामले में हम गौरव नहीं कर सकते। आज स्थिति यह है कि राजस्थान के गांवों में हम दस प्रतिशत से ज्यादा बिजली नहीं पहुंचा पाये हैं। अब 3500 और गांवों को बिजली देंगे और परसेन्टेज निकालते समय कुछ गांवों को और छोड़ना पड़ेगा और इसमें कुछ गांव तो ऐसे भी हो सकते हैं जिनको बिजली की जरूरत दस वर्ष बाद पड़ेगी। हम केवल प्रचार के लिये ही स्टेटिक्स को इकट्ठा न करें। आवश्यकता और जरूरत के अनुसार हमें इन पर विचार करना होगा। हमारे ग्रामीण विद्युतिकरण के लिये अब भी हमारे विद्युत मण्डल ने 11 करोड़ का बजट रखा है लेकिन इसके साथ साथ एक पैरा जोड़ रखा है कि विद्युत मण्डल को इन 6-7 वर्षों में 6 करोड़ 70 लाख का घाटा हुआ है। मैंने सुझाव बताये हैं और मैं समझता हूं कि सरकार और विद्युत मण्डल उन पर विचार करेगी।

इसके साथ ही दूसरी और बात आप देखिये, टोटल इन्वेस्टमेन्ट कितना हुआ है। वह 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में। यह नहीं मान लेना चाहिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कुछ कर लिया गया है। ग्रामीण विद्युतिकरण के लिये भी अभी बहुत कुछ करना है। ग्रामीण क्षेत्र में केपिटल एक्सपेन्डीचर 54 करोड़ 98 लाख 62 हजार हुआ है और कुल इन्वेस्टमेन्ट 2 अरब के आस पास पहुंच गया है। हमारे देश की, राज्य की जो इकोनोमी है, पशुपालन और खेती इसमें 78 प्रतिशत भाग अदा करती है और जो विद्युत के लिये परसेन्टेज है वह 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। हमें इस दृष्टि से इसको देखना चाहिये। टोटल एक्सपेन्डीचर के मुकाबले में ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा एक्सपेन्डीचर इतना नहीं हुआ है। दूसरा, जिस तरह से जनरल एक्सपेन्डीचर को देखते हैं तो वह है 63-64 से 69-70 तक 10 करोड़, 1 लाख 57 हजार। इसी तरह से टोटल इन्वेस्टमेन्ट को देखें तो यह हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नगण्य है। हिन्दुस्तान की तस्वीर के मुकाबले में राजस्थान का मुकाबला करें तो राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ है। भौगोलिक कारण तो है ही, लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने यह काम शुरू नहीं किया है। इसलिये यह पिछड़ापन है। अब इस सारी स्थिति को सुधारें तब ही स्थिति सुधर सकती है।

बोर्ड की जो असेट्स हैं, पूंजी है उसके बारे में हम ठीक ढंग से सोचें। असेट्स निकालने का जो तरीका है, जिस तरह से निकालते हैं, राज्य सरकार निकाले या विभाग, जिस ढंग से निकालते हैं उससे असली तस्वीर नहीं आ सकती है। घाटे को भी असेट्स में जोड़ दिया जाता है। इस

(श्री रामकिशन)

तरह से एक गलत तस्वीर मिलती है। ग्राज जो मन्त्रीमण्डल के सदस्य हैं उनको समय नहीं मिलता। सुखाड़ियाजी के टाइम में यह समझ में ग्रा सकता है कि उनको समय नहीं मिल पाता था। ग्रब मन्त्री मण्डल में तब्दीली हुई है। कुछ ठीक लोग ग्राये ग्रौर कुछ गये। लेकिन मन्त्री मण्डल के सदस्यों को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे मन्त्री जिस विभाग को सम्भालें उस विभाग में वे दक्षता प्राप्त करने की कोशिश करें ग्रन्यथा यह जो छपा हुग्रा बजट है वह उनको समझाने में सक्षम नहीं हो पाता। बोर्ड के फाइनेन्शियल एक्सपर्टस् होते हैं वे हमारे सामने एक तस्वीर रख देते हैं ग्रौर उससे ग्रसलियत पर पहुंचने में दिक्कत होती है। ग्राज हम देखते हैं उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे जो ग्रब तक के इन्वेस्टमेन्ट हैं, पूंजीगत व्यय बोर्ड का एक ग्ररब, 97 करोड़ 59 हजार के ग्रास पास पहुंच गया है, ग्रौर उसमें वो सारी सम्पत्ति शामिल है जो कि बोर्ड बनने के पहले थी। लेकिन हमारा जो लोन है, जो कर्जा है, चाहे वह राज्य सरकार का हो, बीमा विभाग का हो, या ग्रन्य तरीकों के कर्ज हों, ग्रगर मिलान करेंगे ग्रसेट्स का ग्रौर लाइबिलीटीज का तो उसमें फर्क होगा। इसको हमें सोचना होगा। इस फाइनेन्स के मामले में मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

इस बोर्ड को घाटा ग्रौर कारणों से भी हो रहा है। इसके कई कारण हैं। राजस्थान सरकार हमेशा किसानों की हिमायती नहीं रही है, राजस्थान सरकार मजदूरों की हिमायती नहीं रही है, छोटे उपभोक्ताग्रों की हिमायती नहीं रही है। बड़े सेठों की हिमायत इस सरकार ने हमेशा से की है ताकि चुनावों के समय सरकार को ज्यादा चन्दा मिल जाता है। इसलिये इन सेठों को इसने सुविधा दी है। हम भी चाहते हैं कि हमारे प्रान्त का ग्रौद्योगिक विकास हो ग्रौर इसके लिये कन्सेशन देना चाहिये। एक ग्रजीव घटना याद ग्रा रही है। हमने डी. सी. एम. से करार किया था, वह कोटा में फर्टीलाइजर का कारखाना लगाने वाली थी। हमने ग्राश्वासन दिया था कि जो कॉमन पूल है भाखरा मैनेजमेन्ट का उससे 25 मैगावाट बिजली लेंगे। इस करार से हमको कितना घाटा हुग्रा है। मंत्री महोदय शायद ग्रापकी नजर में यह मामला नहीं होगा ग्रौर नहीं है तो ग्रापके नोटिस में ला रहा हूं। किस प्रकार से पूंजीपतियों से मिल कर राज्य की जनता को नुकसान पहुंचाया गया है। करार होता है, कारखाना लगेगा पंजाब में भी कारखाना लगा था। यह करार होता है कि राजस्थान विद्युत् मण्डल भाखरा कामन पूल से 25 मेगावाट पावर लेगा ग्रौर डी. सी. एम. के कारखाने को देगा। लेकिन बाद में कारखाने के मालिकों ने यह लिख कर दिया जब उनको 25 मेगावाट पावर देने का नम्बर ग्राया, हमें केवल 5 मेगावाट पावर ही चाहिये। बोर्ड से उसका एग्रीमेन्ट हुग्रा है ग्रौर उसे थरमल स्टेशन लगाने की इजाजत ही तब दी गई थी कि पहले वे इस 25 मेगावाट बिजली को कन्जूम करेंगे ग्रौर इसका कारण यह है कि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री सुखाड़िया ने विद्युत् बोर्ड के ग्रधिकारियों को बुलाकर उनसे यह तय कराया कि 6 मेगावाट बिजली ही इनको दे दिया जाये जो बोर्ड के फाइनेन्शियल मेम्बर थे उन्होंने एक नोट भी सर्क्यूलेट किया था कि इससे बोर्ड को 1 करोड़ 36 लाख का घाटा हुग्रा है लेकिन उसको

(श्री रामकिशन)

ख्याल में नहीं रखा गया। जो क्यूवेश्चन था उसको नोटिस में नहीं लिया गया और बोर्ड को घाटा हुआ। हम छोटे छोटे घाटों पर नजर घुमाते हैं परन्तु बड़े सेठों से मिल कर किस प्रकार का घाटा बोर्ड ने उठाया है, यह एक प्रतीक और मिसाल के रूप में रख देना चाहता हूं अन्यथा कई ऐसे मामले हैं कि अकेले एक डील में करीब करीब पांच करोड़ का नुक्सान हो चुका है।·······

यह सारी घटना बोर्ड के ग्राडिट के सामने भी आई है और राजस्थान सरकार के नोटिस में भी है। मैं समझता हूं कि मंत्रीजी के नोटिस में भी यह मामला ला दिया गया है, लेकिन जिन अधिकारियों की गलती से यह काम हुआ है अब रुपया तो नहीं आ सकता लेकिन उनको सजा दें। कौन देता है सजा? सजा देने का सवाल नहीं है। बोर्ड में और भी इस तरह के कारनामे हुए हैं।

गांवों में बिजली की बहुत मांग है। जहां जाते हैं कहते हैं कि बिजली चाहिये। यहां आते हैं तो कहते हैं कि बिजली नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा जहां से आ सकता है उद्योगपतियों से और दूसरे तरीके से पैसा लाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आखिर पैसा कहां से आयेगा? मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में नया दृष्टिकोण अपनायें।

एक निवेदन खास तौर से ग्रामीण विद्युतिकरण में तकलीफ है उसके लिये करना चाहता········

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : हमारी तकलीफ भी तो देखें।

श्री रामकिशन : क्या तकलीफ है आपको?

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : आज ब्लेक आउट सुबह 6 बजे तक एक्सपेरीन्टल तौर पर होगा·······

श्री रामकिशन : आप नौजवान हैं और अभी तक अन्धे नहीं हुए हैं।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : समझा।

श्री रामकिशन : भ्रष्टाचार की चर्चा शायद इस वक्त नहीं करना चाहता और इसलिये नहीं करना चाहता कि सारे समाज के रिफ्लेक्शन से बोर्ड नहीं बच सकता है राज्य के हर विभाग में भ्रष्टाचार है और बोर्ड ऐसा नहीं करता है, दूध का धुला हुआ है, पवित्र है, ऐसी बात नहीं है, परन्तु इसमें भ्रष्टाचार, बड़ा टेक्निकल भ्रष्टाचार हो रहा है। आज हमारे इलाके में स्थिति यह है कि एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर या असिस्टेन्ट इन्जीनियर और दूसरे अधिकारी जो कनेक्शन देते हैं वह पहले ही ठेकेदारों से एडवान्स पैसा ले लेते हैं और जो सेट्स की कीमत होगी उसमें ठेकेदार जोड़ लेता है कमीशन और इन्जीनियर पकड़ में नहीं आता है। हम शिकायत करेंगे तो पता नहीं किस इन्जीनियर ने लिया। इतने टैक्स के पैसे और इतने कमीशन के पैसे दो। मैं इस संबंध में कोई रास्ता निकालने के संबंध में निवेदन करूंगा। वह रास्ता एक ही हो सकता है कि जब आप समाजवादी हो गये हैं और आपने डालडा समाजवाद की दुकान लगा ली है और समाजवादी हो गये हैं तो क्या एक अधिकारी की जिम्मेदारी है? तो तुम्हारी यह जिम्मेदारी है कि काश्तकार जायेगा, दरख्वास्त देगा और वे सेन्क्शन देंगे। हम इतना पैसा खर्च करते हैं, देश के विकास की जिम्मेदारी हमने ली है तो असिस्टेन्ट इन्जीनियर की जिम्मेदारी होगी कि तुम्हारे

(श्री रामकिशन)

इलाके में इतने कनेक्शन नहीं होंगे तो सर्विस टर्मिनेट कर दी जायगी। आप उनकी सर्विसेस कन्डीशन में यह जोड़ दें जिससे उनकी यह जिम्मेदारी होगी, नहीं तो अगर काश्तकार जायेगा तो निश्चित रूप से कनेक्शन पर पैसा लगेगा। अगर टार्गेट फिक्स कर दें कि इस तारीख तक या दिन तक अगर ये कनेक्शन नहीं हुए तो तुम्हारी सर्विस नहीं रहेगी। कई देशों न इस प्रकार को जिम्मेदारी डाली है। अगर आप भी इस तरह से डालेंगे तो भ्रष्टाचार मिट सकेगा। दुनिया के दूसरे देशों में तो मंत्रियों तक को हटा दिया जाता है। कृषि का उत्पादन घट गया तो कृषि मंत्री को हटा दिया। हमारे देश में ऐसा नहीं है। अगर आप इस सारे केस की जांच करेंगे तो जब जांच को बात आती है तो ठेकेदार पैसा लेता है वहां पर न तो असिस्टेन्ट इन्जीनियर और न एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर पकड़ में आ सकता है। तो टार्गेट फिक्स करें और जिम्मेदारी लगायें कि यह इतने दिनों में करना है। अगर यह हो जाता है तो भ्रष्टाचार मिट सकता है।

एक दूसरा निवेदन मुझे यह करना है कि गांवों में विद्युत् प्रसार हो रहा है लेकिन काश्तकार अनपढ़ होते हैं इसलिये जिस गांव में 50-60 कनेक्शन हो गये तो वहां पर असिस्टेन्ट इन्जीनियर वहां पर जायें और 5-7 दिन का कैम्प लगाकर उन लोगों को बिजली की प्रारम्भिक जानकारी दें। होता क्या है कि कनेक्शन हो जाते हैं लेकिन जो लाइन मैन होते हैं वे उसको बन्द कर देते हैं और 10 रुपया महीना उनका शुरू हो जाता है। 10 रुपया महीना नहीं देंगे तो बिजली नहीं आयेगी। इस सब का तरीका यह है कि जिस गांव में 25-30 कनेक्शन हो गये तो एक छोटा सा ट्रेनिंग कैम्प लगाये इन्जीनियर और गांवों में जाय और काश्तकारों का सर्टिफिकेट लायें कि उन्होंने प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त कर ली है।

इस प्रकार से एक चीज और करनी पड़ेगी। हमारे देश में बेरोजगारी का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। बेरोजगारी का सवाल यहां बैठकर नहीं हो सकता है, सरकारी नौकरियों से हल नहा हो सकता है, आपके फेज प्रोग्राम से हल नहीं हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी मशीनों के उद्योगों को व्यापक बनायें जैसे कि जर्मनी और जापान में व्यापक हुए हैं जिसकी वजह से जो जर्मनी और जापान युद्ध के बाद बरबाद हो गये थे वे आज इस तरह से छलांगें मार रहे हैं कि अमेरिका से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और अमरिका को डालर का डिवेल्युएशन करना पड़ रहा है। आज क्या स्थिति है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वे दरख्वास्त दे दें और एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज में नाम लिखायें और नौकरी के लिये दरख्वास्त दें। जिन गांवों में बिजली पहुंच गई तो वहां के लिये छोटे छोटे उद्योगों की योजना बनायें और आपका डिस्ट्रिक्ट का इन्डस्ट्री आफिसर उसकी सूची बनायें। जिन गांवों में बिजली मिली हुई है वहां पर 5-7 हजार के लघु-उद्योग क्या हो सकते हैं जिसकी लोकल खपत हो इसकी जानकारी दें। प्रारम्भिक तौर पर 5-7 गांवों में इस प्रकार के धन्धे चलाये जाय तो बेरोजगारी मिटाने में हमको एक दिशा मिलेगी। लेकिन इस दृष्टि से कुछ नहीं हो रहा है। सड़क बनेगी तो एकदम बनेगी, बिजली लगेगी तो एक दम लगेगी कभी स्कूल बन्द कर देंगे और कभी स्कूल

(श्री जुझारसिंह)

खुलेंगे तो बिजली बन्द कर देंगे, समान रूप से सारे अंगों का विकास होना चाहिये। तो मैं विद्युत मंत्रीजी से चाहे उनका विभाग से संबंध न हो लेकिन इन्डस्ट्री मिनिस्टर के साथ बैठें और यह तय करें कि खेती पर चलने वाले उद्योगों के क्या प्रोस्पेक्ट हैं, क्या संभावनायें हैं, इसकी जानकारी करें। जिन गांवों में 25–30 कनेक्शन हो गये हैं और जो लोग बिजली से चलाने वाली मशीनें लगाते हैं उनको बिजली दी जाय। इस सुझाव के साथ मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में विचार करें।

मुझे एक निवेदन और करना है और वह निवेदन यह है कि इस संबंध में विस्तार से विचार करें, लेकिन हमारी जो केन्द्रीय सरकार है उससे आपके बोर्ड में जो घाटा होता है और अन्य राज्यों के बोर्डों में भी घाटा होता है, तो उन राज्यों की सरकारों ने कुछ ग्रान्ट देना शुरू किया है और हमारे बोर्ड ने भी मांग की है कि कुछ ग्रान्ट दे या ब्याज वगैरह की वसूली बन्द करें, इस तरह का प्रोपोजल आपके यहां आया हुआ है और राज्य सरकार उस पर निर्णय लेगी, लेकिन इस निर्णय के साथ-साथ और दूसरी स्कीम्स चालू करना है और एक बार आपके यहां चालू भी हुआ है कि जो पंचायत समिति अपने पैसों से ग्रामीण विद्युतिकरण के लिये लिखकर दे और एक खास रकम जमा करा दे तो वहां पर बिजली मिले। पंचायत समितियां तो जीने की स्थिति में भी नहीं हैं लेकिन वे अपनी इनकम को इस दिशा में लगा दें तो विकास की दिशा तेज हो सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो विद्युतमण्डल के संबंध में सुझाव दिये हैं, मैं समझता हूं कि मंत्रीजी उन पर विचार करेंगे और जो व्यापक घोटाले इसमें हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

श्री किशनलाल वर्मा : मैं 5 मिनिट ही लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय ......

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : विरोधी दलों की तरफ से कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल की तरफ से भी तीन हो चुके हैं और इधर से भी तीन हो चुके हैं।

श्री बिरदाराम (जालोर) : स्ट्रेन्थ दोनों की देख लें। उधर के माननीय सदस्य बहुत टाइम लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह, कृपया जारी करें।

श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी) : मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो आवश्यक बातें हैं वे ही निवेदन करूंगा।

सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कार्पोरेट बोडी बनाया है और यह एक्सपेक्ट किया जाता था कि वह एक इन्डिपेंडेंट बोडी की तरह से न्यायोचित ढंग से राजस्थान में जो है इलेक्ट्रिसिटी का विकास करेंगे, लेकिन जैसा कि मेरे से पहले पूर्ववक्ता

(श्री जुझारसिंह)

ग्रौर बहुत से दूसरे विरोधी पक्ष में बैठने वाले सदस्य ज्यादातर कह चुके हैं कि यह बोडी कार्पोरेशन होने के बावजूद भी एक इन्डिपेंडेंट बोडी की तरह वर्क नहीं कर रही है। ग्राप, मंत्री महोदय, चाहे प्रतिष्ठा के कारण इस बात को मन्जूर न करें, लेकिन वास्तविकता यह है कि बोर्ड जो कुछ भी करना चाहता है उसके काम में हर टाइम, हर समय, गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से ग्रौर ग्रापकी तरफ से पोलिटिकल इन्टरफियरेंसेज होते हैं ग्रौर जिसकी वजह से जो कोई भी टार्गेट इनको एचीव करना चाहिये वे टार्गेट एचीव नहीं कर पाते हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि ग्राज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस स्टेज पर ग्रा गया है वह गेस्टेशन की स्टेज पार कर चुका है। ग्रापकी जेनेरेशन की स्टेज पार हो चुकी है। इस साल जेनेरेशन का बहुत कम प्रोवीजन रखा है। शायद इसकी ग्रावश्यकता भी नहीं है। ग्रापके सामने जो प्राब्लम है वह ट्रान्समिशन की है ग्रौर डिस्ट्रीब्यूशन को प्राब्लम है। जहां तक ट्रान्समिशन का सवाल है पिछले साल भी ग्राप ट्रान्समिशन का पूरा बजट युटिलाइज नहीं कर सके हैं, क्योंकि ग्रापको इतना मेटेरियल जो ट्रान्समिशन के लिये ग्रावश्यक था वह उपलब्ध नहीं है ग्रौर इसकी वजह से हाई टेन्शन लाइन के लिये ग्रौर सब स्टेशन के लिये ग्रावश्यकता थी एक करोड़ का बजट काम में नहीं ग्रा सका।

मेरा निवेदन है कि जिस एरिया में यह पावर जेनेरेशन हो रही है, जहां इतने बड़े ट्रांसमीशन की ग्रावश्यकता नहीं है, ऐसे एरिया को पिछले 4-5 साल से, मुझे ग्रफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस एरिया म पावर की सबसे ज्यादा जेनेरेशन हो रही है, उसको राजनतिक ग्राधार की वजह से, क्योंकि वहां से ग्रापके कोई माननीय सदस्य जीत कर नहीं ग्राये हैं, जो इकॉनामिक रिटर्न भी देते, राजनैतिक ग्राधार से ग्रापने नहीं लिया है।

श्री **शिवचरण सिंह** : ग्रापके एरिया की बात कहें।

श्री **जुझारसिंह** : ग्राप को मिल गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो स्टेज है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन इसके ग्राधार पर मैं कहना चाहूंगा, ग्रापने डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन कमेटियां बनाई हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन कमेटी की रिपोर्ट्स को देख तो उस प्रोग्राम में नदी पोटेंशियल को प्राथमिकता देंगे। नदी के करीब के गांवों को पहले प्राथमिकता ेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को जो यह इण्डिपेंडेन्ट इस विषय में, ज्यादा इण्डिपेंडेंट होकर काम कर सकेंगे। मैं कहना चाहूंगा, ग्राप को पहला प्रोग्राम है, जिसमें मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता माननीय सदस्य रामकिशन जी न भी कहा है। मैं वह तो निवेदन नहीं करूंगा लेकिन चित्तौड़, भीलवाड़ा ग्रौर बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उनमें जो बिजली की लाइन गई हैं। जो भी गांव ग्राया है, मुश्किल से कोई गांव ग्राधा मील पर ग्राता होगा। उन में न देकर, जो 6, 10, 20 किलोमीटर पर हैं, इस तरह से ग्राप ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम में राजनैतिक ग्राधार पर बिजली दी है।

श्री **देवीलाल मीणा** : नहीं मिली है। ग्राप गांवों में जाकर देखिये। ग्राप ऐसी बातें क्यों करते हैं?

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कोई क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं है। लोग बाग पढ़ते तो हैं नहीं। न तो इनके पास विचार करने के लिये कोई टाइम है।

एक माननीय सदस्य : इण्टरप्शन करने की आदत पड़ गई है। इसी लिये कांग्रेस में बैठाये गये हैं।

श्री रामकिशन : कांग्रेस में होते ही वही हैं, जिन्होंने सोचना बन्द कर दिया।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री जुझारसिंह : जो मैं निवेदन कर रहा था वह यह है। मैं इसकी एक कापी मंत्री महोदय को दे दूंगा। आप को खुद को भी मालूम है। इसमें आप ने जो गांव लिये हैं, वह काफी काफी डिस्टेंस में गांव हैं। बांसवाड़ा में जहां इर्रीगेशन स्कीम देते हैं······

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

(6.45 सायं)

वहां पर आप ने लिफ्ट इर्रीगेशन की है। वहां पर आप बिजली देते हैं। इसलिये पता नहीं लगता है कि एक्चुअल कितना इर्रीगेशन सालाना लगता है। मेरे क्षेत्र में भी लिफ्ट इर्रीगेशन की पोटेंशियल है।

उस एरिया में अभी आपका जो क्रैश प्रोग्राम चल रहा है, लिफ्ट इर्रीगेशन प्रोग्राम और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन प्रोग्राम, क्लस्टर प्रोग्राम, उस तहसील के लिये सेंक्शन हुआ है, उसके लिये आपकी बजट में 53.63 लाख रुपया की सेंक्शन भी बताई गई है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक उस प्रोग्राम की प्रोग्राम बिल्कुल धीमी है और उसमें बहुत कम काम हो पाया है। फाइनेंशल सेंक्शन भी कुछ दिन पहले तक तो नहीं हुई थी, और वहां जो आरगनाइजेशन बनना चाहिये था एग्जीक्युटिव इन्जीनियर के तहत, उसकी भी अभी नियुक्ति नहीं हुई है। अगर गुजरे चार पांच दिन में हो गई हो तो मुझे नहीं मालूम, उसके पहले तो नहीं हुई थी। फाईनेन्शल स्कीम देने के बावजूद, बजट सेंक्शन होने के आठ महीने बाद भी आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन के क्लस्टर प्रोग्राम की कोई प्रोग्रेस हुई हो। इसलिये मेरा निवेदन है कि रूरल इलेक्ट्रीफीकेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत जो रकम मंजूर हुई है उसका युटिलाइजेशन इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर हो सके उसके लिये आप अवश्य कोशिश करें। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो अननेसेसरीली मनी लैप्स हो जायेगी।

दूसरी जो मेरी मुख्य बात थी वह यह थी कि आप पोलीटीकल पाइंट आफ व्यु से न सोचकर, प्रेक्टोकल पाइंट आफ व्यु से हर बात को देखें और फन्ड्स का युटिलाइजेशन करें। एक मिसाल मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो यह बात सारे राजस्थान में लागू है, लेकिन झालावाड़ जिले की मिसाल मैं दूंगा। झालावाड़ जिले की जो प्राडक्शन कमेटी थी उसने वर्ष 1969-70 के लिये 43 गांवों के नाम रिकमेंड किये थे जिसकी प्रति एक विधान सभा प्रश्न के उत्तर में यहां भी दी गई थी। उनमें जो 43 गांव रिकमेंड किये गये थे वे एक और आधा मील की दूरी पर ही थे, लेकिन उस रिकमेंडेशन के बावजूद भी आपने उन 43 गांवों में से बहुत से गांव छोड़ दिये,

Page No 148

(श्री जुझारसिंह)

और केवल 15 गांवों को ही रूरल इलेक्ट्रीफीकेशन के लिये सिलेक्ट किया। और उन 15 गांवों में 7 गांव ऐसे थे जो कि उस रिकमेंडेड लिस्ट में थे ही नहीं, केवल 8 गांव उस लिस्ट में से लिये, और ये सभी गांव केवल पोलीटीकल आधार पर ही सिलेक्ट किये गये। मुझे अफसोस है, आपने इस तरह से सिलेक्ट भी किया और फिर भी अपनी गलती को डिफेंड करने की कोशिश की है और उसको जस्टीफाइ करने की कोशिश की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें जो फिगर्स सप्लाई किये गये हैं, उसमें बताया गया है कि इन गांवों में जो कि बिना रिकमंडेशन के लिये गये हैं, उनमें 43 कुवें तो आपके जो उप मंत्री थे, उनके गांव में हैं, और टोटल एरिया जिसमें यह स्पेशल फेवर किया गया है उसमें 240 गांव ऐसे थे जिनको कि बिजली दी जा सकती थी। मंत्री महोदय, दो साल के बाद आपने बिजली दी और वह भी आपने उन गांवों में दी जो कि आपके उप मंत्री के थे, दो गांव आपके उप मंत्री के थे और बाकी दूसरे थे, और 240 गांवों की जो आपने फिगर दी थी, वह आज भी अगर आप जांच करायें तो 240 गांव एग्जिस्ट ही नहीं करते। और उसके बाद बावजूद यह रोंग फिगर अगर किसी पंचायत समिति ने या व्यक्ति विशेष ने दे दिये होते तो तसल्ली होती कि उसने इन्ट्रेस्ट में आकर गलत फिगर दिये हैं। लेकिन आपका डिपार्टमेंट उन रोंग फिगर को प्रूव करने की कोशिश करे और झूठे तरीके पर दिये फिगर को जस्टीफाई करने की कोशिश करे कि जो किया है वह जस्टीफाइड है–इस तरह प्रोग्राम लागू करेंगे। यह मेरा अनुभव है और चित्तौड़ में, भीलवाड़ा में इस प्रकार प्रोग्राम लागू कर जस्टीफाई किया होगा। इस प्रकार रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम चलाते हैं तो उससे आपका भला नहीं होने वाला है और इस बाडी को, जिसे डिपेंडेंट कोरपरेट बाडी कहने का सवाल है, इसको काम नहीं करने देना चाहते हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं यह निवेदन करूंगा कि जो क्षेत्र बिजली लाइन के नजदीक हैं जिनमें बिजली पहुंचने में दिक्कत नहीं है, ट्रान्समीशन की दिक्कत नहीं है, जहां बिजली उपलब्ध है, वहां यदि बिजली का यूटिलाइजेशन टाइम पर नहीं कर सकेंगे तो इस प्रकार की स्थिति आ सकती है कि दूसरे स्टेट्स से डिमाण्ड होने लगे और पोलिटिकल आधार पर बिजली का उत्पादन करने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे बाहर और राजस्थान से बाहर उस बिजली को भेज दें। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन कामों को आप प्राथमिकता दें और सांगोद डिस्ट्रिक्ट की क्लस्टर स्कीम है उसको पूरा करने की कार्यवाही करेंगे।

श्री सभापति : श्री शिवचरण सिंह !

श्री शिवचरणसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट पर इधर के और उधर के माननीय सदस्यों ने अपने अपने अन्य प्रकार के सुझाव रखे और भावनायें रखीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है कि बीस साल की आजादी के बाद भी हमारे देश में जिस तरीके का मापदण्ड है बिजली का उतनी विजली पैदा होनी चाहिये थी, वह नहीं हुई है। हमारे मुकाबले में दूसरे जो मुल्क हैं

(श्री शिवचरण सिंह)

जिन्हें बाद में आजादी प्राप्त हुई हैं, वहां के स्टील प्रोडक्शन को लें, चाहे बिजली प्रोडक्शन को लें, चाहे दूसरे इंडस्ट्रियल डवलपमेंट की बात को लें—उन्होंने अधिक प्रगति की है। हमारा देश सत्तर पिचहत्तर पर्सेंट खेती पर आधारित है, इस वजह से बिजली के अन्दर अधिक प्रगति होती तो देश के अन्दर बहुत विकास हो जाना चाहिये था। उसके बावजूद प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर बिजली को लें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिजली के काम को लें, जो रुपया हिन्दुस्तान लेवल पर खर्च हुआ है उसको देखते हुए अलग अलग प्रान्तों को जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार की ओर से रुपये का बटवारा हुआ हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में वह खर्च नहीं हुआ, जब कि दूसरे प्रान्तों ने इस काम के अन्दर पहल की और तरक्की की। भूतपूर्व रियासतों के जमाने में मैसूर रियासत ऐसी थी जिसने यह महसूस किया था कि बिजली की कितनी आवश्यकता है और आने वाले समय में बिजली कितनी जरूरी हो जायगी और ज्वलन्त उदाहरण महाराष्ट्र का लें, उसने भी इसमें तरक्की की। हमारे राजस्थान जैसे निर्धन प्रान्त को लें, फेक्ट यह हो सकता है कि हरियाणा, पंजाब और गुजरात को जो इस प्रकार की सुविधा दी, उसकी वजह से वहां पर बिजली का प्रसार हुआ, लेकिन राजस्थान में जो प्लान हुआ बिजली के एक्सपेंशन का वह डिफेक्टिव रहा, इसलिये बिजली का प्रसार नहीं हो सकता। राजस्थान में पहले इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट था, उसके बाद में यहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन हुआ, जिसमें आफिसर चेअरमैन होता रहा उनका दृष्टिकोण ब्यूरोक्रेट का होता है, इसलिये डवलपमेंट को दृष्टिगत न रखते हुए, आंकड़ों को ध्यान में न रखते हुए, व्यापक दृष्टि से नहीं चलते हैं और सत्ताधारी व्यक्ति जो होता है उसके इशारे और इच्छा पर चलते हैं, उसके आधार पर चलते हैं इसके कारण से राजस्थान में बिजली का जो प्रसार हुआ उसको आंकड़ों के आधार पर देखें तो ऐसे इलाके हैं, कहीं कहीं जहां बीस मील की लाइन है लेकिन दो कनेक्शन नहीं हैं कहीं पर घनी आबादी है, बहुत बड़ी पोटेंशियलिटी है लेकिन उसका ध्यान नहीं रखा गया है। दूसरे प्रान्तों में जहां बहुत बड़ा सर्वे हुआ है वहां राजस्थान में न तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने और न गवर्नमेंट ने सर्वे कराया है। जो बोर्ड का गठन हुआ है, उसमें एक कारण नहीं, अनेक कारण ऐसे हैं जो बोर्ड की कई गलतियों के आधार रहे हैं। मैं पिछले पांच साल से इस विधान सभा का सदस्य हूं। भूतपूर्व अध्यक्ष इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के टाइम में, जिस समय शिवचरण माथुर मिनिस्टर थे, एक एलोकेशन कमेटी के अन्दर मैंने सुझाव रखा था, तो उस समय उन्होंने सारी पिक्चर सामने रखी और कहा कि हमारे चार क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर हम इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ायेंगे। हमें उस वक्त खुशी हुई थी कि यह लाइन बनाई है, हमें खुशी थी कि उस कमेटी में चेअरमैन थे, मिनिस्टर थे और टेक्निकल ऑफिसर भी मौजूद थे, उसमें ऐसा निर्णय लिया। लेकिन यह चार क्राइटेरिया छः महीने तक तो कार्यान्वित हुए, उसके बाद में पालिसी बदल गई, रेवेन्यू बेस्ड पालिसी ली और फिर इलेक्ट्रिफिकेशन की फीजेबिलिटी पर आ गये, और चार क्राइटेरिया वाला प्रिन्सिपल था वह डिस्टर्ब हो गया। अब जहां बिजली की लाइन है,

(श्री शिवचरण सिंह)

11 के. वी. की लाइन जहां जा सकती है विदिन वन माइल रेडिअस, वह भी कार्यान्वित नहीं हुआ। ऐसी हालत में ऐसा मालूम होता है कि बोर्ड में ऊपर से नीचे तक कोई तालमेल नहीं है, न इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप ठीक है। मेरे क्षेत्र को लें, भरतपुर को लें, सवाई माधोपुर को लें, वहां पर एक असंतुलन नजर आयेगा। सवाई माधोपुर को लें तो वहां पर सात पर्सेंट इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। दूसरे माननीय सदस्यों ने मिसाल दी, चित्तौड़गढ़ की, भीलवाड़ा की, और डिस्ट्रिक्ट तो वहां देखेंगे कि राजनैतिक आधार पर पर्सेंटेज ऊंचा गया है। अब बोर्ड को देखें तो बोर्ड की सफाई है कि बोर्ड को रिकमन्डेशन जाती है जिला प्रोडक्शन कमेटी की, वह आधार रखा है। जिला प्रोडक्शन कमेटी को रिकमन्डेशन देनी चाहिये। हमारे जिले के रामकिशन जी प्रमुख हैं। जिला प्रोडक्शन कमेटी की मीटिंग जब रामकिशन जी चाहते हैं तो हो जाती है। लेकिन जिला प्रोडक्शन कमेटी जो लिस्ट देती है वह एक्जीक्यूट होती नहीं है। मैं अर्ज करूं कि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप की बात बताऊं, मेरा जिला दो क्षेत्र में बंटा हुआ है–महुआ और टोडा भीम........

श्री देवीदत्त गाड़िया : डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन कमेटी की मीटिंग जिला प्रमुख नहीं बुलाता है, कलेक्टर बुलाता है।

श्री शिवचरण सिंह : आप बैठिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप मंत्री रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन कमेटी की मीटिंग जिला प्रमुख नहीं बुलाता है, कलेक्टर बुलाता है, यह आपको पता नहीं है।

श्री शिवचरण सिंह : आप बैठ जाइये, मैं समझाता हूं।

श्री देवीदत्त गाडिया : आप उप मंत्री रहे हैं, मैं आपको जानकारी देता हूं।

श्री शिवचरण सिंह : मंत्री होने या उप मंत्री हो जाने से अक्लबन्द नहीं हो जाता है, एम. एल. ए. भी अक्लमन्द हो सकते हैं, पब्लिक के आदमी भी हो सकते हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं जानकारी दे रहा हूं।

श्री शिवचरण सिंह : अक्ल का ठेका आपका ही नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं आपको दुरुस्त कर रहा हूं।

श्री शिवचरण सिंह : मैं आपको सारा समझा देता हूं, बैठ जाइये।

टोडा भीम और महुआ को जिला भरतपुर के साथ में लगा रखा है। मैं कहना चाहता हूं कि पिछली चार जिला प्रोडक्शन कमेटी की मीटिंग में एक्स. ई. एन. आते नहीं रहे, मि. भारतीया हैं, मैंने जिला प्रोडक्शन कमेटी की मीटिंग में आने के लिये कलेक्टर को डी. ओ. लिख कर सबसे पहले भिजवाया, लेकिन टोडा भीम और महुआ के लिये लोकेशन पिछले तीन साल में नहीं हुआ, जहां पानी की पोटेंसियलिटी है, स्कोप है और रिटर्न आ सकता है। मैं गारन्टी के साथ कहता हूं, पिछले तीन साल की जिला प्रोडक्शन कमेटी की प्रासीडिंग्स को एक्स. ई. एन. ने नहीं देखा

(श्री शिवचरण सिंह)

है। मैं कहता हूं कि कोई देखने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जिला प्राडक्शन कमेटी की प्रासीडिंग्स में जो निर्णय लिये हुए हैं उनको कार्यान्वित करने वाली एजेंसी नहीं होगी तब तक बोर्ड के अन्दर एफीसियेन्सी नहीं बन सकती है।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से फैसेलिटी दी जाती है, हम कहते हैं कि खेतोहर मजदूर, किसानों के लिये सुविधा देते हैं। लेकिन किसानों के लिये चौदह पैसे पर यूनिट है और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तीन पैसे, ढाई पैसे पर यूनिट है। यह किसानों के प्रति सहानुभूति का दिग्दर्शन है। किसानों को चौदह पैसे पर यूनिट पर देते हैं, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन करने में कितनी दिक्कतें आती हैं। किसानों के कुओं पर बिजली लगाने जाते हैं तो पहले लट्ठों का झगड़ा आता है, इतने लट्ठ होने पर बिजली दी जायगी, जब कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिये लाइन लगाई जाती है तो हजारों लट्ठे लगा कर सरकारी खर्चे पर लाइन ले जाई जाती है, सीमेन्ट फैक्ट्री में आई है। तो यह समस्या हल क्यों नहीं हो रही है, इसमें किसका दोष है? दोष गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट की गलत नीतियों का दोष है। गलत नीतियों और बोर्ड के द्वारा नीतियों के गलत क्रियान्वयन के कारण सीमेन्ट फैक्ट्री में लाखों रुपये बकाया हैं, वह वसूल नहीं हो रहे हैं। बोर्ड की या गवर्नमेंट की हिम्मत है कि उनका कनेक्शन काट दें लेकिन किसान बिजली चार्जेज नहीं दे तो गरीब किसानों का कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन बड़े बड़े पूंजीपतियों का कनेक्शन नहीं काटा जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण बोर्ड में वह परिस्थितियां हैं, यह आटोनोमस बोर्ड होने के कारण किसी का इन्टरफियरेन्स नहीं होता है, मिनिस्टर के पास भी बिजली लाइन के लिये जाते हैं तो वह भी इसमें दखल नहीं कर सकते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): आटोनोमस बोर्ड में भी फिर पोलीटिकल इन्टरफियरेन्स होगी। जैसे जयपुर में होती है और ऐसा मालूम होता है कि गवर्नमेन्ट आर्डर्स हैं।

श्री शिवचरण सिंह: कहां हैं वो गवर्नमेंट के आर्डर्स आप बताओ? कैसे आर्डर हैं?

श्री दिग्विजय सिंह: वो तो आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है।

श्री शिवचरण सिंह: आप चुप रहें, मुझे कहने दीजिये। समाप्ति, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो बड़े उद्योगपति हैं उनमें लाखों रुपये की वसूली बाकी है। उस सरकारी बकाया का ब्याज तक भुगतान नहीं हुआ है।

श्री दिग्विजय सिंह: वह इसलिये वसूली नहीं हो पाती कि वहां आप जैसे लोग उद्योगपतियों की मदद करने पहुंच जाते हैं।

श्री शिवचरण सिंह: हमारे जैसे लोग नहीं पहुंच जाते हैं आप जैसे लोग आते हैं उन्हें लेकर बम्बई, कलकत्ता से। मन्त्रियों के पास।

श्री दिग्विजय सिंह: वो तो आपसे मिलने के लिये आते हैं और ऊपर से ही कार्यवाही हो जाती है।

श्री शिवचरण सिंह: ऊपर से कार्यवाही नहीं होती है हमारे पास तो नोट बनकर आता है। वो पहले ही नीचे के कलर्कों से मिल कर आते हैं और या फिर बोर्ड के अधिकारियों से

(श्री शिवचरणसिंह)
मिल कर आते हैं हम से मिलने नहीं आते। हमारे पास तो आप जैसे लोग लाते हैं— ताकि आप बम्बई, कलकत्ता आदि जावों तो आपको तकलीफ नहीं हो। आप ले आये थे।

श्री दिग्विजय सिंह : वो तो आपसे मिलने आये थे।

श्री शिवचरण सिंह : सभापति महोदय, दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो प्रजेन्ट सेट अप है उसे बदलना चाहिये। आज वहां बोर्ड का जो चैयरमैन है वह ऑफिशियल चेयरमैन है। यहां पर बोर्ड के काम में एफिशियेन्सी लाने के लिये वहां पर नॉन ऑफिशियल चेयरमैन होना चाहिये ताकि जनता की समस्याओं का हल आसानी से हो सके। आज भी हमारे यहां ही नॉन ऑफिशियल चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन नहीं है। लेकिन हमारे पास पड़ौसी प्रान्त हैं जैसे हरियाना, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र, मैसूर सभी प्रान्तों में विद्युत् बोर्ड के चेयरमैन नॉन ऑफिशियल हैं, और आज वहां के विद्युत् बोर्ड काफी प्रगति पर है और वहां पर जनता को ज्यादा सुविधायें प्राप्त हुई हैं यह मुझे मालूम है।

श्री देवीदत्त गाडिया : आप मंत्री रह चुके हैं। सभापति महोदय, हमारे यहां कलस्टर स्कीम होने वाली थी उसका क्या हुआ ?

श्री सभापति : नो इन्ट्रप्शन्स। ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाडिया : सभापति महोदय, ये जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह नियमों के विरुद्ध कह रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आप क्या चाहते हैं ?

श्री शिवचरण सिंह : ये तो अपनी ही कोई राग अलाप रहे हैं, और चाहते यह हैं कि बोर्ड का अधिकारी चेयरमैन जो हो वह सरकारी अधिकारी हो, नोन ऑफिशियल चेयरमैन नहीं हो। मेरा निवेदन आपकी मारफत राज्य सरकार से यह है कि बोर्ड का चैयरमैन नॉनआफिशियल होना चाहिये और बोर्ड के सेट अप को बदला जाना चाहिये।

श्री देवीदत्त गाडिया : उधर की तरफ देख कर क्या कर रहे हैं हमारी तरफ देख कर कहो।

श्री शिवचरण सिंह : मैं कहीं भी देखूं आप फिकर नहीं करें। मेरी नजर आप पर ही रहेगी अब की बार।

श्री देवीदत्त गाडिया : आप फिकर नहीं कर अपनी नजर तो मिलती ही रहेगी।

श्री शिवचरण सिंह : वो तो मैं देख लूंगा। आप बीच में इन्ट्रप्शन नहीं करें। सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि बोर्ड का प्रेजेन्ट सेट अप है उसे बदलना चाहिये और चेयरमैन उसमें नॉन आफिशियल हो।

दूसरा मेरा निवेदन है कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन अभी तक हमारे राजस्थान में पूरी तरह से नहीं हुआ है जिससे हमारे काश्तकारी उत्पादन में वृद्धि करने का मौका ही नहीं मिलता है। आज हमारे पड़ौसी प्रान्तों, जैसे हरियाना, पंजाब में 90 प्रतिशत

(श्री शिवचरण सिंह)

से ज्यादा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और हरियाणा में तो मेरे ख्याल से सेन्ट पर्सेंट हो चुका है। तो मेरा सुझाव ऐसा है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ही अच्छा होगा। कोऑपरेटिव सेक्टर के अन्तर्गत होना चाहिये इससे इस काम में प्रगति ज्यादा और जल्दी होगी। इसके अलावा ज्यादा लोगों को बेनिफिट होगा। कोऑपरेटिव सेक्टर से जो इलेक्ट्रिफिकेशन होगा वह कम्परेटिवली ज्यादा बेटर होगा अभी की प्रणाली से। इसके अलावा मैं आपको निवेदन करदूं कि मैसूर में तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो हुआ है वह कन्ज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू हुआ है। अगर हमारे यहां भी ऐसा हो जाय तो काफी लाभदायक रहेगा। इसके अलावा मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये अगर टार्गेट फिक्स कर दिया जाय तो अच्छा रहेगा। ऐसा सुझाव माननीय सदस्य श्री रामकिशनजी ने दिया है। सभापति महोदय, हरियाणा में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है वह टार्गेट फिक्स करके किया गया था। उसी तरह हमारे यहां भी होना चाहिये। और इसके बारे में ध्यान रखा जाय राज्य सरकार द्वारा कि कितना इस इयर का टार्गेट था और उसमें कितना पूरा हुआ? और अगर उस टार्गेट से कम होता है तो उस एरिया में जहां कम हुआ है वहां जो भी अधिकारी हों उसे दोषी माना जाय और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

इसके अलावा मैं एक बात और आप से निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि बोर्ड में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट इसलिये क्रियेट हुई थी कि वो इस बात का ध्यान रखे कि कहीं बोर्ड में किसी प्रकार की चोरी तो नहीं हो रही है या भ्रष्टाचार के मामले हों तो उन्हें पकड़े।.....

श्री सभापति : जल्दी।

श्री शिवचरण सिंह : अभी लो साहब अभी अभी समाप्त करता हूं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव आफ़िसर की पोस्ट पर जो हैं उन अधिकारी ने आज तक कोई केस डिटेक्ट नहीं किया और न ही आज तक उनके पास कोई एन्क्वायरी आयी, और अगर आयी होगी तो हो सकता है उन्होंने उसे या तो दबा दिया या फिर इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की होगी। तो, सभापति महोदय, बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस व्यक्ति के लिये कोई पोस्ट है उन्होंने कोई भी काय करके नहीं दिखलाया और बोर्ड की तन्ख्वाह लेता रहा तो, सभापति महोदय, बेकार बोर्ड का पैसा खर्च करने से क्या फायदा? आज जहां भी जाते हैं वहां बोर्ड में भ्रष्टाचार है, यह चर्चायें होती रहती हैं पर अफसोस की बात है कि इस अधिकारी ने कोई केस नहीं पकड़ा। बड़े अफसोस की बात है। इनके अनुसार तो कोई केस भ्रष्टाचार का बना ही नहीं और बोर्ड में कोई भ्रष्टाचार ही नहीं है। यह हुआ तो मेरा निवेदन यह है कि ऐसी पोस्ट को खत्म किया जाना चाहिये और अगर उन्होंने अपनी मरजी से अपने पास आयी हुई एन्क्वायरी को नहीं की हो तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये इनके अगेन्स्ट में। इस सदन में कई बार ऐसी चर्चायें भ्रष्टाचार की सुनने को मिली हैं। तो इसे समाप्त किया जाना चाहिये।

माननीय सदस्य श्री बालसिंह सोढा द्वारा भूख हड़ताल समाप्त करने सम्बन्धी सूचना

श्री सभापति : इससे पूर्व कि बहस समाप्त हो मैं सभी माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि इस सदन के जैसलमेर क्षेत्र से आये हुए माननीय सदस्य श्री बालसिंह सोढ़ा ने, जिन्होंने विधान सभा के बाहर अनशन अपनी मांग को लेकर शुरू किया था वह श्री परसराम मदेरणा, राजस्व मंत्री और श्री अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा के अथक प्रयासों से व उनके अनुरोध करने पर अपनी भूख हड़ताल को तोड़ दिया है, और, अध्यक्ष महोदय, ने उन्हें अपने हाथ से एक प्याली चाय भी पिलायी है। माननीय सदस्य श्री शिवचरण सिंह जी तुरन्त समाप्त करें।

विद्युत् मंडल के आयव्ययक पर अग्रेतर चर्चा

श्री शिवचरण सिंह : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसे अधिकारी की पोस्ट को समाप्त कर देनी चाहिये। और बोर्ड के प्रजेन्ट सेट अप को एफिशियेन्टली बनाने के लिये बोर्ड के सेट अप को बदला जाना चाहिये ताकि जनता को समुचित लाभ हो सके। बस इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री हंसराज आर्य, अनुपस्थित।

श्री सभापति : श्री मोहन मोदी।

श्री देवीदत्त गाडिया : सभापति महोदय, कांग्रेस की तरफ से तो बोल चुके हैं अब विपक्ष की तरफ से बोलने की अनुमति दी जानी चाहिये।

श्री **बिरदाराम** (जालोर) : सभापति महोदय में भी कुछ बिजली विभाग के लिये कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : आपका नाम तो नहीं है मेरे पास। मेरे पास नाम हैं उसमें श्री हंसराज आर्य, श्री मोहन मोदी, आपका नाम तो नहीं है।

श्री **बिरदाराम** : मेरा नाम नहीं हो तो, सभापति महोदय, आपरे कने लिख दो।

श्री **देवीदत्त गाडिया** : सभापति महोदय, अब हमें मौका मिलना चाहिये।

श्री **सभापति** : सबको मौका मिलेगा, सबको दस दस मिनट का समय मिलेगा।

श्री **किशनलाल वर्मा** (सिकराय-सु.) : सभापति महोदय, आज विद्युत् बोर्ड पर बहस चल रही है उसके बारे में मैं भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, राजस्थान विद्युत् बोर्ड जबसे बना है तब से हम देखते हैं कि बिजली पहले से सभी जगह बढ़ी है। पहले तो ऐसा जमाना था जबकि बिजली बड़े बड़े शहरों में ही होती थी। और अब बोर्ड के बनने के बाद खास तौर से आजादी के बाद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम के अन्तर्गत बिजली गांवों में चली गई है जिससे हमें बहुत खुशी होती है। पर जब हम राजस्थान के पड़ौसी प्रान्तों की तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा मालूम होता है कि जैसे हमारे यहां जो प्रगति हुई है वह दूसरे प्रान्त हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से बहुत कम है। वहां जितना विकास बिजली विभाग का हुआ

(श्री किशनलाल वर्मा)

है, जितनी जनता को बिजली रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन्स के अन्तर्गत मिली है उतनी हमारे यहां नहीं मिली है। हरियाणा में तो आज सेन्ट पर्सेंट ग्रामीण विद्युतिकरण हो चुका है जिससे किसानों को बहुत राहत मिली है। लेकिन मैं आपकी मारफत राज्य सरकार को निवेदन करूंगा कि आज राजस्थान विद्युत् बोर्ड का दफ्तर यहीं है और सभी कार्यवाही यहीं से होती है पर ऐसा दिखायी देता है कि जयपुर जिले की उपेक्षा की गयी है। जितना रुपया खर्च किया गया है इसके विकास के लिये वह बहुत कम हुआ है और गांवों में बिजली अभी तक नहीं गयी है बिजली की स्कीम्स भी पूरी नहीं बनी हैं ग्रामीण विद्युतिकरण की ओर जो बनी है तो उनमें काम कई जगहों पर शुरू नहीं हुआ है। तो मेरा निवेदन है कि आज जयपुर जिले के गांवों मे कुओं पर बिजली नहीं मिली है और बड़े बड़े गांवों में भी मैं आपसे निवेदन कर दूं कि उत्पादन वृद्धि जो हो सकती है उन्हे बिजली नहीं देने से उत्पादन ठीक नहीं हो रहा है। मैं तहसील सिकराय के लिए बताऊंगा कि 70 से पहले कुछ नहीं था। 70 के बाद बिजली दे दी गयी। वह इतनी नहीं है कि उससे विकास हो सके और उसके लिए कुछ कहा जाय। वैसे जयपुर जिले के विकास में पैसा बहुत कम खर्च हुआ है और बिजली का काम कम हुआ है उसी को देखते हुए 6 जून को यहां पर किसानों की रैली हुई। हमारा एक डेपुटेशन मुख्य मंत्री जी से मिला तो घोषणा की थी उन्होंने कि जयपुर जिले के लिये 2॥ करोड़ रुपया खर्च किया जावेगा क्योंकि अब तक हमने यहां पर खर्चा नहीं किया है। उसको देख कर 5-8-70 को जिला समिति ने निर्णय लिया था कि प्रत्येक पंचायत समिति में 40 किलो मीटर तक हाईटेन्शन लाइन डाली जावे। इसके निमित्त एक उप समिति का निर्माण किया जिसमें जिला कृषि अधिकारी, उप जिला विकास अधिकारी, प्रधान, बी. डी. ओ. विधायक एक और एक्जीक्युटिव इन्जीनियर विद्युत् मंडल, जयपुर आदि, रखे गये। इस उप समिति की ओर से गांव की सूची बना कर राजस्थान विद्युत मण्डल के पास स्वीकृति के लिये भेजी गयी लेकिन उसको बिलकुल खत्ते में डाल दिया गया।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, 7-17 बजे पदासीन)

पंचायत समिति, सिकराय के गांवों की सूची में इस प्रकार हैं :—

1. पाचोली से गैडरावा 10 मील मुरलीपुर, धूलकोट, सीकरी, कालवाण, पाडली, अचलपुरा, गागदवाड़ी, गडरावा।

2. गोल्या से गिरधरपुरा इटका, कालेड़ा, छोकरवाड़ा, सिकन्दरा कैलाई, दुब्बी रेटा।

3. पांचोली से चोन्दरा पीलोड़ी ठीकरिया, करोड़ी, शीमिलागुजर, चान्देरा।

4. सिकराय से बालाजी, उदयपुरा, मेंहदी पुर बालाजी।

5. गीजगढ़ से बरावण्डा, पाटन, जयसिंहपुर, घूमणा, मोलाई, दवाकर, गठोरा।

(श्री किशनलाल वर्मा)

इसी प्रकार दौसा तहसील में हिंगोरिया से नांगल, राजावतान, बड़ागांव, ठीकरिया, मानपुर, प्यारीवास, नागल राजा वतान बिना तार खींचे खम्भे लगे हुए हैं। दौसा से लालसोट तक लगे हुए हैं। विद्युत् विभाग की लाखों रुपयों की सम्पत्ति लगी हुई है जिसका कोई उपयोग नहीं हुआ है। कई बार विद्युत विभाग का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन 16 वर्ष में भी इनका उपयोग नहीं हुआ और उसके लिये योजना भी रखी थी दूसरी योजना थी खैरवाल से सिंगवाडा, मलारना, सिंगवाडा। तीसरी थी हिंगोटिया से मोहनपुरा, करणपुरा, ढिगारिया, अनंतपुरा, लवाण, मोहनपुरा। इसी प्रकार चौथी योजना थी ठीकरिया से पापडदा अलूदा व पापडदा अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब तक कुछ भी यहां पर काम नहीं किया गया है।

दिनांक 17-4-71 को जिला उत्पादन समिति की मीटिंग जिलाधीश की उपस्थिति में हुई जिसमें सारे जिले के प्रधान, विधायक वगैरा उपस्थित थे। जिन गांवों की सूची मांगी वह सब उनको दे दी गयी, लेकिन अब वे पडी हुई हैं और कुछ भी काम नहीं हुआ है। वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। आश्चर्य तो यह है कि राजस्थान विद्युत मण्डल ने 71-72 में जयपुर जिले में विद्युतिकरण के लिये जो सूची मांगी थी और जिसके आधार पर 60 गांवों की सूची दी गई थी, इस सूची पर सर्व-सम्मति से विचार करके निर्णय लिया गया। लेकिन आज तक वह खत्ते में पडी हुई है और विद्युत विभाग से कोई भी विचार नहीं किया गया है।

तहसील सिकराय के 8 गांवों की सूची और तहसील दौसा के 8 गांवों की सूची दी गई थी उसमें ये ये गांव हैं :—

सिकराय :—

(1) पांचोली से गैडरावा, मुरलीपुर, धूलकोट, सीकरी, कालवाणा, पाडोली, पाडोली से अचलपुरा, गागदवाडी, गडरावा।

(2) गोल्या से गिरधरपुरा, इटका, कालेज, होकरवाडा, वासडा, गिरधरपुरा, कैलाई, दुब्बी रेटा।

(3) गीजगढ से पाटन, जयसिंहपुरा, घूमणा, दवाकर गठोरा।

दौसा :—

(1) हिंगोटिया से नांगल राजावतान, बडा गांव, ठीकरिया, धारीवास, नांगल राजा-वतान।

(2) हिंगोटिया से मोहनपुरा, करणपुरा, ढिगारिया, लवाण, मोहनपुरा।

(3) ठीकरिया से पापडदा अलूदा पापडदा।

लेकिन अफसोस की बात है कि इसमें अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। देखा जाय तो यहां पर बिजली बडी आसानी से दी जा सकती है। गांव पीपलकी से सीकरी कालवाण को आसानी से बिजली दी जा सकती है। सिकन्दरा से वा डा। सिकन्दरा का चौराहा पडता है वहां बिजली दी जा सकती है। इसी प्रकार गीजगढ से पाटन घूमण जयसिंहपुरा गढी गैरोटा। गांव कनैटी से नाहर खोरा, डेडा वसेडी, गांव गिरधरपुरा से भोजपुरा कैलाई, दुब्बीरेटा। पाचोली से पिलोडी

(श्री किशनलाल वर्मा)

ठिकरिया, करोडी चांदेरा। भांडारेज से सराय-गढ और गुमानपुरा तक बिजली दी जा सकती है। यहां पर बिजली गयी हुई है सराय व गढ तक बिजली दी जा सकती है। तहसील दौसा में गांव हिंगोटिया से नागल राजावतान, ठिकरिया से आलूदा पापडदा हिंगोटिया से मलारना, सिंगवाडा, ढिगरिया व लवाण तक। जैसा कि मैंने पहले बताया कि खम्भे पहिले से लगे हुए हैं तार खींच कर लाईन देनी है। इससे ये क्षेत्र विकसित हो जावेंगे। इस क्षेत्र में सिंचाई के काम नहीं हुए हैं इस क्षेत्र में बिजली दे दी जाय तो किसानों को लाभ होगा उससे उत्पादन बढेगा।

सिकराय के कस्बे गीजगढ आदि चार कस्बों में हरिजन और आदिवासियों की बस्तियां हैं। इनमें बिजली नहीं दी गयी है। इसके बारे में समाज कल्याण विभाग और विद्युत बोर्ड को बता दिया गया है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सबसे पहले उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिये लेकिन वे पीछे रह गये हैं और बिजली से वंचित रहे हैं। इस तरीके को बदला जाना चाहिये और उनको पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिये। यह पता नहीं कि क्या तरीका अपनाया गया है कि इसको लेकर कोई काम नहीं होता है? इसलिये इसके लिये खास तौर से निवेदन है।

जयपुर के आस पास ज्यादा खर्चा हुआ है और दूसरी तहसीलों में कम हुआ है या तो मंत्रियों के यहां या आस पास में बिजली दी हुई है। रामगढ में और चौमू में है। यहां के गांव स्वीकृत हो गये और दूसरी तहसीलों में एक भी गांव स्वीकृत नहीं होता है, और जब कि यहां पर एक भी गांव नहीं छोडा गया है। यह धन राशि सर्व क्षेत्रों के लिये होनी चाहिये जिससे कि दूसरे क्षेत्र वंचित न रहें।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये अधिक से अधिक बिजली किसानों को दी जाय। अब आज किसान बिजली बिना नहीं रह सकते हैं क्योंकि हर एक अपनी तरक्की करना चाहता है। इसलिये जिनको बिजली नहीं दी गई है उनको बिजली दी जाय। सिकराय तहसील बडी उप-जाऊ तहसील है लेकिन फिर भी बिजली नहीं दी जाती है।

55 से लेकर 71 तक 16 वर्ष में दौसा क्षेत्र में एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि वहां पर काम किया जाय। खम्भे गडे हुए हैं उनमें तार खींच कर बिजली दी जाय।

काश्तकारों को लोन आसान किश्तों में दिया जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजली ले सकें। जहां पर कृषि उत्पादन क्षमता अधिक है उन गांवों को प्राथमिकता दी जाकर बिजली दी जावे व पानी की सतह ऊपर हो उसको प्राथमिकता दी जावे। 11 के.वी. की लाईन जा रही है उसके दोनों ओर 1 मील की दूरी में कुओं को बिजली दी जावे।

काश्तकारों को कन्सेशनल रेट पर बिजली दी जावे। 13 पैसे कृषि कार्य हेतु बिजली दी जावे और इलेक्ट्रिक ड्यूटी से मुक्त हों। यदि इस प्रकार से बिजली दी जावेगी तो प्रोडक्शन बढेगा। खाद्य समस्या भी तब ही हल हो सकेगी जब कि गांवों में बिजली दी जावेगी। उत्पादन बढेगा। केन्द्र के साथ प्रांत भी मजबूत होगा। औद्योगिक उत्पादन भी बढेगा जिससे हमारा विकास होगा और हमारी तरक्की होगी। तभी हम दूसरे प्रांतों के मुकाबले में आगे बढ सकते हैं और विकास कर सकते हैं।

सदन में पर्चे फेंकने सम्बन्धी अवमान की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं इस बीच में वह प्रश्न लेता हूं जो सदन में थोडे समय पूर्व पैम्फलेट फेंका गया था उसके सम्बन्धित है क्योंकि अभियुक्त अभी तक कस्टडी में है।

आज दिनांक 15-11-71 को दर्शक-दीर्घा से लगभग चार बज कर पचास मिनिट पर एक व्यक्ति ने पर्चे फेंके। उस व्यक्ति का नाम पूछे जाने पर जाहिर किया कि मुरली टिलवानी पुत्र टेकचन्द कौम सिन्धी है। जब कि पास श्री मगरोमल के नाम पर है। इस पास का नम्बर 424 है, तथा यह विभाजन संख्या 93 वाले माननीय सदस्य की सिफारिश पर जारी किया गया था।

अभियुक्त ने सदन की कार्यवाही के समय पर्चे फेंक कर न केवल सदन की मर्यादा भंग की है, परन्तु उसने अन्य व्यक्ति के नाम के प्रवेश-पत्र का अपने लिये उपयोग कर इम्पर्सोनेशन का भी अपराध किया है।

इस सदन में पर्चे फेंकने की इसी सत्र में यह तीसरी घटना है और आज की कार्यवाही में दूसरी। इस स्थिति में जैसा सदन उचित समझे कार्यवाही करे और निर्णय ले।

यह मैं अपनी ओर से जरूर कहना चाहता हूं कि आज ही दो दफा पर्चे फेंके गये हैं। अब तक पर्चे फेंकने के सम्बन्ध में उदारता से निर्णय लिया है। दो मैं सदन से बहुत संक्षेप में सुझाव चाहता हूं। चूंकि अभियुक्त अभी तक कस्टडी में है। इसको छोड दिया जावे या सदन यह समझे कि सख्ती का रुख लिया जावे।

श्री भगवान दास : छोड दिया जावे।

श्री देवीदत्त गाडिया : पर्चे फेंकने की पहली घटना के बारे में क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : वह तो छोड दिया गया था। आधा घंटा के बाद ही छोड दिया गया था।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, ये जो पर्चे फेंकने की बार बार घटनायें सदन में बढ रही हैं तो यह लीनियेंट रुख लेने के कारण बढी हैं। इसलिये मेरा तो मत है कि अब लीनियेंन्ट व्यू नहीं लिया जाना चाहिये। इसलिये मैं तो सुझाव देता हूं कि तीन दिन की जेल इस व्यक्ति को दी जानी चाहिये।

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी और पहले भी जिस उदारता का परिचय सदन ने ऐसे मामलों में दिया है मेरी राय है कि इस व्यक्ति को भी छोड दिया जाय। इस व्यक्ति ने भी पर्चे जरूर फेंके पर आवाज नहीं की। नारे नहीं लगाये।

एक माननीय सदस्य : नारे लगायें।

श्री देवीदत्त गाडिया : नारे नहीं लगाये।

श्री अध्यक्ष : इनका कसूर इसलिये थोडा अधिक है कि दूसरे के पास के माध्यम से अन्दर आया।

श्री देवीदत्त गाडिया : मेरा इसलिये निवेदन है कि जैसी उदारता सदन ने और आसन ने आज तक बरती है वैसी उदारता इसके साथ भी बरती जाकर इसे भी छोड दिया जाय।

श्री देवीलाल भील (सराडा) : कुछ सजा तो मिलनी चाहिये।

श्री मोहनलाल मोदी : नजीर भारती ने दो बार गलती की तब भी उसको छोड दिया तो

(श्री मोहनलाल मोदी)

इसको भी छोड़ दिया जाय। आज आज का और एक दिन का सत्र और है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सारे दिन यह कस्टडी में रहा इसी को सजा मान कर छोड़ दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दैट इज सफीसियंट।

श्री अध्यक्ष : रिहा कर दिया जाये प्रश्न यह है।

(स्वीकृत)

विद्युत् मण्डल के आय–व्ययक पर अग्रेतर चर्चा

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : विद्युत बोर्ड के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिये।

इस बोर्ड में दफ्तर में आपसी गुटबाजी के कारण भी राजस्थान की जनता को काफी नुकसान हो रहा है। एक निवेदन तो यह करना है कि समय समाप्त होने के बाद भी एक्सटेंशन दिया गया। जो सरकार के कथन के विपरीत है। इसके लिये मुख्य मंत्री और विद्युत मंत्री स्पष्टीकरण देंगे।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

इसके अलावा क्या और भी अधिकारी हैं जिनको एक्सटेन्शन दे रखा है अगर हैं तो कितने हैं? कौन कौन हैं? किन नियमों के अन्तर्गत किया गया और क्या आगे भी यही करने का सरकार का इरादा है। मंत्री महोदय एक तरफ समाजवाद का नारा लगाते हैं और घोषणा करते हैं कि किसी को एक्सटेंशन नहीं दिया जायगा।

सात जून 71 को मण्डल की ओर से राष्ट्रदूत पत्र में विज्ञप्ति जारी की गई नई नियुक्तियों के लिये। इसके आधार पर आपने इन्टरव्यू भी लिये। डिप्लोमा होल्डर्स को भी लेने की बात कही पर लिया नहीं। इसका कारण क्या है? राज्य सरकार ने एक बार आज्ञा निकाली कि जितने भी ग्रेजूएट इंजीनियर पोस्ट ग्रेजूएट, डिप्लोमा होल्डर हैं और जो बेरोजगार हैं वे अपना नाम पूल में लिखवायें और जो अपना नाम पूल में अंकित करावेंगे उनको प्राथमिकता दी जावेगी। और तब तक उनको 150 रुपया माहवार दिया जावेगा और दूसरों को पोस्ट ग्रेजूएट को 200 रुपया माहवार दिया जावेगा। इसके साथ साथ यह भी निर्णय लिया गया कि जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं वे विश्वविद्यालय में जाकर ट्रेनिंग लेंगे। पर दुःख के साथ कहना पड रहा है कि सरकार 150 रुपया डिप्लोमा होल्डरों के लिये खर्च कर रही है और ट्रेनिंग लेने के लिये रजिस्टर भी खोला है, पर मेरा आरोप है कि इसमें सरकारी अधिकारी गण पक्षपात करते हैं। यह अलग बात है कि वे अपने आप करते हैं या ऊपर के इशारे पर करते हैं। उनसे किसी भी प्रकार से काम नहीं लिया जाता है और जो काम कर रहे हैं लगातार तीन चार महीने से छः छः महीने से उनको ट्रेंड नहीं माना जाता और इस आधार पर उनको एम्प्लायमेंट देने में पीछे रख दिया जाता है उनको आमंत्रित भी नहीं किया जाता। अपने मरजीदानों को रिश्तदारों को और राजनैतिक आधार के लोगों को लिया जाता है, भ्रष्टाचार के आधार पर लिये जाते हैं। जिन लोगों को लेना होता है, उनको हैड पोस्ट पर वर्क चार्ज के आधार पर नियुक्त कर लेते हैं। मैं पूछता हूं जब आपने एक पूल बना लिया

(श्री देवीदत्त गाडिया)

और उनमें काफी बेरोजगार इंजीनियर्स और डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो उनको क्यों नहीं लिया जाता ? इस तरह से बैक डोर से अपने सगे सम्बन्धी, रिश्तेदार, मरजीदान आदि को राजनैतिक आधार पर भ्रष्टाचार के आधार पर क्यों ले लेते हैं ?

एक मेरे पास लिस्ट है जिनको विद्युत मण्डल ने नियुक्त किया है। उनको पोस्टिन्ग छः महीने की की। 31-3-71 का यह आदेश है। इस प्रकार करीब चालीस लोगों की पोस्टिन्ग दी गई छः महीने के लिये, जब कि दूसरे पूल वाले आपके इंजीनियर्स बेरोजगार पड़े रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप यह करते क्या हैं, जब कि साथ ही साथ नारा आप समाजवाद का लगाते हैं, आपको कुछ भी विचार नहीं आता कि हम कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं ? गरीबी दूर करना चाहते हैं, समानता का अधिकार दिलाना चाहते हैं तो इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की आज तक आपने ? मुझे ऐसा लगता है राजस्थान में मंत्री-मण्डल बेकार है। आज इस विद्युत मण्डल में नहीं होगा जो राजस्थान विद्युत मण्डल का चेयरमैन चाहेगा, जो मुख्य अभियन्ता चाहेगें वही होगा। आज हजारों रुपया रिश्वत के रूप में दिये जाते हैं। नियुक्तियों के लिये खुले आम रिश्वत चलती है। आज दूसरे-दूसरे लोग एड-हाक बेसिस पर लगाये गये हैं यह कह कर कि ये अनुभवी हैं, ट्रेनिंग शुदा हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। आज हमारे राजस्थान के अन्दर करीब 700-750 डिप्लोमा होल्डर्स, इंजीनियर्स और पोस्ट ग्रेजूएट बेकार हैं, लेकिन इन्जीनियर्स उनको नहीं लेकर अभी अक्टूबर के महीने के अन्दर इन्टरव्यू काल किये गये और विभिन्न प्रांतों से लोगों को बुलाया गया। राजस्थान के इंजीनियर्स भूखों मरते हैं और इस राजस्थान के विद्युत मण्डल के अन्दर बाहर के नवयुवकों को नियुक्तियां दी जाती हैं। इतना ही नहीं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मैं कोई यह नहीं चाहता कि दूसरे प्रांतों के लोग न आये लेकिन यह हमारा नैतिक दायित्व है कि राजस्थान के जो नवयुवक हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इंजीनियर्स की बेरोजगारी का शिष्टमण्डल माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला और उस शिष्टमण्डल को मुख्य मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया कि राजस्थान के इंजीनियर्स को प्राथमिकता दी जायगी, लेकिन आज हमारे इस विद्युत मण्डल ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह किस प्रकार का पक्षपात पूर्ण रवैया है ? श्री विजय कुमार जैन को अभी इन्टरव्यू में 30-10-71 को लिया गया। ये इन्दोर के हैं। ये इन्द्रकुमार जैन जो मुजफ्फर नगर के हैं इनको लिया गया। श्री विजय कुमार जो चण्डीगढ के हैं उनको लिया गया। इसी प्रकार 22-11-71 को इन्टरव्यू में काल किये गये और पक्षपात पूर्ण नियुक्तियां की गई। दया कृष्ण सहगल जो मेरठ के हैं. ये एक मिस्टर डब्ल्यू. पी. वर्मा जो ग्वालियर के हैं एक मिस्टर इन्द्र कुमार जो बम्बई के हैं, सत्यपाल जो लुधियाना के हैं इस प्रकार के कुछ नाम बताये हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ राजस्थान के वे इंजीनियर्स जो बेकार है उनको नहीं बुलाया गया, जो डिप्लोमा होल्डर्स है उनको नहीं बुलाया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मंत्री महोदय, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं और जिनके 60 प्रतिशत से अधिक अंक हैं उनको इन्टरव्यू में क्यों नहीं काल किया जाता है ?

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

यह इतना बड़ा जघन्य अपराध राजनैतिक और रिश्वतखोरी के आधार पर करते हैं मैं आपसे बताना चाहता हूं खूनी क्रान्ति करने वाले यह अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अब आपको याद दिलाना चाहता हूं और चेतावनी के रूप में कहता हूं कि अगर आपके विद्युत मण्डल के अधिकारियों द्वारा इसी प्रकार के जुल्म, अत्याचार, पक्षपात और भ्रष्टाचार चलते रहे तो ये राजस्थान के इंजीनियर्स और डिप्लोमा होल्डर्स इस अन्याय को अधिक दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इतना ही नहीं मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं और विद्युत-मण्डल के चेयरमैन को चुनोती देना चाहता हूं कि इन नव-युवकों की ओर से अपनी बेरोजगारी के लिये विद्युत-मण्डल के सामने आन्दोलन होने वाला है, मंत्रि-मण्डल के सामने आन्दोलन करेंगे और इसके परिणाम भयंकर होंगे। सभापति महोदय, मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस मामले की जांच करवायेंगे और जितने बेरोजगार इंजीनियर्स और जिनका नाम मेन पावर पूल में लिखा हुआ है उनको प्राथमिकता देंगे और ऐड हाक बेसिस पर उनकी नियुक्तियां करवायेंगे। उनकी आप जांच करवायेंगे और किसी वरिष्ठ अधिकारी या एन्टीकरप्शन द्वारा या सी. आई. डी. द्वारा जांच कराई तो आपको बहुत बड़ा स्कैन्डल मिलेगा, और जो दोषी मिले निश्चित रूप से उनको दण्ड दिया जाना चाहिये और भविष्य में इस प्रकार की सख्त हिदायत देंगे कि जिन इंजीनियर्स और डिप्लोमा होल्डर्स का नाम मेन पावर पूल में है उनको प्राथमिकता दी जायगी।

माननीय सभापति महोदय, आज बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि बिजली का कनेक्शन देने में किसानों के खेतों पर व कुओं पर बिजली लगाने में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जहां सम्बन्धित विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी हैं चाहे ए. ई. एन. हों और चाहे जे. ई. एन. हों खुले आम किसानों को लूट रहे हैं। इतना नहीं घरों पर कनेक्शन देने के लिये भी उनको परेशान किया जा रहा है। किसानों को लूटा जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर गिनती के एक-दो ठेकेदार हैं और ठेकेदारों की संख्या कम होने के कारण इंजीनियर्स से सांठ-गांठ के कारण जो वायरमैन और सुपरवाईजर होते हैं हमारे राजस्थान के विद्युत-मण्डल के कार्यालय के अन्दर उनकी परीक्षा होती है और परीक्षा होने के बाद कई महिनों तक उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। 1971 में इन सुपरवाईजर और वायरमैनों की परीक्षा हुई थी, उसके परिणाम का क्या हुआ ? उनके रिजल्ट की घोषणायें क्यों नहीं हुई ? उनके रिजल्टस कब निकाले गये ? और रिजल्टस भी निकाले गये तो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है ? कि आज तक उनको लाइसेंस नहीं मिले। चाहे वह वायरमैन का लाइसेंस हो और चाहे सुपरवाईर का लाइसेंस हो। आज जिन मजदूरों ने 10-10 साल बिजली की फिटिंग का काम सीखकर जो हुनर कमाया था उनके पास लाइसेंस नहीं होने के कारण शोषण हो रहा है। आज गरीबी के कारण वे पिसते जा रहे हैं। आज आपके विद्युत मण्डल में कमेटी बनी हुई हैं। मेरा चार्ज है उस कमेटी के ऊपर कि वह कमेटी गरीबी को दूर नहीं करना चाहती है। वह कमेटी किसानों के खेतों पर समय पर बिजली की फिटिंग हो जाय, यह नहीं चाहती है। वे बिजली के ठेकेदारों को फायदा पहुंचाना चाहते है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ठेकेदार के पास दो वायरमैन और एक सुपर-

Page No 162

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

वाईजर होना चाहिये। इस तरह से वह ठेकेदार दो वायरमैन और एक सुपरवाईजर रखकर बिजली का लाईसेन्स ले सकता है, लेकिन उनको लाइसेन्स नहीं मिलने के कारण ठेकेदार के यहां मजदूरी करनी पड़ती है, और मन्त्री महोदय आपने ध्यान नहीं दिया सन् 1971 में जो परीक्षा हुई थी उसका आज तक रिजल्ट नहीं निकला। बहुत बड़ी अनियमिततायें इस विभाग में चल रही हैं। इसी का कारण है कि गांवों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप इस मामले की जांच करवायेंगे तो बहुत बड़ा स्कैन्डल मिलेगा। एक मजदूर जिसने 10 साल तक वायरमैन की ट्रेनिंग ली है वह यहां आकर परीक्षा देता है, परीक्षा देकर चला जाता है फिर जब अपने लाईसेन्स के बारे में पूछता है, मेरे रिजल्ट का क्या हुआ, तो कई महीनों निकल जाते हैं और उस गरीब को रिजल्ट का पता नहीं लग पाता है। इस प्रकार उस का लाइसेन्स भी इश्यू नहीं होता है। इसलिये अगर भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं तो अधिक से अधिक सुपरवाईजर्स को और वायरमैनों को लाईसेन्स इश्यू किये जायें। इस प्रकार से उसमें कम्पीटीशन होगा और कम्पीटीशन के बाद काश्तकार के खेत के कुए पर जल्दी से जल्दी फिटिंग होगी। जहां यह दो मुद्दे हैं वहां, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आज आपके यहां पर ट्रान्सफार्मर्स जल जाते हैं और उस ट्रान्सफार्मर के जलने के बाद उस गरीब किसान को जिसको बिजली मिली हुई होती है 15-15, 20-20 दिन तक बिजली नहीं मिलती है। एक-एक महीने में भी ट्रान्सफार्मर नहीं ठीक होते हैं और उसके कारण उस गरीब किसान की खेती सूख जाती है। मैं पूछना चाहता हूं क्या आपने कभी इस मामले की जांच कराई? मैं माननीय मंत्रीजी आपसे पूछना चाहता हूं मेरा दो रोज पहले प्रश्न था जिसमें आपने उत्तर दिया था कि बारां सब-डिविजन असिस्टेन्ट इन्जीनियर के नीचे के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें आपने बताया कि 35 ट्रान्सफार्मर्स जले हुए हैं और उनको ठीक कब कराया? जब एक सब-डिविजन की यह हालत है तो मैं यह मानकर चलता हूं कि राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है और यहां जितने भी सब-डिवीजन हैं मेरी यह जानकारी है कि राजस्थान के अन्दर 500 से अधिक ट्रान्सफार्मर्स जले हैं। उसका कारण क्या है? इससे भी अधिक संख्या होगी, कम नहीं। एक ट्रान्सफार्मर की कीमत क्या है? 6 हजार से 20 हजार, 30 हजार और 40-40 हजार रुपये एक एक की कीमत होगी और वे जलकर बिगड़ जाते हैं। इसमें विद्युत-मण्डल को तो नुकसान है ही लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा नुकसान उस गरीब किसान को है जिसके कारण से उसको बिजली नहीं मिल पाती है, उसकी खेती और फसल सूख जाती है। आपने कभी उनको कोई मुआवजा दिया? क्या ट्रान्सफार्मर के जल जाने के कारण से किसी असिस्टेन्ट इन्जीनियर या जूनियर इंजीनियर के खिलाफ कार्यवाही की? और ये ट्रान्सफार्मर्स जलते क्यों हैं कभी आपने इस ओर ध्यान दिया?

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं मंत्री जी आपको कहना चाहता हूं कि ये ट्रान्सफार्मर्स जलते हैं इसका एक कारण तो यह है कि उसका आइल चेन्ज नहीं किया

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

जाता है। कई और भी कारण हैं और जब हम मालूम करते हैं तो हमें यह जानकारी दी जाती है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। यह बात भी सही है कि टैक्नीकल स्टाफ नहीं है। जो छोटा सा मजदूर है उसको ही उसकी चैकिंग के लिये भेज दिया जाता है। मेरा आरोप है कि आज जितने भी कनेक्शन्स हैं बारां सब-डिविजन में बिजली के अनुपात में जो वहां पर आपका स्टाफ है उसमें कम से कम 90 कर्मचारियों की संख्या कम है। मैंने पिछली सत्र में क्वेश्चन रखा था सन् 64 का उदाहरण देकर और 66 की स्ट्रेंग्थ बताकर कहा कि हमारे पास स्टाफ पूरा है। इस प्रकार से गलत जवाब दिया गया और विद्युत् विभाग के कर्मचारियों ने अपने पापों पर परदा डाल दिया, लेकिन उससे विद्युत्-मण्डल और किसान दोनों को ही नुकसान होगा। इसलिये मैं इसकी मांग करता हूं कि टैक्नीकल आदमियों की कमी है और इस ओर भी आप जांच करके देखें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में समाप्त करता हूं।

एक माननीय सदस्य ने आज बताया कि किसान यदि समय पर पैसा जमा नहीं करा पाता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन मैं मंत्री महोदय आपसे पूछना चाहता हूं कि आज राजस्थान विद्युत्-मण्डल का जो 1 करोड़ 58 लाख 31 हजार रुपया बाकी है उसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों में 70 लाख रुपया बाकी है। राजस्थान के जितने भी उद्योगपति हैं चाहे वह कोटा का डी. सी. एम. हो, चाहे कोटा की नाइलोन फैक्टरी हो, चाहे भीलवाड़ा का कोई उद्योग हो या उदयपुर का हो जितनी भी बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं बड़े-बड़े उद्योगपतियों के अन्दर राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का 70 लाख रुपया बाकी है। इसी प्रकार से जो मीडियम कन्ज्यूमर्स हैं उनकी तरफ 45 लाख रुपया बाकी है, स्टेट गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट्स की तरफ 19 लाख रुपया बाकी है, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट्स की तरफ 6 लाख रुपया और रेल्वे की तरफ 9 लाख रुपया बाकी है। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान विद्युत्-मण्डल का इतना करोड़ रुपया बाकी है आज उनसे वसूली आप नहीं कर सकते उनकी बिजली सप्लाई कनेक्शन को बन्द नहीं कर सकते। लेकिन गरीब किसान एक महीने का पैसा जमा नहीं कराता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। एक कन्ज्यूमर जिसके घर में कनेक्शन लगा हुआ है यदि एक महीने का पैसा नहीं देता है तो कनेक्शन काट दिया जाता है। कनेक्शन क्यों काटते हैं? आपके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रूल्स में लिखा है कि उपभोक्ता को 17 दिन पहले बिल देंगे लेकिन बिल देते हैं 1 दिन पहले, 8 घण्टे पहले और गरीब आदमी एक दिन पहले मिले हुए, दो दिन पहले मिले हुए और 8 घण्टे पहले मिले हुए बिल के पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाता है, लेकिन उस कमजोरी को विद्युत्-मण्डल मानने के लिये तैयार नहीं है। आजकल तो तारीख भी लगाने लग गए उसके बाद में सुनाई नहीं होती। उसके ऊपर पैनल्टी चार्ज करते हैं। दुबारा कनेक्शन के लिए पैसा चार्ज किया जाता है। इतना भयंकर भ्रष्टाचार इतनी भयंकर लूट है, और विद्युत-मण्डल के ये चेयरमैन मुख्य अभियन्ता जिनको हजारों रुपया की तनुख्वाह मिलती

(श्री देवीदत्त गाडिया)

है आपने आज तक इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। चेयरमैन कभी दौरा नहीं करता, चीफ इन्जीनियर गांवों में नहीं जाते हैं और जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट केन्द्र के ऊपर, जिला केन्द्र के ऊपर और जाकर जैसे पहले राजा और महाराजा रहा करते थे टूर पर वैसे ही हमारे चेयरमैन और मुख्य अभियन्ता शान शौकत से रहते हैं। यह ज़माना बदल गया और आज समाजवाद का नारा लगाते हैं लेकिन सरकारी अधिकारियों का रवैया नहीं बदला और जब तक सरकारी अधिकारियों का भ्रष्टाचार और शान-शौकत का रवैया नहीं बदलेगा तब तक देश के अन्दर बहबूदी नहीं आ सकती, भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, माथुर साहब, या तो आप समाजवाद का नारा लगाना छोड़ दो और अगर लगाते हो, जनता में भाषण देते हो तो आपको वास्तविकता में जाना होगा और दम ठोककर कहना होगा।

मैं, माथुर साहब आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के बहुत बड़े उद्योगपति ने 2 करोड़ रुपये का केबिल सप्लाई किया। उसके ऊपर मुझे स्मरण है राजस्थान के भूतपूर्व विद्युत मंत्री ने नोट लिखा था कि यह केबिल जो दिये गये थे उसमें काउन्टिंग वायर बराबर नहीं है इसलिये पेमेन्ट नहीं किया जाये और आप, माथुर साहब, आप समाजवादी हैं आपको पूंजीपतियों के खिलाफ बगावत खड़ी करनी पड़ेगी यह नारा लगाते हैं, आपने उस उद्योगपति को 2 करोड़ का पेमेन्ट कैसे करवा दिया? आपने क्यों नहीं उसकी जांच करवाई। मेरा चार्ज आप पर है। समाजवाद का नारा जरूर लगाते हैं जनता को गुमराह करने के लिये, लेकिन आपकी सांठगांठ है और उसी सांठगांठ के कारण मंत्री महोदय आपके दो तीन बंगले हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों के पास जमीनें हो सकती हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर): 2 करोड़ का पेमेन्ट बिना सामान खरीदे हुए दे दिया। किस को दिया गया? दान दे दिया या रिश्वत दे दी, क्या कर दिया?

श्री देवीदत्त गाडिया: मैं आपको निवेदन करता हूं मुफ्त में नहीं दिया। सामान सप्लाई किया, मैंने पहले भी कहा। लेकिन जो टेन्डर के अनुसार दिया जाना चाहिये था और जितने काउन्ट का वायर होना चाहिये वह नहीं था और उसी के कारण से टेक्नीकल विभाग के इन्जीनियर की रिपोर्ट हुई और उसी के अनुसार भूतपूर्व विद्युत मंत्री ने यह रिपोर्ट लिखी थी और रिमार्क लगाया था कि केबिल हल्के हैं और जितने काउन्ट का वायर होना चाहिये वह नहीं है इसलिये पेमेन्ट नहीं किया जाये और जांच की जाये लेकिन ज्योंही माथुर साहब विद्युत मंत्री बने हमें तो विश्वास था.......

श्री शिवचरण माथुर: सभापति महोदय, मैं बहुत नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य गलत तथ्यों को रख रहे हैं। इसका सारा पेमेन्ट 69 में हो गया था और उस समय सवाल ही नहीं था कि मैं विद्युत मंत्री था।

श्री देवीदत गाडिया : जो फाइल है वह आप सदन के पटल पर रख दो।

श्री शिवचरण माथुर : श्री गोयल ने तथ्य रखे थे मैं जवाब दूंगा। लेकिन आप गलत बात न कहें।

श्री देवीदत गाडिया : कल आप फाइल मंगाकर हमें दिखा दें।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने पिछले सत्र के अन्दर यह घोषणा की थी कि राजस्थान के अन्दर जितनी भी प्राईवेट इलेक्ट्रिक कम्पनीज हैं उनको सरकार अपने हाथ में ले लेगी और आपकी सरकार ने अजमेर की कम्पनी को अपने हाथ में लिया उसके लिये तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं आप से पूछना चाहता हूं उसमें भी भ्रष्टाचार है 60 लाख का। उसकी तो आप जांच करायें ? सरकार ने हिम्मत का काम तो किया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उदयपुर की महाराणा भोपाल इलेक्ट्रिक कम्पनी को, माउन्ट आबू की और आबू रोड की और जितनी प्राईवेट कम्पनीज हैं उनको आपने अपने हाथ में क्यों नहीं लिया ? क्या कारण है ? और आपको यह मालूम नहीं है कि आज माउण्ट आबू की जो प्राईवेट इलेक्ट्रिक कम्पनी है वह आबू की जनता का किस प्रकार से शोषण कर रही है ? आपके इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अन्तर्गत मिनिमम चार्ज नहीं कर सकते लेकिन वह इलेक्ट्रिक कम्पनी के मालिक उस इलाके के नागरिकों से साढ़े चार रुपये मिनिमम चार्ज कर रहे हैं, और लाइन देने तक में सैकड़ों रुपये लेते हैं और नियमों के अनुसार पैसा जमा कराने के बाद भी उनको अधिक पैसा लेने की आदत है। इस सम्बन्ध में शिकायत की गई और उस समय के विद्युत मंत्रीजी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि आबू की इलेक्ट्रिक कम्पनी को और उदयपुर की इलेक्ट्रिक कम्पनी को सरकार अपने हाथ में ले लेगी शीघ्र ही। क्या हुआ ? कहां गई वह शीघ्रता ? आखिर शीघ्रता का पैमाना क्या है ? आपके पास कोई पैमाना नहीं है। पैमाना यह है कि प्राइवेट इलेक्ट्रिक कम्पनी के मालिकों के साथ आज के हमारे सरकारी अधिकारी और मंत्रियों की सांठ-गांठ हो जाती है और उनको छूट दे दी जाती है। उन्हें वह पहले ही बता देते हैं कि इस कानून के तहत इस रूल के तहत एप्लीकेशन दे दो। मैं लिख दूं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस मामले की जांच कराए तब तक यह काम चलने दिया जाय, और इस तरह से मामला लिगर ओन होते रहते हैं। इसी कारण से आज राजस्थान के विद्युत मण्डल को नुकसान हो रहा है, राजस्थान सरकार को नुकसान हो रहा है, लेकिन माउण्ट आबू की जनता का, आबू रोड की जनता का और उदयपुर की जनता का जिस प्रकार से शोषण हो रहा है यह किस प्रकार से शोषण रुकेगा ? आप कहते हैं कि हम पूंजीवाद को धीरे 2 नीचे लाना चाहते हैं तो ये पूंजीपति कैसे नीचे आयेंगे ? आप उनकी इलेक्ट्रिक कम्पनियों को हाथ में नहीं ले रहे हैं। गरीबों को राहत देना तो दूर रहा उनको सस्ती बिजली तक सप्लाई नहीं कर सकते।

अन्त में एक बात और माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा। आज आप राजस्थान के

(श्री देवीदत्त गाडिया)
कृषक से, आम नागरिक को घर पर कनेक्शन देने पर हाई रेट चार्ज करते हैं लेकिन दूसरी तरफ बड़े 2 उद्योगपति जो करोड़ों रुपये प्रति वर्ष मुनाफे के कमाते हैं, और उस मुनाफे में से मजदूरों को हिस्सा तक नहीं देते, मुनाफे का सारा रुपया अपने घर में रखते हैं, जो इन्कम टैक्स की चोरी करते हैं, जो सैल्स टैक्स की चोरी करते हैं, जो इम्पोर्ट लायसस लेकर आधा माल ब्लैक में बेचते हैं, उनको सस्ते दामों में बिजली देते हैं। मैं माथुर साहब, कल जिस समय अविश्वास का प्रस्ताव आएगा उस समय बताऊंगा कि किस प्रकार से मंत्रियों के लड़के इम्पोर्ट का कोटा लेते हैं और किस प्रकार से मंत्रियों के लड़के इम्पोर्ट लाइसेंस को लेकर लाखों रुपयों का माल बाहर से मंगाते हैं और वह आधे से अधिक माल को ब्लैक में बेच देते हैं और आधे का माल बनाते हैं। लेकिन वह करोड़ों रुपयों का ब्लैक करने वालों को तो आप सस्ती बिजली देते हैं लेकिन वह गरीब किसान जो देश की अन्न की समस्या को हल करने में मदद करता है, जो अपनी रोटी कमाने के लिए परिश्रम करता है और जिनकी वकालत आप भी करते हैं आम सभाओं में, लेकिन उन पर दया नहीं आती है आपको। उनको सस्ती बिजली नहीं दे सकते और उद्योगपतियों को सस्ती बिजली देते हैं। आपकी नीति क्या है ? मुझे विश्वास है आप इस मामले को देखेंगे।

अन्त में मैंने यह स्थगन प्रस्ताव इन इंजीनियर्स के बारे में रखा था और जिन्होंने मुख्य मंत्रीजी को भी ज्ञापन दिया था और जितनी बातें मैंने इस सदन में अपने अल्प समय में रख पाया हूं, मुझे विश्वास है मंत्री महोदय, आप निष्पक्षता के साथ इस पर विचार करेंगे, और इन सरकारी अधिकारियों का जो रवैया है, जो इनका नजरिया है जो आज तक लोकतांत्रिक नहीं बन पाया है उनको ठीक किस प्रकार से किया जाय, भ्रष्टाचार को किस प्रकार से मिटाया जाय इस पर आप विचार करेंगे।

मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। आपके विद्युत् मण्डल ने जो बिलों की मशीन मंगाई है ... ...

श्री सभापति : आपका भाषण समाप्त हो चुका है।

श्री देवीदत्त गाडिया : एक मिनिट और सभापति महोदय।

श्री सभापति : सॉरी।

श्री देवीदत्त गाडिया : आपने जो मशीन मंगाई थी उन मशीनों का क्या हुआ, कोई उपयोग में नहीं आ रही है, उसकी जांच करवाई ? इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री विजयसिंह (मकराना) : आई विल टेक ओनली फ्यू मिनिट्स। दो चार पॉइन्ट रखना चाहता हूं। हमारी पार्टी से ज्यादा बोले भी नहीं हैं। कोई तो एक एक घण्टे तक बोलते रहे हैं तो उनको आपने अलाऊ कर दिया है। हमारी पार्टी ने तो टाईम भी कम लिया है।

श्री सभापति : आपको ज्यादा समय देंगे।

(विराम)

श्री सभापति : श्री बिरदारामजी बोलने के लिए बहुत उत्सुक थे। चले गए। सारे विवाद में शिड्यूल्ड कास्ट के सदस्यों ने भाग नहीं लिया है। मैं चाहता हूं चूंकि कि शिड्यूल्ड कास्ट के मेम्बर नहीं बोले हैं इसलिए कोई माननीय सदस्य इनमें से जरूर बोलें।

(श्री गोकुलचन्द के बोलने के लिए खड़े होने पर)

आप बोलना चाहते हैं। आपका नाम तो नहीं है लेकिन फिर भी आप बोलें, लेकिन समय कम लें।

श्री गोकुलचन्द (खैरथल-सु.) : सभापति महोदय, इसमें शक नहीं है कि बिजली का मामला बहुत महत्वपूर्ण है और आज के जमाने में सरकार का दृष्टिकोण है कि हमारे देश का उत्पादन बढ़ना चाहिए और किसानों की हालत अच्छी होनी चाहिए, उनमें खुशहाली होनी चाहिए। तो वह बिजली की सुविधा आज छोटे से छोटा किसान भी चाहता है। मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं कि विद्युत् मण्डल किस प्रकार से अपनी योजना बनाता है और किस उद्देश्य से बनाता है क्योंकि मुझे टेक्निकल ज्ञान है भी नहीं और इसलिए मैं इसमें दखल देना भी वाजिब नहीं समझता। लेकिन देखने में ऐसा आया है और मैं कह सकता हूं कि इसमें डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों का कार्य ही समझ में आता है। इसका उदाहरण इस रूप में पेश करता हूं जैसे आपने किसी गांव में बिजली दी, खैरथल में बिजली गई और खैरथल से दो-दो मील एक-एक मील की दूरी पर गांव हैं और उन्होंने बिजली मांगी तो उस गांव में किसी एक व्यक्ति को तो बिजली दे दी लेकिन जब तीन और हरिजन बिजली मांगने गए तो कह दिया गया कि यह गांव तो खैरथल का भाग नहीं है इसलिए बिजली नहीं दे सकते। मैं नहीं समझ सका कि यह गल्ती आखिर कैसे हुई ? एक को तो बिजली दे दी खैरथल का भाग मान कर और वही गांव वाला जब बिजली मांगने जावे तो कह दिया जावे कि यह उस गांव का भाग नहीं है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि जब किसी की गल्ती से एक को बिजली दे दी गई है तो और चार-पांच को भी बिजली दे देनी चाहिए। मैंने इस मामले को पहले भी उठाया था तो मुझे कहा गया कि अगर दो मील से ज्यादा हो तो वहां बिजली नहीं देंगे। मेरे ख्याल से इस से घोर असंतोष बढ़ता है। आपको इसके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जिससे इस प्रकार का असंतोष न बढ़े और जो फर्लांग, आधी फर्लांग पर कुए हैं उनको बिजली देनी चाहिए।

अब एक प्रश्न आता है कि जैसा मैंने आप से उदाहरण के तौर पर कहा, अलवर जिले में चिकानी एक गांव है दस मील दूर अलवर से। चिकानी में बिजली है और यह गांव लबे सड़क है..........

श्री विजयसिंह : माननीय सदस्य का खेत रह गया होगा।

श्री गोकुलचन्द : मेरा कोई खेत नहीं है वहां। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस सहानुभूति के लिए। आप खेत लेना चाहें तो मैं इसका विरोध नहीं करता, अच्छा काम है।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, (सभापति महोदय), अलवर में चिकानी और किशनगढ़

(श्री गोकुलचन्द)

हूँ। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां तक बिजली गई है। एक गांव है मेरी कांस्टीट्यूएंसी में, मेन रोड से लगा हुआ है और कम से कम दो-ढाई मील से कम ही होगा, वहां पर कुछ लोगों ने पीछा किया तो बिजली ले गए। मैंने कहा कि खानपुरा और घासोला में जो कि उसके बिल्कुल पास ही है वहां पर भी बिजली पहुंच जानी चाहिए लेकिन नहीं पहुंच सकी। मैंने पूछा कि यह तीन मील आगे तक बिजली कैसे पहुंच गई तो जवाब मिलता है कि क्या करें साहब, कैसे पहुंच गई वहां बिजली? ऐसे ही चलता है। इस बारे में मैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के दफ्तर में भी गया, शर्मा साहब से भी मिला। वे कहने लगे कि मुझे मालूम नहीं कि किस प्रकार वहां बिजली पहुंच गई, यह तो हमारी लिस्ट में भी नहीं है। तो जो इस प्रकार की स्थिति है उसके लिए मैं क्या कह सकता हूं, यह किस प्रकार की आपकी योजना है?

श्री मोहनलाल मोदी: प्रोडक्शन कमेटी की रिकमण्डेशन होगी?

श्री गोकुलचन्द: मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता कि किसकी रिकमण्डेशन से हुई, लेकिन यह सही है कि इस से जनता में बड़ा असंतोष है और चूंकि हमारा सम्बन्ध जनता से है, हम जनता को क्या जवाब दें? यह बड़े शर्म की बात है कि जो पैसा खर्च कर दे इस प्रकार से उनके यहां बिजली पहुंच जाय। मुझे इसका कोई आधार समझ में नहीं आया कि जो रुपया दे देगा उसके यहां बिजली पहुंच जाएगी। जैसे नौगांवा में बिजली दे दी। मेरे क्षेत्र में गोविन्दगढ़ और नौगांव दो बड़े इम्पॉर्टेंट गांव हैं। गोविन्दगढ़ सब-तहसील हैडक्वार्टर भी है वहां पर भी अब जाकर मेहरबानी हुई है और वहां पर बिजली के लट्ठे जा रहे हैं और कहते हैं वहां पर बिजली पहुंच जायगी, और दिसम्बर में पहुंच जायेगी। लेकिन रामगढ़ से नौगांवा 7 मील है और नौगांवा से मुबारकपुर ढ़ाई मील है और एक ई. एन. साहब कहते है कि मुझे पावर कम है। मेरा निवेदन है कि एग्रीकलचर प्रोडक्शन कमेटी की सिफारिश है। जब नौगांवा को बिजली दी तो दूसरे गांव जिनकी कि आबादी ज्यादा और पास में हैं, वे बिजली ज्यादा लेंगे और आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। कहने का मतलब यह है है कि कहीं इस तरह का मौका आवे और जनता का उससे लाभ होने वाला हो और वह भी अधिक जनता का, अधिक किसानों को लाभ होने वाला हो तो उसमें उदारता बरतनी चाहिये और अगर उसके लिये सिफारिश नहीं है तो भी क्या है, उसको मौके पर जाकर देख लीजिये कि वास्तव में हमारा कहना, सरपंच का कहना उचित है या नहीं है। इन बातों की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाते हुए मैं आशा करता हूं कि आप इस ओर ध्यान देंगे।

श्री सभापति: श्री चुन्नीलाल।

श्री बिजयसिंह: सभापति महोदय, ...

श्री सभापति: आसन से आदेश बार बार नहीं बदलते।

श्री चुन्नीलाल।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): सभापति महोदय, आज विद्युत पर बहस चल

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

रही है । मैं सीमावर्ती जिला बीकानेर से ग्राया हूं ग्रौर बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बीकानेर में 680 गांव हैं । इन गावों में राज्य सरकार ने करीब 7 सालों से एक भी गांव को बिजली से नहीं जोड़ा है । 689 गांव हैं सीमावर्ती इलाके के ग्रौर कुछ तो ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी मीठा ग्रौर गहराई में भी कम है । वहां पर सिंचाई का काम भी हो सकता है, लेकिन सरकार ने बिजली पहुंचाने के लिये बीकानेर जिले की तरफ ध्यान नहीं दिया है । ग्राप ताज्जुब करेंगे कि 7 ग्रौर 9 साल के ग्रर्से में सिर्फ एक गांव को बिजली से जोड़ा है ग्रौर जिला कृषि उत्पादन समिति के लगातार प्रस्ताव हैं, लेकिन सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है । मैं खास तौर से बीकानेर जिले के गांवों के बारे में बताना चाहता हूं जो गांव जिला उत्पादन समिति द्वारा प्रस्तावित हैं ग्रौर ग्रापके नियमों के ग्रनुसार हैं । खेद के साथ कहना पड़ता है कि ग्रापके विद्युत मण्डल ने ग्रौर राज्य सरकार ने जो नियम बना रखे हैं उनमें प्रथम में दस पाइन्ट, दूसरे पर 12 पाइन्ट ग्रौर तीसरे पर 15 पाइन्ट निर्धारित कर रखे हैं । यह जो पाइन्ट निर्धारित कर रखे हैं यह बीकानेर जिले के लिये लागू नहीं होने चाहिये । बीकानेर जिले में दूर दूर पर गांव हैं ग्रौर यह ग्रांकड़ा हमारे जिले के लिये काबिल नहीं है । मैं चाहूंगा कि इस तरह के जो नियम हैं उनमें संशोधन होना चाहिये ग्रौर वह 8 पाइन्ट, 7 पाइन्ट तक रखा जाये तो बीकानेर को उस से फायदा हो सकता है वरना बीकानेर जिले के गांव 8-10 मील की दूरी पर हैं इसलिये इनके लिये 6 पाइन्ट रखना चाहिये । जिला कृषि उत्पादन समिति ने जो गांव प्रस्तावित किये हैं वे गांव लगातार 6-7 वर्षों से प्रस्तावित हैं ग्रौर ग्रापके नियमानुसार प्रथम वर्ष 10 पाइन्ट, दूसरे वर्ष 12 पाइन्ट, तीसरे वर्ष 15 पाइन्ट इस तरह के गांव हैं । इन गांवों को ग्राज तक बिजली से नही जोड़ा गया है । मैं इन गांवों के नाम बताऊं तो ठीक रहेगा । ये गांव हैं झाड़ेली से धावरिया, मेनसर, मन्डढ़, साधासर, उतम देसर । ये जिला उत्पादन समिति द्वारा प्रस्तावित हैं ग्रौर सर्वे होकर ग्रा गई है । इसी प्रकार ग्राम वादनू से कुचोर ग्रगुणी व कुचोराधून है । ये भी नियमानुसार प्रस्तावित हैं ग्रौर जिला उत्पादन समिति से प्रस्तावित होकर ग्राये हैं । इनको भी बिजली नहीं दी गई हैं । इसी तरह से ग्राम रासीसर से पारवा, बामटसर व देसलसर, किसनासर, हिया देसर, जांगलू, पिथरासर, जैसिंह देचेर, मगरा, बन्दाड़ा व धरणोक । ये गांव भी जिला उत्पादन समिति द्वारा प्रस्तावित हैं ग्रौर नीचे से सर्वे होकर ग्राई है । इन गांवों को भी बिजली से नहीं जोड़ा गया है ।

इसी तरह से, सभापति महोदय, पांचू से नाथूसर, साईसर, डीगसर, जिला उत्पादन समिति द्वारा प्रस्तावित गांव हैं ग्रौर नियमानुसार इनकी रिपोर्ट भी ग्रा गई है लेकिन इन गांवों को विद्युत् लाइनें नहीं दी गई है । इसी तरह से कावलीसर से ग्राम कक्कू, सादूना, चित्ताना बन्दडा दावा केड़ली व सीलवा धानियां ग्रादि गांव हैं जो जिला उत्पादन समिति द्वारा प्रस्तावित हैं । नीचे से सर्वे होकर ग्राई है, लेकिन इन गांवों को भी बिजली से नहीं जोड़ा गया है ग्राम उडसर से कुरजा, साजनवासी, शनिवाला, लालासर, बनिया, जैसिंहदेसर कलियां,

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

रामसर आदि गांव हैं जो कि जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा प्रस्तावित हैं और सर्वे कर ली गई है और वहां पर विद्युत की लाईन नहीं गई है। इसी तरह से ग्राम शीतल से मूंडसर, सूतसिंहपुरा बड़े गांव हैं और वहां पर वाटर सप्लाई स्कीम भी चालू है, वह दो माइल की लाईन है जिला समिति द्वारा प्रस्तावित है, सर्वे होकर दो बार आ चुकी है, लेकिन बिजली नहीं दी गई है। इसी तरह से केसर देसर, सोवा, गजरूप देसर, किलचू, नापासर, ये बड़े बड़े गांव हैं और यहां पर वाटर सप्लाई स्कीम भी विचाराधीन है। परन्तु इन गांवों को आज तक विद्युत् लाईन नहीं गई है। इसी तरह सुरथरा, सिंजगुरु, मोरखाना, नोखामंडी, रायसर और विरमसर गांव है। इन गांवों की भी बिजली के लिये मांग है। लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इनको बिजली से नहीं जोड़ा है।

दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह एक सीमावर्ती जिला है और यह राज्य सरकार जो किसानों को ऊंचा उठाने का, उनके उत्पादन को बढ़ाने का और किसानों को खेती के साधन ज्यादा देने का नारा लगा रही है, यह सरकार जो प्रगतिशील नीति अपना रही है, समाजवाद का नारा दे रही है, उसका जो रूप है वह आपके सामने है कि कहां तक राज्य सरकार इन गांवों को खेती के लिये बढ़ावा दे रही है। जयपुर का जो इलाका है और जिस तरह का पानी यहां पर है उसी तरह का पानी वहां पर है। वह पानी मीठा भी है। इसकी सरकार ने सर्वे कर ली है परन्तु वह स्कीम अभी तक कागजों में पड़ी हुई है। जिला कृषि उत्पादन समिति ने इसके लिये बार बार प्रस्ताव किया है लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज तक कोई लाईन वहां पर नहीं दी गई है। काश्तकारों के प्रति सरकार की जो नीति रही है, वह नगण्य है, और इस सरकार का जो प्रगतिशीलता का नारा है वह सीमित है। यह समाजवादी राज्य सरकार पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, जमींदारों और सेठ साहूकारों को तो बिजली देती है, लेकिन जो भूमिहीन, गरीब काश्तकार हैं, उन लोगों को राज्य सरकार बिजली नहीं देती है, यह इसकी नीति रही है। इस राज्य सरकार की नीति की जो रूपरेखा है वह आपके सामने है। राज्य सरकार की यह पॉलिसी है कि कम से कम पंचायत समिति के हैडक्वार्टर और तहसील हैडक्वार्टर को बिजली दी जायेगी। आपके सामने इसके कई उदाहरण हैं। जायल, तहसील हैड क्वार्टर है, लूणकरणसर है, बहुत से पंचायत समिति के हैड क्वार्टर हैं उनको आज तक बिजली नहीं दी गई है। मैं, सभापति महोदय, आपकी मार्फत हमारे जो प्रगतिशील विद्युत् मन्त्री जी हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के अन्दर कुए खुदे हुए पड़े हैं और वे बिजली के कारण बेकार पड़े हुए हैं। यह सीमावर्ती जिला है इसलिये आप इसकी ओर विशेष ध्यान देंगे ऐसी आशा करके चलता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे सीमावर्ती जिले की ओर पूरा ध्यान देंगे।

श्री सभापति : उनको (श्री विजयसिंह) बोलने दे। उनकी पार्टी की तरफ से कोई भी नहीं बोला है। आप थोड़ा सा बाद म बोल लें।

श्री रामकिशन : समय नहीं देते तो पार्टी से तो कोई बोलने वाला नहीं रहता और छुट्टी अपने आप हो जाती।

श्री विजयसिंह (मकराना) : सभापति महोदय, 67 के चुनावों के बाद यह आखरी सत्र है और इस आखरी सत्र तक खास तौर से मैं यह देखता आया हूं कि विधान सभा के अन्दर माननीय सदस्य या तो यह कहते हैं कि मेरे गांव में बिजली नहीं आई है, मेरे घर में बिजली नहीं आई है, या मेरे वहां सड़क नहीं आई हैं। मेन जो प्रॉब्लम्स हैं उनका जिक्र बहुत कम माननीय सदस्यों ने किया है।

श्री मोहनलाल मोदी : पत्थर की खानों के बारे में आपने कभी जिक्र नहीं किया ?

श्री विजयसिंह : हम कह सकते हैं कि पत्थर की खानों को बिजली दें तो कितना फायदा होगा।

मैं बता देना चाहता हूं कि जब से आर. एस. ई. बी. बना है तब से विद्युतीकरण में बहुत कुछ लाभ मिला है। मैं पब्लिक अन्डर-टेकिंग कमेटी का मेम्बर रह चुका हूं और मैंने सारा सर्वे भी किया है। ऐसी बात नहीं है। और जो अभी आर. एस. ई. बी. काम कर रहा है तो जैसा कि आप देखते हैं कि खेल के मैदान में कोई व्यक्ति गलती करता है तो देखने वालों की हजारों आंख होती हैं और सब कहते हैं कि गलती की है और रेफरी के दो आंखें होती हैं और वह कोई चीज को नहीं देख पाता है तो सब उसको कन्डेम करते हैं। तो आर. एस. ई. बी. के चेयरमैन के दो आंखें हैं जब कि हमारी करोड़ों आंखें उसके ऊपर हैं तो अलग अलग जगहों के झगड़े आते हैं कि वहां भी होना चाहिये यहां भी होना चाहिए वह सब ठीक है। परन्तु हम विधान सभा में कह कर यह भी चाहते हैं और हम इस लिये कहते हैं कि आप कुछ इसके अन्दर कितना कर सकते हैं ? आप कुछ हमारे प्रान्त का भला कर सकते हैं इस बात को आपके सामने पाइन्ट आउट करते हैं। अगर हमारे पाइंट आउट करने के बाद में भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैं कह सकता हूं कि यह आपकी मजबूरी हो सकती है, या यह आपकी अकल का दिवालियापन हो सकता है।

आर. एस. ई. बी. बनने के बाद लाइनें तो एक्स्टेण्ड हुई हैं। हमारे वहां पर 11 के. बी. लाइन थी उसके बाद 33 के. बी. लाइन हुई। मकराना के लोग पहले सांभर में पैसा जमा कराने के लिये जाया करते थे और आज वहां पर पैसा जमा कराते हैं और वहां पर असिस्टेन्ट इन्जीनियर का हैड-क्वार्टर भी है। परन्तु क्या डिफिकल्टी है वह मैं बताना चाहता हूं। डिफिकल्टी यह है कि रूरल एरिया के अन्दर जो वायरमैन वगैरह होते हैं वे क्या करते हैं कि वह ब्लाक स्विच निकाल देते हैं कुओं के और निकाल कर यह कहते हैं कि आपके यह प्लग खराब हो गये हैं और उस व्यक्ति से 10-11 रुपये चार्ज करते हैं। तो कम से कम एक यह होना चाहिये कि कोई भी व्यक्ति डाइरेक्ट कुए वाले से किसी प्रकार का पैसा चार्ज न करे। उससे उनका वह प्लग्स निकालना छूट जायगा। कई बार ऐसा होता है कि वे व्यक्ति पोल पर चढ़ जाते हैं और व्हिग निकाल लेते हैं और 15-20 रुपया चार्ज कर लेते हैं। इस प्रकार से गांवों के अन्दर लोगों ने प्रेक्टिस बना रखी है।

उसके अलावा विद्युतीकरण का जहां सवाल है और हरियाणा से हम कम्पेयर करते हैं परन्तु यह कोई नहीं देखता है, शायद

(श्री विजयसिंह)
आपने नक्शा भी नहीं देखा होगा कि हरियाणे के नक्शे में और हमारे नक्शे में कितना फर्क है। हरियाणा नागौर जिले के बराबर है। अगर हम सारे नागौर जिले का विद्युतीकरण कर जायं तो क्या बड़ी बात है? मैं यहां बैठा हूं, विरोध में बैठा हूं तो विरोध ही करता रहूं यह कोई सही बात नहीं है। राजस्थान में बिजली का जो काम किया है वह हरियाणे से ज्यादा काम हुआ है·······

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह लास्ट स्टेज पर समझ आई है।

एक माननीय सदस्य (विपक्ष) : यह तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे हमारा आखरी समय आ गया है।

श्री विजयसिंह : वह कल अविश्वास के प्रस्ताव पर बताऊंगा कि आखरी समय आया है कि क्या हुआ है, बल्कि जहां इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है रामचन्द्रजी·····

श्री सभापति : आप प्रोवोक मत होइये और जल्दी समाप्त कर दें।

श्री रामकिशन : यह तो इतनी उम्र में ही प्रोवोक हो जाते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्रिश्चियन्स की तरह तोबा कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह : अभी एक जिक्र शिव कुमार, अध्यक्ष, नगर परिषद्, नैनवा का नाम यहां पर आया कि उसने एक लाइनमैन को बिजली के पोल पर चढा दिया और उन्होंने स्विच आफ नहीं करवाया तो उसकी डेथ भी हो गई परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उसके परिवार वालों को किसी प्रकार का कम्पेन्सेशन नहीं मिला इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति के परिवार वालों को कम्पेन्सेशन अवश्य मिलना चाहिये।

एक मकराने के अन्दर बहुत बड़ा फैक्ट्री ऑनर है श्री अब्दुल हकीम जिनके अन्दर आर. एस. ई. बी. के करीब 15000 रुपये बकाया थे, परन्तु दुःख की बात है कि वहां के अफसरों ने उससे 5 हजार रुपया लेकर उसकी फाइल तक गायब कर दी तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से हमको बहुत नुकसान हुआ है, और जो भी व्यक्ति इसमें गुनहगार हो उसको अवश्य सजा मिलना चाहिये।

उसके अलावा मकराने के अन्दर बहुत सी छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज या चक्कियां चलती हैं या ऑइल के कारखाने चलते हैं तो बहुत सी इसमें ऐसी हैं कि जिनको परमिट नहीं मिले हुए हैं लेकिन इल्लीगली कनेक्शन वहां क लाइनमैन और और लोगों की मारफत लेकर वे उनको चलाते हैं। उससे हमको बहुत सा घाटा हो रहा है। उसको भी हमें चैक करना है।

उसके अन्दर मकराने में उन लोगों के पास लाइन गई हुई हैं जिनको कि कनेक्शन नहीं मिला हुआ है और उन्होंने डाइरेक्ट पोल से लाइन ले ली है। या तो वे आर. एस. ई. बी. में सर्विस करते हैं या उन लोगों से मिले हुए हैं उससे उनको लाइन दे दी गई है जिससे लास हो रहा है।

श्री रोशनलाल शर्मा : अब तो मोहल्ला भी आ रहा है मकराने का।

श्री विजयसिंह : मैं यह नहीं कह रहा हूं जिस तरह से यहां पर ग्रादमी ग्रपने घरों के लिये कहते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : वहां पर भी भेजना पडेगा।

श्री विजयसिंह : भेजने की ग्रावश्यकता नहीं है।

व्यापार में भी टेक्टिक्स हैं यानी पैसा कमाना है तो वहां की हर फैक्ट्री को ग्रौर हर घर को बिजली देना पड़ेगी। उससे ग्रापको लाखों रुपयों का फायदा है ग्रौर नहीं देते हैं तो नुकसान की बात है। यह ग्रापके देखने की बात है। मकराने की स्कीम्स से ग्रापको लाखों रुपयों का फायदा हो जाता है, लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पडता है कि उसका ग्रापने पूरा विद्युतीकरण नहीं किया जिससे नुकसान हो रहा है, ग्रौर सैंकडों एप्लीकेशन्स ग्राज विद्युतीकरण के लिये ग्रापके पास पडी हुई है। उनसे पैसा ले लिया मगर किसी को कनेक्शन नहीं देते हैं, खास तौर से फैक्ट्री ग्रोनर्स को, यहां तक कि दो-दो हजार रुपया ग्रगाऊ ले लिया मगर उन्हें कनेक्शन्स नहीं दिये जा रहे हैं। यह एक दुर्भाग्य की बात है। ग्राप यह पता लगायें कि उनकी एप्लीकेशन्स कितने सालों से पडी हुई हैं ग्रौर किन किन व्यक्तियों की पैंडिग पडी हुई हैं ग्रौर किन कारणों से पैंडिग पडी हुई है, तो ग्रापको मालूम हो जायगा कि उसमें केवल भ्रष्टाचार की बू ग्राती है ग्रौर कोई बात नहीं है।

उसके ग्रलावा ए. ई. एन. या जे. ई. एन. जो भी व्यक्ति किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के ग्रारोप में फंस जाता है तो उनको चाहिये कि वे किसी भी लेवल के किसी भी व्यक्ति के रिश्तेदार हों, ग्रापको उसकी हिमायत कभी नहीं करना चाहिये। जब तक इस चीज को नहीं करना चाहिये। जब तक इस चीज को नहीं करेंगे तब तक हम ग्रपने प्रांत ग्रौर देश की भलाई नहीं कर पायेंगे। यह जो समाजवाद का नारा है वह दिखावे का नारा है। यह लोगों को भ्रम में डालने का नारा है। यह इलेक्शन टेक्टिक्स है यह कह देते हैं कि हम ग्रापके लिये यह कर देंगे, वह कर देंगे, ताकि उनको किसी प्रकार से कान्फीडेंस में लेकर वह करा लें।

उसके ग्रलावा मैं ग्रापका ज्यादा समय नहीं लेते हुए यह कहना चाहूंगा कि यहां बोलने वालों ने कहा कि लाइन हमारे गांव से एक मील पर है वहां पर कर दी जाय तो फिर उसके ग्रागे एक मंजिल पर कोई बैठा होगा। तो यह एक मील का रेंज जो है वह कभी खत्म नहीं हो सकता है। यह तो एक जनरल डिफिकल्टी है। यह तो ग्राप इसमें हिसाब से टेक ग्राउट करेंगे डिस्ट्रिक्टवाइज कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करना चाहते हैं उससे होगा। हमारी सबसे पहले मांग मंत्रीजी से यही है कि ग्राप डिस्ट्रिक्टवाईज डेवलप करें। न तो एरिया के चक्कर में पडें ग्रौर न किसी इन्फ्लूयेंस के ग्रन्दर पडें। राजस्थान को देखते हुए उसके हिसाब से विद्युतीकरण करें, ताकि ग्रापको किसी प्रकार की शिकायत न रहे।

मैं एक चीज ग्रौर निवेदन करना चाहता हूं। वह यह है कि बिजली विभाग के कर्मचारी जो कि खास तौर से छोटे छोटे गांवों के ग्रन्दर हैं, वह एक तो सिनेमा वालों को बहुत तंग करते हैं। वह खुद पास लेना चाहते हैं।

श्री **रामकिशन** : ये गांवों के अन्दर सिनेमा कहां से आ गये हैं ?

श्री **विजयसिंह** : हमारे यहां दो सिनेमा हैं ।

एक माननीय सदस्य : वह तो गांव है ।

श्री **विजयसिंह** : आप को पता नहीं, आर. एस. ई. बी. का क्या मतलब है ? कुछ पता तो है नहीं । मैंढक की तरह बीच में फुदकने लगे ।

तो, वह सिनेमा हाउस वालों को तंग करते हैं । ऐसे व्यक्तियों को वहां नहीं रखना चाहिये । आप को यह ध्यान रखना पड़ेगा । यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो औद्योगिक नगर हैं, उनकी बिजली कई घण्टे तक बन्द नहीं रहे । सुबह फैक्ट्रीज स्टार्ट हो जाती हैं । अगर दिन में बिजली बार बार बन्द हो जाती है तो फैक्टरीज को नुकसान होता है । आप करप्शन को रोकें । और रुके हुये काम को आगे बढ़ायें ।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, प्वाइण्ट यह है कि साढ़े 8 बजने आये हैं । मंत्री महोदय का उत्तर होना है । वाच एण्ड वार्ड यहां पर हैं । स्टाफ और अन्य सभी लोग यहां पर हैं । आप यह देख लेंगे । बोलना 5–5 मिनट हो जाये ।

श्री **हीरा भाई** : सभापति महोदय · · ·

श्री **सभापति** : आप का भाषण 10 मिनट में हो नहीं सकता है ।

अनेक माननीय सदस्य : सभापति महोदय · · · · · · · ·

श्री **सभापति** : श्री शंकरसिंह जी । 5 मिनट ।

श्री **बिरदाराम** : सभापति महोदय · · ·

श्री **सभापति** : बिरदाराम जी, आप 5 मिनट तक बैठने की ही बात नहीं सुनेंगे ।

एक माननीय सदस्य : ये बोले नहीं हैं ।

श्री **सभापति** : मुझे पता नहीं है । श्री शंकरसिंह ।

श्री **शंकरसिंह रावत** (नसीराबाद) : सभापति महोदय, इस सदन में · · · · · ·

श्री **सभापति** : भूमिका में जाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री **शंकरसिंह रावत** : आज विकास के लिये विद्युत् की आवश्यकता है । सभी उस पर जोर दे रहे हैं । और यह वाजिब भी है । कई कठिनाइयां आ रही हैं ।

श्री **विजयसिंह** : कठिनाई कांग्रेस के एम. एल. एज. की वजह से आती है । आप लोग ही जा जाकर बोलते हैं ।

श्री **शंकरसिंह रावत** : यह सब जानते हैं ।

आज यह कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जायेगी । लेकिन कई जगह आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो मैं मानता हूं, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से देखें तो सरकार में जो जो व्यक्ति हैं वे अपने प्रचार को आज कितना पूरा कर सके हैं । आज का कार्य कल पूरा हो सकता है, उसकी भी कठिनाई है । आज का कार्यकर्त्ता कल प्रतिनिधि हो सकता है। आप अपने स्वार्थों को कितना ग्रोबलाइज कर

(श्री शंकरसिंह रावत)

सकते हैं। मेरे क्षेत्र में जेठाना गांव है। वहां 20 आदमी विद्युत् लेने के लिये तैयार हैं। उनका सर्वे हुआ। असेसमेण्ट हुआ। वह मिनिमम गौरण्टी देने के लिये तैयार हैं। उसके बाद भी उनको बिजली क्यों नहीं दी जा रही है? दुर्भाग्य यह है कि कुछ व्यक्तियों को 3 मील तक बिजली दी जाये, जब कि दूसरे जो नजदीक हैं, उनको दी ही नहीं जाये।

श्री विजयसिंह : वह कौन से व्यक्ति हैं?

श्री शंकरसिंह रावत : यह तो आपको अलग से बता सकता हूं। क्योंकि अभी उचित नहीं है।

तो, सभापति महोदय, 12 आदमियों ने एस्टीमेट दिये हैं। आज काश्तकार की हालत इतनी अच्छी नहीं है। किसी कारण से 5 आदमियों को धनराशि नहीं मिली तो 5 आदमियों ने इनकार कर दिया तो 7 आदमियों को क्यों नहीं दी जाये। नसीराबाद के पास देराठू गांव है, वहां के एक आदमी को नहीं दी है। जब हम मिलते हैं तो कहते हैं कि चीफ इन्जीनियर के पास रिपोर्ट होनी चाहिये। मैंने सांपला गांव के लिये पूछा, किस कारण से रिजेक्ट की है, वह भी नहीं बता सकते हैं। वास्तव में गांवों में पहले जितनी पुलिस और पटवारियों से परेशानी थी, उससे ज्यादा आज विद्युत् वालों से परेशानी है। जैसा कि विजयसिंह जी ने कहा है कि ये छोटे लोग ज्यादा बदमाशी करते हैं। बल्ब निकाल लेते हैं। छोटे व्यक्तियों को तटस्थ रहना चाहिये। अगर किसी काश्तकार का दो दिन कुआं बन्द रहता है तो प्रगति रुकती है। ये छोटे आदमी बदमाशी करते हैं। तो अधिकारियों को देखने की आवश्यकता है। मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं। क्योंकि यह सब लोग जानते हैं। क्योंकि उनका नाम अधिकारी है। आधा काम करते हैं, बाकी पैसा लेते हैं। मेरा विद्युत मंत्री महोदय से निवेदन है कि राजनैतिक दृष्टि से कोई भी हो लेकिन भौगोलिक दृष्टि से जो उपयोगी हो उसको दी जानी चाहिये। जो लोग उधर बैठने वाले हैं, या इधर बैठने वाले हैं, अगर राजनैतिक दृष्टि से बिजली देते हैं तो यह उचित नहीं है। प्रोडक्शन कमेटी में रखा नहीं जाता है। प्रोडक्शन कमेटी में जाएगा और उसकी सिफारिश से करेंगे तो ज्यादा उत्पादन होगा। देश को उत्पादन से वंचित नहीं रखें। सिर्फ इतना ही सुझाव है कि जो विद्युत् का प्रश्न है उसमें लोगों की कठिनाइयां हो सकती हैं, बोर्ड की कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से, देश के अन्दर उत्पादन की दृष्टि से यहां पर पानी हो, जैसे कि नदियों के किनारे पर बहुत पानी है वहां तो विद्युत् जाती नहीं है, लेकिन जहां सूखे कुए पड़े हैं वहां पर लाइन है। इसको कहते हैं कि सिस्टम है? जहां पर चार चार कुए हैं वहां पर आप कुओं के लिये दे रहे हैं। आपने यह कर दिया कि यदि पांच हार्स पावर बिजली लगायेंगे तो पांच खम्भे मिल जायेंगे, सात हार्स पावर होगी तो सात मिल जायेंगे। यह मिनिमम गारन्टी भी बन्द हो गई। यह देखिये, और देखने की कोशिश करिये कि जितने हार्स पावर हैं उतने खम्भे बढ़ा देंगे। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि यह काश्तकारों के हित में है, उत्पादन के हित में है। इसलिये मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें, कहीं ऐसा न हो जाय कि

(श्री शंकरसिंह रावत)

यह विद्युत् दूसरी जगह न चली जाय, वैसे हमें देश के उत्पादन के लिये काम करना है और देश के हित में काम करना है। मुझे यह निवेदन करना है कि काश्तकारों के लिये बिजली की लाइन गई, वह ऐसे समय पर गई जिस समय पर अकाल था, लेकिन आज भी वसूली की जा रही है और यदि किसी में पन्द्रह हजार है तो पांच हजार में फाइल गुम जाती है। मैं इसमें अधिक नहीं जाना चाहता कि यह कहां तक सही है, कहां तक नहीं। लेकिन काश्तकारों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिये विद्युत् मण्डल को ध्यान देना चाहिये क्योंकि मंत्री तो हर जगह जा नहीं सकता है, सरकार केवल प्रशासन पर टिकी हुई है, इसलिये उसको ध्यान देना चाहिये और छोटे छोटे लोगों का जो हेरेसमेंट किया जा रहा है, उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिये। बस मेरा यही निवेदन है।

श्री **सभापति** : श्री आलम अली ! कितना समय लेंगे ? दो मिनिट !

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : मैं जनरल स्पीच के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन मैंने जो एडजोर्नमेंट मोशन दिया था, उस पर बोलना चाहता हूं।

श्री **सभापति** : मुझे समय देने में क्या आपत्ति है, लेकिन पार्टी लीडर नहीं बोले हैं।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : एडजोर्नमेंट मोशन पर बोलने दिया जाय।

श्री **सभापति** : बाद में बोल लें, वह ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद !

श्री **आलम अली खां** (फतेहपुर) : सभापति जी, वीं ओर बैठने वाला माननीय सदस्य है और ई ओर बैठने वाला सदस्य है सबकी बात सुणी। साढ़े चार साल हो गया बात सुनता हुआ। भ्रष्टाचार की बात करे है, मैं तो कहणों चाहूं, भ्रष्टाचार री बात क्यों कहो हो, मैं आपने यह बात बताऊं कि कोई भ्रष्टाचार सूं बाकी है, कोई महकमो बाकी है, कोई अदालत बाकी है, या कोई बाकी है जठे लेनो देनो नहीं होतो होवे। यह शर्म की बात है। देश भक्ति की बात करण वाला ने शर्म कोनी आवे। अठे जो आफिसर बैठ्या है वो कोई अमेरिका सूं, ब्रिटेन सूं नहीं आया है, आफिसर ई देश का ही है। याने मैं बिजनैसमैन भी नहीं कह सकूं क्योंकि बिजनसमैन होवे तो एक पीसा की भी कमी बनिया ने आ जावे तो दस रुपया रो तेल जला देवे है एक पीसा के वास्ते। अठे करोड़ों रुपया की खराबी होगी है, मुल्क भले ही डूब जावे, याने परवाह कोनी। सभापति जी, आफिसरां ने कहूं तो वह कैवे मिनिस्टर जाने, मिनिस्टर ने कहूं तो वो कैवे आफिसर जाने। म्हारो निवेदन है, सुनवाई करण वालो कुण है ? जनता रो ध्यान रखण वालो कुण है ?

श्री **विजय सिंह** : यां की माया ये ही जाने।

श्री **आलम अली खां** : मैं एक बात कहूं हूं। देश भक्ति को झूंठो नाम नहीं लेनो चाहिये, या में एक भी देश भक्त कोनी। अगर है, तो खड़ो होर कह दे कि मैं देश भक्त हूं। देश भक्त होवे तो या स्थिति किस्यांण बर्दाश्त कर सके है · · · · · · · ·

श्री **विरदा राम** : देश भक्ति के वास्ते बोलते हो · · · · · · · ·

श्री विजयसिंह : देश भक्त की माला कठे है 108 मुक्ता की ?

श्री आलम अली खां : एक बात कहूं, ऑफिसर की वात हो रही है, कि आई. जी. पी. सूं थानेदार तक सबने छूट है, सब बंगला बना लिया । तो थे साहूकार कठे सूं आ गया ? मिनिस्टर साहूकार नहीं हैं । थे साहूकार हो, आज पब्लिक में भी भ्रष्टाचार फैल गयो है । अब कुण सम्भाले । खुद अपनी ओर नहीं देखें तो दूसरा ने कैसे कह सके कि थे भ्रष्टाचार दूर करो । मैं तो एक ही बात जानूं हूं, देश भक्त कभी भी हेर फेर की बात नहीं करे है, देश भक्त ने तो फांसी के तख्ता पर भी लटकनो पड़े तो बीं के मुंह पर सिकन नहीं आवे है । ईं वास्ते मैं कहूं, थे आज मिनिस्टर बन्या हो, म्हे राजा महाराजा ने खत्म होता देख लिया, थां सूं पहले जो मिनिस्टर हा वाने खत्म होता देख लिया तो थांकी कांई वात है । झूंठ वातां कर, समाजवाद की वातां कर जनता ने कव तक धोखो देओला । पब्लिक आपके धोखे में नहीं आवेगी । समाजवाद लानो चाहो हो तो पूंजीपति थांके बीच इक्कठे सूं आ गया । आज आप लाल फीताशाही को नाम लेओ हो । काम तो थांके और ऑफिसर के बीच में चाले है, मैं आपने कहूं हूं कि सब जगह धोखो लागे है । एक दूसरा ही केवल शिकायत करे है । एम. एल. ए. भी जनता ने धोखो दियो है, वोट लेने के वास्ते जनता से झूंठ बोले है तो एम. एल. ए. किसी सच्चा हो सके है । मैं देखूं हूं, म्हारी कान्स्टीट्यूएन्सी में गांवां में खम्वा पड्या हुआ है, लोगां की एप्लीकेशन पड़ी है । बोर्ड ने दो हजार रुपया दे देवे तो कनेक्शन दे दे, यह वात सही है । लेकिन आज काश्तकार कुआ पर बैठ बिजली की राह देख रह्यो है यह कितना दिन चालेगो । यह कितना दिन चलाणो चाहो है । माननीय सभापति जी, माननीय मिनिस्टर ने कहूं कि थे झूंठा आश्वासन देओ हो, थे आफिसरां सूं डरो हो । थे क्यों डरो हो, सही तरीका सूं काम चलाओ नहीं तो सारे बोर्ड को बेडो गरक हो जावेगो । थाने डर क्यू लागे है ? थाने डर लागे क्योंकि थे गड़बड़ी घोटालो करो हो । ईं शब्दों के साथ कहूं कि भ्रष्चाटार खत्म नहीं होगा डिपार्टमेंट सूं तो बिजनेस करण वाला आगे वढ़ेला, और देश में राजनीति जिसी चीज नहीं रहेली, प्रशासन नाम की चीज नहीं रली ।

दमड़ी यार किसका
कि दम लगा के खिसका ।

ईं तरह की वात है । यह कह कर मैं अपनी वात खत्म करूं हूं ।

श्री सभापति : श्री बिरदाराम ।

श्री बिरदाराम (जालोर) : सभापति महोदय, आज सदन में बिजली विभाग पर बहस हो रही है । इसमें मैं जालोर के बारे में जो कि मेरा क्षेत्र है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ । सभापति जी जालोर जिला एक ऐसा जिला है जहां पर हर साल अकाल पड़ता रहता है । ऐसे भी वहां अकाल है और वर्षा नहीं होने के कारण पानी कुओं में बहुत ही नीचे चला गया है इसलिये वहां के काश्तकारों को पानी नहीं होने से खेती को वे सींच नहीं सकते हैं और खेती कम होती है । अगर वो कुओं में मशीन लगाये तो वो सभापति महोदय बहुत ही मंहगी पड़ती है एक मशीन पर करीब तीस हजार रुपया से लेकर 40 हजार रुपये बैठ जाते तो वह हर गरीब किसान तो करवा नहीं सकता इसलिये काश्तकार

(श्री बिरदाराम)

अगर मशीन नहीं लगाकर अगर वहां बिजली कुओं में खेती के लिये लगादें तो मेरा ऐसा कहना है सभापति जी कि काश्तकारों को काफी जालोर के जो हैं उन्हें राहत मिलेगी। वो आपको ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करके दे सकते हैं।

श्री **बिजय सिंह** : बिजली देना इनके हाथ में नहीं है।

श्री **बिरदाराम** : मैं तो सभापति जी के मारफत राज्य सरकार को कहना चाहता हूँ और यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उदयपुर से सिरोही जो बिजली जाय वो जालोर जिले में भीनमाल होती जाय और जालोर जिले में पूरी बिजली दी जाय। खास तौर गुढा मालानी, से बाडमेर और सायला से सेथू तक बिजली जानी चाहिये।

श्री **सभापति** : हो जायगा। और कुछ।

श्री **बिरदाराम** : और सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मंत्री महोदय को आपके मारफत कि अगर जालोर जिले में बिजली काश्तकारों को मिल गई तो बहुत अनाज पैदा होगा क्योंकि जालोर एक ऐसी जगह है जहां अगर बिजली काश्तकारों को दे दी जावे तो वहां साल में तीन बार फसल हो सकती है, और किसानों को खर्चा भी कम पडेगा। और बिजली में सिर्फ पांच हजार नहीं लग कर एक हजार रुपये तक में काम हो सकता है। और इस प्रकार काश्तकार को चार हजार रुपये की बचत हो सकती है। बस मुझे यही कहना है कि जालोर जिले में बिजली ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को जल्दी से जल्दी दी जाय। जैसा कि मैंने कहा है कि बिजली जालोर जिले में साइला से सोथू होकर जाय और बाडमेर तक बिजली बीच के गांवों होनी चाहिये ताकि गुड़ा मालानी वगैराह में बिजली चली जाय। वहां जालोर जिले में बिजली आजाने से वहां का काश्तकार आपको इतना अनाज पैदा कर के देगा कि आपको बाहर से अनाज मंगाने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं आपको बतादूं सभापति जी महोदय कि वहां की मिट्टी बहुत अच्छी है। वहां पर सभी तरह की मिट्टी है रेगिस्तानी है, पहाडी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है। अगर वहां पर बिजली लग जावे तो काश्तकार काफी अनाज पैदा करके दे सकता है और जालोर जिले में इतना अनाज पैदा हो सकता है कि राजस्थान में गंगानगर से दूसरे नम्बर में आ सकता है। इसलिये मेरा कहना यह है कि जालोर जिले मे जिले के गांवों में बिजली ज्यादा से ज्यादा दी जाय। बस इतना ही कहना है।

श्री **सभापति** : श्री रामानन्द अग्रवाल आप कुछ अपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में कुछ कहना चाहते थे।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : सभापति महोदय, बिजली वर्कर्स फैडरेशन की तरफ से 24 सूत्री मांग-पत्र राज्य सरकार को दिया हुआ है उस संबंध में अभी यहां बिजली विभाग के लोग 9 तारीख से इस फैडरेशन के 11 तारीख से भूख हडताल पर बैठे हुए हैं मैं आपके मारफत इनकी मुख्य मांगों की बात को राज्य सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार उनकी समस्याओं को हल करने में इतनी देर क्यों कर रही है? सबसे और मुख्य प्रश्न यह है कि जब भारत सरकार की तरफ से बना हुआ वेज बोर्ड ने अपनी रिकमन्डेशन दे दी है और भारत सरकार मान चुकी है और केन्द्रीय सरकार के आदेश है कि बिजली घरों में काम

(श्री रामानंद अग्रवाल)

करने वाले कर्मचारियों पर वेतन-मण्डल की सिफारिशों को सन् 66 से मुकर्रर किया है उसकी रिपोर्ट 1968 में आगयी और वो विद्युत मण्डल में 1-4-69 से लागू हो जानी चाहिये थी। भारत सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया और यहां पर अपने राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी वोर्ड ने भी उसे स्वीकार कर लिया है और जब बोर्ड ने उसे स्वीकारकर लिया तो उनकी सिफारिशों के अनुसार पेमेन्ट क्यों नहीं हुआ। सभापति महोदय, वेज वोर्ड की जो सिफारिश है उसके अनुसार छोटे से छोटे कर्मचारी को, कम से कम 144 रुपया मंहगाई भत्ता और उसकी बेसिक पे मिलनी चाहिये और ऐसी सिफारिश है कि इसके अलावा 15 रुपये उसे मकान किराया मिलना चाहिये अगर वो कर्मचारी जयपुर में हो तो और जयपुर के वाहर हों तो उसे 8 रुपया मिलना चाहिये मकान किराया प्रति माह मिलना चाहिये। ये 1-4-69 से मिल जाना चाहिये लेकिन वह अभी तक लागू नहीं किया गया है इस समय मेरी जानकारी के अनुसार उन्हें 60-71 और इस प्रकार 131 रुपये मिल रहे है और मिलना चाहिये इससे अधिक और मकान किराया तो विल्कुल नहीं मिलता एक एक कर्मचारी को हिसाब से आज करीब ढाई साल का ऐरियर हो जाता है और 1-4-69 से 1-11-71 तक करीव तीस महीने प्रति व्यक्ति 270 रुपये हो गये हैं। मकान किराया कर्मचारियों को तीस रुपये महीने के हिसाव से 450 रुपये हो गये है और जो लोग जयपुर के वाहर हैं उनके भी 240 रुपये हो गये। आप जानते हैं, सभापति महोदय, कि एक मजदूर के लिये ये रकम कितनी वकत रखती है। इन्हीं मांगों को लेकर लोग भूख हडताल पर बैठे हुए हैं। इतने ड्यूज बाकी हो गये हैं। पिछली वार भी लोग फैडरेशन के भूख हड-ताल पर बैठे थे तो मेरी और चेयरमन से लिखा पढी हुई और वाद में चेयरमैन ने मुझे चिट्ठी लिखी कि उसे फरवरी 71 से लागू कर दिया गया है। पर पेमेन्ट जो होना था वह अभी तक नहीं हुआ है। सारे का सारा ढाई वर्ष का ड्यू पडा हुआ है।

इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण सिफारिश और वेतन मण्डल की तरफ से हुई जिससे मंहगाई भत्ता भी वढा है। वह आल इण्डिया कन्ज्यूमर्स इन्डेक्स के आधार पर उसे भी वारह महीने हो गये नहीं मिला है जो कि मिलना चाहिये। वो भी 1-4-70 से 1-4-71 तक दो दफा मूल्य सूचांक के हिसाब से मंहगाई भत्ता 5 पाइंट वढने से ड्यू हो गया मेरी जानकारी के अनुसार वह भी 171 से 176 होगया। उसके हिसाब से भी पौने चार रुपये प्रति व्यक्ति बढा और हर मजदूर को जो मिलना चाहिये था वह नहीं मिली। दूसरा उसी वर्ष में 1-4-71 से 8 पाइन्ट वढा वह 176 का 184 होगया इस प्रकार 1-11-71 को 9–5 कुल मिलाकर 14 रुपये हो गये, और हिसाब के अनुसार साढे दस रुपये मिलने चाहिये तो इस प्रकार एक मजदूर को 45 प्लस 177 रुपये यानी 222 रुपये प्रति मजदूर मिलना चाहिये था वह अभी तक नहीं मिला जो कि आज तक पेमेन्ट हो जाना चाहिये था। सभापति महोदय, इस तरीके से अभी अभी जयपुर के मजदूरों को मंहगाई भत्ता या मिनिमम वेज इस हिसाव से 142 रुपया और वाहर वालों को 132 रुपया मिल जाना चाहिये जिसको अव तक इस वोर्ड ने नहीं दिया है जिसके लिये यह संघर्ष चल रहा है।

सभापति महोदय, यह निवेदन है कि जव इस फैडरेशन की मांग पर और फरवरी में

Page No 180

(श्री रामानन्द अग्रवाल

वेतन मण्डल की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम वेतन पे करने की बात मानली थी उसको न करके कुछ लोगों के प्रेसर से या किसी तरह केवल एडहाक बेसिस पर मजदूरों को 600 रुपया 250 रुपया और 150 रुपये के हिसाब से एडहाक पेमेन्ट किया, ज्यादातर 250 रुपया जयपुर को मिला। 1-4 से जो टेम्परेरी चल रहे थे वे इसमें फिक्स होने चाहिये थे उसको भी पहले निकाल रहे थे राणावत पे कमीशन का हुआ उसके अनुसार भी कर रहे थे यह जो एडहाक पेमेन्ट किया है उसमें यह लिख दिया है कि सारे रिट्रोस्पेक्टिव पेमेन्ट होने थे उसके अगेंस्ट में यह कर रहे हैं। वेज बोर्ड का पेमेन्ट इन दोनों के नाम पर जोड दिया। मंत्री जी से कहूंगा कि इसको आप वर्क आउट करवा लें कि जो फिक्सेशन हुआ उसमें मजदूरों को मिलेंगे 600 रुपया 250 रुपया और 150 रुपया। जब आपका बोर्ड तैयार था मैं यह कहूंगा कि चेयरमैन हैड एग्रीड इट आल दैट इट विल बी पेड फराम नेक्स्ट मंथ, यह सारी गडबड चेयरमैन या आर. एस. ई. बी. के बोर्ड के लेवल पर नहीं होगयी किन्तु भूतपूर्व मुख्य मंत्री मोहनलाल सुखाडिया ने टेलिफोन करके रुकवा दिया, कुछ इंटक के नेताओं के कहने पर। इसलिये मंत्रीजी से कहूंगा कि पब्लिक सेक्टर में जो नीति चल रही है, जो प्राइवेट सैक्टर में चल रही है कि मजदूरों के संगठन की आपसी राइवलरी का फायदा उठा कर उनको अलग अलग रख कर उनको कुछ अपने हितों से वंचित करना, मंत्री जी से कहूंगा कि इस पालिसी से बाई पास करके, मजदूरों को आपस में लडाना उनके चन्द लोगों को आपस में लडाना और उसी समस्या को उनके सामने उलझाना, फण्डामेंटली आप करना चाहते हैं तो इस नीति को बदलिये। यदि आप सही तरीके से इसमें एप्रोच करेंगे तो यह समस्या हल हो सकेगी। इस तरीके से करके केवल यह बात कहने के लिये कि इंटक के नेताओं के कहने से यह मिला है इंटक के कहने से दे दिया, जो कि आप दवा बैठे थे, अगेंस्ट में किया है तो वापिस कटौती और वसूली करना क्यों शुरू कर दिया है? मेरा निवेदन है कि आप कानून की, भारत सरकार का आपने खुद का निर्णय लिया हुआ है उसको अवहेलना कर रहे हो, इस बिना पर मजदूर यूनियनों को आपस में लडा रहे हो और अपने इन्टरेस्ट में फैसला नहीं होने देते हैं और जो उनके जायज अधिकार हैं उन पर कुठाराघात कर रहे हैं। आप कहते हैं कि बात करेंगे मैं कहता हूं कि 140 वाली में कौनसी बात है। इसमें न 139 हो सकते हैं और न ही 141 की जरूरत है। कौन से नेगोलियेशन्स की आवश्यकता है? आपको एकदम पेमेन्ट करना चाहिये। मजदूर पेमेन्ट आफ वेजेज एक्ट के अन्तर्गत दावा नहीं कर सकते हैं, उनकी ताकत नहीं है, आप भी क्या महसूस नहीं करते हैं कि एक्ट में प्रोवाइड है आपके ऊपर दावा होने पर डिग्री हो सकती है और चेयरमैन की टेबल पर कुर्की लेकर जाये यह शोभा देगा? उनके हकों पर कुठाराघात कर रहे हैं यह सही नहीं है। जिन मजदूरों ने इस्तीफा दे दिया या जिनको किसी तरह से हटा दिया गया उनको दस साल की सर्विस से ज्यादा है तो उस सर्विस पर उनको एक महीना और 20 दिन की ग्रेचूएटी मिलनी चाहिये और कम सर्विस है तो कम। आप उनके हकों को मार रहे हैं। उनके अनजानेपन और मजबूरी के कारण हक मार रहे हैं। आप उनके बाल बच्चों को महरूम रख रहे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं। कम से कम कैजुवल लेवर को 3।।) रुपये से कम नहीं मिलेगा। दिसम्बर में यह हुआ। अब 1 जनवरी 71 को निकाला। यह चीज लागू हो गई 1-4-69 से। 1-4-71 से जितने कैजुअल लेवर रखे हैं 3।।) रुपये पाने का उनका हक था। आपने उस हक को भी मारा और उनको दो रुपया, ढाई रुपया पर रखा। उसको पता नहीं। आपने हजारों लोगों को रखा होगा और उनको एक एक रुपया रोज कम दिया कानून आने के वाद। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हुं कि पहला क्वेश्चन यह है कि भूख हड़ताल चल रही है। फिक्सेशन और कैटेगराईजेशन का प्रश्न है वह नीगोशयेवल बात है। और दोनों फैडरेशन्स से वात करनी पडेगी, वरना आप इम्प्लीट ेनहीं कर सकेंगे। और भी जितने फैसले हुए हैं वेज बोर्ड के तहत, उन सभी संस्थानों के यूनियन के लोगों को बुलावें। इन्टक और एटक हैं दोनों से आप बात करें। और कैटेगोराइजेशन के प्रश्न को हल करें।

अगर नहीं किया और उन मजदूरों की असहमति से इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो लाजिमी तौर से जो फैडरेशन रिप्रजेन्टेड नहीं है उन पर लागू करने में मुश्किल होगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सीरियस क्वेश्चन है। एक एक मजदूर के लिये एक एक हजार का सवाल है। इसको आप नजर अन्दाज करके नहीं चल सकेंगे वरना नतीजा लाजिमी तौर पर भयंकर होगा। मजदूर नहीं चाहते कि इमरजेंसी में आज के समय किसी तरह की स्थिति पैदा हो। पर नाजायज फायदा उठाकर अगर कोई चलना चाहे तो मजबूरी होगी।

वोनस का सवाल है। सब जानते हैं कि केन्द्रीय श्रम मंत्री खाडिलकर ने घोषणा की थी कि जो अभी तक मिनिमम चार परसेंट दिया जाता रहा है, यह एक साल में जो कमाते हैं, उसका चार परसेंट है। यह कानून है। उन्होंने माना कि यह बढाया जाना चाहिये। एक मजदूर को साल भर में एक महीने की तनखा और मिलनी चाहिये जो आठ सही एक वटे तीन परसेंट होती है। हमने कहा कि इसे आप पब्लिक सैक्टर में कायम करके मिसाल तो कायम करो। राजस्थान में एग्रीकल्चर इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन ने लागू करके अपने मजदूर को और कर्मचारियों को सवा आठ परसेन्ट मिनिमम बांट दिया है। पर यह विद्युत वोर्ड चार ही दे रहा है। 4।। और मिलना चाहिये।

यह सही है कि वोनस एक्ट में अमेन्डमेन्ट अभी नहीं हुआ है इस तरह से, पर केन्द्र में आपकी सरकार है। तीनों पार्टियों से मिल कर इसका हल निकाला जावे। जबकि प्रिन्सिपली आपके मिनिस्टर एग्री करते हैं तो आपको तो लागू करना चाहिये। राजस्थान में आपके सिस्टर कन्सर्न हैं। जब आप ही लागू नहीं करेंगे तो प्राइवेट सैक्टर वालों से कैसे आशा की जा सकती है।

आपका परमानेंट स्टाफ जो था और जो टेम्परेरी वर्क चार्ज पर है उनके लिये रूल्स फिक्सेशन के आपने बनाये वे ठीक नहीं हैं। मान लीजिये आपका वर्कमैन सन् 52 में लगा है। 58 में वह हेल्पर फर्स्ट से लाइनमैन सेकण्ड वन जाता है। पर जो 60-62 में या 63 म. टेम्परेरी लगा वह उससे भी आगे जाकर लाइनमैन फर्स्ट वन जाता है। यह फण्डामेंटल प्रिंसिपल प्रोमोशन या रिक्रुटमेंट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

का है उसके खिलाफ है। जैसा बातचीत में आपने स्वीकार भी किया है। पर लागू नहीं किया जा रहा है। यह गलत है। आप इसको मानकर भी इन्कार कर रहे हैं। एक साल से यह बात चल रही है। बार बार कह रहे हैं पर अभी तक उसका हल आप नहीं निकाल पाये हैं।

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री **सभापति** : एक एक पोइन्ट पर इस तरह से दस दस मिनिट बोलेंगे तो बाद में रिप्लाई के लिये समय ही नहीं बचेगा।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : मैं संक्षेप में कह दूंगा। अब जो एग्रीमेंट किया, एडजस्टमेंट प्रोमोशन आदि का जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है यूनियन के आदमी उसमें रक्खें। सरकार ने इसको पहले स्वीकार किया। आपके लेबर विभाग ने स्वीकार किया। कहा कि यह गलत है। इसके बावजूद वह जारी है। एग्रीमेंट की मियाद पूरी हो गई। पर अभी भी काम जारी है। जो बिल्कुल इल्लीगल है। इसको बन्द करना चाहिये। उनकी 24 मांगें हैं। समय नहीं है। आज 9 तारीख की 15 तारीख हो गई है। 6 दिन निकल गये। अभी तक बुलाकर प्रतिनिधियों से बातचीत तक नहीं की है। यह दृष्टिकोण दुरुस्त नहीं है कि आप प्रतिनिधियों से बात भी नहीं करें, हल निकालने की कोशिश न करें। नेचुरली मामला बढ़ेगा। अनावश्यक तौर से पीस डिस्टर्ब होगी जिसको हम भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मामला नहीं बढ़े पर लोगों को हक मिले यह भी जरूरी है।

आप जब मिनिस्टर नहीं थे तब बहुत कहते थे कि यह होना चाहिये तो उन बातों को याद करके इसे लागू करने की कोशिश करें। यह फण्डामेंटल मामला है। पुराना एग्रीमेंट अननेचुरल है। आप इनको जारी रखना चाहते हैं या नई पालिसी अपनाना चाहते हैं।

72-73 का बजट नहीं बना है। आपको मोका मिला है जुलाई से। पालिसी में अभी तक चेन्ज नहीं कर पाये हैं। आप अपनी नई पालिसी अनाउन्स करेंगे तो खुशी होगी। ताकि जो नीचे दबा हुआ वर्ग है वह उठे। इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाडमेर) : सभापति महोदय, 71-72 का बजट विद्युत् मन्त्री जी ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसके बारे में मैं अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा।

मैं यह बात सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो बोर्ड का गठन है उसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से यह निर्णय लिया गया था। दो वर्कर्स जो एम्प्लाइज हैं उनको बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में लिया जाय। अभी तक किसी भी वर्कर्स को डायरेक्टर्स में नहीं लिया गया है तो उसके बारे में मैं यह चाहता हूं कि विद्युत् मंत्री जी इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। क्या वे इलेक्शन कर रहे हैं? कितने मेम्बर्स ले रहे हैं? इसके बारे में जो कुछ भी निर्णय गवर्नमेन्ट लेने जा रही है वह सदन के सामने रखे। दूसरा मसला यह है कि सदन में जितने भी भाषण हुए हैं मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि विद्युत बोर्ड ने और उससे पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया,

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

कोई योजना बद्ध कार्य नहीं किया इसलिये डिफीकल्टीज आ रहीं हैं । पहले नहीं बनाया जो त्रुटि हुई सो हुई, लेकिन अब यह गलती नहीं होनी चाहिये । मेरा यह मत है कि विद्युत् मंत्री जी और विद्युत् बोर्ड मास्टर प्लान बनायें । मास्टर प्लान बनाने के लिये पंचायत समिति की राय लें, जिला परिषद् की राय लें, डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन कमेटी की राय लें परन्तु मास्टर प्लान बनाना चाहिये और मास्टर प्लान बनाया जाय तभी योजनाबद्ध कार्य किया जाय । इसके लिये भी गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिये ।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह मेरे जिले के सम्बन्ध में है। बाडमेर, जैसलमेर दोनों सीमावर्ती जिले हैं । अभी सारे राजस्थान का क्या सारे हिन्दुस्तान का ध्यान बाडमेर, जैसलमेर जिले की ओर जा रहा है क्योंकि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है परन्तु विद्युत् की दृष्टि से देखें और मैंने प्रश्न भी पूछा ये दोनों जिले सबसे पिछडे जिले हैं ।

श्री सभापति : ब्लेक आउट में सहूलियत रहेगी।

श्री वृद्धिचन्द जैन : ब्लेक आउट में सहूलियत रहेगी लेकिन हमारे फौजी भाइयों का मनोबल कैसे ऊंचा होगा । बाड़मेर जिले में 822 गांव जिसमें से केवल 30 गांव इलेक्ट्रिफाइड हैं, जैसलमेर जिले में 485 गांव हैं जिसमें 3 गांव इलेक्ट्रिफाइड हैं । इसका परसंटेज 0.7 आता है जब कि अजमेर में 12.31, झुंझुनू में 21.9 इसी प्रकार जयपुर है-सभी जिलों में विद्युत् की दृष्टि से-ग्राम विद्युतीकरण की दृष्टि से आगे बढ़ा हुआ है ।

श्री सभापति : मेक्सिमम कौनसा डिस्ट्रिक्ट है ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : मेक्सिमम झुंझुनू है जिसमें 21.9 प्रतिशत है।

श्री सभापति : एण्ड जैसलमेर ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : 0.6 प्रतिशत ।

इन जिलों के किसी भी क्षेत्र का विकास और एक मायने में किसी भी देश का विकास बिना विद्युत् के नहीं हो सकता है । इस वैज्ञानिक युग मे विद्युत् का बहुत बड़ा महत्व है । अब बाडमेर, जैसलमेर के लिये इसकी क्या आवश्यकता है जैसे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा बाड़मेर और जैसलमेर में ट्यूब वेल्स बने उनको कनैक्ट करने से सिचाई यहां हो सकती है । जो पंचायत समिति हैडक्वार्टर्स हैं गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया है कि पंचायत समिति हैडक्वार्टर्स में बिजली का कनैक्शन दिया जाय । बाडमेर टाउन बड़ा टाउन है, बालोतरा बड़ा टाउन है । ऐसे बडे टाउन्स में डीजल सैट्स लगने चाहियें । मैं बराबर देख रहा हूं इन दोनों जिलों में कोई नये सैट्स नहीं लगाये जा रहे हैं । विद्युत मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा था परन्तु उसके बावजूद भी कहीं नये सैट्स नहीं लगाये गये । हमेशा, बाडमेर, जैसलमेर में पुराने सैटस लगाये जाते हैं । जो अभी 1000 का सैट है, वह भी पुराना है । मैंने 5 साल में देखा उससे पहले विद्युत् की व्यवस्था थी ही नहीं । नये शहरों के बारे में बात होती है तो कहते हैं विदेशों से मंगाये जायेंगे और टाइम लगेगा । आज भी

(श्री वृद्धिचंद जैन)

बाड़मेर, जैसलमेर में 55-56 के मेक के सैट्स हैं। उनसे आप कैसे व्यवस्था कर सकते हैं? 12 सैट्स हैं उनमें से 7 आऊट आफ आर्डर हैं। एक सैट एक हजार का है किन्तु वह भी दो साल का चला हुआ है। मैं चाहता हूँ अगर सरकार बाडमेर में व्यवस्था कराना चाहती है और परमानेंट व्यवस्था कराना चाहती है, तो सिरोही, भीनमाल और गुढा से बाडमेर, इस योजना को एक साल में क्रियान्वित कर दें। अगर समय लेती है गवर्नमेंट तो यह चाहिये कि जो एक हजार के सैट लगाये हैं उसी जैसे सैट, उसके सिमिलर सैट होने चाहियें। जयपुर में भी है, उदयपुर में भी है, नहीं तो एक हजार का सैट लगा दिया और वह पुराना सैट है तो विजली की वही व्यवस्था होगी। बाड़मेर जो डिस्ट्रिक्ट का हैडक्वार्टर है उसमें सेना का मोरल कायम करना चाहते हैं, उनको पूरी तरह से मजबूत बनाना चाहते हैं तो विद्युत् का शीघ्र विकास किया जाना चाहिये और अगर यह नहीं होता है तो यह हम सीमावर्ती लोगों का दुर्भाग्य है। मैं विद्युत् मंत्रीजी से चाहूंगा आप क्या व्यवस्था बाडमेर जिले के लिये करना चाहते हैं? जो वहां बिजली की कठिनाई है वह दूर हो सके।

दूसरा, मैं इस अवसर पर यह भी चाहता हूं कि बाड़मेर टाउन से लेकर जो उत्तरलाई तक व्यवस्था करने जा रहे हैं वहां पर भी बिजली की इम्पारटेंस बढेगी। वहां डामर सड़क बन रही है। बाडमेर से उदयपुर तक सड़क बन जायगी और यह बिजली की व्यवस्था होने से इसकी इम्पारटेंस हो जायगी। टेन थाउजेंडस की पापूलेशन का विलेज है। इनके होने से यह पिछडे क्षेत्र भी विकास कर सकेंगे इसलिये मैं विशेष जोर देता हूं। मंत्री महोदय बाडमेर टाउन के बारे में आश्वासन दें। एक हजार का सैट है तो दूसरा एक हजार का सैट भिजवाया जाय।

दूसरे सभापति महोदय हाइडल पावर सिरोही से भीनमाल आ रहा है वह जल्दी से जल्दीबाडमेर पहुंचे इसके लिये भी मंत्री महोदय को प्रयत्न करना चाहिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सभापति महोदय कोरम का अभाव है।

श्री सभापति : बोलने वालों का तो अभाव नहीं है।

एक नोट बनाकर दे दीजिये न मंत्री महोदय को (श्री वृद्धि चन्द्र से)

(गणपूर्ति घंटी)

श्री वृद्धिचन्द जैन : तो मैं यही आश्वासन चाहता हूँ कि बाड़मेर टाउन के बारे में विद्युत समस्या को हल किया जाये और तहसील हैडक्वार्टर पर, पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में जो चौहटन है, बाहेतु पंचायत समिति का हैडक्वार्टर है वहां विद्युत की व्यवस्था करने का मैं आश्वासन चाहता हूं और आशा करता हूं माननीय मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालेंगे।

श्री सभापति : मंत्री महोदय!

श्री रणजीतसिंह (ओसिया) : सभापति महोदय, काश्तकारों का मामला है और हम तो बहुत कम समय लगायेंगे ···

श्री सभापति : आप तो पांच-पांच मिनट में चाय पी आते हैं, पान खा आते हैं सभापति की हालत पर भी तो तरस खाइये।

श्री हीराभाई : 5 मिनिट में समाप्त कर देंगे ?

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): हां।

माननीय सभापति महोदय, विद्युत् के बारे में जहां तक हमारे बांसवाड़े की बात है, बांसवाड़ा में जहां विद्युतीकरण हो रहा है वह तो ठीक है। वहां का विरोध नहीं करता हूं लेकिन जहां मेरा क्षेत्र कुशलगढ़ है वहां पर बिजली के लिये पक्षपात कर रहे हैं और एक प्राईवेट कम्पनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूर है बाकी दस-बारह मोटरों को लगाकर किसानों को बिजली भी दो। वहां पर बिजली 2 बजे चालू की जाती है और 10 बजे बन्द हो जाती है और सिंचाई के लिए बिजली दी जा रही है वह शाम को 7 बजे दी जाती है। रात को खेतों में इतना तो उजाला नहीं है कि वहां पानी पिला सकते हैं इसलिए किसानों का सिर्फ मुंह बन्द करने के लिए इस तरह से कर रखा है और हम लोग कहते हैं कि बिजली दिनभर दो तो बिजली विभाग कहता है कि यह एंजिन पूरा दिन लोड नहीं ले सकता और जब तक दूसरा एंजिन नहीं आयेगा तब तक नहीं होगा। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि आप समाजवाद का शायद असली नारा लगाते हो तो मैं भी समाजवादी हूं इसलिए पक्षपात नहीं रखना चाहिए और वहां चम्बल की बिजली बागीडोरा तक लाये हैं तो बागीडोरा से मिला सकते हैं कुशलगढ़ इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और अगर समाजवादियों को वहां से निकालना ही है तो बात दूसरी है। तो अभी तो मैं मांग कर रहा हूं कि बागीडोरा तक चम्बल की बिजली पहुंच गयी है और उसे कुशलगढ़ तक पहुंचाई जाये और वहां भी जो पहाड़ी एरिया है वहां तालाब और नहरें नहीं हो सकती क्योंकि ऊंची नीची जमीन है इसलिए जो छोटे किसान हैं तीन-चार बीघा वाले वे न तो अपने परिवार का भरणपोषण कर सकते हैं और न अच्छी तरह से रह ही सकते हैं। वहां वैसे पानी की कमी नहीं है, वहां पर दो तीन नदियां पूरे साल बहती रहती हैं और कुओं में अब तो पानी हो गया है लेकिन किसानों की ऐसी आर्थिक स्थिति है कि वे गरीब ही हैं। मेरे पास भी एंजिन है डीजल का उस पर एक हजार रुपया तक खर्चा हो जाता है तो गरीबों के लिए यह बहुत मुश्किल हो जायेगा। उस गरीब के पास इतनी जमीन भी नहीं है। चम्बल की बिजली वहां पहुँचा दी जाये तो किसानों के लिए हमेशा का अकाल दूर हो सकता है और वहां की समस्याओं का हल भी स्थाई हो सकता है। इसके लिए या तो हां कहो या फिर ना कहो, इतनी ही बात कहना चाहता हूं। चम्बल की बिजली हमारे कुशलगढ़ तक पहुँचाने के लिए मांग करता हूं, आप वहां चम्बल की बिजली पहुंचायें और अगर कह देंगे कि योजना में नहीं है तो योजना में लाने वाले कौन हैं उनके नाम बता दो ताकि हम सन्तोष कर लें।

श्री सभापति : श्री रणजीतसिंह ।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : सभापति महोदय, यह जो बिजली का मसला है यह किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। किसान अपने पेट के निर्वाह के लिए उसके पास कुआ है तो बैल से ही गुजारा करता है और उसके बाद में अरट आया, अरट के बाद में क्रूड एंजिन आया और क्रूड एंजिन इतना महंगा पड़ रहा है कि काश्तकार यह चाहते हैं कि बिजली मिल जाये तो उसको खर्चा कम पड़े और उसकी आमदनी में कुछ फर्क पड़े। किसान पहले बिजली देखता था आसमान पर लेकिन जमीन पर नहीं और अब यह युग आया है कि वह बिजली देखता था आसमान पर लेकिन जमीन पर नहीं और अब यह युग आया है कि वह बिजली खम्बे पर देख रहा है लेकिन अपने कुए में नहीं उतार सका है। तो यह पता नहीं कहां कमी है! पहले यह कहते थे कि पावर नहीं है और अब जगह-जगह कहीं तो चम्बल से बिजली जुड़ गयी है और कहीं भाखरा से बिजली जुड़ गयी है, इसलिए मैं कहता हूं कि पावर तो है लेकिन लेने वाला नहीं है। अब काश्तकार बिजली लेना चाहते हैं लेकिन बिजली कुंओं में नहीं उतर रही है। वह काश्तकार को कैसे पहुँचे? तो इस विभाग की स्कीम है कि 10 कुओं को एक साथ बिजली दी जायेगी। उसमें से एक भी आदमी के पास पैसा नहीं है तो 9 ही आदमी महरूम रह जाते हैं। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि अगर कहीं पर भी जहां इलेक्ट्रिफाइड एरिया है, बिजली पहुंच गई है तो कम से कम डिपार्टमेन्ट का फर्ज है कि काश्तकारों तक हम सस्ती से सस्ती बिजली पहुंचायें। पहले तो जिस समय बिजली की कमी थी उस समय तो कमी की बात करते थे और दिन में नहीं रात में चलाते थे। और अब कहीं आप बिजली की मांग करने जाओ चाहे जूनियर इन्जीनियर के पास जाओ, चाहे असिस्टेन्ट इन्जीनियर के पास जाओ, चाहे सुप्रिन्टेन्डिंग इन्जीनियर के पास, चाहे चीफ इन्जीनियर के पास जाओ सब एक ही वाणी में बोलेंगे और काम कहीं होता नहीं है। इसलिए यह दिक्कत कहां है कहां नहीं है यह देखा जाय। इसलिए जहां कमजोरी है उसको दूर की जाये और मेरा निवेदन यह है कि हम जो डेजर्ट के इलाके में सर्वे हो चुका है। ज्योलाजिकल डिपार्टमेन्ट के सर्वे से पता चला है कि वहां पानी है लेकिन बहुत गहरा है 300-400 फुट गहरा पानी है, हमारे पास जमीन बहुत है और अकाल से हम पिटते हैं और अकाल जब पड़ता है तो सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है। तो ट्यूबवैल के जरिये, अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने मशीन सेट लगायी हैं लेकिन वह कामयाब नहीं होने के कारण लाखों रुपया खर्च हो गया इसलिये ऐसी योजना बनाई जाये कि जहां जहां ज्योलाजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे से पता चला है यहां पानी है तो ऐसी कौन सी दिक्कत है हम पानी बाहर नहीं निकाल सकते और खेती नहीं कर सकते। इजराइल जहां इतना गहरा पानी है वहां पर भी काश्तकार ट्यूबवैल के जरिये खेती कर रहा है तो यहां भी हो सकती और इसमें केवल बिजली ही सहयोग दे सकती है वर्ना डीजल सेट से तो काम नहीं चल सकता है। तो मैं तो यह उम्मीद करता हूं कि सरकार ऐसी स्कीम बनाये और उसमें यह नहीं सोचे कि बहुत लम्बा हो गया है इसलिये पूरा नहीं कर सकते।

(श्री रणजीतसिंह)

जब अकाल में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं इस मौके पर यदि ट्यूबवैल से खेती की जाये तो हजारों फैमिलीज अकाल से बच जायेंगे क्योंकि अभी तो वे बरसात पर निर्भर हैं। नीचे पानी का स्रोत है और नीचे से पानी को वाहर लाना हम मेकेनिकल युग में कर सकते हैं।

(म. प. 9.30 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, उपाध्यक्ष पदासीन)

क्योंकि यह कर्मशियल डिपार्टमेन्ट है इसलिये काश्तकार तक पहुंचने की मैं उम्मीद करूंगा इसी आशा के साथ मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा कि जहां एक तरफ पानी नहीं है, दूसरी तरफ अकाल पड़ता है तो ये दोनों समस्यायें बिजली से जुड़ी हुई हैं और ट्यूबवैल हो जायेंगे। अभी री-फाइनेंसिंग कारपोरेशन की स्कीम भी आई है कि वह यहां इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहते हैं। केन्द्र सरकार ने राजस्थान गवर्नमेंट के पास स्कीम बना कर भेजी है कि फलां फलां काम में गांव है और उसके लिए इतने ट्यूबवैल देना चाहते हैं। अब उन्होंने ट्यूब वैल तो दे दिये और बिजली नहीं भेजी तो काश्तकार फेल हो जायेगा और ट्यूब वैल की स्कीम अधूरी रह जाएगी। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ट्यूब वैल की स्कीम आने से पहले वहां पर बिजली दी जाय।

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) : केवल दो मिनिट के लिये उपाध्यक्ष महोदय।

माननीय उपाध्यक्ष जी, विद्युत् का जो कार्यक्रम है हमारा, वह, बहुत कुछ एग्रीकल्चर और उससे संबंधित प्रोडक्शन प्रोग्राम में काफी सहायक है। लेकिन जो कमी कुल मिला कर आज महसूस होती है वह यह है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और बिजली विभाग का आपस में तालमेल नहीं है। यह इतना जबरदस्त बतौरा है कि हमारा जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम की पूर्ति नहीं हो पाती है। मैं आवश्यक समझता हूं कि विद्युत् मंत्री जी को यह चाहिये कि एक कोआर्डीनेटिंग एजेंसी इन दोनों विभागों के बीच में कायम करें, इसका निर्माण करें या कुछ और रास्ता निकालें कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन दोनों का तालमेल बैठ सके। बात यह है कि चारों तरफ से बिजली की मांग होती है। बिजली पहुंचा भी दी जाय तो आज किसान की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपनी निजी पूंजी से और खास कर दबा हुआ, पिछड़ा हुआ गरीब वर्ग का आदमी, अपनी पूंजी से इस बिजली का लाभ लेकर उत्पादन में हिस्सा बंटा सके, आधुनिक ढंग से। तो फाइनेंसिंग एजेंसी इसके बीच में आती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ लेकिन आज जब बैंक्स की स्थिति हम देखते हैं तो आसानी के साथ किसी भी किसान को, जिनकी छोटी छोटी होल्डिंग हैं, पांच छः बीघा की, या तीन एकड़ के लगभग की, उन लोगों को लाभ इन बैंकों से नहीं मिलता है। बैंकों के आंकड़े उठा कर देखें और आप इन पर दृष्टिपात करें तो सहज में ही हम इस नतीजे तक पहुंचेंगे कि बैंकों ने भी सेवा की है वह उन लोगों की की है जो स्वयं लक्ष्मीनारायण हैं, दरिद्रनारायण तक उनकी सेवा नहीं पहुंची है। तो यह भी आवश्यक है कि इस उत्पादन के कार्यक्रम में फाइनेंसिंग ऐजेंसीज,

Page No 188

(श्री श्रीनिवास शारदा)

उनके प्रतिनिधियों को बीच में लिया जाय कि वह किस सीमा तक फाइनेंस कर सकेंगे। अन्यथा यह होगा कि आप चारों तरफ बिजली की लाइन तो पहुंचा देंगे लेकिन अगर उनको पैसा नहीं मिला तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, मैं समझता हूं कि काफी बेकार ही पड़ा रहेगा। तो यह एक सुझाव था मेरा जो बड़ा परमावश्यक है हमारे प्रोडक्शन प्रोग्राम की पूर्ति में। और जैसा कि कुल मिला कर हमारा सारा का सारा कार्यक्रम है, हमारा लक्ष्य है, इसके बिना हम उसकी पूर्ति तक नहीं पहुंच सकते। उसमें यह तथ्य बाधक है और इस पर विचार करना पड़ेगा। आज नहीं करते हैं तो कल करना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों करना पड़ेगा। बहरहाल इस पर विचार किए बिना, तालमेल बैठाए बिना, मैं समझता हूं कि जिस उत्पादन का लक्ष्य हम लेकर चलते हैं, जिसकी पूर्ति करना चाहते हैं वह कुछ हो नहीं सकेगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपना अलग प्रोग्राम बनाए और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपना अलग प्रोग्राम बनाए तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिये इनमें तालमेल बैठायें, इसके बिना जो अचिवमेंट हम चाहते हैं वह पूरा नहीं हो पाएगा।

अब थोड़ा सा विद्युत् विभाग के वर्किंग के बारे में कुछ निवेदन किया चाहता हूं। विद्युत् विभाग में कई जगह, उदयपुर डिविजन के अन्दर मैंने अन्दाज किया है कि जहां चार चार पांच पांच डिविजन खुले हुए हैं वहां पर काम बराबर नहीं होता है और जहां कम डिविजन हैं वहां काम ज्यादा होता है। तो कहीं पर काम ज्यादा हो, तो डिविजन खोले जायं इसमें मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन अगर कहीं पर काम की वजह से और स्टाफ के स्टेंन्डर्ड की वजह से किसी प्रकार से स्टाफ कम रहता है तो दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। आज भी पांच पांच छः छः गांवों के बीच में एक लाईनमैन काम करता है। कहीं फाल्ट हुआ, कहीं दिक्कत हुई, किसान को पैदावार के लिये पानी पिलाने का जो कार्यक्रम है वह सफर करता है। तो इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये कि हम जो लाईनमैन या गांव का सुपरवाईजरी स्टाफ नियुक्त करें वह इतना पर्याप्त होना चाहिये कि वह एक एक गांव की दिक्कत को समय पर अटेंड कर सके। कई जगह की ऐसी मिसालें मेरे दिमाग में हैं जिनका वर्णन मैं अभी यहां नहीं करना चाहूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बिजली फेल हो गई तो कई कई दिनों तक वहां लाईनमैन नहीं पहुंचा। लाईनमैन से जब पूछा गया तो उसने यह बताया कि पांच सात गांवों मे मिलाकर मैं अकेला आदमी हूं। यह वास्तव में उसकी भी दिक्कत है, वह कैसे पहुंच सकता है।। इसके साथ साथ बिजली विभाग के वर्किंग के बारे में कुछ और निवेदन कर देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि बिजली विभाग का जो अकाउण्ट्स क्लर्क है वह अपने यूनिट का शहनशाह है। शहनशाह इस माने में कि कोई सुनने वाला या देखने वाला नहीं है। जनवरी महीने में 47) रु. का बिल आता है, फरवरी में 43) रु. का बिल आता है, मार्च में 50) रु. का बिल आए और अप्रेल में 440) रु. का बिल आ जाए। आखिर यह सब क्या है। मीटर यदि ज्यादा तेज भागता है·····

श्री हंस राज आर्य (भादरा) : 45 का बिल आता हो और 1500/- का आ जाय तो ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आ जाय तो जैसे ये चिल्ला रहे हैं वैसे आप भी चिल्लायें :

श्री श्रीनिवास शारदा : मैं निवेदन किया चाहता हूं कि आखिर एक किसान अशिक्षित होता है वह विभाग की सारी टेक्निक से वाकिफ नहीं है। मजबूर होकर या तो वाबू से हाथ मिला कर आंकड़ों में तब्दीली कराए या फिर पूरी की पूरी रकम जमा कराये। अगर मीटर में गल्ती होती है तो मीटर को अटेंड करने का काम आपका है, मीटर खराव होता है आप उसको टेस्ट करालें, किसान से टेस्टिंग फीस क्यों चार्ज की जाती है जब कि मीटर डिपार्टमेंट का होता है, किसान का नहीं। जब मीटर डिपार्टमेंट का है और किसान का नहीं है तो डिपार्टमेंट मीटर पर कण्ट्रोल करे। किसान से कोई फीस नहीं ली जानी चाहिये। कोई फाल्ट मीटर में हो तो डिपार्टमेंट को अपनी तरफ से दुरुस्ती करानी चाहिए, अन्यथा इस प्रकार की प्रक्रिया रही तो मैं समझता हूं कि आने वाले वर्षों के अन्दर बहुत से लोग डीजल पावर में विश्वास करने लगेंगे। लोग समझेंगे कि डीजल पावर स्वावलम्बी है, बिजली की पावर में परावलम्बन है। बिजली लेकर स्वावलम्बन नहीं रहा। तो ये कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री श्रीनिवास शारदा : तो मैं समाप्त ही करता हूं सभापति महोदय (उपाध्यक्ष महोदय) आप विशेष समय नहीं दे सकते तो।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ भाषण नहीं देना है, थोड़ी दर्द की बातें बता देना चाहता हूं। इन वर्षों में जब से बिजली बोर्ड बना है सन् 56 के बाद, राजस्थान में विद्युत् का काफी विकास हुआ है, यह बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन जब राजस्थान बना था तब एक तिहाई से ज्यादा जहां बिजली का खर्चा होता था, जहां बिजली का उत्पादन होता है, उस बीकानेर डिविजन को सरकार और विद्युत् बोर्ड भूल गया। बीकानेर ज़िले में पिछले दस वर्षों से कहीं भी कुछ नहीं हुआ है। किन्हीं गांवों को नहीं लिया है। सिर्फ़ 66 में थोड़े से ऐसे गांवों को लिया गया है। जो मुझे नहीं कहना चाहिये लेकिन दर्द के साथ कह दूं, जिन गांवों में चन्दनमल जी के बाप दादे जन्मे थे, उस एक गांव में 8 मील बिजली ली गई है। एक चांदी गांव को लिया गया था। उस को मैं नहीं मानता हूं। क्योंकि वह भी एक आदमी को ग्रोब्लाइज करने के लिये किया गया है। मगर पूरे ज़िले में जो रेगिस्तान है, पानी का अभाव है, छोटे छोटे गांव हैं, रेगिस्तानी इलाका है, और इस कारण इस इलाके में कहीं कहीं 200।500 घरों की आबादी एक जगह रहती है और आस पास के जंगलों में खेती करते हैं। उन गांवों में सड़क निकली है लेकिन यह जो 400।500 घरों की बस्ती है, वे बिजली की मांग कर रहे हैं, दरख्वास्तें कर रहे हैं, वहां पर कोई सर्वे नहीं होती है और होती है तो कोई पैसा वहां पर स्वीकार नहीं किया जाता है। यह कह कर टाल दिया जाता है कि यह वाणिज्यिक है, कार्मशियल है। गांवों में आपको काम करना है, तो कहीं पर दस माइल लाइन ले जाकर आप कुओं को बिजली दे दें और वह तो आपका काम वाणिज्यिक नहीं हुआ। यह कह कर

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

हमको टाल दिया जाता है कि किसानों को राहत देनी है, देश में अन्न का उत्पादन करना है और जहां कहीं करना है यह कहा जाता है कि यह वाणिज्यिक है। नोखा गांव है 5 फर्लांग है और एप्लीकेशन दिये हुए दो वर्ष हो गये। 50 कनैक्शन लगे, 2 कुओं पर जो 300 फीट गहरे हैं, बिजली लगी बोनिया गांव है 4 मामासर, देसलसर में बिजली नहीं है। ये गांव पास में हैं। यह आदत है सरकार की और वह सरकार की आदत ही नहीं है यह तो भारतीय संस्कृति में ही है 'भय बिन होतन प्रीति' यहां पर सरकार को कुछ डराओ तो काम होता है। मैं ब्राह्मण हूं.....

श्री **राम किशन** : आप ब्राह्मण कब से बन गये ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : और हिन्दू उस देवता की पूजा नहीं करते जिस देवता के हाथ में तलवार नहीं हो। बिना हथियार के देवता आ जाये तो हम उसकी पूजा नहीं करते। इस तरह से यहां पर जयपुर में कच्ची बस्तियों के लिये नारा लगाया गया। अगर मुख्य मन्त्री जी यही चाहते हैं कि उनकी कोठी पर धरना दे तो हम भी उसके लिये तैयार हैं। परन्तु ऐसी ही समस्या दूसरे जिलों में भी है, वहां पर आप इस तरह से काम क्यों नहीं करते हैं। जयपुर का इसलिये कर दिया कि ये विधान सभा के बाहर आ गये। अगर ऐसे ही काम करना है तो हम भी कर सकते हैं। आपने घोषणा कर दी कि जयपुर की कच्ची बस्तियों को दिसम्बर तक पानी और बिजली दे दी जायेगी। क्या जयपुर में ही कच्ची बस्तियां हैं, जोधपुर में कच्ची बस्तियां नहीं हैं, बीकानेर में कच्ची बस्तियां नहीं है? और क्या वहां पर इन लोगों की मांग नहीं है? अगर आप जयपुर में बिजली, पानी पहुंचाते हैं तो किसी पर एहसान नहीं करते हैं। यह वाणिज्यिक व्यवसाय है? जयपुर शहर में जितनी आमदनी है वह आपके खर्चे से हजार गुना ज्यादा है? एक रुपया खर्च करते हैं तो दस रुपया कमाते हैं। यह आपका फर्ज है कि दूसरी बस्तियों में भी बिजली फैलावें और इसी तरह से बीकानेर शहर की अलग से आमदनी है। वहां की कच्ची बस्तियों में भी बिजली जा सकती है। 30 माइल में बिजली देना पड़े तो बिजली दें। यह आपका वाणिज्यिक व्यवसाय है। उनको कहिये कि जितना भी खर्चा हो गया राज्य सरकार अलग से देगी। इसी तरह से आमदनी बढ़ती रहती है तो आप बिजली की रेट बढा देते हैं। इससे क्या होता है? काम करने वाले मजदूरों में असन्तोष होता है। क्योंकि आप उनको बोनस नहीं देते हैं। क्योंकि सारे काम को आप एक साथ बतलाते हैं। कई जगह काम में घाटा होता है और कहीं पर काम फायदे में होता है। मुर्दाबाद का नारा लगा दिया और काम कर दिया, अगर आप इससे राजी हैं तो हम भी किसी से कमजोर नहीं हैं। यह तो इन लोगों ने हम से सीखा है। मन्त्री महोदय बता दें अगर आप इससे राजी हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। पुराने वक्त में हमने किया है और यह हमसे ही इन लोगों ने सीखा है। सिर्फ नारा लगाने की बात नहीं है। कर भी सकते हैं।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : तब ही तो तदर्थ समिति बन गई, क्या कर लिया ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: अभी आये हो।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

जैसी आपने जयपुर के लिये घोषणा की है कि दिसम्बर तक बिजली, पानी कच्ची बस्तियों में पहुंचा देंगे वैसे ही जोधपुर, बीकानेर के क्षेत्र के लिय भी आप कर दें। यह घाटे का सौदा नहीं हैं। इसको भी आप प्राथमिकता दीजिये। एक शहर की एक बस्ती में रोशनियां ऐसे फैलती है जैसे दिन हो और एक तरफ अन्धेरा है तो यह कैसा समाजवाद है ? नाई का बेटा नाई है, यह तो सभी जानते हैं और वह कुछ आगे बनता ही नहीं तो यह आपका समाजवाद कैसा है ? इसलिये पहले आप एक दो जगह करें तो सही। पहले आप कच्ची बस्तियों में बिजली पहुंचायें और उन गांवों में भी जो सड़कों के किनारे हैं और यह मानता हूं कि यह आप करेंगे। केबिनेट की मीटिंग में मन्त्री मण्डल के सदस्य सिफारिश करें तो तब ही काम होता है। पहले मनफूलसिंहजी राज्य मन्त्री थे। उस वक्त भी काम नहीं होता था अब भी और नहीं होता है। पाकिस्तान की सीमा पर यह जिला है और केबिनेट ने इस क्षेत्र का आप को इन्चार्ज बनाया है। तो मेरा निवेदन है कि आप वहां पर जाकर देखिये और जिन गांवों के लिये भाई चुन्नीलाल जी ने कहा, बीकानेर जिले में बड़े बड़े गांव हैं। वहां पर बिजली नहीं है। कई जगह पर ट्यूब वेल्स खुदवाये गये हैं और वहां पर बिजली नहीं है। इस तरह से लाखों रुपयों के ट्यूब वैल बेकार पड़े हैं।

अभी जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है चित्तौड़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर में वहां पर ज्यादा काम हुआ है। भीलवाड़ा में आप भूल न जाय। मैं जानता हूं कि आप ग्रामीण उद्योगों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जहां पर खाने हैं उस इलाके में आप बिजली देते हैं तो आपकी विदेशी मुद्रा ज्यादा प्राप्त होगी और वहां पर सस्ते में भी काम हो जायेगा। एक सिफारिश और करदूं। माण्डलगढ को भी आप भूल न जायें। लोग कह रहे हैं कि विद्युत मन्त्रीजी आगये हैं इस लिये अब सिफारिश की जरूरत नहीं है। परन्तु इसको ओर ध्यान दीजिये। वैसे बहुत से गांव वहां पर है। बीकानेर की ओर विशेष रूप से ध्यान दीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगन्नाथ।

श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली विभाग के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों के लिये मांग की है और मैं भी मेरे क्षेत्र की मांग करता हुआ तीन, चार बातें रखना चाहता हूं। जब भी मांग के विषय में कहता हूं मैं लम्बा चौड़ा भाषण नहीं करता हूं। मेरा क्षेत्र टौंक जिले में है और वहां पर पानी है। इस विषय में मैं अर्ज कर रहा हूं। टौंक जिले की सर्वे हो गई है टोडा तक और बनास के किनारे तक। टोडा क्षेत्र के अन्दर तो बिजली है परन्तु टोडा के आस पास जो कई गांव है और जिनमें लाइन भी चली गई है जो खेरेड़ा, मोहल्ला और आगे चलकर है बासेड़ा। इन गांवों के अन्दर कुओं के ऊपर बिजली के खम्भे डालकर गांव वालों से पैसे भी ले लिये हैं यह कह कर कि तुम्हारा ट्रान्सफारमर जल्दी से जल्दी लगा देंगे लेकिन वह अभी तक नहीं लगा है।

(श्री जगन्नाथ पटेल)

एक स्कीम और बनाई गई है, टौंक जिले की और दो साल हो गये उसको मन्जूर किये।

आप मौजूद होंगे साहब और कहा कि 15 अक्टूबर के बाद मिलना तही जवाब दूंगा। उसके बाद में गया तो साहब नहीं मिलते हैं और कभी जाते हैं तो परवाह नहीं। डी. ओ. लेटर तो मैं नहीं कहता लेकिन बहुत से कई लेटर लिख दिये लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। इसलिये मेरी अर्ज यह है, उपाध्यक्षजी, बिजली का सर्वे जो है वह राज्य सरकार के अन्दर मौजूद है और उनको याद रखकर जिस जिस जगह की मांग आती है तो दिल्ली से स्वीकृति नहीं आये तो राज्य सरकार से पैसा लगाकर कुछ न कुछ बिजली दे दी जाय।

एक उदाहरण पेश कर दूं। वह मेरे गांव की तरफ का है इसलिये मैं नहीं कहना चाहता और भी कई माननीय सदस्य टौंक तहसील के बैठे हुए हैं, और मानावास के अन्दर मानावास, अरनिया, अमरपुर खेड़ा और साण्ड, महुआ का सर्वे होकर टौंक के बिजली विभाग से माधोपुर को रिपोर्ट आ गई और माधोपुर से यहां आ गई और यहां से मुझ से नक्शा मांगा और नक्शा में चीफ इन्जीनियर साहब के पास दे आया हूं। वहां पर पानी बहुत है और 18 फीट के नीचे ही पानी है और पानी के लिये वाटर पम्प कुओं में लगा लगा कर उसकी जांच कर ली है कि पानी नहीं टूटता है और उस जगह 500 कुए गांवों में हैं और सब गांव वालों की दर्ख्वास्तें हैं। इसलिये मैंने अर्ज किया है कि जल्दी से जल्दी बिजली पहुंचा दें जिससे काश्तकारों को फायदा हो।

श्री उपाध्यक्ष : विद्युत् मंत्री जी।

विद्युत् मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के 1971-72 के बजट एस्टीमेट्स पर जो यहां पर चर्चा हुई और इस चर्चा में कुल मिलाकर 22 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। समय बहुत अधिक हो गया है इसलिये मैं बहुत कुछ विद्युत् बोर्ड के एचीवमेंट के बारे में कहते हुए सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा। संक्षेप में यह बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर जैसा कि अभी माननीय सदस्य श्री रामकिशन जी ने कहा कि पहली और दूसरी योजना तो बिल्कुल विस्तार में चली गई और जो कुछ भी काम हुआ वह तीसरी और चौथी योजना के इन सालों म और आगे आने वाले समय में होने वाला है। आपको मैं जानकारी दूं कि फर्स्ट प्लान के पहले इस राजस्थान में कुल मिलाकर 42 लोकेलिटीज इलेक्ट्रिफाइड थीं और सेकण्ड प्लान के अन्त में ये लोकेलिटीज 131 हुईं, लेकिन 71–72 के अक्टूबर 71 तक करीब 3276 लोकेलिटीज इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी हैं, और आज से 3–4 महीने पहले जब से यह विभाग मेरे पास आया है इस बात की कोशिश की और मैंने बोर्ड के अधिकारियों को बुलाकर चर्चा की, और उनसे यह कहा कि राजस्थान बिजली के विस्तार के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ प्रान्त है। दूसरे जो हमारे हिन्दुस्तान के हिस्से हैं उनके मुकाबले उस समय 9 पर्सेंट बिजली हमारे गांवों में पहुंची थी। मैं समझता हूं कि बहुत ही लो फीगर हमारे लिये हो सकता था, और इसको बहुत तेजी से आगे बढा कर ठीक करना है, यह हमारी चिन्ता है। तो इस साल करीब

(श्री शिवचरण माथुर)

600 लोकेलिटीज को इलेक्ट्रिफाई करने का प्रोग्राम रखा गया था। 600 लोकेलिटीज के साथ में 20 हजार कुओं तक बिजली ले जाने की बात थी। मैंने बोर्ड के सभी अधिकारियों और चेयरमैन को यह सुझाव दिया कि इस रफ्तार से हम चलेंगे तो राजस्थान तो शायद बहुत पीछे पड़ जायगा और अलग अलग तरह से चर्चा करके हमने निश्चय किया कि 600 के बजाय इस वर्ष के अन्त तक करीब 1500 गांवों में बिजली ले जाई जाय और कुओं का टार्गेट जो 20 हजार का रखा था, और जैसा कि अभी कई माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि भ्रष्टाचार को कम करने का सबसे ज्यादा कारगर उपाय जो हो सकता है कि हम बिजली देने के टार्गेट फिक्स कर दें। मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि हमने यह भी निश्चय किया है कि बजाय इसके कि कुछ प्रायोरिटी डिसाइड करें एप्लीकेशन्स पर हम प्रत्येक डिविजन और प्रत्येक सर्किल के कुछ टार्गेट मुकर्रर कर दें और जितनी एप्लीकेशन्स दीं मुझे यह जानकारी देते हुए खुशी होती है कि 30 नवम्बर, 71 नहीं, 30 अक्टूबर तक जितनी भी दर्ख्वास्तें आई हैं सारी की सारी दर्ख्वास्तों को डिसपोज कर देना चाहिये। इस तरह से करीब 11 हजार कुओं का टार्गेट बिजली देने का नवम्बर 71 तक का बनाया है। कुल 20 हजार कुओं में बिजली देने वाली बात थी, डिपार्टमेंट में उनमें से 11 हजार कुओं को नवम्बर, 71 तक बिजली दे दी जायेगी। मुझे यह भी कहते हुए खुशी होती है कि करीब साढे 6 हजार कुओं में अभी तक इन तीन महीनों में बिजली पहुंच गई है और सबसे बड़ा सीजन जो होता है बिजली देने का मैं समझता हूं वह नवम्बर का महीना होता है। मुझे अन्दाजा लगता है कि जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे तो 11 हजार कुओं का जो लक्ष्य है निश्चित रूप से नवम्बर 71 तक पहुंच जायगा।

इसके साथ-साथ हमने इस बात का भी निश्चय किया है कि सर्वे के अभाव में बहुत सी स्कीमें नहीं हुई हैं, क्योंकि सर्वे नहीं होता है तो उसके अभाव में वित्तीय वर्ष के अन्त में और नये वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के महीने बेकार चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सी स्कीमें तैयार नहीं होती हैं। इसलिये यह भी तय किया गया है कि जब एक टार्गेट का लक्ष्य एक साल का बनाते हैं तो उसके साथ साथ अगले वर्ष के लिये भी कुछ स्कीमें तैयार होनी चाहिये। तो यह निश्चय किया गया है कि 31 मार्च, 72 तक इस वित्तीय वर्ष में कम से कम 1500 गांवों के अलावा 500 गांवों का सर्वे और होना चाहिये। इसका मतलब यह है कि 1500 गांवों को समाप्त करने के पश्चात् हमारे पास 500 गांवों की स्कीम नये वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में मिल जायगी और कभी भी काम रुकने का सवाल नहीं आयेगा। मैं समझता हूं कि बोर्ड के अधिकारी इस बात के लिये ध्यान देना चाहते हैं। उन्होंने जो टार्गेट्स हमने दिये थे उन टार्गेट्स को पूरा करने में बहुत ही मुस्तैदी बताई; और मैं कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन मैं यह जानता हूं कि टार्गेट बनाने के कारण काफी इस बात में फर्क पड़ा है ....

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : बहुत बढ़ गया है। आप देखिये कि बारां डिवीजन में कितना बढा है वह मुंह से बोल रहा है।

श्री शिवचरण माथुर : मैं कब कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार पूरा समाप्त हो गया है। टार्गेट फिक्स होने के बाद यह निश्चित बात है कि काफी सख्ती आई है क्योंकि हर असिस्टेंट इन्जीनियर और एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को मालूम है कि उनके डिवीजन या सब-डिवीजन में इतने कुओं को निश्चित रूप से कनेक्शन देना है तो बहुत मुस्तैदी से काम हमारे बोर्ड के अधिकारियों ने काम किया है।

इसके साथ साथ जैसा कि आपको मालूम है कि वित्तीय वर्ष का बजट पेश करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि जितनी हरिजन बस्तियां हैं–मैं यह तो नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जिनमें अन्डर-प्रिविलेज्ड क्लासेज के लोग रहते हैं उनके लिए सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से पैसा रखा जाता है और सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट से बजट पास होने के बाद अलग अलग जगह रुपया जाता था तो उसमें काफी देर लगती थी और काफी दिक्कत होती थी तो राज्य सरकार ने यह तय किया कि बिजली बोर्ड अपने बजट में से 25 लाख रुपया इस बात के लिये निर्धारित करे कि जिससे शहरों में, कस्बों में, और गांवों में जहां पर भी अन्डर-प्रिविलेज्ड क्लासेज की बस्तियां हैं, कच्ची बस्तियां हैं, किसी तरह के गरीब लोगों की बस्तियां हैं उनको पोइंट आउट करके उनमें बिजली लगायें। हमने अगस्त के महीने में मीटिंग की थी उस वक्त हमारे पास में रिपोर्ट थी उसके आधार पर हमने यह बात बता दी कि कन्ज्यूमर्स की तरफ से पंचायत समितियों और म्युनिसिपैलिटीज की तरफ से दर्ख्वास्तें नहीं देते हैं तब तक उन बस्तियों में बिजली लगाने की बात नहीं आती है, इसके लिये हमने बोर्ड के अधिकारियों से यह कहा कि किसी भी पंचायत समिति या म्युनिसिपैलिटी की तरफ से दर्ख्वास्त नहीं आये तो भी यह आपका कर्तव्य है कि आपके जुरिस्डिक्शन में जितनी भी पंचायत समितियां आती हैं उनसे सम्पर्क स्थापित किया जाय, और सम्पर्क स्थापित करके वहां के किस पंचायत क्षेत्र में कौन सा कस्बा है या बड़ा गांव है जहां पर कच्ची बस्तियां हैं या गरीब आदमियों की बस्तियों में बिजली ले जाना है। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि 5-5 लाख रुपये हमने हरेक सर्किल में इस बात के लिये रखा है और इन पांच लाख रुपयों को युटिलाइज करने के लिये हमने अधिकारियों से कहा है कि यह पांच लाख रुपये खर्च करना अनिवार्य बात है। मेरा अनुमान है कि यदि 25 लाख रुपया सारे राजस्थान की कच्ची बस्तियों में खर्च हो जाता है तो उससे काफी फरक पड़ेगा। यह मैं नहीं कहता कि सारी समस्या का हल हो जायगा।

मैं नहीं कहता हूं कि सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन पहली बार राजस्थान में एक साथ इतनी बड़ी धनराशि रखने का निश्चय किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे समस्याओं का हल होगा। यहां पर बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे हैं। उन्होंने कहा है कि बिजली का काम पिछड़ा हुआ है। मैं उन सारे सुझावों पर नहीं जाना चाहता हूं। क्योंकि सभी माननीय सदस्य बोले हैं। इतना इस वक्त अवसर भी नहीं है। लेकिन कुछ खास-खास बातें कहना चाहता हूं। इसका मतलब यह भी नहीं मानें कि हमने उनको नोट नहीं किया है। क्योंकि पहली बार यह बहस हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि मैं अलग

(श्री शिवचरण माथुर)

से स्टडी करूंगा और अलग से कार्यवाही करूंगा। लेकिन साथ ही साथ जो मोटे-मोटे मुद्दे यहां पर पेश किये गये हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं।

श्री शीशराम ओला ने कहा है कि हमारे झुंझुनू में बिजली कम गई है। मैं कहना चाहूंगा कि वहां 25.3 प्रतिशत गांवों में बिजली गई है। सब से ज्यादा गई है। जो श्री गोकुलप्रसाद जी ने कहा है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 225 गांवों में से 63 गांवों में बिजली गई है। सारे गांवों का 12.1/2 प्रतिशत बनता है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : यह तो रियायत के समय का है। आप ने नहीं किया है।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय गोकुल प्रसाद जी ने जो चित्तौड़ और भीलवाड़ा का नाम लिया है, उन्होंने राजनैतिक आधार की बात कही है। शायद राजस्थान में 3 जिले हैं, जहां सबसे कम बिजली गई है। जिनमें एक उदयपुर है। उदयपुर में अक्टूबर, 71 तक 205 गांवों में बिजली गई है। 16.5 प्रतिशत इसका बनता है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : 5-5 घरों की बस्तियां हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बीकानेर एरिया में..........

श्री शिवचरण माथुर : उदयपुर और सवाई माधोपुर में सबसे कम बिजली गई है।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : (व्यवधान के कारण अश्रव्य)

श्री शिवचरण माथुर : 253 गांवों में बिजली चली गई है।

श्री हंसराज आर्य : माथुर साहब, जबर मारे और रोने नहीं दे। कहां बिजली गई है। छुपाओ नहीं। परदा मत डालो।

श्री शिवचरण माथुर : ये आंकड़े बोर्ड से आये हैं।

श्री हरजीराम बुरडक : जहां बिजली गई भी हो लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सदस्य ने कहा है कि 45 गांवों में बिजली चली गई है। निजी जानकारी करके, पब्लिक अण्डर-टेकिंग कमेटी की रिपोर्ट पर बता रहे हैं। 69-70 में भीलवाड़ा में कुल मिला कर 55 गांवों में बिजली गई। जब कि आपको पता है कि 44 गांवों में, चित्तौड़ के 48 गांवों में और उदयपुर में 45 गांवों में बिजली गई। लेकिन कनेक्शन नहीं मिले। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह भावना बिल्कुल नहीं है कि कहीं पर क्षेत्रीय भावना बनायें। जहां पर बिजली की पोटेंशियलिटी है, वहां के हित में बात करनी चाहिये। जयपुर इलाके में, सीकर, सवाई माधोपुर, टोंक, इलाके में, जहां नहीं है, वहां बिजली जायेगी।

श्री देवीदत्त गाडिया : कोटा में ?

श्री शिवचरण माथुर : कोटा में भी नदी के किनारे पर। इसके लिये मैंने बोर्ड के अधिकारियों को कहा है। बिना किसी योजना के हम बिजली देने की बात करें, जैसा कि एक साहब ने कहा है, यह बहुत कठिन है। आगे आने वाले वर्षों में बिजली ले जाने की क्षमता हमारे पास तैयार रहनी चाहिये। हमें फेज प्रोग्राम के लिये तैयार रहना चाहिये। मास्टर प्लान के लिये तैयार रहना चाहिये। वह

Page No 196

(श्री शिवचरण माथुर)

धीरे धीरे बनेगा। जैसा कि हम 1500 लोकेलिटी में करना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन कमेटी को एरिया देने को कहा है। इसके अलावा हमारे जो सर्वे करने वाले हैं, वह भी इन्सपेक्शन करते हैं। हमारा काम करने में क्षेत्रीय भावना का प्रश्न नहीं उठता है। जितनी क्षमता होगी, बिजली देने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री **भैरोंसिंह** : एक बात और कर दीजिये, जिन गांवों में बिजली लगाना चाहते हैं, और मास्टर प्लान पूरा का पूरा बना रहे हैं, तो जिन गांवों में मार्च 72 के पहले बिजली चली जायगी, उन गांवों के नाम किसी तरह पब्लिश करवा दीजिये, ताकि उनको पता लग जाय कि नेक्स्ट ईअर तक बिजली लग जायगी और उनको परेशानी नहीं होगी। अभी एक गांव में लगती है तो बीस गांव वाले एप्लीकेशन लेकर आते हैं। इस प्रकार गांवों को मास्टर प्लान में इन्क्लूड करके चलें तो लोगों के अन्दर से असंतोष मिटेगा।

श्री **शिवचरण माथुर** : आपका सुझाव अच्छा है।

श्री **हंसराज आर्य** : गांवों के नाम निकल जायेंगे तो फिर यह कहेंगे कि झूठे नाम निकाले थे वोट लेने के लिये।

श्री **भैरोंसिंह** : काम करेंगे उससे झूठ सच का पता लग जायगा।

श्री **रामकिशन** : पहले से पता लग जाय तो ठीक है।

श्री देवीदत्त गाडियां : आपने एक्स.ई.एन. और ए.ई.एन. को पावर दी है, उसमें एक चीज हो रही है, वह डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन कमेटी की सिफारिशें मंजूर नहीं करते हैं। एक्स. ई.एन. कहता है कि दस हजार खर्च करो बीस हजार के काम के लिये तो गांव में बिजली आयेगी। गांव डिक्लेअर कर देंगे तो फायदा होगा और एक्स.ई.एन. और ए.ई.एन. जो आज कर रहे हैं वह नहीं होगा।

श्री हंसराज आर्य : नाम मत निकाल देना, गांव के नाम मत कह देना।

श्री **शिवचरणसिंह** : जब मैं मास्टर प्लान की बात करता हूं तो उसमें यह है कि धीरे धीरे यह स्कीम बनायें, पांच सात स्कीमें बनायें...

श्री **रामसिंह कुड़ी** : इस साल के बाद मार्च तक कर देंगे उनका नाम बता दें।

श्री **शिवचरण माथुर** : इसमें ऐसा नहीं है। अगस्त के महीने तक शुरुआत से किसान और जो खेती करते हैं उनकी 1500 लोकेलिटी निकल जायेंगी। आगे सर्वे करके प्लान हो तो उससे लाभ ही होने वाला है।

श्री **भैरोंसिंह** : मार्च तक जो निकलने वाली है, उनका आप नाम प्रकाशित कर दें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। जो लेने वाले हैं उनको, अगर योजना होगी, तो संतोष होगा कि अमुक गांव में बिजली पहुंचेगी।

श्री **शिवचरण माथुर** : यह कर सकते हैं।

यहां पर यह भी कहा गया कि राजस्थान में अभी भी बहुत से तहसील हैड क्वार्टर हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है। मैं सदन को

(श्री शिवचरण माथुर)

जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि 14 तहसील हैडक्वार्टर ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है, हमारा प्रयत्न है कि उनमें से सात जगह तो बिजली पहुंच जाय, फिर छः सात जगह रहने वाली है, जहां पहुंचाने में टैकनिकली इम्पोसिबिलिटी है तो आठ जगह पर बिजली लगाने वाली बात नहीं हैं।

श्री **रामसिंह कुड़ी** (जायल) : नाम बता दीजिये।

श्री **भैरोंसिह** : नाम बता दीजिये।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : तहसील हैड-क्वार्टर के नाम बता दीजिये।

श्री **शिवचरण माथुर** : तहसील हैड क्वार्टर जहां बिजली नहीं पहुंची है, चोहटन, शिव, फागी, रूपवास, शेरगढ़, पीपल्दा ....

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : दीगोद। कोटा के अन्दर पंचायत समिति सुल्तानपुरा में नहीं पहुंची है, किशनगंज में नहीं है, शाहबाद में नहीं है।

श्री **देवीदत गाड़िया** : चार तहसीलों में नहीं है।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : तहसील दीगोद है, उसी क्षेत्र में तहसील सुल्तानपुरा है।

श्री **शिवचरण माथुर** : मैं जानकारी कर लूंगा, वहां है या नहीं। खारची है, खण्डार है, दसावड़ा है ......

श्री **रोशनलाल शर्मा** : सराड़ा में।

श्री **शिवचरण माथुर** : कुल मिलाकर चौदह स्थानों में नहीं है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : अलवर में थाना गाजी में नहीं है, तहसील हैडक्वार्टर है इसमें नहीं है। कस्बा में नहीं है, नारायणगंज में नहीं है।

श्री **हंसराज आर्य** : मैं निवेदन करूंगा, काम करने से पहले ऐलान नहीं करें, ऐलान करा लें पहले फिर झूंठा कहें।

श्री **शिवचरण माथुर** : मैं वही बता रहा हूं।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : ऐलान करने से सरकार पर वजन नहीं होगा।

श्री **हंसराज आर्य** : अभी आपने पांच सौ रुपये देने का ऐलान किया था। वह नहीं किया। अब ऐलान करके झूंठे पड़ेंगे, इसलिए ऐलान मत कीजिये।

श्री **दिग्विजय सिंह** : वही बता रहे हैं, ऐलान नहीं कर रहे हैं।

श्री **हंसराज आर्य** : वह भी गलत हो जायगी।

श्री **चुन्नीलाल इंदलिया** : मंत्री जी को हंसराज जी दबा रहे हैं यह गलत बात है।

श्री **हंसराज आर्य** : दबा नहीं रहा हूं, सपोर्ट कर रहा हूं। ऐलान नहीं करेंगे तो झूंठे पड़ेंगे ही नहीं।

श्री **दिग्विजयसिंह** : तहसीलों के बारे में जानकारी कर लें, चौदह से ज्यादा हैं।

श्री **शिवचरण माथुर** : जानकारी मुझे चौदह तहसील हैडक्वार्टर की दी है, मैं समझता हूं, जानकारी बोर्ड ने उपलब्ध कराई है वह सही उपलब्ध कराई होगी।

श्री हंसराज आर्य : क्या यह सही है कि गंगानगर में अनूपगढ़ हैड क्वार्टर में बिजली नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : चौदह तहसील हैडक्वार्टर बताये हैं, इनमें कौन कौनसी सात है जो रह जायेंगी इलेक्ट्रिफिकेशन से ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : नौखा तहसील में नहीं है ।

श्री शिवचरण माथुर : जो मुझे जानकारी मिली है वह चौदह मैंने बताई हैं, उसमें वह तहसील हैडक्वार्टर शामिल नहीं हैं जो सेंक्शन हो चुके हैं ।

श्री हंसराज आर्य : अनूपगढ की मंजूर हो गई है ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : नौखा में मन्जूर हो गई है ?

श्री हंसराज आर्य : जिन तहसील हैड क्वार्टर के लिए मंजूरी हो चुकी है उसमें अनूपगढ नहीं है ?

श्री सतीशचन्द अग्रवाल कल जाकर कह देना, मंजूर दोनों करा लेना ।

श्री शिवचरण माथुर : यह कहा गया, कुछ लाइनें ऐसी हैं, जैसे सिरोही से आगे जाने वाली लाइन है, 100 के. वी. लाइन, उसके लिए सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा—यह काम हम तेजी से करना चाहते हैं, और बहुत जल्दी उस क्षेत्र में बिजली पहुंचाने वाली बात करना चाहते हैं । फालना, जो सब-डिवीजन है, उसमें काफी बिजली की दिक्कत है । पाली से फालना जाने वाली लाइन थी, वह 66 के. वी. लाइन है, ट्रांसफार्मर की कमी के कारण 33 के. वी. की लाइन थी, अब ट्रांसफार्मर पूरी कैपेसिटी का पहुंचा रहे हैं, जिससे वहां लाइन 66 के. वी. की बहुत जल्दी हो जायेगी । ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज फालना के इलाके में हो—इसको करके वह शीघ्र करना चाहते हैं ।

बहस के दौरान कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां एक दो मुद्दे उठाये थे । गाड़िया जी ने भी एक आध मुद्दा उठाया था । जो जेवरा कन्डक्टर आर. एस. ई. बी. ने 22 के. वी. लाइन डालने के लिए खरीदा था, उसका जिक्र किया । मैं कहना चाहता हूं, यह कन्डक्टर आज से तीन साल पहले खरीदा गया । यह कन्डक्टर इस लाइन को 69 से पहले पूरा करने के लिए खरीदा गया । बोर्ड को बैंक से लोन मिला था, उसको पूरा करने पर जो सेन्ट्रल पावर कमीशन की एप्रूवल थी उसके अनुसार अप्रेल 69 से पहले इस काम को पूरा करने के लिए खरीदा गया था । यह बात साफ है, इस फर्म का कोटेशन था, वह लोएस्ट था । सेन्ट्रल पावर कमीशन ने एप्रूवल दिया, माल आया तो वह डिफेक्टिव पाया गया …

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह डिटेल्स दें कि कुल मिला कर माल कितना था और कितने में डिफेक्ट था ।

श्री शिवचरण माथुर : माल 1500 किलो मीटर का था, 1500 किलो मीट की डिमाण्ड थी, और पन्द्रह सौ किलो मीटर माल था । इसका पहले आफिसर को भेज कर मेन्युफेक्चरिंग स्टेज पर इन्सपेक्शन करने वाली बात थी, उसके सम्बन्ध में बोर्ड से

(श्री शिवचरण माथुर)

रिपोर्ट मिली है, उनका कहना यह है सारे माल का मेन्युफेक्चरिंग स्टेज पर इन्सपेक्शन करना उचित नहीं था। माल आया, तो उसमें से डिफेक्टिव पाया गया। आपने कहा कि कोई माल में कमी थी, एलमूनियम की कमी थी, कई जगह वज होने वाली शिकायत थी। कम्पनी को लिखा। कुछ बातों को रेक्टिफाई करने के लिए कहा। उन्होंने कई बातों के लिए अस्वीकृति प्रदान कर दी। तो बोर्ड ने समझा, सारे मामले को आर्बीट्रेटर को दे दें, जो एग्रीमेंट का पार्ट है, क्लाज है, उसके हिसाब से आर्बीट्रेशन को देना तय किया और जस्टिस के. के. शर्मा को सारे मामले में आर्बीट्रेटर नियुक्त किया गया। यह बोर्ड ने 12 तारीख को तय किया। अपने मामले को ठीक से पुट करने की दृष्टि से, क्लेम करने की दृष्टि से अच्छे से अच्छा वकील एंगेज किया, सोलीसीटर जनरल को कहा गया कि वह क्लेम तैयार करके आर्बीट्रेटर के सामने पेश करें। बोर्ड ने शिथिलता न बरत कर इसको आगे बढ़ाया है। कानूनी दिक्कत हमारे सामने है। तो जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि मेरे आने के बाद यह सारा माल पर्चेज किया गया, यह गलत बात है और यह सदन पटल पर कहा जाता है यह शोभा की बात नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कम्पनी ने कहा, कुछ माल ठीक कर देंगे, कुछ के लिए रिफ्यूज कर दिया। बोर्ड ने किसी एजेंसी के द्वारा, जो लास हुआ है, जो माल बेकार है और जिसको वह ठीक करने के लिए तैयार नहीं है, कीमत अंकवाई है। दूसरा प्रश्न है कि क्या दस पर्सेन्ट के हिसाब से बैंक गारन्टी ली थी ?

श्री देवीदत्त गाडिया : मैंने यह नहीं कहा कि पर्चेज आपकी प्रजेन्स में हुई।

श्री शिवचरण माथुर : पहले विद्युत मंत्री ने एतराज किया, यह कहा था, मैंने आने के बाद एप्रूव कर दिया। मैं समझता हूं यह गलत बात है, न विद्युत मंत्री ने नोट लगाया। पहले आफिसर ने देखा, चैक किया, उसकी रिपोर्ट की। जानकारी आने के बाद कम्पनी को लिखा। कम्पनी ने कुछ रेक्टिफाई करने की बात कही, कुछ की नहीं। इसलिए आर्बीट्रेटर को दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब है, आप विद्युत मंत्री होते तो इस प्रकार की पर्चेज नहीं होती ?

श्री शिवचरण माथुर : यह नहीं कहता, विद्युत् मंत्री का नाम लिया इसलिए मैंने कहा कि इस सारी स्थिति से बोर्ड पिछले डेढ़ वर्ष से सतर्क है। इस सबके अतिरिक्त बोर्ड के इन्टरेस्ट सेफ गार्ड है। अब जो स्थिति है उससे माननीय सदस्यों को सन्तोष होगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उस केस में बैंक गारन्टी तो है वह तो खतम नहीं हुई है।

श्री शिवचरण माथुर : बैंक गारन्टी तो सितम्बर के बाद खतम होती थी और हमने उस क्लेम के खतम होने के पहले ही एक्शन ले लिया है। इसलिये बोर्ड को नहीं लोस हो सकेगा। बोर्ड ने पहले से ही चिट्ठी लिख दी थी। हमारी तरफ से तो बैंक गारन्टी अभी तक है। हम तो मानकर चलते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने गारन्टी के वक्त सारा एग्जामिन तो किया होगा ।

श्री शिवचरण माथुर : कानूनी तौर से हमारा क्लेम बैंक गारन्टी के लिये स्टेण्ड करता है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आप समझते होंगे । मैं तो समझता हूं यह क्लेम अब आपका स्टेण्ड नहीं करता । वह क्लेम खतम हो गया है ।

श्री शिवचरण माथुर : ये तो पहले ही निश्चय किया गया था कि कितना माल है कितने समय तक के लिये बैंक गारन्टी दी गयी । उसका सभी सही तरीके से फिक्स किया गया है । मैं माननीय सदस्यों को निवेदन कर दूं कि बोर्ड के एक्ट में रेट्स के लिये तीन सदस्यों की कमेटी बनी हुई है जिसके बोर्ड का टैक्नीकल मेम्बर, एकान्ट्स मेम्बर है और बोर्ड का सचिव उसका सचिव होता है । ये कमेटी दो महीने में अपनी रिपोर्ट बोर्ड को देती है और उसके अनुसार कार्यवाही होती है । इस प्रकार की हाई पावर कमेटी है उसके अनुसार रेट्स फिक्स अप्रूवल के बाद होती है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये 220 के. वी. लाइन डिफेक्टिव इस्तेमाल हुई है । वह कहां की गयी है ।

श्री शिवचरण माथुर : वह अभी तक कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुई है । वो तो रखी हुई है । स्टाक में पड़ा हुआ है माल सारा ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : ये पौने दो करोड़ रुपये का माल पड़ा है । ये काम में क्यों नहीं लिया गया है और अब आप इसे कहां स्तेमाल करेंगे ।

श्री शिवचरण माथुर : उसकी टैक्नीकल जांच करेंगे और जहां भी गड़बड़ होगी उसे देखेंगे फिर जहां भी जरूरत होगी वहीं पर काम में लिया जायेगा ।

श्री हरजीराम बुरडक : ये पौने दो करोड़ रुपये का माल आया जो इतने दिन पड़ा रहा है और यह रकम जो बोर्ड की हल्ड-अप हुई है इसके लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार है । उस आफिसर के खिलाफ कोई एक्शन लिया जायेगा ?

श्री शिवचरण माथुर : ये स्टॉक जो परचेज किया जाता है वह तो 10 परसेन्ट पहले टैस्ट चैकिंग के लिये दिया जाता है और बाकी बाद में दिया जाता है । दूसरा मामला जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है वह अजमेर की एमेलगेमेटेड सप्लाई कम्पनी, अजमेर के बारे में कि उस कम्पनी को बोर्ड ने अपने हाथ में लिया और उसका 61.70 लाख रुपये दिये तो इसके बारे में मैं आपसे निवेदन करदूं कि 31-3-71 को एग्रीमेन्ट हो गया था और उसके अनुसार परचेज किया गया है । बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी अजमेर चले गये थे उन्होंने जोईन्ट इन्वेन्टरी बनायी और उसके अनुसार मेरा ख्याल है जहां तक करीब कम्पनी के **ऐसेट्स एक** करोड़ से भी ज्यादा होंगे **हमने तो सिर्फ** 61.70 लाख रुपये ही दिये हैं **तो इसका** मतलब यह हुआ कि हमे माल वहां से ज्यादा मिलेगा । और इसका फाईनल पेमेन्ट 26 अगस्त 71 को हो गया और कर्मचारी वगैरह 1-11-71 से काम करने लग जायेंगे।

(श्री शिवचरण माथुर)

ये 26 अगस्त को पेमेन्ट इसीलिये किया कि अगस्त की भी इन्कम अपने को ही मिले और 1-9-71 को अपना कब्जा हो गया। मैं जहां तक मशीनरी के बारे में जो बात इस सदन में कही गयी है इसके बारे में इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि सारी जांच करके मशीनरी ली गयी है इन्वेन्टरीज बाकायदा बनी है जोईन्ट इन्वेटरीज बनी है दोनों की तरफ के अधिकारियों के दस्तखत हैं उसमें। एक बात मैं आप सभी माननीय सदस्यों को और बता दूं कि जब कब्जा लेने की बात हुई थी वह कम्पनी कोर्ट में भी चली गयी थी पर हाई कोर्ट में राज्य सरकार के फेवर में फैसला हुआ था और वहां से यह भी सभी तय हुआ था। और 61.70 लाख रुपये का पेमेन्ट किया गया है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मन्त्री महोदय से मैं एक बात की जानकारी करना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय यह जानकारी दी गयी थी कि जब आपके बोर्ड ने उसका कब्जा लिया तब उस कम्पनी की अच्छी अच्छी मशीनें जो भी थी उसमें कुछ हिस्से गायब कर दिये गये है।

श्री शिवचरण माथुर : ये मुझे जानकारी नहीं है मैं समझता हूं ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जोईन्ट इन्वेन्ट्रीज बनी है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आप समझते रहें लेकिन मैं पूछता हूं कि क्यों जोईन्ट इन्वेन्ट्रीज बनी उनका फिजीकल वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ ?

श्री शिवचरण माथुर: यह मुझे जानकारी नहीं है.........

श्री भैरोंसिंह : आप मिनिस्टर हैं और आपके पास जानकारी नहीं है.......

श्री शिवचरण माथुर : जब कोई बात नहीं है और जोइन्ट इनवेन्टरीज बनी है......

श्री कृष्ण कुमार गोयल : और अगर फिर भी कोई गड़बड़ हुई हो और आपके पास कोई शिकायत आयेगी तो आप कोई जांच करवायेंगे क्या ? 61.70 लाख रुपये पेमेन्ट करने के बाद उस कम्पनी से मशीनरी गायब हुई है।

श्री शिवचरण माथुर : 26-8-71 को पेमेन्ट हुआ है और 1-9-71 के बाद कम्पनी हमारे कब्जे में है। सभी तरह से जांच करके इन्वेन्ट्रीज बनायी गयी है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : फिजीकल वेरीफिकेशन किये बगैर आपने कैसे कब्जा ले लिया, हो सकता है उसके बाद में माल गायब हो गये होंगे। तो मेरा कहना यह है कि जो आफिसर इसके लिये दोषी पाया जाये उसके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे ? कोई जांच करेंगे ? कौन कौन वहां गये थे उसका कब्जा करने ?

श्री शिवचरण माथुर : बोर्ड के आफिसर गये थे और साथ में बोर्ड के सचिव भी गये थे।

श्री देवीदत्त गौडिया : क्या आपको बोर्ड के सचिव, जो भी गये और जो दूसरे अधिकारी गये थे उन्होंने आपको नहीं बताया कि माल पूरा नहीं था। तो आपने कोई जानकारी करवायी क्या ? और अगर दोषी पाया जावे तो जांच होगी ?

श्री शिवचरण माथुर : अगर कोई शिकायत आयेगी तो जरूर जांच करवायेंगे। इसके अलावा माननीय सदस्य श्री रामानन्द अग्रवाल ने वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार पेमेन्ट करने की बात कही थी ......

श्री कृष्ण कुमार गोयल : एक बात और पूछ लूं आपसे। 64-65 की पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी के सामने एक कन्डक्टर की खरीद के बारे में मामला आया, उसमें पेनल व्याज लगाना चाहिये था क्योंकि गवर्नमेन्ट को उसमें लास हुआ है।

श्री शिवचरण माथुर : इसके बारे में यह कहना है कि उसके कागजात सीज्ड हैं और जब बोर्ड की रिपोर्ट आवेगी तो उसके अनुसार ही कार्यवाही होगी। अभी रिपोर्ट आयी नहीं है। और जब रिपोर्ट आवेगी तो उसके अनुसार, नियमों में जैसा भी प्रावधान होगा, कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा माननीय सदस्य श्री रामानन्द अग्रवाल ने बताया कि कुछ मजदूर यूनियन के मजदूर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इन्होंने बताया कि मजदूरों की मांगों में वेज बोर्ड की सिफारिशों को राज्य सरकार ने मान लिया है पर अभी तक उसके अनुसार भुगतान नहीं किया गया है तो उसके लिये जब कि कमिटमेन्ट किया हुआ है तो उन्हें जरूर मिलेगा। लेकिन इसमें ऐसी बात है कि जो बोनस वगैरह मिलेगा और सभी ऐसेसमेन्ट वगैरह करने के बाद करीब दो करोड़ रुपये के होगा और ऐसा मैं माननीय सदस्यों को निवेदन कर दूं कि एक साथ दो करोड़ रुपये का पेमेन्ट करना सम्भव नहीं है। यह मामला विचाराधीन है और इसके सम्बन्ध म शीघ्र ही निर्णय करेंगे कि किस प्रकार पेमेन्ट किया जाये। उसकी ऐसी कोई विधि भी तो बनानी पड़ेगी ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा निवेदन यह है कि 1 फरवरी, 71 से तो पेमेन्ट कर देंगे ऐसा बोर्ड के चैयरमेन ने मुझे बताया था पर वह भी नहीं हुआ है। सरकार देने को राजी है फिर तकलीफ कहां है ?

श्री शिवचरण माथुर : आपने और भी मुद्दे उठा रखे हैं उसके साथ में...

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप अभी तो पेमेन्ट की डेट फिक्स करा दें ? मैं यही आश्वासन चाहता हूं।

श्री शिवचरण माथुर : इसके बारे में बोर्ड से बात करके आपको बता दूंगा कि इस पर कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नोटिस पहले दिया था। भूख हड़ताल इस सम्बन्ध में चल रही है।

श्री शिवचरण माथुर : आप मिले थे तब एक ही सवाल था कि रिप्रेजेन्टेटिव दोनों का एक नहीं रहना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वेज बोर्ड बोनस से बात की ? कानूनी पोजीशन क्या है यह भी देखा है ?

श्री शिवचरण माथुर : विचार कर लेंगे और बहुत जल्दी बोर्ड को निर्णय लेने का कह देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बोर्ड पेमेन्ट करने के लिये तैयार है और गवर्नमेन्ट ने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
उसको रोक दिया । तीन साल हो गये झगड़ा चलते हुए ।

श्री शिवचरण माथुर : आपने जो मुद्दे उठाये हैं उन पर विचार करके जल्दी से जल्दी निर्णय लेने की कोशिश करूंगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसी बात नहीं कि अचानक यह बात आयी हो । बार बार आयी है ।

श्री शिवचरण माथुर : निर्णय तो बोर्ड को लेना है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेन्ट ने रोक दिया है बोर्ड ने निर्णय ले लिया है । बोर्ड ने कहा कि 1 फरवरी से पेमेन्ट कर देंगे । स्टेट्यूटरी डाइरेक्शन्स हैं ।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने निवेदन किया कि जो मुद्दे आपने उठाये हैं उनके लिये बोर्ड से बात करके तय करेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप टालने की बात कर रहे हैं ।

श्री शिवचरण माथुर : बगैर बोर्ड की जानकारी के मैं कोई कमिटमेन्ट कर दूं यह उचित नहीं है । बोर्ड से बात करके आपको बता दूंगा । इस मौके पर यही कह सकता हूं ।

माननीय देवीदत्त जी गाड़िया ने एक मुद्दा उठाया कि इन्जीनियर्स वगैरह का चयन हुआ तो बाहर के लोगों को लिया और राजस्थान के लोगों को नहीं । यदि अच्छे होंगे और देश के हित में होंगे तो लेना पड़ेगा । हमारे कालेजेज से निकलने वाले लड़कों को हम प्राथमिकता देना चाहते हैं । मैंने सुझाव दिया है बोर्ड के चेयरमैन और मेम्बरों ने यह माना है कि राजस्थान के लड़कों को प्राथमिकता दी जावेगी और जितने अपोइन्टमेन्ट होंगे उनमें उनको प्राथमिकता देकर उनको दिये जावेंगे ।

श्री देवीदत्त गाडिया : वर्क चार्ज पर लेकर स्टाइपेन्ड देकर उनको ट्रेनिंग देते हैं और फिर उनको अपोइन्टमेन्ट दे देते हैं ।

श्री शिवचरण माथुर : डिप्लोमा होल्डर्स और इन्जीनियर्स उनसे काम नहीं लिया जाता है तो अधिकारियों से कहेंगे कि उनसे काम लें । गवर्नमेंट पे कर रही है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : शिकायत यह है कि पावर में जो रजिस्टर करवायेंगे तो उनको लेंगे और एम्पलोयमेन्ट एक्सचेन्ज में जो करवायेंगे उनको लेंगे । लेकिन एडहोक बेसिस पर जो अपोइन्टमेन्ट हो जाते हैं और अनुभव मान कर उनको स्थायी रूप से ले लिया जाता है । यह शिकायत है कि कितने ही लोगों को इस प्रकार से ले लिया गया है और कितनों ने एप्लाई किया ......

श्री शिवचरण माथुर : एप्लीकेशन इन्वाइट की उनको प्योरली मेरिट पर ले रहे हैं ।

श्री देवीदत्त गाडिया : डिप्लोमा होल्डर्स को तो आपने बुलाया ही नहीं है । 350 में से 150 तो राजस्थान के हैं ।

श्री शिवचरण माथुर : लेना तो उनको पड़ेगा ?

श्री देवीदत्त गाडिया : जितने फर्स्ट क्लास थे उनको बुलाया गया । राजस्थान

Page No 204

(श्री देवीदत्त गाड़िया):
के लोगों को एनकरेजमेन्ट, प्राथमिकता देनी चाहिये ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरिट के आधार पर लिये हैं तो क्या मोस्टली राजस्थान के हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक मुझे जानकारी है 350 फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट्स में से 200 राजस्थान के हैं।

श्री भैरोंसिंह : विवाद यह है कि फर्स्ट क्लास के लिये प्योरली मेरिट के आधार पर लिये । उसमें सवाल यह आता है, अगर यहां का सैकिन्ड क्लास इन्जीनियर है तो वह यह चाहते हैं कि बाहर के फर्स्ट क्लास इन्जीनियर्स को इस बेसिस पर नहीं लिया जाता है तो सैकिन्ड क्लास को भी इन्टरव्यू के लिये बुला लिया जाता ।

श्री शिवचरण माथुर : 70-80 लोगों को लेना है तो 1800 को बुलाने का क्या तुक है ?

श्री भैरोंसिंह : मैडिकल कालेज में पी. एम. टी. होते हैं । यह जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्लास स्टुडेण्ट है वह उसमें आ जायगा और उसका मेडीकल कालेज में एडमिशन हो जावेगा । कई फर्स्ट क्लास रह गये और सेकिन्ड क्लास आ गये । आप यह मानते हैं कि फर्स्ट क्लास को लेना है तो सेकिन्ड क्लास को बुलाने का क्या सवाल है । हो सकता है इन्टेलीजेन्ट हों और सेकिन्ड क्लास भी सलैक्ट हो जांय ।

श्री रामकिशन : एप्लीकेशन्स इन्वाइट करते समय एडहाक अपोइन्टमेन्ट्स होते रहे हैं । अब नियुक्ति होगी तो मेरिट के आधार पर होगी तो क्या जिनको निकाल दिया जावेगा ? उसमें ही तो पक्षपात करते हैं । वोर्ड ने एप्लीकेशन्स इन्वाइट कीं और जिनको फेवर करना था उनको करते रहे ।

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक मैंने जानकारी की, फेवर करने की बात एलीमिनेट करके चलना चाहिये। केवल इन्टरव्यू के आधार पर सलेक्शन हुआ और डिस्क्रिमिनेटरी आधार पर बात नहीं रखनी चाहिये। क्राइटेरिया बना कर चलना चाहते हैं कि या तो सेकिन्ड क्लास हो या फर्स्ट क्लास हो ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एडहाक बेसिस पर जो अपोइन्टमेन्ट्स हुए तो कोई तुक नहीं है। एक्सपीरियेन्स के आधार पर उनको प्राथमिकता नहीं रहेगी ?

श्री शिवचरण माथुर : ऑफ हैंड तो नहीं कह सकता हूं। आपने कहा उस चीज को देख लूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : देख लेने से काम नहीं चलेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह जो प्रक्रिया चल गयी है कि वर्क चार्ज पर लेना और एडहाक बेसिस पर लेना और फिर उनको पूरी तौर से ले लें इसीलिये तो पक्षपात होता है।

(व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री जी, मैं आपसे निवदन करना चाहता हूं और थ्योरेटीकली कहना चाहता हूं कि जितनी सीट्स थीं पहले ही अपोइन्टमेन्ट्स हो चुके थे और यह कहा था कि हमें बेसिस पर करना है और वे ही लोग हो गये जिनको करना था ।

Page No 205

श्री शिवचरण माथुर: यहां पर प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने रखे, मैं उनकी जांच करवा लूंगा और एक बात कहना चाहता हूं कि किसी न किसी क्राइटेरिया के आधार पर अपोईन्टमेन्ट दें। क्राइटेरिया कोई भी हो।

श्री देवीदत्त गाडिया: क्राईटेरिया तो बना रखा है। इसलिये इसको समाप्त करिये।

श्री शिवचरण माथुर: देख लेंगे।

श्री देवीदत्त गाडिया: देखने से काम नहीं चलेगा।

श्री शिवचरण माथुर: बगैर डिटेल में गये कैसे कहा जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: डिप्लोमा होल्डर्स के लिये क्या किया?

श्री शिवचरण माथुर: एक्सपीरियेन्स के लिये कोई मार्क्स निर्धारित नहीं किये हैं। जो जानकारी आई है, वह दे रहा हूं। डिप्लोमा होल्डर्स आदि के सिलसिले में जो चर्चा चली है। उसकी लाइट में और देख लूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: एक सजेशन आपको जंचे तो कह दूं। बड़े-बड़े बिजनेसमैन अच्छे हैण्ड्स को टेक अप करने के लिये, पिक अप करने के लिये अपने आदमी अहमदाबाद और कलकत्ता बम्बई भेजते हैं। दो-तीन महीने पहले भेजते हैं और जैसे ही लड़के जो इन्टेलीजेन्ट होते हैं निकालते हैं, वैसे ही उनको अपोइन्ट कर लेते हैं। अब आपके लिये यह कहां तक सम्भव है यह आप देख लें।

फिर भी एक बात हो सकती है। इतना बड़ा बजट है, आप तनख्वाह भी अच्छी देते हैं। तो आप अपने ही इन्जीनियरिंग कालेज के प्रिन्सिपल को यह क्यों नहीं कह देते हैं या अपना प्रबन्ध उनके साथ कुछ इस तरह का बिठा लीजिये कि जैसे ही जो इन्टेलीजेन्ट लड़कों का बैच निकले उनको वे आपके पास भेज दें और आप उनमें से जरूरत के अनुसार लोगों को रख लें। अपनी रिक्वायरमेन्ट प्रिंसिपल को लिख कर भेज दें। प्रिन्सिपल जिन लड़कों को पांच साल से जानते हैं उनमें से जो सबसे अच्छे होंगे फर्स्ट क्लास वाले होंगे उनको वे अधिक अच्छी तरह से छांट कर भेज सकते हैं वे आपके लिये बड़े उपयोगी साबित होंगे। आपके लिये इन्टरव्यू में पांच मिनिट में उनको पहचानना और चयन करना प्रिंसिपल से कहीं ज्यादा कठिन होगा। प्रिन्सिपल पांच साल से जानता है और उनका रिकार्ड उसके पास रहता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: एग्जामिनेशन और प्रेक्टिकल के आधार पर उसका क्राइटेरिया क्यों नहीं रख लेते।

श्री शिवचरण माथुर: हम तो एम्पलायमेन्ट बहुत लिमिटेड नम्बर को दे पावेंगे। कोई भी क्राइटेरिया तय कर लें।

डिप्लोमा होल्डर्स के लिये हमने यह किया है कि जो नौकरी में आ सकते हों वे तो ठीक हैं, बाकी जो भी रहते हैं वे बाहर गांवों में जावें या शहरों के कस्बों में जावें। वहां वे इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके लिये हमने रूल्स में यह प्रोवीजन कर दिया है कि अगर किसी के पास डिग्री है तो सीधे तौर पर बिना एग्जामिनेशन दिये वे सुपरवाइजर का लाइसेन्स ले सकते हैं और वे ठेकेदार भी बन सकते हैं।

(श्री शिवचरण माथुर)
ठेकेदार के लिये जो हमने शर्त रख रखी है तीन हजार तक के सामान के रखने की, वह हमने इ नके लिये रिलेक्स करदी है ।

शिकायत भी यह ग्राम तौर से है कि देहातों में सुपरवाइजर कम हैं। वायरमैन और सुपरवाइजर कम हैं। तो अगर ये लोग तैयार हों तो यह कमी मिट सकती है । असली हल तो यह है कि नौकरियां तो सबको कहां कहां से दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह अलग है । पर उनको भी तो दें, जितनी दें।

श्री देवीदत्त गाडिया : डिप्लोमा होल्डर्स के लिये भी कुछ पर्सेन्टेज नियत कर दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जैसा प्रश्नोत्तर काल में भी प्रश्न उठा था आपने चीफ इन्जीनियर को एक्सटेन्शन दिया है। यह क्यों ?

श्री देवीदत्त गाडिया : औरों को भी दिया है क्या ?

श्री शिवचरण माथुर : 1–7–71 को उन्होंने चार महीने की लीव के लिये एप्लाई किया। 31 अक्टूबर 71 को रिटायर होने वाले थे। इस बीच बोर्ड के चैयरमैन का एक पत्र हमें मिला कि रूरल इलेक्ट्रीफ़िकेशन का काम तेजी से चल रहा है और चूंकि भट्ट के पास में यह काम है इस लिये इस मौके पर आप इनके हाथ में जो काम है वह पूरा करने दें और इसके लिये केवल छः महीने का एक्सटेन्शन दे दें। इस पीरियड में यह काम काफी पूरा हो जावेगा ।

इस पर सरकार ने निर्णय लिया। साथ ही यह निर्णय लिया कि इसके बाद नहीं देना चाहिये। अप्रैल 72 में इस हिसाब से इनका कार्यकाल समाप्त हो जावेगा। यह फेक्चुअल पोजीशन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है श्री भट्ट के खिलाफ सीरियस चार्ज आफ करप्शन हैं। हम मेम्बरों के पास भी और बोर्ड के पास भी इस तरह की दरख्वास्तें पेम्फलेट आदि आये हैं। आपके पास भी आई हैं?

श्री शिवचरण माथुर: मेरे को कोई जानकारी ऐसी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारे पास तो बहुत आई । आपके पास नहीं आई यह आश्चर्य है।

ऐसे आदमी को फिर आप एक्सटेन्शन देकर क्या करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके पास भट्ट साहब के खिलाफ क्या चार्ज है?

श्री कृष्णकुमार गोयल: एक्सटेन्शन देते समय क्या राज्य सरकार ने यह भी विचार किया कि रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये काम करने वाला और कोई नहीं है क्या?

श्री शिवचरण माथुर: जो प्रोग्राम है उसको थोड़ा भी सैट बैक न मिले इस दृष्टि से हमने यह किया है और केवल छः महीने के लिये किया है।

श्री देवीदत्त गाडिया: ऐसे केस और भी हैं क्या।

श्री शिवचरण माथुर: ऑफ हैण्ड तो मैं इसकी जानकारी नहीं दे सकता इस समय। देख कर दे सकता हूं।

श्री देवीव्रत गाडिया: ठीक है जानकारी लेकर बता दें।

श्री शिवचरण माथुर: फिर भी बहुत से मुद्दे ऐसे हैं कि जिनकी जानकारी यहां इकट्ठी नहीं कर सकते। यह सम्भव भी नहीं मालूम होता। इतनी जानकारी यहां बैठे बैठे नहीं मिल सकती है। लेकिन निश्चित रूप से कह देता हूं कि बिजली के विस्तार के लिये जो सम्भव प्रयत्न होंगे सरकार वह सब करेगी।

श्री देवीव्रत गाडिया: भट्ट साहब के छः महीने के एक्सटेन्शन को आप उचित मानते हैं क्या?

श्री रामानन्द अग्रवाल: कई हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट चेन्ज किये हैं आपने। कम से कम इस आर.एस.ई.बी. में खास तौर पर जिनका पीरियड खतम हो रहा था उनको एक्सटेन्शन देना कोई भी वाजिब बात नहीं थी। सिवाय इसके कि असन्तोष पैदा करें एडमिनिस्ट्रेशन में।

श्री शिवचरण माथुर: एक्सटेन्शन दिया जा चुका है 72 तक। इसके बीच में अब कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप कर सकते हैं आपके प्रिडीसिसर्स ने किया है। भारत सरकार ने किया है अभी अभी।

श्री देवीव्रत गाडिया: रेल्वे मिनिस्टर ने किया है गांगुली के मामले में तो इनको क्यों नहीं कर सकते आप?

श्री शिवचरण माथुर: अन्त में आपके सुझावों के लिये आभार प्रगट करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 16–11–71 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के 10 बज कर 48 मिनिट पर मंगलवार दिनांक 16 नवम्बर, 1971 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(ता.प्र. सं. 85 की सूची)

सूची

आवंटन का विवरण

क्र.सं.	नाम आवंटिती	ख.नं.	रकबा	किस्म जमीन	आवंटित भूमि के अतिरिक्त खातेदारी की भूमि
1.	रामदेव पुत्र धींटा भांबी	284	15)	गे.मु. अंगार	
2.	उरजा पुत्र मगना	284	15)	"	उजरा के नाम 8।।) बीधा भूमि खातेदारी में है।
3.	पेमा पुत्र खीवा "	284	15)	"	
4.	हिमता पुत्र खींवा "	284	15)	"	
5.	भोकाराम पुत्र मेहराराम	284	15	"	
6.	रतना पुत्र खूमा रेगर	756	16) 1	"	
7.	रामदेवा पुत्र गोपी रेगर	756	16) 1	"	
8.	हनुमान पुत्र अमरा बावरी	141	7) 3		खुमां, हनुमान पुत्र अमरा भंवरा पुत्र जेठा बावरी के नाम इसी ग्राम में 29) 16 खातेदारी की भूमि है।
9.	बनसी हरिजन	145	17) 14	"	
10.	राम पुत्र बीरवा बावरी	440	18) 13	"	
11.	सावंता पुत्र खींवा भांबी	284	15)	"	सांवता के नाम इसी ग्राम में 3।।) खातेदारी की जमीन है
12.	भांवाराम पुत्र चतराराम हरिजन	370	16)	"	
13.	रामू पुत्र चतरा हरिजन	370	16)	"	
14.	दाना पुत्र चतरा "	370	16)	"	
15.	मोहना पुत्र लालु "	370	16)	"	
	योग		230) 12		

परिशिष्ट 2

(ता.प्र. सं. 93 की सूची)

अनुबन्ध 'अ'

स्वामी का नाम	वाहन संख्या		मार्ग का नाम
1. मै. सिराजुदीन मयामुदीन	आर जे आर	2801	टोंक से इसरदा बोंली
2. मै. दसोट ब्रदर्स	आर जे एक्स	110	,, ,,
3. लक्ष्मी नारायण जागीर	आर जे क्यू	614	,, ,,
4. महावीर प्रसाद	आर जे एक्स	871	,, ,,
5. चुहरमल ललवानी	आर जे एल	2751	टोंक से माधोराजपुरा
6. फूलचन्द	आर जे एल	5364	टोंक से माधोराजपुरा
7. रूप नारायण	आर जे एल	2998	,, ,,
8. रूप नारायण	आर जे एल	9100	,, ,,
9. मूल चन्द	आर जे एल	3705	टोंक से टोडारायसिंह
10. टेक चन्द	आर जे एल	2985	,, ,,
11. जगदीश प्रसाद	आर एस एल	9007	,, ,,
12. द्वारिका दास	आर जे एल	5123	,, ,,
13. भगवान दास	आर जे एल	6828	,, ,,
14. अलाबन्दी	आर जे एक्स	818	,, ,,
15. रामनारायण नन्द लाल	आर जे एक्स	294	नगर से बहवांडा
16. श्री गोपाल लाल	आर जे एल	5723	निलवाई से डिग्गी।
17. श्री थावर दास	आर जे एल	2658	,, ,,
18. श्री विश्वनाथ	आर एस एल	1001	निलवाई स्टेशन से डिग्गी
19. श्री रमेश चन्द	आर जे एल	6298	,, ,,
20. ईद मोहम्मद	आर जे ड	1441	निवाई से बोंली
21. फतेह लाल शर्मा	आर जे डी	442	,, ,,
22. रतन लाल शर्मा	आर जे आर	3942	,, ,,
23. बशीर मोहम्मद	आर जे यू	49	,, ,,
24. बजरंग लाल शर्मा	आर जे एल	5457	,, ,,
25. कल्याण बक्स जगदीश कुमार	आर जे यू	147	,, ,,
26. कल्याण बक्स नन्द कुमार	आर जे आर	1170	,, ,,
27. चनन सिंह	आर एस एल	3685	नानेर से मालपुरा टोंक
28. जमालुदीन इसमाइल	आर जे एल	9870	टोंक से ईसरदा
29. गंभीर मल जगदीश नरायण	आर जे एक्स	511	,, ,,
30. रतनकुमार	आर आर एल	1051	टोंक से केकड़ी

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. ९6 की सूची)

Statement showing the Balances of Loans from Central Government as on *31-3-71*

(Figures in lacs)

Particulars	Balance on 1-4-70	Loans received during 70-71 as per Accountant General's Books	Re-Payments made during 70-71	Balances on 31-3-71
1	2	3	4	5
1. *State Plan and Centrally Sponsored schemes*				
(*a*) Bhakra Nangal Project	2538.05		275.38	2262.67
(*b*) Chambal Project	5222.95		12.64	5210.31
(*c*) Rajasthan Canal Project	5882.77		60.40	5822.37
(*d*) Beas Project	5496.18	1168.00	98.13	6566.05
(*e*) Other Misc. Dev. Loans	13424.44	1656.41::	1103.08	13977.77
	32564.39	2824.41	1549.63	33839.17

2. *Non-Plan Loans*				
(*a*) Famine Relief	7253.74	2100.00	768.57	8585.17
(*b*) Small Savings Collections	1279.00	168.00	69.00	1378.00
(*c*) Short term loans	151.64	247.82	267.68	131.78
(*d*) Relief & Rehabilitation Loans	143.83	..	10.49	133.34
(*e*) Police Housing loans	190.73	25.00	5.86	209.85
(*f*) Others-Rehabilitation of Gold Smiths, House Building to A.I.S. Officers Police modernition etc.	128.10	16.96 21.00	17.72	148.34
(*g*) Old loans received upto 68-69 (W.&.M.)	2164.00	..	1682.96	481.04
	11311.04	2578.78	2822.30	11067.52
3. *Ad hoc Loans*				
(*i*) Loans received in 69-70	6041.00	2265.00	..	8306.00
(*ii*) Loans received to clear over drafts in 70-71	..	4180.00	4145.00	35.00
	6041.00	6445.00	4145.00	8341.00
GRAND TOTAL	49916.43	11848.19	8516.93	53247.69

::This includes loans against items a, b and c also. Bifurcation not possible since loans are received in the form) of Block loan.

परिशिष्ट 4

(ता.प्र. सं. 100 की सूची)

सूची

नाम	पद
(1) श्री भगवतसिंह महेता, आई.ए.एस	अध्यक्ष, राजकीय खनिज एवं उद्योग निगम
(2) श्री गोवर्धनसिंह मेहता, आई.ए.एस.	अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट होटल निगम, जयपुर
(3) श्री के.पी.यू.मेनन, आई.ए.एस.	कमिश्नर, विजिलेन्स कमीशन, राजस्थान, जयपुर
(4) श्री उदयसिंह, आई.पी.एस.	केम्प कमान्डेन्ट, देवली रिफ्यूजी कैम्प देवली
(5) ठाकुर जसवन्तसिंह आई.पी.एस.	चीफ आफ इन्टैलिजेन्स
(6) श्री नवरत्न वर्मा, आर.ए.एस.	स्वास्थ्य यातायात संगठन अधिकारी
(7) श्री गोकुल प्रसाद शर्मा, आर.एस.एस.	मुख्य निष्पादन अधिकारी, नाथद्वारा मन्दिर बोर्ड, नाथद्वारा
(8) श्री बालेन्दु शर्मा, आर.ए.एस.	विशेषाधिकारी, देवस्थान विभाग, उदयपुर
(9) श्री अक्षयलाल भट्ट, आर.ए.एस.	भूमि अवाप्ति अधिकारी, कडाना योजना, बांसवाड़ा।
(10) श्री वी. एस. सूद, आर.ए.एस.	एक्जीक्यूटिव आफिसर्स, केशोरायपाटन शुगर मिल्स, केशोरायपाटन
(11) श्री गोपी नाथ गुप्ता, आर.ए.एस.	निजी सचिव, स्वास्थ्य मंत्री।

परिशिष्ट 5

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

भूमि के नाजायज अलाटमेन्ट की जांच

101. श्री **रामचंद्र आर्य** (नोहर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष किसान आन्दोलन की मांगों पर हुई वार्ता के समय नाजायज़ अलाटमेन्ट की जांच के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था ? यदि हां, तो उस समिति द्वारा कितने व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई और इस कार्यवाही से कितने व्यक्तियों से कितनी भूमि राज्य सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है और कितनी भूमि ली जानी बाकी है ? फसलें कितनी कुर्क की गई? कुर्क शुदा फसल से आमदनी क्या हुई ? ब्योरेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त समिति आज भी नाजायज अलाटमेन्ट की जांच कर रही है ? यदि हां, तो यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी ? कितने व्यक्तियों के विरुद्ध जांच चालू है ? विवरण दिया जावे।

उत्तर

1. जी हां। समिति की तरफ से किसी व्यक्ति के ख़िलाफ कब्ज़ा लेने की या फसलों की कार्यवाही कुर्की नहीं की गई।

2. जी हां। जांच जारी है समय निर्धारित करना सम्भव नहीं। जांच का कार्य निश्चित संख्या के व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं हो रही है। विभिन्न प्रकार के अनियमित आवन्टनों को मालूम करने के लिये सूचियां व तत्सम्बन्धी रेकार्ड मांगा जा रहा है।

गंगापुर सिटी में फूड एडलट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत मामले

102. श्री **रिद्धीचन्द पल्लीवाल** (गंगापुर): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) फुड एडलट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत गंगापुर सिटी नगरपालिका क्षेत्र में 1 अप्रेल, 1967 से लेबोरेटरीज से किस किस व्यक्ति के खिलाफ मिलावट की रिपोर्ट भेजी गई ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) उक्त मिलावट के आरोप के क़ेसेस के चालान मजिस्ट्रेट के यहां कब कब पेश हुए और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

(3) क्या यह सच है कि नारायण पुत्र दामोदर तथा रतनलाल के केसेज रिपोर्ट के बावजूद एस. डी. एम. कोर्ट से गायब करा दिये गये ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी जांच कराई जावेगी ?

(स्थगित किया गया)

रानी खुर्द तथा सुमेरपुर में बिक्री कर की वसूली

103. श्री **फूलचन्द बाफणा** (सुमेरपुर): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) (i) रानी खुर्द (जिला पाली) तथा सुमेरपुर (जिला पाली) से मार्च व अप्रेल सन् 1970 एवं मार्च व अप्रेल सन् 1971 में

(श्री फूलचन्द बाफणा)
बिक्री कर कितने कितने रुपयों का वसूल हुआ ? रानी खुर्द व सुमेरपुर के आंकड़े पृथक् 2 एवं प्रत्येक मार्च व अप्रेल के ये आंकड़े भी पृथक 2 दिये जावें।

(ii) सन् 70 व 71 में उसी माह में वसूली में फर्क का क्या कारण है ? मार्च व अप्रेल (प्रत्येक वर्ष के) में वसूली में फर्क का क्या कारण है ?

(2) (क) सन् 1970 एवं 1971 के मार्च में बिक्री-कर की अग्रिम (एडवांस) वसूलियां कितने कितने रुपयों की की गई और कौन से कानून की किस धारा से ? रानी खुर्द (जिला पाली) तथा सुमेरपुर (जिला पाली) के ये आंकड़े दिये जावें।

(ख) क्या उपर्युक्त अग्रिम वसूलियां वास्तविक ड्यू रकमों से अधिक की वसूल की गई ? यदि हां, तो किस किस से कितनी कितनी यह अधिक वसूली की गई ?

(ग) क्या अग्रिम वसूली गैर-कानूनी नहीं है ? यदि हां, तो ऐसी गैर कानूनी कार्यवाही क्यों की गई और करने वाले के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये ?

(घ) क्या भविष्य में अग्रिम वसूली की पद्धति जारी रहेगी ?

उत्तर

(1) सुमेरपुर एवं रानी से माह मार्च, अप्रेल, 1970 व मार्च, अप्रेल, 1971 में कुल बिक्रीकर निम्नप्रकार से वसूल किया गया :—

सुमेरपुर

मार्च, 70	अप्रेल 70	मार्च, 71	अप्रेल, 71
6,15,840	4,032	5,53,0001	9,949

रानी

मार्च, 70	अप्रेल, 70	मार्च, 71	अप्रेल, 71
1,77,744।-	2,697।-	1,95,332।-	1,084।-

यह अन्तर अधिक कर एवं अग्रिम राशि जमा कराने के कारण हुआ है।

(2) बिक्री-कर की अग्रिम वसूली राजस्थान में सन् 1969-70 में 239.73 लाख व 1970-71 में रु. 287.65 लाख थी। रानी खुर्द में मार्च, 70 में रु. 1,30,200 व मार्च, 71 में 1,51,880 थी अग्रिम की वसूली की।

(ख) सुमेरपुर में—मार्च, 70 में रु. 3,58,980 व मार्च, 71 में रु. 4,09.964 और अप्रेल, 70 में रु. 4,032 अप्रेल, 71 में रु. 9,948।- की अग्रिम कर की वसूलियां की गई।

यह वसूलियां कर दाता कर के रूप में धारा 7 राजस्थान बिक्री-कर अधिनियम व सपठित धारा 9 केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के तहत अदा करते हैं।

राजस्थान बिक्री-कर अधिनियम की धारा 7 (8 ए) के प्रावधान के अनुसार कर देने

(वित्त मंत्री)
वाले व्यापारियों ने जितना कर देना चाहा उतना जमा कर लिया गया।

(ग) नहीं।

(घ) हां। धारा 7 राजस्थान बिक्रीकर अधिनियम व सपठित धारा 9 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई व्यापारी जमा कराना चाहेगा तो उसे इन्कार नहीं किया जावेगा।

भीलवाडा–अजमेर मार्ग पर चलने वाली बसें

104. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ):—क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा-अजमेर रूट पर दो–दो, ढाई–ढाई घंटे तक सवारियां पड़ी रहती हैं?

(2) क्या यह सही है कि इस लम्बे रूट पर बसों में अत्यधिक भीड़ रहती है?

(3) दो ढाई घन्टे का गैप क्यों रखा जाता है?

(4) हर घंटे के बाद भीलवाड़ा-अजमेर के लिये बस मिल सके इस प्रकार की व्यवस्था करने में कौनसी दिक्कत है?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी हां।

3. गाड़ियों की संख्या पर्याप्त नहीं होने के कारण एक सर्विस से दूसरी सर्विस के बीच दो पोने दो घंटे का गेप होना स्वाभाविक है।

4. इस रूट पर अत्यधिक भीड़ होने का कारण राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा यात्री सेवाओं में वृद्धि की गई थी लेकिन राज्य परिवहन न्यायाधिकरण द्वारा स्थगन आदेश देने पर सर्विस बन्द करनी पड़ी।

भूतपूर्व जागीरदारों को ब्याज का भुगतान

105. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं पुन ग्रंहण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत जागीरदारों को 6 माह में मुआवजा नकद या बोन्ड्स के रूप में मिलना चाहिये था? यदि हां, तो क्या यह 6 माह में दे दिया गया था?

(2) क्या यह सत्य है कि कुछ भूतपूर्व जागीरदार राजस्व मण्डल व उच्च न्यायालय में इस प्रश्न को लेकर गए थे जिन्हें 6 माह में मुआवजा नहीं दिया गया था और उन्होंने उस अवधि के ब्याज की मांग की थी?

(3) क्या यह सही है कि उच्च न्यायालय राजस्थान ने यह आदेश दिए हैं कि उक्त ब्याज का पैसा दिया जाना उचित है?

(4) क्या सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार भूतपूर्व जागीरदारों को ब्याज का चुकारा कर दिया है तथा अब और इससे कुल कितना चुकारा होना बाकी है?

(5) क्या यह सही है कि सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी भूतपूर्व जागीरदारों को ब्याज का भुगतान नहीं कर रही है?

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। किन्तु जागीरदारों द्वारा समय पर दावे पेश नहीं करने के कारण 6 माह में मुआवजा नहीं चुकाया जा सका।

(2) जी हां।

(3) जी हां, केवल दो केसेज में।

(4 व 5) जी हां, दोनों केसेज में जिनका निर्णय हाई कोर्ट ने कर दिया है शेष मामलों में अन्तिम रूप से निर्णय होने पर ही कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा। यदि सरकार के विरुद्ध निर्णय हुए तो चुकारे की राशि अनुमानतः 10,00,000) रु. हैं। भुगतान निर्णयों के अनुसार किया जा रहा है।

साम्प्रदायिक झगडे

106. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में 1 जनवरी, 1970 से 20–10–70 तक किस किस जिले में साम्प्रदायिक तनाव हुआ है तथा कब कब उसे रोकने के क्या उपाय किये गये है?

(2) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा व कोटा में साम्प्रदायिक झगड़े हुए हैं? यदि हां, तो कौन कौनसी तारीखों में तथा उन झगड़ों में कितना नुकसान हुआ है? कौन कौन सम्प्रदाय के कितने कितने व्यक्ति इस झगड़े के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये हैं?

उत्तर

1. सूची "अ" संलग्न है। मौके पर जिला अधिकारियों द्वारा पुलिस का व्यापक इन्तजाम किया गया एवं फौरी कानूनी कार्यवाही की गई जिससे स्थिति पर काबू पाया गया।

2. जी हां। जिला कोटा के ग्राम रेलावन में दिनांक 16–10–70 को और जिला भीलवाड़ा के ग्राम हमीरगढ़ में दिनांक 14–10–70 को साम्प्रदायिक झगड़े हुये हैं। नुकसान और गिरफ्तारियां की सूची "ब" संलग्न हैं।

सूची "अ"

जिला	चुनाव की तिथि
जयपुर	27-1-70
	29-3-70
	23-5-70
	29-5-70
अजमेर	2-8-70
टोंक	23-5-70
	8-7-70
झुंझुनू	22-9-70
जोधपुर	
	24-7-70
	1-8-70
	20-10-70
पाली	12-4-70
कोटा	14-3-70
	2-9-70
	15-9-70
	27-9-70
	9-10-70
	-10-70
	16-10-70
भीलवाड़ा	11-7-70
	14-10-70
उदयपुर	20-4-70
	28-9-70

सूची "ब"

जिला 1	स्थान 2	दिनांक 3	गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम 4	कुल नुकसान 5
भीलवाड़ा	हमीरगढ़	14–10–70 मु.नं. 45	1. श्री हनीफ मोहम्मद 2. श्री फकरूद्दीन नीलगर	कोई नुकासन नहीं।
		14–10–70 मु.नं. 46	1. श्री पोखर 2. श्री जमनालाल छींपा 3. श्री रूपलाल महाजन 4. श्री शिवकरण छींपा 5. श्री बंसीलाल बेकारी 6. श्री बंसीलाल वैष्णव 7. श्री लक्ष्मीनारायण दरोगा 8. श्री बंसीलाल टेलर 9. श्री तेजामल तम्बोली 10. श्री रामेश्वर छींपा 11. श्री लाल 12. श्री भंवरलाल खटीक	करीब 2000) रु. का नुक्सान।
कोटा	रेलावन	16–10–70 मु.नं. 37	1. श्री अब्बास 2. श्री रहमत अली	
		मु.नं. 38 16–10–70	1. श्री केदार लाल 2. श्री घासीलाल ब्राह्मण 3. श्री भैरूलाल मीणा 4. श्री जगदीश चन्द्र 5. श्री सूरजमल 6. श्री गोपाल हरी ब्राह्मण 7. श्री किशन लाल 8. श्री ओम प्रकाश 9. श्री घनश्याम 10. श्री नन्द किशोर माली 11. श्री मदन लाल 12. श्री हरनारायण ब्राह्मण 13. श्री अमर चन्द खटीक 14. श्री लक्ष्मी नारायण माली 15. श्री शंकर खटीक 16. श्री हल्कू चमार 17. श्री सेवाराम कुम्हार 18. श्री रणजीत सिंह सिख 19. श्री किशन चन्द मीणा 20. श्री कासिया 21. श्री गप्पूगूजर 22. श्री छीतर लाल किराड़	करीब 1635) रु. का नुकसान।

इन्डस्ट्रियल एरिया भरतपुर की भूमि

107. श्री नत्थी सिंह (भरतपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर स्थित खसरा नम्बर 1134 के एक हिस्से में इन्डस्ट्रीयल एरिया घोषित किया गया है? यदि हां, तो खसरा नम्बर 1134 का कुल रकबा कितना है और उसके शेष हिस्से किस किस के अधिकार में हैं?

(2) क्या यह सही है कि इस रकबे को लेकर विभिन्न उद्योगों में काफी समय से विवाद है?

(3) क्या यह भी सही है कि जंगलात विभाग भी इसमें से कुछ रकबे को अपना बताते हैं जब कि मौके पर ऐसा कोई रकबा नहीं है? यदि हां, तो क्या जंगलात विभाग के कारण भी विभिन्न उद्योगों की जमीन पर विवाद उठ खड़ा हुआ है?

(4) क्या राजस्थान सरकार ने इस विवाद को समाप्त करने के लिये कोई कदम उठाये हैं? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(5) क्या यह सही है कि भारत आइल मिल्स से सम्बन्धित रकबे को नीलामी में राजस्थान उद्योग ने खरीद लिया था? यदि हां, तो यह कौन सा हिस्सा है और क्या इस पर राजस्थान उद्योग का कब्जा है? यदि नहीं, तो क्या स्थिति है और उसके समाधान के लिये सरकार क्या कर रही है?

(स्थगित किया गया)

गंगानगर में ड्रेनेज का कार्य

108. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा गंगानगर में ड्रेनेज बनवाया जा रहा है?

(2) यदि हां, तो इसकी लागत का क्या अनुमान है?

(3) अब तक इसका कितना कार्य हो चुका है?

(4) यह ड्रेनेज कब तक बन कर सम्पूर्ण रूप से तैयार हो जायगा?

(5) क्या इस ड्रेनेज के निर्माण कार्य में गंगानगर की नगर परिषद् ने सरकार से ऋण की मांग की है?

(6) यदि हां, तो कितनी मांग की गई थी उसमें से कितना लोन दे दिया गया है और कितना देना शेष है?

(स्थगित किया गया)

काश्तकारों की समस्यायें

109. श्री भीमसेन (लूनकरणसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या स्थानीय कांग्रेस कमेटी लूणकरणसर ने वहां काश्तकारों की कतिपय समस्याओं के समाधान के लिये माह अक्टूबर में लिखित में जिलाधीश से मांग की है? अगर हां, तो उक्त समस्याएं क्या हैं तथा उनके समाधान के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

(राजस्व मन्त्री)

उत्तर

जी हां, उक्त समस्याओं के मांग—पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। राज्य सरकार ने उक्त समस्याओं के समाधान के लिये वांछित पदों की सृजना कर दी है। अधिकारियों के आते ही यह कार्य तुरन्त शुरू हो जावेगा।

कार्यालय ब्लाक कांग्रेस कमेटी, लूनकरनसर

पत्र सं. 113।71 दिनांक 21-10-71

श्रीमान् जिलाधीश महोदय,
जिला बीकानेर ।

विषयः—सम्वत् 2017 की सेटलमेन्ट के ऐतराजों का निवारण व दुरुस्ती करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निवेदन है कि सम्वत् 2017 में जो पैमायश की गई थी उस पैमायश में अधिकारियों की वजह से काफी किसान इस इलाके में अपने हक से वंचित रह गये एवं काफी मिसलें करीबन तीन हजार चार हजार एतराज बिना फैसले की अभी सब—डिवीजनल मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहे हैं उस पर पिछले साल पार्टी ने दिनांक 11-9-70 को तहसील के सामने धरना व प्रदर्शन किया था इस पर राज्य सरकार ने आदेश सं. एफ 4।2 उपनिवेशन। 67, दिनांक 11 मई, 1971 के तहत प्रसारित कर सेटलमेन्ट रिवाइज करने के जारी किये थे एवं दिनांक 29 जून, 1971 ई. को पार्टी का डेपुटेशन इसी मांग को लेकर आपसे मिला था इस पर आपने इस बात को उचित ठहराते हुए आश्वासन दिया कि इस पर जल्द से जल्द अमल कराया जावेगा। इस आश्वासन को दिये करीब तीन माह बीत चुके हैं अब इस समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है क्योंकि सेटलमेन्ट में खारिज शुदा रकबे को सरकारी मान कर भू—आवंटन का कार्य सम्पन्न होने से गांवों में जो मौके पर काश्तकार काबिज हैं उस रकबे पर काश्तकारों का वाजिब हक व कब्जा है उस रकबे पर अन्य काश्तकार को अलोटमेंट देने से आपस में मुकदमेबाजी शुरू हो गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि सम्वत् 2017 में हुई सेटलमेन्ट की उज्रदारियों को मौके पर जाकर रिकार्ड के अनुसार सही जानकारी प्राप्त होने पर उस रकबे को तुरन्त इन्द्राज किया जावे। दिनांक 28-9-71 ई. की पार्टी बैठक में तय किया गया कि दिनांक 16-10-71 तक इस पर सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में चल रही उज्रदारियों का फैसला करने की व्यवस्था नहीं की गई तो पार्टी द्वारा ठोस कदम उठाया जावेगा जिसकी समस्त जुम्मेदारी आपकी होगी।

दिनांक 2-1-71 ई.

भवदीय,
बाबूलाल भोजक,
21-10-71
ब्लाक कांग्रेस कमेटी, लूनकरनसर ।

लोकपाल तथा लोक आयुक्त की व्यवस्था एवं सतर्कता आयोग को दिये गये अधिकार

110. श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : क्या मुख्य मंत्री (मंत्री-मंडल सचिवालय) यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान में भी लोकपाल तथा लोक आयुक्त जैसी कोई व्यवस्था करने का राज्य सरकार का विचार है? यदि हां, तो कब व कैसे यह व्यवस्था की जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सतर्कता आयोग को कुछ और अधिकार मंत्री-मण्डल द्वारा दिये गये हैं? यदि हां, तो वे अधिकार क्या हैं?

उत्तर

(1) जब केन्द्र में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक विधान बन जायगा तब राज्य सरकार इस विषय पर विचार करेगी।

(2) जी नहीं।

रेल्वे कालोनी गंगापुर

111. श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगापुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या रेल्वे कालोनी गंगापुर जिसकी आबादी 5000 से अधिक है, न तो पंचायत क्षेत्र में आती है और न नगरपालिका क्षेत्र में? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

जी हां, क्योंकि यह रेल्वे की प्राइवेट कालोनी है।

मकान के पट्टे

112. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर विकास न्यास क्षेत्र में कई ग्राम स्थित हैं? जिन में वर्षों से ग्रामीणवसी मकान बना कर रह रहे हैं?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्रामवासियों के पास मकान व भूमि के पट्टे नहीं हैं?

(3) क्या यह सही है कि उन्होंने मकान के पट्टे दिये जाने के लिये आवेदन किया है? अगर हां, तो अभी तक कितने व्यक्तियों को किस रेट पर पट्टे दिये जा चुके हैं? कृपया विस्तृत सूची मय नाम, ग्राम व मूल्य के बताने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) हां यह सही है कि ग्रामीणों के पास पट्टे नहीं हैं।

(3) जी हां। पट्टे प्रसारित नहीं किये गये हैं। केवल 23 व्यक्तियों का आधिपत्य स्वीकार कर उन्होंने शुल्क प्रमाण-पत्र दिनांक 1–1–71 को न्यास द्वारा प्रसारित किये हैं जिनकी सूची संलग्न है।

पालिका ग्रामीणों को न्यास द्वारा आधिपत्य भूमि के प्रमाण-पत्र प्रसारित किये जिनकी प्रसारित तिथि 1-1-71 है

क्र. सं.	नाम व्यक्ति मय पिता का नाम पूर्व आधिपत्य भूमि के पट्टे दिये	निवास स्थान	प्रमाणित भूमि का क्षेत्र-फल	दर	भूमि की कीमत	विशेष विवरण
1.	श्री तेजमल आत्मज छीतरलाल	आनन्दपुरा	24'×19'		निःशुल्क	
2.	श्री कंवरलाल आत्मज हरलाल	"	22'×14'		"	
3.	श्री शंकर आत्मज धासी	"	17'×1/2'×12		"	
4.	श्री रामचन्द्र आत्मज किशना	"	30'×14'		"	
5.	श्री भैरूलाल आत्मज नन्दा	"	27'×15'		"	
6.	श्री सूरजमल आत्मज कंवरलाल	"	24'×26 1/2'		"	
7.	श्री गणेश आत्मज मोतीलाल	"	18'×13'		"	
8.	श्री मोड आत्मज विशना	"	24'×13'		"	
9.	श्री अब्दुल शकूर आत्मज अब्दुला खां	"	29'×34'		"	
10.	श्री लट्टूर आत्मज ग्यारसी राम	"	22'×21'		"	
11.	श्री बजरंगलाल आत्मज पांचूराम	"	88'×60'		"	
12.	श्री शंकर आत्मज पाडियाथ	"	17.8'×27'		"	
13.	श्री खेताराम आत्मज श्री मोती	"	23'×13'		"	
14.	श्री मोहम्मद हुसैन आत्मज रहमानखां	"	25'×12'		"	
15.	श्री लट्टूरलाल आत्मज अमरलाल	"	25'×30'		"	
16.	श्री अहमद आत्मज कजोड	"	25'×40'		"	
17.	श्री गोपीलाल आत्मज बरजू	श्री पुरा	21'×19'		"	
18.	श्री गोतमल आत्मज शंकर	"	32'×1/2'×10-1/2		"	
19.	श्री भंवरलाल आत्मज पांचूलाल	"	17'×20'×3/4		"	
20.	श्री रामनाथ आत्मज मोतीलाल	"	23'×1/2'×17-1/2'		"	
21.	श्री सेवाराम आत्मज देवाराम	छावनी	1482.36 वर्ग फुट		"	
22.	श्री चेलाराम आत्मज देवाराम	"	643.41 वर्गफुट		"	
23.	श्री रेवाचन्द आत्मज देवाराम	"	1275 वर्ग फुट		"	

परिशिष्ट 6

(प्र. प्र. सं. 51 की सूची)

List of defaulters vehicles owner as on 31-3-1971.

S.No. 1	Name of the vehicle owners 2	Amount 3	Remarks 4
1.	M/s Mohd. Yusaf, Agar	1200.00	Under L.R.Act.
2.	M/s Gulab Singh Gordhan C/o Bhanwar Lal, Kota	420.00	Recovered.
3.	M/s Sardar Tej Singh, Soyat	480.00	Under L.R.Act.
4.	M/s Jalaluddin Shamsuddin, Kanwas	494.50	Attachment.
5.	M/s Khamraj Bherulal, Bhawanimandi	40.00	Attachment.
6.	M/s Hansraj Chopra, Jhalawar	345.00	Stay.
7.	M/s Mohd. Shamshad Ali, Gangadher	697.22	U.T.
8.	M/s Laxminarain Ramnarain, Khanpur	144.00	Attachment.
9.	M/s Bherulal Laxminarain C/o Dhanna Lal R.T.I. Sirohi	2011.92	Attachment.
10.	M/s Jhalawar Transport Service	65.00	With Deptt.
11.	M/s J.T.S. C/o. Shri Brijnandan Bhanpur	859.12	L.R.Act.
12.	M/s Rajmal Tajmal, Rampura (M.P.)	576.22	L.R.Act.
13.	M/s Shriballabh Satyanarain	810.00	Attachment.
14.	M/s Mangilal Rathore Ramganjmandi	104.50	With Deptt.
15.	M/s Mohd. Rajak S/o Nasir Mohd. Narnwada	1040.00	L.R. Act.
16.	M/s Kalu Singh Modusingh	500.00	Attachment.
17.	M/s Ilahi Bux Ramjani, Kanwas	599.40	Attachment.
18.	M/s Idi S/o Abdul Sangod	64.17	With Deptt.
19.	M/s Premnath Modak	3166.22	L.R.Act.
20.	M/s Satyanarain Vinodkumar	400.00	Attachment.
21.	M/s Illahai Bux Ramjani, Kanwas	1349.75	Attachment.
22.	M/s Heeralal Noranmal,Ramganjmandi	500.00	Attachment.
23.	M/s Kailash Singh Chanchor Singh, Rawatbhata	253.66	With Deptt.
24.	M/s Ajij Khan C/o Mohd.Ramjan Sukut	407.00	With Deptt.
25.	M/s Govind Ram Asha Ram, Ramganjmandi	1074.70	U.T.
26.	M/s Babu Mohd.Usman, Ramganjmandi	3022.40	L.R. Act.
27.	M/s Abdul Halim Abdul Hamid, Kanwar	226.26	With Deptt.
28.	M/s Affar Khan Ratanlal, Dhulat	37.20	With Deptt.
29.	M/s Shanker Bus Service, Kota	11,546.46	Under Stay.
30.	M/s Israr Husain & Brothers.	10.00	With Deptt.
31.	Raman Sham Gani Mohd.	75.00	Recovered.

Page No 224

1	2	3	4
32.	M/s Mumtaj Hussain Baran C/o Punamchand Kasat.	135.00	With Deptt.
33.	M/s Radhey Shyam Banwari Lal.	550.91	With Deptt.
34.	M/s Abdul Gaffor Khan	113.93	With Deptt.
35.	M/s Haroti Transport Service	7000.00	Recovered.
36.	M/s Prassan Chand Chordiya	12.64	With Deptt.
37.	M/s Manakchand Motilal, Shyamgarh	32.12	With Deptt.
38.	M/s Harnam Singh, Pratap Singh, Patan	991.49 96.00	Stay.
39.	M/s National Bus Service, Kota	9557.36	Attachment.
40.	M/s Shantilal Shivkumar, Jwr	2296.92 1162.67	Attachment.
41.	M/s Sardar Pratap Singh, Ramganjmandi	100.00 216.00	Attachment.
42.	M/s Sharma Transport Service, Jwr	332.55	Attachment.
43.	M/s Nagir Ahmed C/o Balmukand Soni.	726.16	Recovered.
44.	M/s Haroti Transport Service, Kota	8131.83	Recovered.
45.	M/s Ismail Ji Tayyabji, Agar	50.00	With Deptt.
46.	M/s Anand Brothers, Ramganjmandi	168.62	With Deptt.
47.	M/s Banarsidass Panjabi	730.00	Recovered
48.	M/s Ramihander Heeralal, Patan	185.00	Recovered
49.	N/s Kunjbihari Lal M. Thana	21.00	With Deptt.
50.	M/s Radheyshyam Banwarilal, Asnawar	7553.79	Recovered
51.	M/s Bal Chand Tej Mal, Bakani	23,538.93	Stay.
52.	M/s Amrit Lal Contractor, Aklera	10.00	Recovered
53.	M/s Jainarain Chunnilal Bhanpura	1131.80	Recovered Rs. 700/-.
54.	M/s Jamnalal R. Trivedi, Mahidpur	879.88	With Deptt.
55.	M/s Raman Lal Chunni Lal C/o Kareem Bhai, Jwr.	3356.50	Recovered Rs. 750/-.
		678.78	Recovered Rs. 650/-
56.	M/s Gurunanak Transport Service	1221.80	Recovered Rs. 821.39/-
57.	M/s Labhchand Mangilal, Bwn.	50.00	Recovered.
58.	M/s Zafar Mohammed Sohrab Mohammed	25.00	With Deptt.
59.	M/s Abdul Majid Abdul Rehman, Sukat	50.00	With Deptt.
60.	M/s Abdul Ghaffor & Sons, Sukat	451.00	With Deptt.
61.	M/s Mohan Lal Prabhulal, Bwm.	4022.60	Recovered Rs. 205/-
62.	M/s Gupta Traders, Aklera	7805.64	With Deptt.
		1,09,332.09	

Sd/-

Commercial Taxes Officer, (R.P.G.T.),
Distt. Jhalawar. (Raj.).

परिशिष्ट 7

(अ. प्र. सं. 53 की सूची)

चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर में कार्यरत अधिकारियों की सूची ।

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्तमान पद	वर्तमान पद पर कार्यरत का दिनांक	वर्तमान पद पर नियुक्ति की अवस्था	जन सेवा आयोग द्वारा या विभागीय चयन समिति द्वारा पद के चयन
1	2	3	4	5	6
1.	डा. पी. डी. माथुर	निदेशक	23-7-71	एडहोक	प्रोफेसर
2.	डा. बी. एम. शर्मा	एस. एफ. पी. ओ.	30-10-71	"	सहायक निदेशक (क्षय)
3.	डा. डी. के. जगदेव	उप निदेशक (स्वा.)	1-9-69	"	सहायक निदेशक (चेचक)
4.	डा. आर. आर. पुरोहित	उप निदेशक (मलेरिया)	28-3-69	"	सहायक निदेशक (मलेरिया)
5.	डा. आर. एल. चौपडा	उप निदेशक (ई.एस.आई.)	5-6-71	"	सहायक निदेशक (प्लान)
6.	डा. बी. एन. शर्मा	सहायक निदेशक (योजना)	18-9-67	"	सी. ए. एस.
7.	डा. बी. ए. संत	सहायक निदेशक (क्षय)	17-9-69	"	"
8.	डा. श्रीमती पी. सैन	चीफ सुप.	2-3-71	"	मैट्रन
9.	डा. एम. एम. श्रीमाली	लेखाधिकारी	6-7-68	"	वित्त विभाग से
10.	श्री जी. एल. कल्ला	सेक्रेटरी स्टोर पर्चेज	25-9-67	"	अकाउन्टट
11.	श्री मोहम्मद इसाक	प्रशासनिक अधिकारी प्र. श. चि. इकाई	1-9-70	"	कार्यालय अधीक्षक
12.	श्री बी. एल. शर्मा	सहायक लेखाधिकारी	1-8-70	"	मुख्य लेखाधिकारी, राज., जयपुर
13.	श्री गोपालचन्द गोयल	"	25-1-71	"	से प्रतिनियुक्त हैं ।
14.	श्री पी. एन. कानूनगो	"	21-7-71	"	
15.	श्री अम्बरीष सक्सेना	स्टेटिस्टिशियन	6-8-69	"	स्टेटिस्टिकल आफिसर
16.	श्री बी. एल. अग्रवाल	ड्राफ्टर	12-8-70	"	सांख्यिकी विभाग से ।
17.	श्री रामचन्द्र बोडा	रा. परि. जन. शिक्षा एवं सूचना अधिकारी	1-1-71	"	डी. पी. आर. से डेपूटेशन पर हैं ।

1	2	3	4	5	6
18.	डा. श्रीमती लक्ष्मी भटनागर	सहायक निदेशक (परि. नियोजन)	19-6-68	स्थायी	डी. पी. सी. सहायक निदेशक
19.	डा. बी. बी. एल. सक्सेना	,,	19-1-69	,,	
20.	श्री एल. एन. सिमलोत	अधिशासी अभियन्ता	25-3-71	,,	पी. डब्ल्यू. डी. से ।
21.	श्री जे. पी. सपरा	सोशल साइन्टिस्ट	1-12-67	एडहोक	सांख्यिकी विभाग से ।
22.	श्री रामेश्वरसिंह	प्रशासन अधिकारी	4-2-71	,,	नियोक्त विभाग से ।
23.	श्री कृष्णमोहन माथुर	स्टेटिस्टिशियन	28-3-70	,,	सांख्यिकी विभाग से ।
24.	श्री प्रवीण चन्द सिंघवी	,	7-2-70	,,	
25.	श्री जगदीश नारायण शर्मा	लेखाधिकारी	21-1-71	,,	वित्त विभाग से ।
26.	श्री रामनाथ विजय	सहायक लेखाधिकारी	29-9-70	,,	मुख्यलेखाधिकारी से
27.	श्री महेन्द्र सहरिया	प्रदर्शनी अधिकारी	10-7-70	,,	डी. पी. आर. से डेपूट किया गया है ।
28.	श्री जगदीश चन्द्र जोशी	सहायक सम्पादक	6-6-69	,,	

Page No 227

परिशिष्ट 8

(अ. प्र. सं. 54 की सूची)

वर्ष 1971-72 में खोले गये नवीन औषधालयों की सूची

क्र. 1	स्थान 2	जिला 3	चिकित्सा पद्धति 4
1.	श्रीनगर	अजमेर	आयुर्वेद
2.	जसोदा	,,	,,
3.	आगर	अलवर	,,
4.	मोतीवाड़ा	,,	,,
5.	वसई ओगियान	,,	,,
6.	सिपलिया	बांसवाड़ा	,,
7.	कलेवा	बाड़मेर	,,
8.	ठेहरी	भरतपुर	,,
9.	‹ छरी	,,	,,
10.	पन्होरी	,,	,,
11.	लाचडा	भीलवाड़ा	,,
12.	मेजा	,,	,,
13.	लेसवा	,,	,,
14.	बीसासर चोगान	बीकानेर	,,
15.	गोड़ू	,,	,,
16.	सभीदी	बूंदी	,,
17.	नयामा	चूरू	,,
18.	करियाणा	डूंगरपुर	,,
19.	सरयुना	,,	,,
20.	थालड़ूका	गंगानगर	,,
21.	हरदास वाली	,,	,,
22.	चोहियावाली	,,	,,
23.	विरदवाल	,,	,,
24.	भेसलाना	जयपुर	,,
25.	राजस्थान विश्व वि.	जयपुर	,,
26.	बदनपुरा	,,	यूनानी
27.	जोबनेर	,,	आयुर्वेद
28.	हाथनोदा	,,	,,
29.	लोसेरवाडा	,,	,,
30.	करोड़ी	,,	,,
31.	बलवाड़ा	जालौर	,,
32.	कालीतलाई	झालावाड़	,,
33.	कोटा	कोटा	होम्योपैथिक
34.	सूडीलक	कोटा	आयुर्वेद
35.	भाडूंद	पाली	,,

1	2	3	4
36.	मलारना डूंगरी	स. माधोपुर	यूनानी
37.	मनकंपुरा	,,	आयुर्वेद
38.	सामी	सीकर	,,
39.	लिर्सा या	,,	,,
40.	कोजरा	सिरोही	,,
41.	गुडली	उदयपुर	,,
42.	जुड़ा	,,	,,
43.	परसादा	,,	,,
44.	कारोकला	,,	,,
45.	सिहाडा	,,	,,

परिशिष्ट 9

(अ. प्र. सं. 60 की सूची)

विशेष पंजीकरण योजना में सफल अनुसूचित जाति के सदस्यों की सूची

क्र. सं.	स्थान का नाम	लाटरी में सफल प्रार्थी का नाम
1.	कोटा ..	(1) श्रीमती राजकुमारी
		(2) श्री शम्भू दयाल कुरील
		(3) श्री उजागर सिंह
(2)	जोधपुर ..	(1) श्री थान मल
		(2) श्री मिरचू मल
		(3) श्री प्रेम राम सोंगरा
		(4) श्री नाथू सिंह
		(5) श्री हेम राज
		(6) श्री किशन लाल
		(7) श्री चेला राम
		(8) श्रीमती बाई चन्दीया
(3)	जयपुर	(1) श्री नानू राम वर्मा
		(2) श्री भगवत सिंह
		(3) श्री कालू राम मीणा
		(4) श्री वीर चन्द
		(5) श्री किशनलाल वर्मा
		(6) श्री चुन्नी तंवर
		(7) श्री जुगल किशोर यादव
		(8) श्री सुन्दर लाल
		(9) श्री राम गोपाल
(4)	उदयपुर ..	(1) श्री जगदीश
		(2) श्री रतन लाल
		(3) श्री देवी दास
		(4) श्री अम्बालाल सालवी
		(5) श्री शंकरलाल भील
		(6) श्री बन्सीलाल सालवी
		(7) श्री अम्बालाल दमानी
		(8) श्रीमती अनोप बाई
		(9) श्री राम चन्द्र सालवी
		(10) श्री भगवान लाल कछावा
		(11) श्री खलील अहमद
		(12) श्री कन्हैयालाल सालवी

परिशिष्ट 10

(अ. प्र. सं. 61 की सूची)

सेवा में,

श्रीमान् गृह मंत्री महोदय,
राजस्थान, सरकार, जयपुर ।

विषय:—अपील खिलाफ आदेश सूचना पत्र अनिवार्य सेवा मुक्ति क्रमांक ए. आर.।इन्टी। रिटा।12।65।2925 दिनांक 23-11-68 कार्यालय उप महानिरीक्षक अजमेर खण्ड, जयपुर ।

श्रीमान्,

सेवामें निवेदन है कि उपरोक्त नोटिस की प्रतिलिपि शामिल कर निम्न निवेदन है :—

(1) सेवक 1-12-38 को पुलिस में सिपाही भरती हुआ था । सन् 1945 में मुख्य आरक्षी के ओहदे पर व सन् 1948 में ए. एस. आई. के ओहदे पर व सन् 1951 में सब इन्सपेक्टर के ओहदे पर अपनी अच्छी सेवा व वफादारी के कारण तरक्की पाता रहा और सन् 1964 तक जिन अफसरान की मातहती में रहा उनके अच्छे रिमार्क मिलते रहे । अच्छी सेवाओं के फलस्वरूप नकद इनाम व सर्टिफिकेट का तादाद में हासिल किए जिनका वर्णन सर्विस पुस्तिका में मौजूद है ।

(2) सन् 1966 में टोंक डिस्ट्रिक्ट का तबादला हुआ । यहां श्रीमान् धर्मपाल गुप्ता, एस. पी. थे उनकी खुशी व ना खुशी के कारण अफसरान बाला वखूबी जानते हैं । उन्होंने नाराज होकर ए. सी. आर. खराब लिखी और ए. सी. आर. में वह आरोप दर्ज किये जो बेवजूद हैं जिनका कोई रेकार्ड नहीं है ना ऐसी कोई शिकायत तहरीर में आयी है मगर अफसरान वाला जो चाहें लिखें कोन देखते हैं । हालांकि अगर उनकी ए. सी. आर. वास्तव में सही लिखी जाये तो छोटे मातहतों से कहीं खराब कारनामें होंगे ।

(3) सन् 1967-68 में वह टोंक से तबदील होकर जयपुर दफ्तर में आई. जी. पी. दफ्तर में ए. आई. जी. पी. (2) लगे और रिटायरमेन्ट का मामला उनके हाथ में आया और जो चाहा वह किया ।

श्रीमान् जो सेवक ने नोटिस प्राप्त कर लिया है और श्रीमान् मौजूदा एस. पी. साहब टोंक ने 4 माह रुक्सत पर रवाना भी कर दिया है लेकिन सेवक को अफसोस है कि इन्साफ नहीं हुआ । सेवक अपनी सर्विस के 30 साल पूरे कर चुका है । मगर 55 साल उम्र में अभी 3 साल बाकी हैं । सेवक को रिटायरमेंट पर कोई एतराज नहीं है । मगर सेवक वक्त से पहले रिटायरमेंट के लिये तसल्ली चाहता है और निवेदन करता है कि श्रीमान् सेवक की सेवा पुस्तिका व ए. सी. आर. खुद तलब फरमाकर सेवक की मौजूदगी में उसका निरीक्षण फरमावें । ताकि सेवक को अपने रिटायरमेंट से तसल्ली हो सके और यह भी मालूम हो सके कि नीचे वाले अफसरान कैसी मनमानी करते हैं ।

दिनांक 11-12-68

प्रार्थी
(मंजूर अली)
एस. आई. टोंक जिला ।

हाल : पैराडाइश रेडिमेट एण्ड आर. टेलरिंग कं. चांदपोल बाजार, जयपुर ।

Page No 231

परिशिष्ट 11

(अ. प्र. सं. 64 की सूची)

तालिका (अ)

क्र. सं.	सन्	कुल भर्ती की गई	अनुसूचित जाति से भरती	अनुसूचित जाति का कोटा	निर्धारित	निश्चित कोटा से कम	निश्चित कोटा से अधिक
1.	1968	20	5	12½ प्रतिशत	2	—	3
2.	1969	43	3	12½ ,,	5	2	—
3.	1970	38	3	17 ,,	6	3	—
4.	1971	34	2	17 ,,	5	3	—
						8	3

अतः कुल कमी. 5

परिशिष्ट 12

(अ. प्र. सं. 67 की सूची)

सूची क

वर्ष 1968-69 से वर्ष 1971-72 (अगस्त, 71 तक) पेय जल व्यवस्था पर किये गये व्यय का मानचित्र ।

(संख्या लाखों में)

क्र. सं.	नाम जिला	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72
1.	अजमेर	0–73	3–35	3–61	–
2.	अलवर	–	–	–	–
3.	बांसवाड़ा	0–02	0–37	1–31	–
4.	बाड़मेर	9–09	15–07	60–08	0–48
5.	भीलवाड़ा	–	2–29	7–58	–
6.	बीकानेर	3–34	15–64	4–78	–
7.	भरतपुर	–	–	–	–
8.	बूंदी	–	0–55	0–10	–
9.	चित्तौड़गढ़	0–08	1–14	0–06	–
10.	चूरू	1–02	7–06	1–78	1–41
11.	डूंगरपुर	0–06	1–05	13–80	–
12.	गंगानगर	0–57	5–97	1–01	–
13.	जयपुर	31–25	0–51	20–03	0–08
14.	जैसलमेर	9–96	21–70	16–70	0–08
15.	जालौर	0–26	6–09	2–35	–
16.	झालावाड़	0–03	0–55	–	–
17.	झुंझुनूं	0–63	1–19	1–25	–
18.	जोधपुर	25–03	111–20	56–13	0–21
19.	कोटा	0–75	1–17	0–75	0–07
20.	नागौर	0–07	4–20	66–14	–
21.	पाली	0–52	13–60	4–63	0–03
22.	सीकर	0–07	2–39	0–25	–
23.	सवाई माधोपुर	0–02	0–21	–	0–21
24.	सिरोही	–	1–02	4–86	–
25.	टोंक	–	0–17	0–09	–
26.	उदयपुर	0–73	6–63	20–02	–
27.	मुख्य अभि. स्वास्थ्य	–	47–67	–	1–18
28.	सिंचाई	–	–	–	0–04
29.	भू-जल मंडल	48–96	90–40	25–13	–
30.	सहायता आयुक्त कार्यालय	–	51–03	–	–
31.	रेल्वे	4–16	–	–	–
	योग ..	137–36	412–22	312–44	3–79

परिशिष्ट 13

(अ. प्र. सं. 70 की सूची)

पंचायत समिति दांतारामगढ़ द्वारा खरीदे गये सांडों का विवरण ।

क्रमांक	स्थान जहां से सांड खरीद किये गये	सांड की कीमत व संख्या	पंचायत जिसको सांड दिया गया ।
1	2	3	4
(1)	सांपला (रोहतक) पो. रानी खेड़ा	2 दर 1200)-	खाचरियावास
		1 दर 1150)-	दांतारामगढ़
		1 दर 1050)-	खीरा
		3 दर 1100)-	डांसरोली
			घींगपुर
			सांवलपुरा
			जालूण्ड
(2)	गांव मडोला तहसील नावा (नागौर)	1 दर 870)-	मंढा (मरनी)
(3)	गांव कडाती तहसील जायल (नागौर)	1 दर 1080)-	सांगलिया
(4)	गांव कडाती तहसील जायल (नागौर)	1 दर 990)-	अलोदा
(5)	गांव जायल (नागौर)	1 दर 700)-	सुरेरा
(6)	गांव रतनकोडाती तहसील जायल (नागौर)	1 दर 1040)-	मुन्डियावास ।

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 15 नवम्बर, 1971)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
10	अन्तिम से 10	कांग्रेस नेता	कांग्रेसी नेता
21	10	क्या	क्या
,,	,,	हनताने	वताने
25	2	र	है
55	शीर्षक	अनुपस्थित सदस्यों के-15 नवम्बर, 1971,-तारांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर - 15 नवम्बर 1971-अतारांकित प्रश्नोत्तर
86	अन्तिम से 4	whetber	when
88	3	घन्टी न बजने तक	घन्टी बजने तक
,,	5	22.42	12.42 पर
97 से 111 तक	शीर्षक	मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास 15 नवम्बर, 1971-प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण	नोहर व भादरा में भूमि के-15 नवम्बर, 1971-पट्टे सम्बन्धी वक्तव्य
110	10	श्री रामानन्द अग्रवाल	श्री रामचन्द्र आर्य
111 से 122 तक	शीर्षक	मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास 15 नवम्बर, 1971-प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण	कोटा जिले में अतिवृष्टि-15 नवम्बर, 1971-सम्बन्धी वक्तव्य
126	अन्तिम से 9	पढ़ेगा	पड़ेगा,
,,	,, 7	कि	किया
129 से 138 तक	शीर्षक	प. पकि. से आये-15 नवम्बर, 1971-शरणार्थियों को बसाने सं. चर्चा	छात्रों के ऊपर हुये-15 नवम्बर, 1971-लाठी चार्ज सम्बन्धी चर्चा
151	,,	समिति	सदन
213	अन्तिम से 4	hon' abb:	hon' able
226	8	विश्वास चाहते हैं	विश्वास दिलाना चाहते हैं
286	अन्तिम से 10	संबंध	सम्बन्ध

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
303	अन्तिम से	[illegible]	श्री देवंदत्त गाडिवा	श्री देवीदत्त गाडिया
346		2	जब तक इस चीज को नहीं करना चाहिये	—
399	—	1	श्री कृष्ण कुजार गोयल	श्री कृष्णकुमार गोयल
400	—	2	स्तेमाल	इस्तेमाल
402	अन्तिम	—	ोगो	होगो